SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2

(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

हरियाणा सरकार

वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2

(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xv
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
बजट प्रोफाइल	1.2	1-2
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर	1.5	3-4
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	4-6
अध्याय 2		
शहरी स्थानीय निकाय विभाग		
शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	2.1	7-9
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	9
लेखापरीक्षा मानदंड	2.3	9
लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति	2.4	9-10
अभिस्वीकृति और बाधाएं	2.5	10
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और रणनीति	2.6	10-20
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान	2.7	20-42
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण और संचालन	2.8	42-52
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी	2.9	52-54
निष्कर्ष	2.10	54-55
सिफारिशें	2.11	56

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय 3		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	3.1	57-59
मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान	3.2	59-60
गेहूं की खरीद के लिए वित्तपोषण व्यवस्था	3.3	60-61
गेहूं की खरीद	3.4	61-67
गेहूं का भंडारण	3.5	67-72
एफ.सी.आई. के समक्ष दावे प्रस्तुत करना	3.6	72-75
एफ.सी.आई. को गेहूं की डिलीवरी	3.7	75-76
वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी	3.8	76-78
निष्कर्ष	3.9	78
सिफारिशें	3.10	78
अध्याय 4		
श्रम विभाग		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	4.1	79
हरियाणा में कार्यात्मक व्यवस्था	4.2	79-80
लेखापरीक्षा उद्देश्य	4.3	80
लेखापरीक्षा मानदंड	4.4	81
लेखापरीक्षा क्षेत्र और नमूनाकरण पद्धति	4.5	81-82
अभिस्वीकृति	4.6	82
प्राप्तियां एवं व्यय	4.7	82-84
राज्य सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों का कम होना/न होना	4.8	84-85
प्रतिष्ठानों का पंजीकरण	4.9	85-88
अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण	4.10	88-92
उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण का अवलोकन	4.11	92-93

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
उपकर संग्रहण	4.12	94-97
प्रतिष्ठानों का निरीक्षण	4.13	97-99
दुर्घटना के मामलों का निरीक्षण	4.14	99-102
चयनित प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण	4.15	102-104
बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन	4.16	104-107
लाभ संवितरण के संबंध में परिणाम	4.17	107-109
निर्माण श्रमिकों का सर्वेक्षण	4.18	109-110
निष्कर्ष	4.19	111
सिफारिशें	4.20	111-112
अध्याय 5		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन		
प्रस्तावना	5.1	113
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	5.2	113-114
लेखापरीक्षा उद्देश्य	5.3	115
लेखापरीक्षा मानदंड	5.4	115
कार्यों के दायरे में वृद्धि	5.5	115-135
कार्य के दायरे में कमी/परिवर्तन	5.6	135-136
उच्च दरें प्रदान कर ठेकेदार को अनुचित लाभ	5.7	137-138
वृद्धि का प्रभाव	5.8	138-139
आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली	5.9	140-141
निष्कर्ष	5.10	141-142
सिफारिशें	5.11	142
अध्याय 6		
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)		
महिला एवं बाल विकास विभाग		
"आपकी बेटी हमारी बेटी योजना" के अंतर्गत जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान	6.1	143-144

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
गैर-कार्यात्मक रेस्तरां पर निष्फल व्यय	6.2	145-146
निधियों को विलंब से जमा करने के कारण परिहार्य व्यय	6.3	147-149
शहरी संपदा विभाग		
भू-स्वामियों को उनकी अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिक भुगतान	6.4	149-151
वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान	6.5	151-153
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण		
सीवरेज प्रभारों की अवसूली और पानी की खपत के लिए गलत टैरिफ दरें लागू करना	6.6	153-156
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के कारण परिहार्य हानि	6.7	156-157
अध्याय 7		
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम		
मूल्य में भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण हानि	7.1	159-161
ब्याज का परिहार्य भुगतान	7.2	161-162
फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड		
ई-शौचालयों पर व्यर्थ व्यय	7.3	162-165
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड		
व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना खुदरा शराब की दुकानें खोलने के कारण हानि	7.4	165-167

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण	1.1	169-170
1.2	बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.6	171
1.3	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2024 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है	1.7.2	172-173
1.4	31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लंबित सिफारिशों की संख्या	1.7.3	174
1.5	31 मार्च 2024 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार लंबित सिफारिशें	1.7.3	175-176
2.1	विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा	2.1.3	177
2.2	संगठनात्मक संरचना	2.1.4	178
2.3	चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों की सूची	2.4	179
2.4	समूह आवास या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर, जिसमें 200 से अधिक आवास हों या जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर से अधिक हो, के लिए विकास योजना में अलग स्थान के सीमांकन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	2.6.4	180
2.5	नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम बनाने को दर्शाने वाली विवरणी	2.6.6	181
2.6	नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति की स्थिति	2.6.9	182-183
2.7	नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत पर पृथक्करण की प्रतिशतता और घर-घर जाकर संग्रहण की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी	2.7.1 एवं 2.7.5	184
2.8	नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एम.आर.एफ.) की स्थिति	2.7.6	185
2.9	नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की स्थिति	2.7.7	186
2.10	नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की स्थिति	2.7.9	187
2.11	नमूना-जांच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों में डंप स्थल पर सुविधाओं की स्थिति	2.7.11.1	188
2.12	हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण न करने के कारण "प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत" के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर्शाने वाली विवरणी	2.7.11.3	189-190

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.13	नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट की स्थिति	2.7.12	191
2.14	नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों में जारी किए गए चालानों की स्थिति	2.7.16.1	192
2.15	हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गठित क्लस्टरों का विवरण	2.8.1	193
3.1	गेहूं की खरीद में शामिल एजेंसियां और उनके मुख्य कार्य	3.1.1	194
3.2	मंडी के बाहर तौल के बाद मंडी परिसर में भंडारित गेहूं पर अधिक व्यय दर्शाने वाली विवरणी	3.4.4	195-196
3.3	राज्य खरीद एजेंसियों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी), हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी)) के बीच क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी दरों के बीच अंतर दर्शाने वाली विवरणी	3.5.1.1	197
3.4	आकस्मिक व्ययों का संक्षिप्त विवरण तथा निर्धारण की विधि	3.6.1	198
4.1	चयनित 12 मंडलों में 60 निर्माण स्थलों के प्रतिष्ठानों का पंजीकरण न कराना	4.9.1	199-202
4.2	जांच के लिए चयनित दुर्घटना स्थलों की सूची	4.14	203
4.3	चयनित पंजीकृत/अपंजीकृत/आकस्मिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण	4.15	204-206
4.4	कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या/संवितरित लाभों का जिलावार विवरण	4.16	207
4.5	पंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण	4.18.1	208
4.6	अपंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण	4.18.2	209
5.1	नमूना-जांच किए गए कार्यों का विभाग/इकाई-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां कार्य के क्षेत्र में वृद्धि/भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक थी	5.2	210-215
5.2	उन कार्यों की सूची जिनमें कार्यों की मदों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण निष्पादन के दौरान बदलाव किए गए थे	5.2 एवं 5.6	216-217
5.3	उन कार्यों की सूची जिनमें सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि अनुमोदित कराए बिना व्यय किया गया था	5.5 एवं 5.9.1	218
5.4	उन कार्यों की सूची जिनमें कार्य के निष्पादन के दौरान विभिन्न मदों की मात्रा में परिवर्तन के कारण भिन्नताएं उत्पन्न हुई	5.6 (ii)	219
5.5	उन कार्यों का विवरण जिनमें अनुबंध में वृद्धि और भिन्नता के कारण समय और लागत में वृद्धि हुई	5.8.2	220
6.1	कुल लाभार्थियों और एकल लाभार्थी को एकाधिक भुगतान के विवरण	6.1	221-222
6.2	गुरुग्राम में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले	6.5	223
6.3	फरीदाबाद में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले	6.5	224-228

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त अवधि का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2021-22 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 11 अनुच्छेद शामिल हैं जिसकी मनी वैल्यू ₹ 1,557.06 करोड़ है।

अध्याय 1: प्रस्तावना

2021-22 के दौरान ₹ 2,15,039 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,92,584 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 88,190 करोड़ से ₹ 1,10,437 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 34 प्रतिशत बढ़कर ₹ 73,257 करोड़ से ₹ 98,425 करोड़ और पूंजीगत व्यय 18 प्रतिशत कम होकर ₹ 13,538 करोड़ से ₹ 11,046 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.3)

2021-22 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत 53 विभागों की 950 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 23 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत 38 स्वायत्त निकायों की 35 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 1.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2: शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

'शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन प्रभावी, कुशल और किफायती था। लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति और रणनीति को 15 माह की देरी से

[1] राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम का योग।

अनुमोदन दिया और वह भी विभिन्न हितधारकों से परामर्श किए बिना। इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी। इन योजनाओं के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और चयन आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, सोनीपत और शाहबाद) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों को अधिसूचित नहीं किया था। नमूना-जांच किए गए शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों ने देरी से उपनियम अधिसूचित किए। वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर किए गए आवर्ती व्यय की तुलना में उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण की प्रतिशतता 0.37 और 3.38 प्रतिशत के बीच रही। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को स्व-निर्भर गतिविधि बनाने के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों को संशोधित नहीं किया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण एवं संग्रहण क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 98 प्रतिशत बताया गया, हालांकि, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में पाया कि उन्होंने एकत्रित अपशिष्ट का दिन/माहवार डेटा नहीं रखा था। लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि रिपोर्ट किए गए डेटा तक पहुंचने के लिए अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। वर्ष 2017-22 के दौरान, उत्पन्न कुल अपशिष्ट 103.58 लाख टन बताया गया था, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट (63 प्रतिशत) बिना किसी प्रसंस्करण के डंपसाइटों पर फेंक दिया गया था।
- वर्ष 2021-22 के दौरान 77 डंपसाइटें ऐसी थी, जहां शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लिए बिना अपशिष्ट फेंक रहे थे। इसके अलावा, 29 डंपसाइटों के संबंध में जैविक उपचार का कार्य नहीं दिया गया और 48.77 लाख मीट्रिक टन (48 प्रतिशत) लीगेसी अपशिष्ट डंपसाइट पर अप्रसंस्कृत पड़ा हुआ था (अप्रैल 2023)।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अब तक (मार्च 2023) केवल एक क्लस्टर (सोनीपत-पानीपत) में ही संचालित की जा सकी है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि फरीदाबाद-गुरुग्राम क्लस्टर का अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र अब तक (अक्तूबर 2024) पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रियायतग्राही बंधवाड़ी लैंडफिल साइटों पर जमा अपशिष्ट को साफ/प्रबंधित करने में विफल रहा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर निगम, गुरुग्राम ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए ₹ 4.92 करोड़ का परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति नहीं लगाई थी। इसके अलावा, नगर निगम, गुरुग्राम और नगर निगम, फरीदाबाद को परियोजना के निर्धारित समय पर लागू न होने के कारण उच्च टिपिंग/परिवहन प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 108.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार

उठाना पड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बंधवाड़ी साइट पर लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार न करने के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर ₹ 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय संसाधन अंतराल को दूर करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की स्व-निर्भरता के लिए प्रयास करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करें।*
- *राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को समयबद्ध ढंग से पर्याप्त संख्या में सेनिटरी भूमिभरण स्थल स्थापित करने तथा शेष लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार करने के निर्देश दे।*
- *हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना प्राधिकार के अपशिष्ट का निपटान करने पर शहरी स्थानीय निकायों के विरूद्ध कार्रवाई करे।*
- *राज्य सरकार शेष क्लस्टरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाए तथा रियायत करार में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करे।*

अध्याय 3: गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी

'गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी' पर निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की गई, जिसमें अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक (रबी विपणन सीजन 2017 से रबी विपणन सीजन 2021) की अवधि को शामिल किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य राज्य खरीद एजेंसियों के कार्यालयों में अभिलेखों की जांच की गई।

कुल 22 जिलों में से आठ जिलों और इन आठ जिलों की मंडियों का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई कुछ मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन आदि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी। कुछ मंडियों में तौल कांटे की अनुपलब्धता के कारण, हैफेड द्वारा मंडी के बाहर स्थित तौल कांटों तक गेहूं के परिवहन पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गेहूं की खरीद के लिए उच्च ब्याज दरों पर निधियों की व्यवस्था की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 222.24 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। चूंकि खरीद प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों के लिए समय-सीमा तय नहीं थी, इसलिए किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लिंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया।
- राज्य सरकार ने रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए कमीशन एजेंटों (मंडियों में आढ़तियों) को ₹ 48.12 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन का भुगतान किया, जबकि

भारतीय खाद्य निगम ने ₹ 46 प्रति क्विंटल कमीशन तय किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 14.27 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कवर्ड गोदामों के लिए संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार को अनंतिम लागत शीट में शामिल न किए जाने के कारण राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 90.30 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, रबी विपणन सीजन 2018-19 तथा इसके बाद लागत शीट को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार द्वारा मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन तथा बैंक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।*
- *राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण लेने के विकल्पों की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को समय पर दावे प्रस्तुत करने के लिए खाद्यान्न खरीद से संबंधित वार्षिक लेखों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अंतिम रूप देने में तीव्रता लानी चाहिए।*

अध्याय 4: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की गतिविधियों को शामिल करते हुए की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- यद्यपि 2017-18 से 2022-23 के दौरान श्रम उपकर संग्रह ₹ 2,153.11 करोड़ था, बोर्ड ने 2017-18 से 2022-23 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल उपलब्ध निधियों (अर्थात ₹ 5,553.71 करोड़) में से केवल ₹ 1,656.78 करोड़ (29.83 प्रतिशत) का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के अंतर्गत कर छूट के लिए समय पर आवेदन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 713.25 करोड़ की आयकर देयता हो गई।
- लेखापरीक्षा में प्रशासनिक मामलों में कमियां पाई गई, जैसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना, राज्य सलाहकार समिति की बैठक न बुलाना तथा बोर्ड की बैठकों में कमी।
- श्रम विभाग और अन्य कार्य निष्पादन विभागों के साथ भवन योजनाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पंजीकृत नहीं किए गए। निरीक्षण और अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को नोटिस देने के बाद भी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण नहीं करवाया गया था।
- पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का बोर्ड का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका,

क्योंकि श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं थी और वे अपंजीकृत रह गए। इसके अतिरिक्त, लंबित आवेदनों पर विभाग की निष्क्रियता के कारण संभावित लाभार्थी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए।

- लेखापरीक्षा में अग्रिम उपकर के कम संग्रह के मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, मिलान प्रणाली की कमी के कारण बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां थी।
- निरीक्षण के बाद की प्रक्रिया में अनुपालन रिपोर्टों की अपर्याप्त जांच के साथ-साथ इन अनुपालन रिपोर्टों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव भी पाया गया। वितरित लाभों की संख्या और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या के बीच कोई सह-संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अधिकारियों ने आवेदनों और दस्तावेजों में दिए गए विवरणों का उचित सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए।

सिफारिशें:

- *विभाग/बोर्ड, निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए कार्य निष्पादन विभागों और भवन योजना को अनुमोदित करने वाले प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करे और श्रमिकों के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करे।*
- *बोर्ड, श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे।*
- *विभाग/बोर्ड, प्रतिष्ठान-वार उपकर के उपार्जन एवं प्राप्ति की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे।*
- *विभाग/बोर्ड, निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के संबंध में प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करे तथा निरीक्षण मामलों में पाए गए विचलन के संबंध में उचित कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।*

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 5: कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन

'कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन' नामक विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा नौ सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नमूना-जांच द्वारा की गई थी, जहां 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- 14 मामलों में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि की स्वीकृति लिए बिना ही ₹ 108.91 करोड़ के अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 255.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थितियों का दोषपूर्ण आकलन, कार्य आबंटन के बाद नई मदों/संरचना को जोड़ने, कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में परिवर्तन, ठेकेदार को कार्य आबंटन से पहले कार्य के दायरे को अंतिम रूप न देने और जन प्रतिनिधियों की मांग के कारण विनिर्देशों में परिवर्तन/परिवर्धन के कारण कार्यों

में संवर्धन हुआ। नमूना-जांच किए गए सभी मामलों में, संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए बिना और संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही कार्य निष्पादित किए गए और भुगतान किए गए थे।

- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कुछ मंडलों में, ई-निविदा से बचने के लिए प्रारंभिक निविदा राशि ₹ एक लाख से कम रखी गई थी और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। यह पाया गया कि ₹ 77.89 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 178.13 करोड़ का भुगतान करने के बाद भी पांच परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। 13 मामलों में कार्य पूर्ण करने में 4 से 45 माह तक का विलंब था। उच्च दरों पर भुगतान कर ठेकेदारों को ₹ 73.73 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ₹ 6.64 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ही दो ठेकेदारों को ₹ 16.80 करोड़ की प्रतिधारण राशि वापस कर दी गई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 6: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

महिला एवं बाल विकास विभाग में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तंत्र में स्वीकृति के लिए आवेदनों के चयन और निधियों की संस्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, दोहरे आवेदनों को पहचानने और हटाने की व्यवस्था न होने के कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 6.1)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा हथिनीकुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के निकट रेस्तरां के निर्माण पर किया गया ₹ 1.74 करोड़ का व्यय उपयोग हेतु सुदृढ़ योजना न होने कारण निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 6.2)

भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे का भुगतान करने में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

(अनुच्छेद 6.3)

भूमि मुआवजे के अवार्ड में प्रकाशित भूमि के त्रुटिपूर्ण माप के कारण भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ मुआवजे का अधिक भुगतान हुआ। शहरी संपदा विभाग ₹ 3.25 करोड़ के ब्याज सहित अधिक भुगतान की गई राशि वसूलने में विफल रहा था।

(अनुच्छेद 6.4)

गुरुग्राम और फरीदाबाद में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण वृद्धित मुआवजे पर ₹ 83.04 करोड़ की दंडात्मक ब्याज राशि का परिहार्य उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 6.5)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान सीवरेज बिल जारी न करने (₹ 15.08 करोड़) और पानी की गलत टैरिफ दरें लागू करने (₹ 17.59 करोड़) के कारण ₹ 32.67 करोड़ वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 6.6)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई और परिणामस्वरूप, राज्य के खजाने को ₹ 86.49 लाख की परिहार्य हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.7)

अध्याय 7: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी को औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सोहना में लगभग 179 एकड़ भूमि का एक प्लॉट आबंटित किया। कंपनी ने जुलाई 2020 में नियमित आबंटन-पत्र जारी करते समय ₹ 58.71 करोड़ का आनुपातिक वृद्धि मुआवजा शामिल नहीं किया, जैसा कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 की क्लॉज 2.4 के अंतर्गत अपेक्षित था। परिणामस्वरूप, कंपनी ने आबंटी इकाई को वृद्धि लागत अंतरित नहीं की और भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण ₹ 9.76 करोड़ कम प्रभारित किया गया।

(अनुच्छेद 7.1)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करने में लापरवाही के कारण ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 7.2)

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दोषपूर्ण अनुबंध प्रबंधन और 10 ई-शौचालयों के खराब संचालन एवं रखरखाव के कारण ₹ 1.34 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

(अनुच्छेद 7.3)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड को किसी व्यवहार्यता अध्ययन के बिना गुरुग्राम में खुदरा शराब की दुकानें खोलने के कारण ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

हरियाणा सरकार के अधीन 53 विभाग, 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा 38 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित है। इस प्रतिवेदन में राज्य के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों को सम्मिलित किया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लागू कानूनों के प्रावधानों, नियमों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए भौतिकता का स्तर लेनदेन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नीतियों एवं निर्देशों को तैयार करने में सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा, तथा इस प्रकार बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2, 3 और 4 में निष्पादन लेखापरीक्षा, अध्याय 5 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां, अध्याय 6 में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां और अध्याय 7 में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति ***तालिका 1.1*** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2017-22 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
(1) राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	24,379	26,699	29,788	28,169	35,358	31,884	37,228	34,734	39,680	37,948
सामाजिक सेवाएं	31,404	28,061	34,176	29,743	36,114	33,726	43,090	36,164	43,293	40,928
आर्थिक सेवाएं	23,752	18,107	20,916	19,022	22,770	19,238	25,020	19,048	33,954	19,549
सहायता अनुदान एवं अंशदान	401	390	306	222	0	0	0	0	0	0
कुल (1)	**79,936**	**73,257**	**85,186**	**77,156**	**94,242**	**84,848**	**1,05,338**	**89,946**	**1,16,927**	**98,425**
पूंजीगत व्यय	11,122	13,538	15,780	15,306	16,260	17,666	13,201	5,870	9,318	11,046
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,326	1,395	1,766	756	1,407	1,309	1,213	926	1,239	966
लोक ऋण का भुगतान	9,945	6,339	12,466	17,184	20,257	15,776	22,592	29,498	28,161	25,473
आकस्मिक निधि	-	27	-	13	-	-	-	-	-	-
आकस्मिकता निधि का विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-
लोक लेखा संवितरण	2,04,107	31,171	2,32,569	37,386	1,41,707	42,171	51,356	50,245	59,394	51,728
अंतिम नकद शेष	-	4,417	-	2,985	-	3,999	-	3,148	-	4,946
कुल (2)	**2,26,500**	**56,887**	**2,62,581**	**73,630**	**1,79,631**	**80,921**	**88,362**	**90,487**	**98,112**	**94,159**
कुल योग (1+2)	**3,06,436**	**1,30,144**	**3,47,767**	**1,50,786**	**2,73,873**	**1,65,769**	**1,93,700**	**1,80,433**	**2,15,039**	**1,92,584**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2021-22 के दौरान ₹ 2,15,039 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,92,584 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 88,190 करोड़[2] से ₹ 1,10,437 करोड़[3] हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 34 प्रतिशत बढ़कर ₹ 73,257 करोड़ से ₹ 98,425 करोड़ और पूंजीगत व्यय 18 प्रतिशत कम होकर ₹ 13,538 करोड़ से ₹ 11,046 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत था।

---

1 राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम का योग।

2 ₹ 88,190 करोड़ = राजस्व व्ययः ₹ 73,257 करोड़ + पूंजीगत व्ययः ₹ 13,538 करोड़ + ऋण एवं अग्रिमः ₹ 1,395 करोड़।

3 ₹ 1,10,437 करोड़ = राजस्व व्ययः ₹ 98,425 करोड़ + पूंजीगत व्ययः ₹ 11,046 करोड़ + ऋण एवं अग्रिमः ₹ 966 करोड़।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम मूल्यांकन के साथ शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा तय की जाती है, तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट एक निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय के अध्यक्ष को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगामी कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2021-22 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत 53 विभागों की 950 विभागीय लेखापरीक्षित इकाइयों, धारा 19(1), धारा 19(2) के अंतर्गत 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 23 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत 38 स्वायत्त निकायों की 35 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जो विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों की सफलता तथा कार्यविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, के साथ-साथ चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दी है। सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद[4] शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों[5] के साथ-साथ तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान

---

[4] एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित।

[5] एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (अध्याय 5), अनुच्छेद 6.5 और 7.3

दिए गए उत्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां उनके अगले उच्च प्राधिकारी/प्रबंधन को प्रेषित की जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से अपेक्षा की जाती है कि वे बताई गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से ठीक करें और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन रिपोर्ट दें। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुविधाजनक बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

31 मार्च 2023 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध 8,480 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 24,362 लेखापरीक्षा अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि ***तालिका 1.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
अप्रैल 2017 से पहले	6,189	14,615	1,08,947.42
2017-18	618	1,917	25,818.84
2018-19	633	2,467	30,469.74
2019-20	483	2,154	12,023.46
2020-21	310	1,590	11,084.71
2021-22	247	1,619	35,062.02
कुल	**8,480**	**24,362**	**2,23,406.19**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

मार्च 2023 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्व प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए भले ही उन मामलों को लोक लेखा समिति /लोक उपक्रम समिति द्वारा जांच हेतु लिया गया हैं या नहीं। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक

कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

2020-24 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और लोक लेखा समिति /लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा का विवरण ***तालिका 1.3*** में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2020-24 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2024 तक चर्चा की स्थिति
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 2)	5 मार्च 2021	लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
2.	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3)	16 मार्च 2021	लोक लेखा समिति	2021-22 के दौरान चर्चा की गई
3.	सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2020 (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4)	22 दिसंबर 2021	लोक लेखा समिति/ लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
4.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
5.	परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 4)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
6.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 6)	10 अगस्त 2022	लोक उपक्रम समिति	चर्चा के अधीन
7.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7)	10 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति[6] तथा लोक उपक्रम समिति[7]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
8.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2 (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1)	22 मार्च 2023	लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति[8]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
9.	ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3)	25 अगस्त 2023	लोक लेखा समिति	2024-25 के दौरान चर्चा की गई

मार्च 2024 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 6) पर लोक उपक्रम समिति के साथ चर्चा चल रही थी, जिसके लिए कृत कार्रवाई टिप्पणियां अक्तूबर 2023 में प्राप्त हुई थी।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित

वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 33 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में उल्लिखित ₹ 1,961.17 करोड़ की वसूली के लिए की गई कार्रवाई मार्च 2024 तक प्रतीक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित बकाया वसूलियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है। लोक लेखा समिति ने संबंधित विभागों को यह राशि वसूल करने की भी सिफारिश की है।

---

6 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तीन अनुच्छेद (4.1, 4.2 और 4.3)।

7 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छः अनुच्छेद (2.1 से 2.3 और 3.1 से 3.3)।

8 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक अनुच्छेद (5.17)।

1.7.3 लोक उपक्रम समिति तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

वर्ष 1979-80 से 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति की 16वीं से 89वीं रिपोर्ट में शामिल 631 सिफारिशों और वर्ष 1983-84 से 2023-24 के लिए लोक उपक्रम समिति की 16वीं से 70वीं रिपोर्ट में शामिल 259 सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतीक्षित थी। लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति की लंबित सिफारिशों का विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया गया है।

अध्याय 2

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक गंभीर वैश्विक चुनौती है और इस पर तत्काल ध्यान देने और प्रभावी समाधान की आवश्यकता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोग के बदलते पैटर्न के कारण ठोस अपशिष्ट का उत्पादन चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, जन स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है।

2.1.1 अपशिष्ट की परिभाषा और वर्गीकरण

अपशिष्ट[1] वे सामग्रियां हैं जो प्रमुख उत्पाद नहीं हैं (अर्थात् बाजार के लिए उत्पादित उत्पाद) जिनका उत्पादक के पास उत्पादन, परिवर्तन या उपभोग के अपने उद्देश्यों के संदर्भ में कोई उपयोग नहीं है, तथा जिनका वह निपटान करना चाहता है। अपशिष्टों को सामान्यत: उनकी प्रकृति के आधार पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, बूचड़खाना अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर बायोडिग्रेडेबल, नॉन-बायोडिग्रेडेबल, दहनशील, शुष्क और निष्क्रिय के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।

2.1.2 अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया

अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया ***चार्ट 2.1*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.1: अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया

स्रोत: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016

[1] संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग।

2.1.3 अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने की शक्ति केन्द्र सरकार को प्राप्त है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.), भारत सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2000 (नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000) अधिसूचित किया (सितंबर 2000)। इसके बाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 में संशोधन किया और जैव चिकित्सा, प्लास्टिक, खतरनाक, निर्माण एवं विध्वंस और ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियम बनाए। 08 अप्रैल 2016 को अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 का स्थान ले लिया। इसके अलावा, न्यायिक हस्तक्षेप का भी समग्र देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा ***परिशिष्ट 2.1*** में दर्शाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.ए.), भारत सरकार ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी पर शहरी स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए "नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016" (एम.एस.डब्ल्यू.एम. मैनुअल, 2016) जारी किया।

2.1.4 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के संबंध में संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं और उन्हें निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा (डी.यू.एल.बी.) की स्थापना अप्रैल 1982 में की गई थी, और यह राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के बेहतर समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय इन शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी करता है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के संबंध में संगठनात्मक संरचना ***परिशिष्ट 2.2*** में इंगित की गई है।

2.1.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू (12वीं अनुसूची) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित 18 विषयों में से एक है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66ए(बी)(VI) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 42(6) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को शहरी स्थानीय निकायों के कार्य के रूप में अनिवार्य किया गया है।

हरियाणा राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए 92 शहरी स्थानीय निकाय[2] उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व की मात्रा के एक उपाय के रूप में, 2021-22 के दौरान इन

[2] शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं शामिल हैं।

शहरी स्थानीय निकायों में कुल अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पादन[3] 8,766 टन प्रतिदिन (टी.पी.डी.) था। कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से, 4,297 टन प्रतिदिन (49 प्रतिशत) को प्रसंस्कृत किया गया और शेष 4,469 टन प्रतिदिन (51 प्रतिशत) कुल उत्पन्न अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किए बिना डंप स्थलों पर फेंक दिया गया, जैसा कि **अनुच्छेद 2.7.10** में चर्चा की गई है। राज्य में ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए, इन शहरी स्थानीय निकायों को आगे 13 क्लस्टरों में बांटा गया था, जैसा कि **अनुच्छेद 2.8.1** में चर्चा की गई है। इन 13 क्लस्टरों में से केवल एक क्लस्टर अर्थात सोनीपत क्लस्टर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र मॉडल पर आधारित है, जिसे अगस्त 2021 में चालू किया गया था। शेष क्लस्टर आज तक (मार्च 2023) गैर-परिचालनात्मक हैं।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के अनुरूप और प्रचलित कानूनी ढांचे के समवर्ती थी;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगरपालिका कार्य जैसे संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान प्रभावी, कुशल और किफायती थे;
- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव प्रभावी और कुशल था; तथा
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन सहित पर्याप्त और प्रभावी थी।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड मुख्य रूप से निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- भारत सरकार द्वारा जारी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016;
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2011;
- राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीतियां और आदेश।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र और पद्धति

'शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2022 से मई

[3] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट

2023 के दौरान की गई थी। लेखापरीक्षा कवरेज की अवधि 2017-18 से 2021-22 तक थी। लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए सरल रेंडम नमूनाकरण (राजस्व मंडलवार) लागू करके चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल थी। चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों की सूची ***परिशिष्ट 2.3*** में दी गई है। लेखापरीक्षा ने शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की।

लेखापरीक्षा पद्धति में शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) और जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ फोटोग्राफिक साक्ष्य का संग्रहण भी शामिल था। प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के साथ 8 जुलाई 2022 को एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई थी। आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकायों के साथ 5 जनवरी 2024 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी और कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

2.5 अभिस्वीकृति और बाधाएं

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, चयनित शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है। हालांकि, विश्वसनीय/सुसंगत डेटा की अपर्याप्तता और अभिलेखों के खराब रखरखाव के कारण विभिन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/चयनित शहरी स्थानीय निकायों के निष्पादन का मूल्यांकन एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके अलावा, चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और रणनीति

2.6.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल संस्थाएं

भारत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रशासन और प्रबंधन की रूपरेखा सामान्यत: तीन स्तरों - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों में विभाजित है। अन्य हितधारक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे परिवार, व्यवसाय, उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), समुदाय आधारित संगठन (सी.बी.ओ.), और स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), आदि हैं। शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व ***तालिका 2.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के उत्तरदायित्व

संस्था/हितधारक	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भूमिका और उत्तरदायित्व
केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	कानूनी और नीतिगत ढांचे का निर्माण; नियम और विनियम; नीतियां और मानदंड; दिशानिर्देश; मैनुअल; तकनीकी सहायता; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना; क्षमता निर्माण; वित्तीय सहायता; कानूनों और नियमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी करना।
राज्य सरकार (शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	राज्य की नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करना; कानूनों और नियमों की निगरानी और कार्यान्वयन; दिशा-निर्देश, मैनुअल और तकनीकी सहायता; वित्तीय सहायता; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी) पर रिपोर्ट करना; स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण; उपचार और निपटान गतिविधियों की स्थापना के लिए सहमति प्रदान करना। अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया पर शहरी स्थानीय निकायों के निष्पादन की समीक्षा करना; ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आबंटन सुनिश्चित करना।
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाएं)	राज्य की नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना; उपनियम तैयार करना; फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को वित्तपोषित करना; जन जागरूकता पैदा करना; और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।

स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

क्या शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के अनुरूप और प्रचलित कानूनी ढांचे के समवर्ती थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.6.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(ए) के अनुसार राज्य सरकार को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि (अर्थात 8 अप्रैल, 2016) से एक वर्ष के भीतर अपशिष्ट बीनने वालों, स्वयं सहायता समूहों और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत समान समूहों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य की नीति और रणनीति तैयार करनी अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति को 09 जुलाई 2018 को 15 महीने की देरी से और वह भी विभिन्न हितधारकों से परामर्श किए बिना मंजूरी दी। विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति तैयार करने में देरी का कारण प्रक्रियागत मामले बताए गए। राज्य की नीति को अंतिम रूप देने में समग्र देरी का राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन पर भी क्रमिक प्रभाव पड़ा। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन[4] परियोजनाएं भी समय पर आरंभ/कार्यान्वित नहीं की जा सकी, जैसा कि **अनुच्छेद 2.8.1** में चर्चा की गई है। इसके अलावा, नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों (अपशिष्ट बीनने वाले, स्वयं सहायता समूह और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले इसी तरह के समूह) की गैर-भागीदारी के कारण, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी हितधारकों को शामिल करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत कम करने, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के प्रयासों को सुव्यवस्थित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के

[4] एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आई.एस.डब्ल्यू.एम.) ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, द्वितीयक भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण जैसी रणनीतियों का संयोजन शामिल है।

इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण के संदर्भ में अवसरों को खो दिया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि राज्य स्तरीय नीति को समयबद्ध ढंग से जारी करने में प्रक्रियागत देरी हुई। यह भी बताया गया कि राज्य ने विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सफलतापूर्वक लागू किया था। हालांकि, उत्तर में नीति-निर्माण प्रक्रिया में हितधारकों की गैर-भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

2.6.3 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(ए) में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य की नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसके अलावा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 (धारा 1.4.5 और 1.4.6) में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अल्पकालिक (पांच वर्ष) और दीर्घकालिक (20-25 वर्ष) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसमें (i) संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (ii) मानव संसाधन विकास; (iii) तकनीकी क्षमता निर्माण; (iv) वित्तीय क्षमता और व्यवस्था (v) सामुदायिक भागीदारी; (vi) प्रवर्तन के लिए कानूनी ढांचा और तंत्र; तथा (vii) लोक शिकायत या शिकायत निवारण शामिल हैं। अल्पकालिक योजना को दीर्घकालिक योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना चाहिए। सभी योजना गतिविधियों के कार्यान्वयन की अधिकतम सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अल्पकालिक योजना की प्रत्येक दो से तीन वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी। इन योजनाओं के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और चयन, भावी जनसंख्या पूर्वानुमान, भावी-जीवनशैली में परिवर्तन और शहरी स्थानीय निकायों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा में परिवर्तन को कवर करने वाले आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना और शहर स्वच्छता योजना शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार कोई भी अल्पकालिक/दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की।

2.6.4 आवासीय/गैर-आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए पृथक स्थान का प्रावधान/सीमांकन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 (एच) में यह प्रावधान है कि निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगी कि समूह आवास या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर, जिसमें 200 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं

या जिसका प्लॉट क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर से अधिक है, के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण और विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक पृथक स्थान का सीमांकन किया गया है। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (जेडई) में यह प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना था कि समूह आवास सोसायटी या मार्केट कॉम्प्लेक्स की भवन योजना को मंजूरी देते समय भवन योजना में अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल किए जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने गुरुग्राम और करनाल में 5,253.78 से 17,455.66 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले विभिन्न समूह आवास सोसायटियों/प्लॉटेड कॉलोनियों/वाणिज्यिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों के लिए 14 विकास योजनाओं को अनुमोदित/स्वीकृत किया (अप्रैल 2017 से सितंबर 2022 तक) जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में विवरण दिया गया है। हालांकि, उक्त नियमों के उल्लंघन में इन विकास योजनाओं में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए कोई पृथक स्थान निर्धारित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, नगर निगम, सोनीपत के अधिकार क्षेत्र में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा दो समूह आवास सोसाइटियों[5], जहां निर्माण कार्य प्रगति पर था और लाइसेंस जारी किया गया था (जून 2019 से फरवरी 2021 तक), में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि ले-आउट योजनाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए न तो सीमांकन किया गया था और न ही वास्तविक साइट पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई स्थान निर्धारित किया गया था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि उसने अपने नगर एवं ग्राम आयोजना कक्ष को निर्देश दिया था (मई 2023) कि वह विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण और विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए पृथक स्थान सुनिश्चित करे। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दिए गए निर्देशों के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

तथ्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के निर्देशों में देरी के कारण, विभिन्न समूह आवास सोसाइटियों/प्लॉटेड कॉलोनियों/वाणिज्यिक और संस्थागत प्रतिष्ठानों के लिए विकास योजनाओं को ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए निर्धारित स्थान के बिना अनुमोदित किया गया था।

2.6.5 ठोस अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण सुविधा के लिए औद्योगिक एस्टेट में निर्धारित क्षेत्र का निर्धारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 (i) में प्रावधान है कि राज्य सरकार को निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम पांच प्रतिशत या न्यूनतम पांच प्लॉट या शेड पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण सुविधा के लिए निर्धारित करने का निर्देश देना अपेक्षित है।

[5] श्री राम रेजीडेंसी का क्षेत्रफल 7.95 एकड़ और पीपी ग्रीन्स का क्षेत्रफल 12.01 एकड़ है।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। जुलाई 2022 तक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 21,057 एकड़ क्षेत्र में 28 औद्योगिक एस्टेट/औद्योगिक मॉडल टाउन/औद्योगिक पार्क विकसित किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा अक्तूबर 2020 और मार्च 2021 में जारी निर्देशों के बावजूद अब तक (मार्च 2023) अपने स्वामित्व वाले किसी भी औद्योगिक एस्टेट/औद्योगिक मॉडल टाउन/औद्योगिक पार्क में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अपेक्षित अवसंरचना/सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024) विभाग ने बताया कि इस संबंध में संबंधितों को आवश्यक निर्देश परिचालित किए जाएंगे।

2.6.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपनियम तैयार करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (ई) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपनियम[6] तैयार करने होंगे। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (जेडएफ) में प्रावधान है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उपनियम बनाने थे तथा कचरा फैलाने वाले या इन नियमों के प्रावधानों का पालन न करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के लिए मौके पर ही जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करने थे तथा अधिकारियों या स्थानीय निकायों को तैयार किए गए उपनियमों के अनुसार मौके पर ही जुर्माना लगाने की शक्तियां प्रदान करनी थी। तदनुसार, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम, 2018 का मसौदा जारी किया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, सोनीपत और शाहबाद) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों को अधिसूचित नहीं किया था। इसके अलावा, 15 शहरी स्थानीय निकायों ने अत्यधिक देरी से उपनियम अधिसूचित किए। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से राज्य सरकार से उपनियमों को स्वीकृति मिलने में देरी के कारण 695 दिनों की देरी हुई, जबकि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की ओर से उपनियम जारी करने में 61 से 638 दिनों की देरी हुई। शहरी स्थानीय निकायवार स्थिति ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना उपनियम बनाने का अधिकार नहीं था। चूंकि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय उक्त नियमों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार से मसौदा उपनियमों को अनुमोदित

[6] "उपनियम" का तात्पर्य स्थानीय निकाय, जनगणना, शहर और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिसूचित विनियामक ढांचे से है।

कराने में विफल रहा, परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपनियमों की अधिसूचना में देरी हुई। इसके अलावा, तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपनियमों को अधिसूचित करने में विफलता उनकी ओर से गंभीरता की कमी को दर्शाती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024) विभाग ने बताया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, तथ्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय उपनियमों की अधिसूचना में देरी के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने में विफल रहे।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि सभी शहरी स्थानीय निकाय उपनियम राज्य स्तर पर तैयार और अनुमोदित किए गए थे और अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत देरी हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, सोनीपत और शाहबाद) ने अभी तक अपने उप-नियमों को अधिसूचित नहीं किया था (सितंबर 2024)।

2.6.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक हितधारकों की भागीदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(सी) में यह प्रावधान है कि नीतियों और रणनीतियों में अपशिष्ट को कम करने में अपशिष्ट बीनने वालों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उद्योग के अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा निभाई गई प्राथमिक भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट बीनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति ने इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को उत्तरदायित्व सौंपा। इसके अलावा, नियम 15 (डी) में यह भी प्रावधान है कि स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए तथा इसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत करना चाहिए जिसमें घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्र करना शामिल हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं की। स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। इसके अलावा, मार्च 2022 तक, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 13[7] ने ही अपशिष्ट बीनने वालों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन नहीं हुआ।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट बीनने वालों का पंजीकरण करने तथा सड़कों की सफाई और घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने में उनकी भूमिका को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी, चाहे वह सीधे तौर पर हो या अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से। हालांकि, तथ्य यह है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के लागू होने के आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया।

---

[7] बहादुरगढ़, बेरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हेलीमंडी, कैथल, नीलोखेड़ी, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, टोहाना और उकलाना।

2.6.8 क्षमता निर्माण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(के) और 15 (जेडसी) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, अपशिष्ट के परिवहन या स्रोत पर प्रसंस्करण आदि के लिए कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.5 में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण में न केवल प्रौद्योगिकी पर अपितु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात वरिष्ठ अधिकारियों, संग्रहण स्टाफ, परिवहन स्टाफ, प्रसंस्करण संयंत्र के स्टाफ, निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए शासन, वित्तपोषण और बेहतर सेवा वितरण पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने 2017-22 की अवधि के दौरान सात प्रशिक्षण कार्यक्रम [स्वच्छ सर्वेक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.-2.0) जैसे विषयों पर] आयोजित किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस अवधि के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित केवल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यह भी पाया गया था कि विभाग ने अन्य हितधारकों अर्थात् संग्रहण स्टाफ, परिवहन स्टाफ, प्रसंस्करण संयंत्र के स्टाफ, निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए कोई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था। इस प्रकार, 2017-22 के दौरान संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए क्षमता निर्माण में कमी थी।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अन्य हितधारकों अर्थात संग्रहण स्टाफ, परिवहन स्टाफ, प्रसंस्करण संयंत्र के स्टाफ, निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए कोई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था।

2.6.9 सेवा स्तर मानक

शहरी सेवाओं में सुधार के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बीच अधिक जवाबदेही लाने के चल रहे प्रयास के एक भाग के रूप में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्टार्म वाटर ड्रेनेज में सेवा प्रावधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सेवा स्तर मानक निर्धारित किए थे (2008)। सेवा स्तर मानक के लक्ष्य के रूप में निष्पादन की निगरानी और सुधार की परिकल्पना की गई थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के लिए सेवा स्तर मानकों के अंतर्गत निर्धारित आठ निष्पादन संकेतकों के विरूद्ध नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों[8] का निष्पादन ***तालिका 2.2*** में दर्शाया गया है।

[8] गुरुग्राम और पंचकुला द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

तालिका 2.2: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानकों की स्थिति

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	मानक/ लक्ष्य (प्रतिशत में)	2021-22 में लक्ष्य प्राप्त करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर कवरेज	100	8
2	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता	100	9
3	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100	4
4	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की वसूली की सीमा	80	7
5	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की सीमा	100	3
6	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए लागत वसूली की सीमा	100	0
7	ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	15
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	0

स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी

2017-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायवार स्थिति ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाई गई है। ***तालिका 2.2*** के विश्लेषण से पता चलता है कि नमूना-जांच किए गए अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों ने विभिन्न निष्पादन संकेतकों के अंतर्गत मानक प्राप्त नहीं किए थे, विशेष रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए लागत वसूली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण में दक्षता से संबंधित। गुरुग्राम और पंचकुला नगर निगमों ने सेवा स्तर के मानदंडों का डेटा उपलब्ध नहीं कराया। केवल नगर निगम, सोनीपत और नगर परिषद, कालका ने 2021-22 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण को छोड़कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के सभी सेवा स्तर मानक प्राप्त किए। नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन डेटा तक पहुंचने में अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इनके अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों से 2021-26 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के बाद सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने की आशा है। हालांकि, तथ्य यह है कि शहरी स्थानीय निकाय 2008 में इन मानकों को तय किए जाने के बावजूद अब तक (अक्तूबर 2024) सेवा स्तर मानक प्राप्त करने में विफल रहे।

2.6.10 वित्तीय योजना

2.6.10.1 निधियों की आवश्यकता का निर्धारण

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.6.2 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं तभी टिकाऊ होती हैं जब वे स्वतंत्र आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य हों। इसलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाने में वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त सरकारी अनुदान पर निर्भर थे। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट (दिसंबर 2021) के अनुसार, 2017-21 के दौरान राज्य के सभी शहरी

स्थानीय निकायों के कुल व्यय में सरकारी अनुदान का हिस्सा 43 प्रतिशत था, जैसा कि ***तालिका 2.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: हरियाणा में सभी शहरी स्थानीय निकायों का नगरपालिका निधियों और अनुदानों से वहन किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगरपालिका निधियों से व्यय	अनुदानों से व्यय	कुल व्यय	अनुदानों में से कुल व्यय की प्रतिशतता
2017-18	2354.68	1706.33	4061.01	42
2018-19	2122.39	1550.03	3672.42	42
2019-20	2391.44	2104.95	4496.39	47
2020-21	3116.14	2068.8	5184.94	40
कुल	**9984.65**	**7430.11**	**17414.76**	**43**

स्रोत: छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट

नोट: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 2021-22 के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सभी क्लस्टरों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी.एफ.आर.) तैयार की। हालांकि, इन तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्टों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को निष्पादित करने और बनाए रखने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं या वित्तीय क्षमताओं का आकलन नहीं किया गया था। इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से ऐसा प्रयास नहीं किया।

चूंकि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमताओं पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने और बनाए रखने के लिए निधियों की आवश्यकता के लिए अपेक्षित विश्लेषण के संदर्भ में अंतराल थे। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तपोषण की पर्याप्तता के लिए जोखिम है, विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए, जैसा कि ***तालिका 2.3*** में चर्चा की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्टें एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता की जांच के लिए तैयार की गई थी, न कि उनके कार्यान्वयन के लिए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता का आकलन नहीं किया गया था जो एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

2.6.10.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता फीस का उद्ग्रहण एवं संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (एफ) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय को वित्तीय व्यवहार्यता के लिए अपनी परिचालन लागत को कवर करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सभी अपशिष्ट उत्पादकों से समय-समय पर स्वयं या अपनी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से निर्धारित उपयोगकर्ता फीस/प्रभार एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार ने अपशिष्ट उत्पादकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सांकेतिक मासिक

उपयोगकर्ता प्रभार अधिसूचित किया (अक्तूबर 2011) तथा शहरी स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के उपयोगकर्ता प्रभार लगाने तथा समय-समय पर उन्हें संशोधित करने के लिए अधिकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों[9] ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रभारों के निर्धारण और आवधिक आधार पर बिल जारी करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना-जांच किए गए चार शहरी स्थानीय निकायों[10] ने 2017-22 के दौरान कोई उपयोगकर्ता प्रभार नहीं लिया था और शेष 10 नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र पोर्टल[11] के माध्यम से अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट उत्पादकों से सांकेतिक मासिक उपयोगकर्ता प्रभारों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता प्रभार एकत्र कर रहे थे। यह भी पाया गया कि नमूना-जांच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को आत्मनिर्भर गतिविधि बनाने के लिए अपने स्वयं के उपयोगकर्ता प्रभार निर्धारित नहीं किए।

शहरी स्थानीय निकायों ने घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने तथा अन्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर व्यय किया, जैसा कि ***तालिका 2.4*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, उपयोगकर्ता प्रभारों का निर्धारण न करने और कम वसूली के कारण शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रदानगी की लागत वसूल नहीं कर सके, जैसा कि ***तालिका 2.4*** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजीगत व्यय	आवर्ती व्यय	कुल	एकत्रित उपयोगकर्ता प्रभार	आवर्ती व्यय में वसूले गए उपयोगकर्ता प्रभारों की प्रतिशतता
ए	बी	सी	डी=बी+सी	ई	एफ = ई/सी *100
2017-18	1.78	70.94	72.72	0.26	0.37
2018-19	2.82	60.63	63.45	0.59	0.97
2019-20	3.38	74.59	77.97	0.59	0.79
2020-21	2.71	102.49	105.20	1.58	1.54
2021-22	3.27	102.63	105.90	3.47	3.38

स्रोत: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

तालिका 2.4 से यह स्पष्ट है कि इन शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2017-22 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर किए गए आवर्ती व्यय की तुलना में उपयोगकर्ता प्रभार का संग्रह बहुत कम था और यह 0.37 से 3.38 प्रतिशत के बीच था। शहरी स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की क्षमताओं का लाभ उठाकर भारत सरकार से अनुदान या राज्य की समेकित निधि में से व्यय के माध्यम से वित्तीय सहायता दी गई, जिससे राज्य के वित्त पर प्रभावी रूप से दबाव बना।

---

9 चार शहरी स्थानीय निकायों फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत को छोड़कर, जहां एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना निजी रियायतग्राही को दी गई थी और रियायतग्राही अपने स्तर पर उपयोगकर्ता प्रभार वसूल कर रहे थे।

10 कालका, पलवल, पंचकुला और पुन्हाना।

11 जब भी किसी भी घरेलू इकाई का मालिक संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), विभाग ने बताया कि उपयोगकर्ता फीस की दरें बहुत कम हैं और भविष्य में उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

2.7 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान

क्या संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगरपालिका कार्य प्रभावी, कुशल और किफायती थे।

इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.7.1 स्रोत/घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण और संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 (धारा 2.2.1) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों को स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने एकत्रित कचरे का दिन/माहवार डेटा नहीं रखा। इसके अलावा, स्रोत पर पृथक्करण और घर-घर जाकर संग्रहण के संबंध में डेटा प्राप्त करने में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। इनके अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी। राज्य में स्रोत पर पृथक्करण और घर-घर जाकर संग्रहण की स्थिति ***तालिका 2.5*** में दी गई है।

तालिका 2.5: राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत पर पृथक्करण की प्रतिशतता और घर-घर जाकर संग्रहण की प्रतिशतता

अवधि	स्रोत पर पृथक्करण (प्रतिशत में)	घर-घर जाकर संग्रहण (प्रतिशत में)
2017-18	डेटा उपलब्ध नहीं	डेटा उपलब्ध नहीं
2018-19	20	डेटा उपलब्ध नहीं
2019-20	64	93
2020-21	72	95
2021-22	70	98

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

वर्ष 2017-22 के दौरान स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण के संबंध में नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति ***परिशिष्ट 2.7*** में दी गई है। नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों[12] में से केवल पांच शहरी स्थानीय निकायों[13] ने 2021-22 के दौरान स्रोत पर 91 से 100 प्रतिशत तक पृथक्करण प्राप्त किया, आठ[14] शहरी स्थानीय निकायों ने स्रोत पर 51 से 90 प्रतिशत तक पृथक्करण प्राप्त किया और तीन शहरी स्थानीय निकायों[15] में यह शून्य से 50 प्रतिशत के बीच रहा। स्रोत पर 100 प्रतिशत पृथक्करण और अपशिष्ट संग्रहण के

[12] गुरुग्राम और पंचकुला द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

[13] 1. नीलोखेड़ी, 2. पानीपत, 3. शाहबाद, 4. सोनीपत और 5. टोहाना।

[14] 1. बहादुरगढ़, 2. फरीदाबाद, 3. हेलीमंडी, 4. हिसार, 5. कालका, 6. नारनौल, 7. पलवल, और 8. उकलाना।

[15] 1. बेरी, 2. कैथल और 3. पुन्हाना।

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

नमूना-जांच किए गए 17 शहरी स्थानीय निकायों[16] द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य कचरा संवेदनशील बिंदु[17] थे और शेष दो शहरी स्थानीय निकायों में 207 कचरा संवेदनशील बिंदु थे (फरीदाबाद: 205 और नारनौल: 2)। हालांकि, इन शहरी स्थानीय निकायों में कचरा स्थलों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों, जिन्होंने 'शून्य' कचरा संवेदनशील बिंदु की सूचना दी थी, में कचरा संवेदनशील बिंदु मौजूद थे। यह दर्शाता है कि शहरी स्थानीय निकाय सही डेटा अनुरक्षित/रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।

बिना पृथक किए हुए कचरे को खुले क्षेत्र में फेंका गया

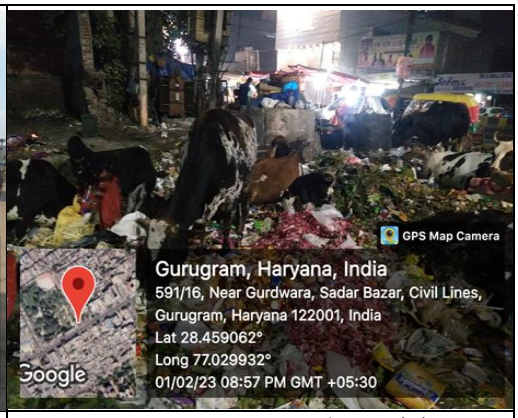

बिना पृथक किए हुए कचरे को सब्जी मंडी क्षेत्र में फेंका गया

इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि सभी चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कचरा सड़क के किनारे तथा कचरा संवेदनशील बिंदुओं के दौरा किए गए स्थलों के आसपास फैला हुआ पाया गया। नगर निगम, पानीपत में यह भी पाया गया कि जब घरेलू स्तर पर पृथक किया गया अपशिष्ट कचरा संग्रहकर्ता को सौंप दिया गया, तो बाद में उसे अन्य कचरे के साथ मिलाकर डंपसाइट पर ले जाया गया।

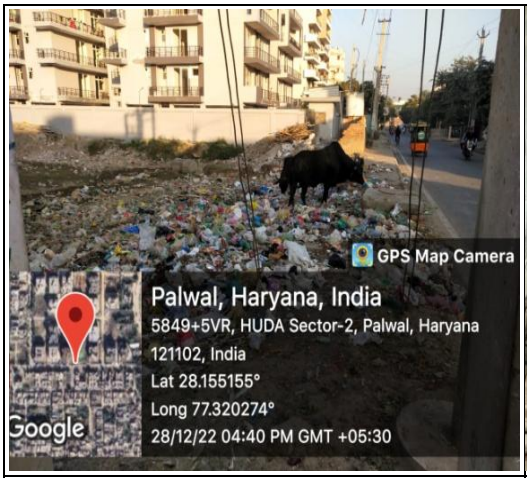

बिना पृथक किया गया कचरा आवासीय क्षेत्र के पास डाला गया

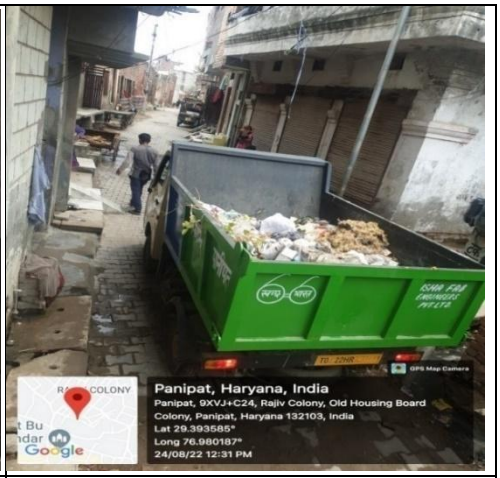

बिना पृथक किया गया कचरे का संग्रहण

पृथक्करण की कम दर अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को और बढ़ा देती है। उचित

16 हेलीमंडी ने कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया।

17 कचरा संवेदनशील बिंदु वे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय लोगों, यात्रियों या राहगीरों द्वारा लगातार कचरा फेंकने के कारण कचरा जमा हो जाता है। वे शहर को साफ रखने में एक बड़ी बाधा हो सकते हैं।

पृथक्करण के बिना, पुनर्चक्रण योग्य और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट मिश्रित हो जाते हैं, जिससे संसाधनों की प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्ति में कठिनाई पैदा होती है। इससे न केवल संभावित पुनर्चक्रण के अवसर नष्ट हो जाते हैं, बल्कि लैंडफिल पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जहां बड़ी मात्रा में गैर-पृथक अपशिष्ट जमा हो जाता है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2017-22 के डेटा पर आधारित हैं और उसके बाद अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने संग्रहण और पृथक्करण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.7.2 सैनिटरी अपशिष्ट का पृथक्करण

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 17 में प्रावधान है कि सैनिटरी अपशिष्ट (जैसे, डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन, असंयम शीट और कोई अन्य समान अपशिष्ट) को पाउच में सुरक्षित रूप से लपेटा जाना चाहिए और दैनिक आधार पर कचरा संग्रहकर्ताओं को अलग से सौंप दिया जाना चाहिए। सैनिटरी अपशिष्ट को एकत्रित करने के बाद, इसे अधिमानतः जैव चिकित्सा या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट भस्मक में निपटाया जाना चाहिए, जैसा कि स्थानीय परिवेश में लागू हो या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी सैनिटरी अपशिष्ट के पृथक्करण एवं निपटान के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं थी। सैनिटरी अपशिष्ट भी अन्य ठोस अपशिष्ट की तरह ही मिश्रित, असंयोजित और बिना प्रसंस्कृत किए डंपसाइटों तक पहुंच गया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2017-22 के डेटा पर आधारित हैं और उसके बाद अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने संग्रहण और पृथक्करण गतिविधियों पर नजदीकी निगरानी करने तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.7.3 घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्करण

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 7.1 में प्रावधान है कि घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को इसकी हानिकारक भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, या जैविक गुणों के कारण विशेष हैंडलिंग और निपटान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (i) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट जमा केंद्र स्थापित करने तथा अपशिष्ट उत्पादकों को घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को सुरक्षित निपटान के लिए इन केंद्रों पर जमा करने का निर्देश देना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी

घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत मदों की सूची सार्वजनिक नहीं की, जिन्हें स्रोत पर ही पृथक किया जाना था। इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों ने न तो घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए ऐसे अपशिष्ट जमा केंद्र स्थापित किए थे और न ही घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का उचित अपशिष्ट निपटान सुविधा केंद्रों तक सुरक्षित भंडारण और परिवहन सुनिश्चित किया था, सिवाय नगर निगम गुरुग्राम के, जो आंशिक रूप से घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को जमा केंद्र पाली (फरीदाबाद) में अलग से संग्रहित और परिवहन करता है।

इस प्रकार, घरेलू खतरनाक अपशिष्टों को पृथक न करने के कारण घरेलू खतरनाक अपशिष्टों का अनुचित निपटान हुआ और लोग इन खतरनाक सामग्रियों को नियमित घरेलू अपशिष्टों के साथ फेंक देते थे या अनुचित ढंग से खुले क्षेत्रों, नालियों या जल निकायों में डाल देते थे।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि उसने संग्रहण, पृथक्करण गतिविधियों की निगरानी करने तथा गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

2.7.4 बागवानी अपशिष्ट का पृथक्करण और निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (के) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय स्ट्रीट स्वीपर को निर्देश देंगे कि वे स्ट्रीट स्वीपिंग से एकत्र पेड़ों की पत्तियों को न जलाएं, बल्कि उन्हें अलग से संग्रहित करें और इसे अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी को सौंप दें। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (पी) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय बागवानी, पार्क और उद्यान अपशिष्ट को अलग से एकत्र करेंगे तथा जहां तक संभव हो, पार्कों और उद्यानों में उसका प्रसंस्करण करेंगे।

नमूना-जांच किए गए नौ[18] शहरी स्थानीय निकायों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2022 तक बागवानी अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए पार्कों में दो से लेकर 574 निर्मित पिट्स कमी थी। आवश्यक पिट्स की संख्या निर्धारित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। इसके अभाव में, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए गए पिट्स की कमी के संबंध में डेटा की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी।

पर्याप्त संख्या में पिट्स के अभाव में बागवानी अपशिष्ट को पार्कों में और अन्य खुले स्थानों में फेंका गया। इसके अलावा, 16 डंपिंग स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि मुख्य रूप से 13 डंपिंग स्थलों पर बागवानी अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ मिलाकर डंप किया गया था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि सितंबर 2024 तक, बागवानी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए पूरे हरियाणा में कुल 1,552 पार्क पिट्स स्थापित किए गए थे।

[18] बहादुरगढ़: 35; गुरुग्राम: 574; हेलीमंडी: 2; हिसार: 50; कालका: 2; कैथल: 44; नारनौल: 20; पंचकुला: 60; और उकलाना: 2.

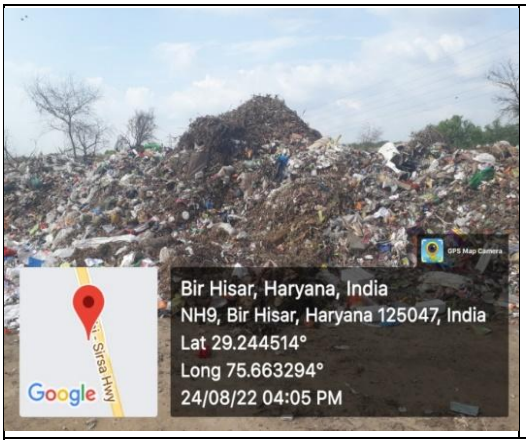

बागवानी अपशिष्ट को डंपसाइट पर डाला जा रहा है

2.7.5 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (बी) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों को झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से अलग-अलग ठोस अपशिष्ट को घर-घर जाकर एकत्र करने की व्यवस्था करनी है। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संगृहीत अपशिष्ट की स्थिति ***तालिका 2.6*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.6: राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संगृहीत अपशिष्ट की स्थिति

अवधि	उत्पन्न (टन प्रतिदिन)	संगृहीत (टन प्रतिदिन)	संगृहीत प्रतिशतता
2017-18	4,394.40	4,125.36	93.88
2018-19	4,635.79	4,430.25	95.57
2019-20	5,231.90	4,808.80	91.91
2020-21	5,352.12	5,291.41	98.87
2021-22	8,766.00	6,691.13	76.33
कुल	**28,380.21**	**25,346.95**	**93.88**

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट।

जैसा कि ***तालिका 2.6*** में देखा जा सकता है, 2017-22 के दौरान अपशिष्ट के संग्रह की प्रतिशतता 76 से 99 प्रतिशत के बीच थी। 2017-22 के दौरान अपशिष्ट संग्रहण के संबंध में नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायवार स्थिति ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाई गई है। नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों[19] में से 11 शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2021-22 के दौरान घर-घर संग्रहण 91 से 100 प्रतिशत के बीच था, चार[20] शहरी स्थानीय निकायों में यह 51 से 90 प्रतिशत के बीच था तथा शेष एक शहरी स्थानीय निकाय (नगरपालिका, पुन्हाना) में यह 46 प्रतिशत था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और प्रसंस्करण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

---

19 गुरुग्राम और पंचकुला द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

20 1. हेलीमंडी, 2. हिसार, 3. पलवल और 4. उकलाना।

2.7.6 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक भंडारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत "द्वितीयक भंडारण" का अर्थ है द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपो या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं[21] (एम.आर.एफ.) या कचरे के डिब्बों में संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संरक्षण, ताकि अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक आगे ले जाया जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (एच) के अंतर्गत स्थानीय निकायों को पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छंटाई के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या द्वितीयक भंडारण सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है। 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थिति ***परिशिष्ट 2.8*** में दी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में 70 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की आवश्यकता की तुलना में मार्च 2022 तक केवल 33 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं उपलब्ध थी। नमूना-जांच किए गए सात[22] शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक 38 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की कमी थी। आवश्यक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की संख्या का पता लगाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की कमी के बारे में डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सका।

सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की कमी के कारण अप्रसंस्कृत अपशिष्ट को डंपसाइट पर फेंक दिया गया। पृथक्करण में विफलता के कारण पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों की पुनर्प्राप्ति में भी विफलता हुई, जिसके परिणामस्वरूप इन संसाधनों को लैंडफिल में डंप किया गया। यह कीमती लैंडफिल साइट का उप-इष्टतम उपयोग भी था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि 58 शहरी स्थानीय निकायों में 86 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभाग के उत्तर से पुष्टि होती है कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की कमी थी।

2.7.7 सड़क सफाई के लिए मानवशक्ति

सड़कों की सफाई, नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर शहरी स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली प्राथमिक सेवाओं में से एक है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.4.2 में सड़कों की सफाई के लिए पर्याप्त स्टाफ़ सहित सड़कों की सफाई के लिए एक सुनियोजित, समयबद्ध दैनिक प्रणाली पर जोर

---

21 इसका अभिप्राय ऐसी सुविधा से है, जहां गैर-खाद योग्य ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, ताकि अपशिष्ट को वितरित करने या प्रसंस्करण या निपटान के लिए ले जाने से पहले अपशिष्ट बीनने वालों, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं या स्थानीय निकाय या इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य कार्यबल के अधिकृत अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को अलग करने, छांटने और निकालने में सुविधा हो।

22 गुरुग्राम: 30, हिसार: 3, कालका: 1, कैथल: 1, नारनौल: 1, पुन्हाना: 1, उकलाना: 1. पलवल में एक अतिरिक्त सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा है।

दिया गया है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार, शहर में रहने वाले प्रत्येक 400 लोगों के लिए एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए जो दैनिक आधार पर शहरी क्षेत्र की गलियों/सड़कों की सफाई करे। नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता की तुलना में अपेक्षित सफाई कर्मचारियों और कार्यरत सफाई कर्मचारियों की स्थिति ***तालिका 2.7*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.7: वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े संख्या में)

अवधि	अपेक्षित सफाईकर्मी	कार्यरत सफाईकर्मी	सफाई कर्मचारियों की कमी (प्रतिशत में)
2017-18	13,346	6,453	6,893 (52)
2018-19	13,872	6,666	7,206 (52)
2019-20	14,859	6,901	7,958 (54)
2020-21	16,522	13,248	3,274 (20)
2021-22	18,309	13,232	5,077 (28)

स्रोत: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

तालिका 2.7 से स्पष्ट है कि 2017-22 के दौरान सफाईकर्मियों की कमी 20 से 54 प्रतिशत तक थी। यद्यपि 2020-22 के दौरान सफाईकर्मियों की नियुक्ति में सुधार हुआ, किंतु मार्च 2022 तक अभी भी 5,077 सफाईकर्मियों (28 प्रतिशत) की कमी थी। सफाईकर्मियों की शहरी स्थानीय निकायवार स्थिति ***परिशिष्ट 2.9*** में दर्शाई गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए पांच[23] शहरी स्थानीय निकायों में 4,946 सफाईकर्मियों की कमी थी जबकि दो[24] शहरी स्थानीय निकायों में 593 सफाईकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती थी।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि वर्तमान में सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग अनुबंधों के माध्यम से यांत्रिक और मैनुअल दोनों प्रकार से किया जा रहा है।

2.7.8 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (जेडडी) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि किसी इकाई का संचालक ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले सभी श्रमिकों को वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी.पी.ई.) प्रदान करे और इनका उपयोग कार्यबल द्वारा किया जाए।

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए आठ[25] शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्ट के मैनुअल निपटान में शामिल श्रमिकों ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उपयोग के संबंध में अनुबंध में शर्त के बावजूद सुरक्षात्मक उपकरण विशेष रूप से दस्ताने और जूते नहीं पहने थे।

[23] बहादुरगढ़: 511, फरीदाबाद: 1720, पलवल: 306, पानीपत: 2000 और सोनीपत: 409.

[24] गुरुग्राम: 553 और कैथल: 40.

[25] फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कालका, नीलोखेड़ी, पलवल, पानीपत और सोनीपत।

सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग न करने से अपशिष्ट प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ठेकेदार सभी श्रमिकों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करें।

2.7.9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए वाहनों की उपलब्धता

परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय परिस्थितियों और लैंडफिल साइटों के स्थान के आधार पर, शहरी स्थानीय निकाय कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे पुश-कार्ट, ऑटो टिप्पर, ट्रैक्टर, टिप्पर ट्रक और कॉम्पैक्टर का उपयोग करते हैं। 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए 14[26] शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की स्थिति ***तालिका 2.8*** में दी गई है।

तालिका 2.8: नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की स्थिति

अवधि	अपेक्षित वाहनों की कुल संख्या	उपलब्ध वाहनों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
2017-18	294	215	79 (27)
2018-19	332	236	96 (29)
2019-20	376	299	77 (20)
2020-21	494	360	134 (27)
2021-22	515	405	110 (21)

स्रोत: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायवार स्थिति ***परिशिष्ट 2.10*** में दर्शाई गई है। नमूना-जांच किए गए चार[27] शहरी स्थानीय निकायों ने मार्च 2022 तक 110 वाहनों की कमी की सूचना दी। अधिकतम कमी (50 प्रतिशत) नगर निगम, हिसार द्वारा बताई गई थी। अपेक्षित वाहनों की संख्या निर्धारित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वाहनों की कमी के संबंध में उपलब्ध कराए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सका।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), विभाग ने बताया कि वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

2.7.9.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्राप्त ट्रैक्टरों/ट्रॉलियों का उपयोग

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत नगर निगम, फरीदाबाद (एम.सी.एफ.) को ₹ 81.22 लाख की लागत के 25 छोटे ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दान की (मार्च 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, फरीदाबाद ने नगर निगम ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को एक निजी एजेंसी

[26] चार शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत) को छोड़कर, जहां एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य निजी रियायतग्राहियों को दिया गया है।

[27] हिसार: 96, कालका: 7, पुन्हाना: 4 और उकलाना: 3

को आउटसोर्स किया था। नगर निगम, फरीदाबाद ने मार्च 2022 में इन ट्रैक्टरों को एजेंसी को सौंप दिया। इन ट्रैक्टरों/ट्रॉलियों को दिसंबर 2022 में नगर निगम, फरीदाबाद को वापस कर दिया गया क्योंकि एजेंसी ने नगर निगम, फरीदाबाद को ट्रैक्टरों/ट्रॉलियों की लागत का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। तब से, ये नगर निगम, फरीदाबाद के पास पड़े हैं। इस प्रकार, इन ट्रैक्टरों/ट्रॉलियों का उपयोग नगर निगम, फरीदाबाद में नहीं किया जा सका, तथापि, नगर निगम, फरीदाबाद ने अन्य शहरी स्थानीय निकायों में इनके उपयोग के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के साथ मामला नहीं उठाया।

इस प्रकार, नगर निगम, फरीदाबाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान का लाभ उठाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट गतिविधियों में ₹ 81.22 लाख मूल्य के वाहनों का उपयोग नहीं हो पाया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि नगर निगम फरीदाबाद एक एजेंसी को कार्य सौंपने की प्रक्रिया में था, जो चालक, ईंधन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगी, ताकि निर्धारित द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं तक कचरे को ले जाने के लिए वाहनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

2.7.10 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (वी) में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाते हुए स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी से या किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय सभी स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकाय) द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2017-22 के दौरान हरियाणा में सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न, प्रसंस्कृत और डंप किए गए ठोस अपशिष्ट का विवरण ***तालिका 2.9*** में दिया गया है।

तालिका 2.9: सभी शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न, प्रसंस्कृत और डंप किए गए ठोस अपशिष्ट की स्थिति

वर्ष	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	कुल प्रसंस्कृत अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	कुल अप्रसंस्कृत अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	राज्य में एक वर्ष में उत्पन्न कुल अपशिष्ट[$] (लाख टन)	एक वर्ष में डंपसाइट पर डाला गया अप्रसंस्कृत अपशिष्ट[$] (लाख टन)
2017-18	4,394	750	3,644(83)	16.04	13.30
2018-19	4,636	816	3,820(82)	16.92	13.94
2019-20	5,232	1,621	3,611(69)	19.10	13.18
2020-21	5,352	3,124	2,228(42)	19.53	8.13
2021-22	8,766	4,297	4,469(51)	31.99	16.31
कुल				**103.58**	**64.86**

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

$ ये आंकड़े प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को 365 से गुणा करके निकाले गए हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 2.9 से स्पष्ट है कि 2017-22 के दौरान कुल 103.58 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट अर्थात 63 प्रतिशत बिना किसी प्रसंस्करण के डंपसाइट पर

फेंक दिया गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में अप्रसंस्कृत अपशिष्ट की प्रतिशतता कम हुई है, लेकिन डंप किए गए अप्रसंस्कृत अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के अनुरूप प्रयास नहीं किए गए।

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से, 11 शहरी स्थानीय निकायों[28] ने दैनिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण को पूरी तरह से आउटसोर्स किया था और तीन शहरी स्थानीय निकायों[29] ने दैनिक एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण को आंशिक[30] रूप से आउटसोर्स किया था। शेष चार शहरी स्थानीय निकायों[31] में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की कोई सुविधा नहीं थी। 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न, प्रसंस्कृत और डंप किए गए ठोस अपशिष्ट का विवरण ***तालिका 2.10*** में दिया गया है।

तालिका 2.10: नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न, प्रसंस्कृत और डंप किए गए ठोस अपशिष्ट का विवरण

वर्ष	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	कुल प्रसंस्कृत अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	कुल अप्रसंस्कृत/डंप किया गया अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	एक वर्ष में कुल अपशिष्ट उत्पादन$ (लाख टन)	पूरे वर्ष में डंप स्थलों पर डाला गया अप्रसंस्कृत अपशिष्ट$ (लाख टन)
2017-18	2,537	132	2,405 (95)	9.26	8.77
2018-19	2,965	217	2,748 (93)	10.82	10.03
2019-20	3,237	669	2,568 (79)	11.82	9.37
2020-21	3,140	1,020	2,120 (68)	11.46	7.73
2021-22	3,209	1,832	1,377 (43)	11.71	5.03
कुल				**55.07**	**40.95**

स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

$ ये आंकड़े प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को 365 से गुणा करके निकाले गए हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (8 अप्रैल 2016) की अधिसूचना के बाद भी, पिछले पांच वर्षों के दौरान 40.95 लाख टन अप्रसंस्कृत अपशिष्ट डंप किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2021-22 के दौरान केवल तीन शहरी स्थानीय निकाय[32] अपने अपशिष्ट का 100 प्रतिशत प्रसंस्करण कर रहे थे, जबकि तीन शहरी स्थानीय निकाय[33] अपने अपशिष्ट का 80 प्रतिशत से अधिक प्रसंस्करण के बिना डंप कर रहे थे और शेष 12 शहरी स्थानीय निकाय[34] छ: से 79 प्रतिशत तक अप्रसंस्कृत अपशिष्ट डंप कर रहे थे।

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्करण की कम दर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपर्याप्त अवसंरचना के कारण थी। विद्यमान अवसंरचना, क्षमता और कार्यक्षमता दोनों के

---

28 1. बहादुरगढ़, 2. बेरी, 3. फरीदाबाद, 4. गुरुग्राम, 5. कैथल, 6. नीलोखेड़ी, 7. पलवल, 8. पानीपत, 9. शाहबाद, 10. सोनीपत और 11. टोहाना।

29 1. हिसार, 2. कालका और 3. पंचकुला।

30 गतिविधियों को या तो सभी वार्डों के लिए आउटसोर्स नहीं किया गया या फिर सभी गतिविधियों को आउटसोर्स नहीं किया गया।

31 1. हेलीमंडी, 2. पुन्हाना, 3. नारनौल और 4. उकलाना।

32 1. कैथल, 2. नीलोखेड़ी और 3. सोनीपत।

33 1. हेलीमंडी: 100 प्रतिशत, 2. पानीपत: 86 प्रतिशत और 3. पुन्हाना: 80 प्रतिशत।

34 1. बहादुरगढ़: 55 प्रतिशत, 2. बेरी: 44 प्रतिशत, 3. फरीदाबाद: 8 प्रतिशत, 4. गुरुग्राम: 66 प्रतिशत, 5. हिसार: 47 प्रतिशत, 6. कालका: 10 प्रतिशत, 7. नारनौल: 79 प्रतिशत, 8. पलवल: 20 प्रतिशत, 9. पंचकुला: 24 प्रतिशत, 10. शाहबाद: 6 प्रतिशत, 11. टोहाना: 71 प्रतिशत और 12. उकलाना: 67 प्रतिशत।

मामले में अपर्याप्त थी और उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा को संभालने में असमर्थ थी। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों पर लगाए गए जुर्माने के रूप में भी प्रतिबिंबित हुआ, जैसा कि ***अनुच्छेद 2.7.11*** और ***2.8.3.1*** में चर्चा की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2017-22 के डेटा पर आधारित हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और अब 90 प्रतिशत नए अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पन्न कचरे के केवल 65.15 प्रतिशत का ही उपचार किया था।

2.7.11 सैनिटरी लैंडफिल साइट की स्थापना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (डब्ल्यू) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय नियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के भीतर स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सैनिटरी लैंडफिल और संबंधित अवसंरचना का निर्माण, संचालन और रखरखाव करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल दो शहरी स्थानीय निकायों[35] में ही क्रियाशील सैनिटरी लैंडफिल साइट थे तथा शेष 16 शहरी स्थानीय निकायों में लैंडफिल साइट नहीं थे और वे विभिन्न डंप स्थलों पर मिश्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट डंप कर रहे थे।

झुरीवाला डंपसाइट, पंचकुला में प्रसंस्करण के बिना नगरपालिका ठोस अपशिष्ट

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांच किए गए दो शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, पंचकुला और नगर परिषद, कालका) झूरीवाला साइट, जो एक वन्यजीव अभयारण्य से सटे समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक जंगल में स्थित है, पर प्रसंस्करण के बिना नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को डंप कर रहे थे।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 15 नवंबर 2022 के अपने आदेश के अंतर्गत नगर निगम, पंचकुला और नगर परिषद, कालका पर साइट से निकलने वाले रिसाव के प्राकृतिक नाले के स्टार्म वाटर के साथ मिलकर घग्गर नदी में मिलने के कारण जल प्रदूषण और वन एवं वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन के लिए क्रमशः ₹ नौ करोड़ और ₹ एक करोड़ की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई। शहरी स्थानीय निकायों ने दिसंबर 2022 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कर दी।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि झुरीवाला डंपिंग साइट को साफ कर दिया गया है और अब वहां अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जाता है। वर्तमान में, इस साइट का उपयोग केवल स्थानांतरण स्टेशन के रूप में किया जा रहा है तथा

[35] पानीपत और सोनीपत।

स्टेशन से प्रतिदिन कचरा साफ किया जाता है। पंचकुला और कालका से अपशिष्ट को क्रमशः पटवी, अंबाला और यमुनानगर स्थित प्रसंस्करण स्थल पर भेजा जाता है। हालांकि, तथ्य यह है कि शहरी स्थानीय निकायों ने प्राकृतिक वन में स्थित अनुचित डंपसाइट का चयन किया और वन एवं वन्यजीव कानूनों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में ₹ 10 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

2.7.11.1 लैंडफिल/डंपसाइट पर बुनियादी सुविधाएं

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची I (बी) में निर्दिष्ट किया गया है कि लैंडफिल साइटों पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ लैंडफिल/डंपसाइटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। नमूना-जांच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों[36] में लैंडफिल/डंपसाइटों पर बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति का विवरण ***तालिका 2.11*** में दिया गया है।

तालिका 2.11: नमूना-जांच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों में लैंडफिल/डंपसाइटों पर सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	लैंडफिल/डंपसाइटों पर अपेक्षित सुविधा का नाम	सुविधा उपलब्ध नहीं (शहरी स्थानीय निकायों की संख्या)
1	पेयजल	8
2	शौचालय की सुविधा	8
3	प्रकाश व्यवस्था	8
4	अग्नि सुरक्षा उपकरण	9
5	तौल पुल	9
6	उपकरण और मशीनरी के लिए शेल्टर	11
7	चौकीदार शेड	6
8	कार्यालय सुविधा	8
9	अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा	9
10	वनस्पति आवरण/वृक्षारोपण	11
11	स्टार्म वाटर ड्रेन	10
12	आंतरिक सड़कें	9
13	पहुंच मार्ग	5
14	कंपाउंड दीवार और गेट	6
15	विंडरो प्लेटफ़ॉर्म	11

स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।

तालिका 2.11 से देखा जा सकता है कि डंपसाइटों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लैंडफिल/डंपसाइटों पर नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उपर्युक्त सुविधाओं की स्थिति ***परिशिष्ट 2.11*** में दर्शाई गई है। नौ[37] डंपसाइटों पर अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, नौ[38] डंपसाइटों पर तौल पुल और आठ[39] डंपसाइटों पर लाईट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

---

[36] कालका, फरीदाबाद और पुन्हाना में कोई समर्पित डंपसाइट नहीं है। पलवल और हेलीमंडी में डंपसाइट को साफ कर दिया गया।

[37] 1. बेरी, 2. हिसार, 3. कैथल, 4. नारनौल, 5. पानीपत, 6. पंचकुला, 7. शाहबाद, 8. टोहाना, 9. उकलाना।

[38] 1. बेरी, 2. हिसार, 3. कैथल, 4. नीलोखेड़ी, 5. पानीपत, 6. पंचकुला, 7. शाहबाद, 8. टोहाना, 9. उकलाना।

[39] 1. हिसार, 2. कैथल, 3. पानीपत, 4. पंचकुला, 5. नीलोखेड़ी, 6. शाहबाद, 7. टोहाना, 8. उकलाना।

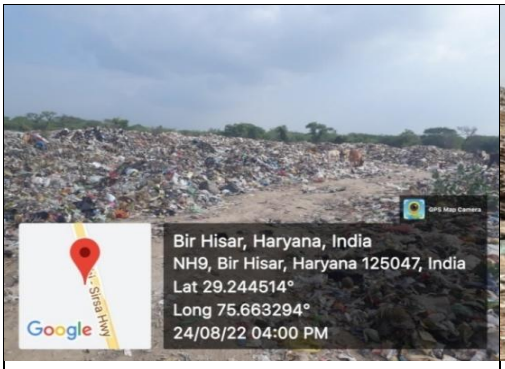

हिसार में डंपसाइट

कैथल में डंपसाइट

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि भूमि पुन:ग्रहण कार्य के भाग के रूप में लैंडफिल और डंपसाइटों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद शीघ्र ही परिचालित किए जाएंगे।

2.7.11.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (वाई) में प्रावधान है कि यदि अपशिष्ट की मात्रा सैनिटरी लैंडफिल सहित प्रतिदिन पांच मीट्रिक टन से अधिक हो, तो नगरपालिका प्राधिकारी या किसी सुविधा के संचालक को अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई डंपसाइटों और प्राधिकार की संख्या ***तालिका 2.12*** में दी गई है।

तालिका 2.12: वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों की डंपसाइटों की स्थिति और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए प्राधिकार

वर्ष	प्रतिदिन पांच टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरी स्थानीय निकाय (संख्या)	डंपसाइटों की संख्या	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमत प्राधिकरण (संख्या)
2017-18	80	65	शून्य
2018-19	84	65	शून्य
2019-20	86	69	शून्य
2020-21	88	76	शून्य
2021-22	89	77	शून्य

स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021-22 के दौरान 77 डंपसाइट थी, जहां शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार के बिना कचरा डंप कर रहे थे। हालांकि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना प्राधिकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले की ओर ध्यान दिलाया गया (अप्रैल 2023) तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पन्न अपशिष्ट के प्रसंस्करण, उपचार या निपटान के लिए प्राधिकार प्राप्त न करने के लिए 74 शहरी स्थानीय निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अप्रैल 2023)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

2.7.11.3 पर्यावरण क्षतिपूर्ति

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में हरियाणा राज्य के पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली औद्योगिक इकाइयों और अन्य निकायों पर "प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत" के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की जांच करने, निर्धारण करने और लागू करने के लिए संशोधित[40] प्रक्रिया/दिशानिर्देश जारी किए (दिसंबर 2021)। प्रक्रिया/दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संबंधित व्यक्ति/निकाय पर लगाए जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के लिए तीन घटकों[41] से संबंधित सूत्र[42] शामिल हैं। यह सूत्र नियमों के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट और निपटाए गए अपशिष्ट के बीच के अंतर के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करता है। जैसा कि ***तालिका 2.9*** में दर्शाया गया है, 2017-22 के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट और निपटाए गए अपशिष्ट के बीच लगातार अंतराल थे, हालांकि, मार्च 2023 तक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के लगातार उल्लंघन के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य में 50 शहरी स्थानीय निकाय ऐसे थे जिनमें मार्च 2022 तक उत्पन्न अपशिष्ट और निपटाए गए अपशिष्ट के बीच अंतर था। तथापि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के लिए कोई अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया था। निर्धारित फार्मूले के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि, संचालन एवं रखरखाव लागत (₹ 41.98 लाख) और पर्यावरणीय बाह्य प्रभावों (₹ 2.28 लाख) के कारण प्रतिदिन[43] ₹ 44.26 लाख तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान न करने के लिए 50 शहरी स्थानीय निकायों के लिए पूंजीगत लागत के कारण निर्धारित लागत के रूप में ₹ 50.38 करोड़ थी। शहरी स्थानीय निकायवार विवरण ***परिशिष्ट 2.12*** में दिया गया है। इस प्रकार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रसंस्कृत अपशिष्ट की डंपिंग के विरूद्ध कार्रवाई शुरू न करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (30 जनवरी 2024) कि संशोधित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों (दिसंबर 2021) के अनुसार पाए गए उल्लंघनों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अप्रसंस्कृत

---

40 पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना के लिए मूल प्रक्रिया/दिशानिर्देश हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 29 अप्रैल 2019 के आदेश द्वारा जारी किए गए थे।

41 1. पूंजीगत लागत: निश्चित 2. संचालन एवं रखरखाव लागत: परिवर्तनीय और 3. पर्यावरणीय बाह्यताएं: परिवर्तनीय।

42 पर्यावरण क्षतिपूर्ति (₹ लाख) = 2.4 (अपशिष्ट उत्पादन - नियमों के अनुसार निपटाया गया अपशिष्ट) + 0.02 (अपशिष्ट उत्पादन - नियमों के अनुसार निपटाया गया अपशिष्ट) x N + पर्यावरणीय बाह्यता की सीमांत लागत x (अपशिष्ट उत्पादन - नियमों के अनुसार निपटाया गया अपशिष्ट) x N. यहां "N" हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की तिथि से संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित क्षमता प्रणाली प्रदान किए जाने तक के दिनों की संख्या है।

43 सूत्र के अनुसार, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की सटीक मात्रा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश की तिथि से संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित क्षमता प्रणाली प्रदान किए जाने तक के दिनों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

अपशिष्ट को डंप करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के विरूद्ध कोई पर्यावरण क्षतिपूर्ति नहीं लगाई है। इसके अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया था।

2.7.12 लीगेसी अपशिष्ट की बायोमाइनिंग और जैविक उपचार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(जेडजे) में प्रावधान है कि स्थानीय निकायों को सभी पुराने खुले डंपसाइटों और मौजूदा संचालित डंपसाइटों की बायोमाइनिंग और जैविक उपचार[44] की संभावनाओं के लिए जांच और विश्लेषण करना होगा और जहां भी संभव हो, वहां पर बायोमाइनिंग या जैविक उपचार के लिए अपेक्षित कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा, नियम 15(जेडके) में प्रावधान है कि डंप साइट के बायोमाइनिंग और जैविक उपचार की क्षमता के अभाव में, पर्यावरण को और अधिक हानि से बचाने के लिए इसे लैंडफिल कैपिंग मानदंडों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से कैपिंग की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 22 में पुराने और असंचालित डंप स्थलों के जैविक उपचार या कैपिंग के कार्यान्वयन के लिए नियमों की अधिसूचना की तिथि (8 अप्रैल 2016) से पांच वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है। लीगेसी अपशिष्ट का उपचार न किए जाने से पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा का वैज्ञानिक मूल्यांकन और संसाधन का परिचालन सुनिश्चित नहीं किया। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को अपनी नगरपालिकाओं में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वर्तमान डंप साइटों पर विद्यमान लीगेसी अपशिष्ट के जैविक उपचार के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए देर से (22 अप्रैल 2020) निर्देश दिया। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों और नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लीगेसी अपशिष्ट के जैविक उपचार की स्थिति क्रमशः ***तालिका 2.13 और 2.14*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.13: अप्रैल 2023 तक हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट के जैविक उपचार की स्थिति

डंपसाइटों की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	डंपसाइटों पर आबंटित कार्य (संख्या में)	डंपसाइटों पर पूरा किया गया कार्य (संख्या में)	प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)
76	101.39	46	17	52.62

स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.13 से यह स्पष्ट है कि अप्रैल 2021 से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी (अर्थात, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार लीगेसी अपशिष्ट को साफ करने की समय-सीमा) 29 डंपसाइटों[45] के संबंध में कार्य आबंटित भी नहीं किया गया और 48.77 लाख मीट्रिक टन

---

44 जैविक उपचार किसी क्षेत्र से प्रदूषकों को हटाने या उपयोग करने की प्रक्रिया है।

45 हेलीमंडी डंपसाइट के मामले में लीगेसी अपशिष्ट को पटौदी डंपसाइट में स्थानांतरित कर दिया गया था 1. बादली, 2. बराड़ा, 3. बरवाला, 4. बवानी खेड़ा, 5. भूना, 6. फिरोजपुर झिरका 7. हांसी, 8. होडल, 9. जाखल मंडी, 10. जुलाना, 11. कनीना 12. लाडवा, 13. महेंद्रगढ़ 14. नारनौंद, 15. नरवाना, 16. नूंह, 17. पेहोवा, 18. पुंडरी, 19. पुन्हाना, 20. राजौंद, 21. रतिया, 22. शाहबाद, 23. सीवान, 24. सोनीपत, 25. तावडू, 26. थानेसर, 27. टोहाना, 28. उचाना, 29. उकलाना।

(48 प्रतिशत) लीगेसी अपशिष्ट अप्रसंस्कृत पड़ा हुआ है (अप्रैल 2023)। शेष बचे लीगेसी अपशिष्ट के जैविक उपचार के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

तालिका 2.14: अप्रैल 2023 तक नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट के जैविक उपचार की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	
1	लीगेसी अपशिष्ट की डंपसाइटों की संख्या	16[46]
2	अनुमानित लीगेसी अपशिष्ट की कुल मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	49.29
3	लीगेसी अपशिष्ट की संशोधित मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	62.44
4	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जहां प्रसंस्करण के लिए कार्य आदेश दिया गया	11
5	अप्रैल 2023 तक प्रसंस्कृत लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	29.29
6	अप्रैल 2023 तक अप्रसंस्कृत लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	33.15
7	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जहां काम पूरा हो गया	3[47]

स्रोत: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.14 से यह स्पष्ट है कि नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने शुरू में 16 डंपसाइटों पर 49.29 लाख मीट्रिक टन लीगेसी अपशिष्ट का निर्धारण किया था। हालांकि, बाद में लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण करने पर, इस मात्रा को संशोधित करके 62.44 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यह उक्त संशोधन मुख्यतः दो कारणों से किया गया। पहला कारण, किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि डंपसाइट पर फेंके जा रहे नए अपशिष्ट को लीगेसी अपशिष्ट से अलग रखा जाए। इससे पहले से मौजूद लीगेसी अपशिष्ट में और वृद्धि हो गई। दूसरा कारण लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा के वैज्ञानिक निर्धारण को न अपनाना था। लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा लीगेसी अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा का पता लगाने के लिए अपनाए गए किसी भी वैज्ञानिक विधि का पता नहीं चला।

मई 2020 से मार्च 2021 के दौरान 16 डंपसाइटों में से केवल 11 डंपसाइटों के लिए कार्य आबंटित किया गया था और अप्रैल 2023 तक 29.29 लाख मीट्रिक टन लीगेसी अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किया जा सका। इस प्रकार, अप्रैल 2021 से दो वर्ष बीत जाने के बाद भी (अर्थात, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार लीगेसी अपशिष्ट को साफ करने की समय-सीमा), पांच डंपसाइटों के लिए कार्य अभी तक प्रदान नहीं किया गया था और 33.15 लाख मीट्रिक टन (53 प्रतिशत) लीगेसी अपशिष्ट प्रसंस्कृत किए बिना पड़ा हुआ था। नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के मामले में स्थिति ***परिशिष्ट 2.13*** में दर्शाई गई है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि राज्य में लीगेसी अपशिष्ट की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार हुआ है और 1 अगस्त 2024 तक 62.44 लाख मीट्रिक टन में से 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक लीगेसी अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाना शेष है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने

[46] नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से फरीदाबाद और गुरुग्राम में एक ही साइट है। इसी प्रकार, कालका और पंचकुला में एक ही लीगेसी अपशिष्ट साइट है।

[47] पलवल, हेलीमंडी और नीलोखेड़ी।

के बावजूद लीगेसी अपशिष्ट का प्रसंस्करण करने में विफल रहे।

2.7.13 थोक अपशिष्ट उत्पादक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, थोक अपशिष्ट उत्पादक[48] अपने स्वयं के अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए दिशानिर्देश जारी किए (नवंबर 2017)। इन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र सर्वेक्षण/व्यक्तिगत नोटिस/सार्वजनिक नोटिस/स्व-घोषणा के माध्यम से थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान/सत्यापन करेंगे और सार्वजनिक नोटिस जारी करके जनता को सूचित करेंगे कि थोक अपशिष्ट उत्पादकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का एक वर्ष के भीतर अनुपालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना में थोक अपशिष्ट उत्पादकों को वित्तीय सहायता को छोड़कर सभी आवश्यक तकनीकी सहायता और समर्थन प्रदान करना अपेक्षित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन न करने पर थोक उत्पादकों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्रदान करते हैं।

लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत अपेक्षित थोक अपशिष्ट उत्पादकों की सटीक पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था/सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों[49] में थोक अपशिष्ट उत्पादकों की कुल संख्या तथा उनके स्वयं के अपशिष्ट (गीले अपशिष्ट) का प्रबंधन करने की सुविधा वाले थोक अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या का विवरण ***तालिका 2.15*** में दिया गया है।

तालिका 2.15: नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में थोक अपशिष्ट उत्पादकों की स्थिति

अवधि	थोक अपशिष्ट उत्पादकों की कुल संख्या	इन-हाउस अपशिष्ट प्रसंस्करण की सुविधा वाले थोक अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या	इन-हाउस अपशिष्ट प्रसंस्करण की सुविधा के बिना थोक अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या
2017-18	352	37	315
2018-19	525	37	488
2019-20	773	200	573
2020-21	1,168	293	875
2021-22	1,293	338	955

स्रोत: नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

[48] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, "थोक अपशिष्ट उत्पादक" में केंद्र सरकार के विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, होटल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार, पूजा स्थल, स्टेडियम और खेल परिसर आदि के स्वामित्व वाले भवन शामिल हैं, जिनमें औसत अपशिष्ट उत्पादन दर 100 किलोग्राम प्रतिदिन (सभी अपशिष्ट धाराओं को मिलाकर) से अधिक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम, 2018 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय अपने स्थान पर अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों को उन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो 50 किलोग्राम/दिन या 25 किलोग्राम/दिन की सीमा को पार करते हैं।

[49] नगरपालिका, बेरी को छोड़कर।

तालिका 2.15 से यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान 955 (74 प्रतिशत) थोक अपशिष्ट उत्पादकों के पास आंतरिक गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि शहरी स्थानीय निकायों ने इन थोक अपशिष्ट उत्पादकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किए थे, हालांकि, केवल चार[50] शहरी स्थानीय निकायों ने 2017-22 के दौरान ₹ 8.90 लाख का जुर्माना वसूल किया था। शेष 14 शहरी स्थानीय निकायों ने अपने संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों के दंड प्रावधानों के अनुसार कोई जुर्माना वसूल नहीं किया।

जिन थोक अपशिष्ठ उत्पादकों पर जुर्माना लगाया गया था, उनकी कुल संख्या और जुर्माने की दर के बारे में विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों ने जून 2019 से दिसंबर 2021 के दौरान उपनियम जारी किए थे और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के उपनियमों के प्रावधान के अनुसार, 2020-22 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादकों पर ₹ 2.31 करोड़[51] का जुर्माना लगाया जाना था, लेकिन नहीं लगाया गया।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों ने समस्त राज्य में व्यक्तियों और थोक अपशिष्ट उत्पादकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयास किए हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि बड़ी संख्या में थोक अपशिष्ट उत्पादकों के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक प्रसंस्करण सुविधाएं नहीं थी।

2.7.14 अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय परिवहन का विनियमन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 16 (6) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय परिवहन को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय परिवहन को विनियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (30 जनवरी 2024) कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ठोस अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय परिवहन के बारे में दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वयं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 16(6) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय परिवहन को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए थे।

2.7.15 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित मानवशक्ति संबंधी बाधाएं

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.4 में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग होना चाहिए, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता गतिविधियों के लिए जन स्वास्थ्य अधिकारी,

---

50 नगर निगम, फरीदाबाद, नगर निगम, गुरुग्राम, नगर निगम, सोनीपत और नगर परिषद, बहादुरगढ़।

51 संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने की दर ₹ 300 से ₹ 10,000 प्रतिमाह/एकमुश्त होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपनियमों की अधिसूचना से अगले वित्तीय वर्ष से जुर्माना राशि की गणना की गई है।

स्वच्छता अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सेनेटरी सब-इंस्पेक्टर, पर्यावरण अभियंता जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाले कर्मचारी हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाली मानवशक्ति की कमी थी। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार स्वच्छता निरीक्षक, सेनेटरी सब-इंस्पेक्टर और सेनेटरी सुपरवाइजर के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत और अपेक्षित मानवशक्ति की स्थिति ***तालिका 2.16*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.16: 31 मार्च 2022 तक राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में मानवशक्ति की स्थिति

पदनाम	नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार अपेक्षित मानवशक्ति	स्वीकृत पद	कार्यरत	नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार कमी	स्वीकृत पद के विरुद्ध कमी
	ए	बी	सी	डी=ए-सी	ई=बी-सी
सेनेटरी इंस्पेक्टर	216	76	39	177 (82)	37 (49)
सेनेटरी सब-इंस्पेक्टर	378	38	11	367 (97)	27 (29)
सेनेटरी सुपरवाइजर	741	141	20	721 (97)	121 (14)
कुल	**1,335**	**255**	**70**	**1,265 (95)**	**185 (25)**

स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

जैसा कि ***तालिका 2.16*** से स्पष्ट है, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों में न केवल उपर्युक्त पदों की स्वीकृत संख्या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुरूप नहीं थी, बल्कि स्वीकृत पदों की तुलना में मानवशक्ति की उपलब्धता में भी कमी थी। इस कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं होता, अनधिकृत डंपिंग होती है, तथा अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रथाएं अनियंत्रित रहती हैं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), विभाग ने बताया कि भविष्य में इस मामले पर विचार किया जाएगा।

2.7.16 विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

प्लास्टिक अपशिष्ट, बूचड़खाना अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस (सी. एंड डी.) अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.7.16.1 प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2011 (पी.डब्लू.एम. नियम, 2011) को अधिसूचित किया (फरवरी 2011), जिसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (पी.डब्लू.एम. नियम, 2016) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, स्थानीय निकाय, विनिर्माता, आयातक और उत्पादक पर लागू होते हैं।

राज्य सरकार ने हरियाणा गैर-जैव-निम्नीकरणीय कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1998 (अधिनियम) की धारा 3-ए के अंतर्गत वर्जिन और पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक कैरी बैग और पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक कंटेनर के विनिर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया (20 अगस्त 2013)। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिनियम

के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए भी अधिकृत किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों ने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री/उपयोग/कूड़ा फेंकने/जलाने के लिए अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत चालान जारी किए। दो शहरी स्थानीय निकायों[52] को छोड़कर इन नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए चालान, लगाए गए जुर्माने, वसूल की गई जुर्माने की राशि की वर्षवार स्थिति ***तालिका 2.17*** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.17: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में जारी किए गए चालान, लगाए गए जुर्माने, वसूल की गई जुर्माने की राशि का विवरण

वर्ष	जारी किए गए चालानों की संख्या (संख्या)	लगाया गया जुर्माना (₹ लाख में)	वसूल किया गया जुर्माना (₹ लाख में)	वसूली की प्रतिशतता
2017-18	308	3.09	1.29	42
2018-19	557	5.53	2.73	49
2019-20	1,928	19.49	8.94	46
2020-21	1,329	10.93	4.22	39
2021-22	5,725	63.46	14.06	22
कुल	**9,847**	**102.50**	**31.24**	**30**

स्रोत: नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी

जैसा कि ***तालिका 2.17*** से स्पष्ट है, वर्ष 2017-22 के दौरान वसूली की प्रतिशतता बहुत कम अर्थात 30 प्रतिशत रही, जबकि इनमें से अधिकांश जुर्माने मौके पर ही लगाए गए थे, जिससे जुर्माना लगाने का निवारण प्रभाव विफल हो गया। नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायवार विवरण ***परिशिष्ट 2.14*** में दर्शाया गया है। यह भी पाया गया कि 79 प्रतिशत चालान केवल दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, गुरुग्राम: 3,642 और नगर निगम, फरीदाबाद: 4,145) द्वारा जारी किए गए थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024) विभाग ने बताया कि प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए जनता का सहयोग अपेक्षित है। इसके अलावा, प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के वैकल्पिक उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2.7.16.2 सड़क निर्माण/ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक का उपयोग

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(बी) में प्रावधान है कि नगरपालिका प्राधिकारी/स्थानीय निकाय भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति या अपशिष्ट से तेल बनाने आदि के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (अधिमानतः ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे आगे रिसाइकिल न किया जा सके) के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल नगर निगम, गुरुग्राम ने प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके 27 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था (2020-21)। इस प्रकार, नमूना-जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, गुरुग्राम को छोड़कर) ने प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर उपयोग को नहीं अपनाया था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि प्लास्टिक

[52] नगर निगम टोहाना और नगर निगम हेलीमंडी के संबंध में वसूले गए जुर्माने के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अपशिष्ट के बेहतर उपयोग का अवसर अभी भी लंबित है और आश्वासन दिया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य जल्द ही तेज कर दिया जाएगा।

2.7.16.3 आवारा मवेशियों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट खाने से उनकी मौत हो रही है

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार, भंडारण सुविधाओं को इस तरह से बनाए रखा जाए ताकि आवारा जानवरों की पहुंच अपशिष्ट तक न हो। स्रोत पर खराब पृथक्करण और घर-घर जाकर संग्रहण में कमी के परिणामस्वरूप, प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए गए रसोई अपशिष्ट/फेंके गए भोजन को सड़कों के किनारे, खाली जमीनों और द्वितीयक संग्रहण स्थलों पर अनुचित तरीके से निपटाया जाता है। इस तरह के कचरे के निपटान से मवेशी (आवारा और घरेलू) आकर्षित होते हैं जो प्लास्टिक सहित बचे हुए भोजन को खाते हैं।

आवारा पशु खाद्य अपशिष्ट को बिखेरते/खाते हुए

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान, नमूना-जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न स्थानों पर और साथ ही डंपिंग ग्राउंड पर प्लास्टिक कचरे के साथ मिश्रित कचरे के ढेर पाए गए, जहां आवारा जानवरों की कचरे तक आसान पहुंच थी। आवारा जानवरों को चारों ओर फैले कचरे के ढेर पर प्लास्टिक की थैलियों में पैक खाद्य अपशिष्ट को बाहर निकालते या बिखेरते/खाते देखा गया।

राजकीय पशु चिकित्सालय, हिसार द्वारा मृत पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (अगस्त 2019 से जनवरी 2020) के अनुसार, 18 मृत आवारा पशुओं के पेट में 60 किलोग्राम प्लास्टिक (एक से 15 किलोग्राम), रस्सियों का बंडल आदि पाया गया। इससे पता चलता है कि उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का अनुचित प्रबंधन आवारा पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न कर रहा था।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और सड़क सफाई के लिए नए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) में लीगेसी स्थलों, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं को चारदीवारी से कवर करने और सभी कचरा संवेदनशील बिंदुओं (जी.वी.पी.) और द्वितीयक संग्रह केंद्रों पर कचरे के नियमित संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के प्रावधान शामिल हैं। विभाग का उत्तर सामान्य प्रकृति का है और इसमें आवारा पशुओं द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट ग्रहण करने के कारण उनकी मृत्यु से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

2.7.16.4 बूचड़खाना अपशिष्ट

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की धारा 7.6 में प्रावधान है कि बूचड़खानों में उत्पादित अपशिष्ट सामग्री को यदि ठीक से संभाला और प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा, पशु क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 के नियम 3(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी पशु का वध नहीं करेगा, सिवाय संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने के।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए केवल छः[53] शहरी स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बूचड़खाने का निर्माण किया था, हालांकि, उनमें से कोई भी चालू नहीं था। परिणामस्वरूप, बूचड़खाने के कचरे के संग्रहण और निपटान के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अलावा, यह पाया गया कि मटन/चिकन/मछली की दुकानों या मृत पशु से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, इन दुकानों में उत्पन्न अन्य अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट के साथ मिलकर नालियों में प्रवाहित हो जाता था, जो ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), विभाग ने बताया कि इस मामले के समाधान के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.7.16.5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

भारत सरकार ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट[54] प्रबंधन (सी. एंड डी.डब्लू.एम.) नियम, 2016 तैयार किए (मार्च 2016), जिसमें विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व परिभाषित किए गए हैं। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व ***तालिका 2.18*** में दिए गए हैं।

तालिका 2.18: निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

क्र.सं.	प्राधिकारी	कर्तव्य
1	राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के कर्तव्य	• निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में नीति तैयार करना। • निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त साईट उपलब्ध कराना। • अनुमोदित भूमि उपयोग योजना में साईट को शामिल करना। • नगरपालिका और सरकारी अनुबंधों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री की खरीद को अनिवार्य बनाना।
2	स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य	• निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन करना। • अपशिष्ट के संग्रह के लिए उचित कंटेनरों की व्यवस्था करना और उन्हें रखना। • एकत्रित अपशिष्ट को प्रसंस्करण और निपटान के लिए उचित स्थानों पर ले जाना। • निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान करना।
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य	• इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्राधिकार प्रदान करना।

स्रोत: निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

---

[53] हिसार, कैथल, कालका, पलवल, सोनीपत और टोहाना।

[54] निर्माण एवं विध्वंस (सी. एंड डी.) में किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण, री-मॉडलिंग, मरम्मत और विध्वंस के परिणामस्वरूप भवन सामग्री, मलबा और मलबे से युक्त अपशिष्ट शामिल हैं।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 9(1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार इन नियमों की अंतिम अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के संबंध में अपना नीति दस्तावेज तैयार करेगी।

राज्य सरकार ने 43 माह की देरी से 23 नवंबर 2020 को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को स्वीकृति दी। नीति में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय पांच लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में नामित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट भंडारण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करेंगे और पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करेंगे। तदनुसार, तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत) को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करनी अपेक्षित थी और राज्य के शेष शहरी स्थानीय निकायों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए भूमि की पहचान करनी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, गुरुग्राम और फरीदाबाद ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत क्रमशः 1000 और 300 टन प्रतिदिन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा स्थापित की थी। तदनुसार, नगर निगम, गुरुग्राम ने सितंबर 2019 से निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण शुरू कर दिया था। हालांकि, नगर निगम, फरीदाबाद निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण शुरू नहीं कर सका क्योंकि जिस एजेंसी को कार्य दिया गया था, वह कार्य के निष्पादन के लिए आगे नहीं आई। लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम, पानीपत में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए कोई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित नहीं की गई थी। आंतरिक दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला कि इसके लिए जो स्पष्ट कारण दिया गया था वह था कचरे का कम उत्पादन (अर्थात प्रतिदिन 50 टन से कम) जिसके कारण निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना व्यवहार्य नहीं पाई गई। हालांकि, यह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन की नीति के अनुरूप नहीं है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सात[55] शहरी स्थानीय निकायों ने नीति में निर्धारित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए स्थल की पहचान नहीं की।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि नगर निगम, फरीदाबाद में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सुविधा के संचालन में देरी रियायतकर्ता के गैर-अनुपालन के कारण हुई थी। नगर निगम, फरीदाबाद अब अनुबंध को लागू करने या गैर-निष्पादन के लिए इसे समाप्त करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

2.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण और संचालन

क्या शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव प्रभावी और कुशल था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

[55] 1. इस्माइलाबाद, 2. कैथल, 3. कालावाली, 4. मानेसर, 5. सढौरा, 6. सिरसा और 7. सिवान।

2.8.1 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना बनाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड के अंतर्गत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर राज्य स्तरीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाएं निर्धारित करती है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त मॉडल के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी, विनियामक और संस्थागत पहलुओं पर सहायता प्रदान करने के लिए मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी (फर्म) को ट्रांजेक्शन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया (जुलाई 2014)। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अवसंरचना पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों (मार्च 2016) पर राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को 15 क्लस्टरों में वर्गीकृत करके नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए योजना तैयार की।

यह निर्णय लिया गया (अगस्त 2017) कि तीन क्लस्टरों अर्थात फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक को अपशिष्ट से ऊर्जा आधार पर तथा शेष 12 क्लस्टरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत अपशिष्ट से खाद प्रौद्योगिकी पर विकसित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अंबाला और करनाल क्लस्टरों को विलय करके क्लस्टर की संरचना को संशोधित किया, जिन्हें आरंभ में अपशिष्ट से खाद बनाने के मॉडल के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, संशोधित प्रस्ताव के अनुसार उन्हें अपशिष्ट से ऊर्जा के आधार पर विकसित किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत गुरुग्राम-फरीदाबाद और सोनीपत-पानीपत नामक दो क्लस्टरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध प्रदान किया (अगस्त और सितंबर 2017)। सोनीपत-पानीपत क्लस्टर अगस्त 2021 में चालू हो गया और गुरुग्राम-फरीदाबाद क्लस्टर अभी तक चालू नहीं हो सका (अक्तूबर 2024)।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने क्लस्टरों की संरचना में संशोधन के साथ-साथ शेष क्लस्टरों को खुली प्रौद्योगिकी[56] के आधार पर विकसित करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किया (जुलाई 2020) और शेष क्लस्टरों की संख्या 12 से घटाकर 11 कर दी। क्लस्टर की शहरी स्थानीय निकायवार संरचना ***परिशिष्ट 2.15*** में दी गई है। इसके अलावा, नवंबर/दिसंबर 2022 में अपशिष्ट से खाद बनाने के मोड के अंतर्गत तीन क्लस्टरों[57] को आबंटित किया गया, जिनकी कमीशनिंग की निर्धारित तिथि अप्रैल/जून 2024 थी। निजी बोलीदाताओं से पर्याप्त प्रतिक्रिया की कमी के कारण शेष आठ क्लस्टरों[58] को आबंटित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केवल पांच क्लस्टर ही आबंटित कर सका, जिनमें से केवल एक क्लस्टर ही मार्च 2023

---

56 इसका तात्पर्य यह है कि बोलीदाता नगरपालिका अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए कोई भी तकनीक अपना सकता है, जैसे अपशिष्ट से बिजली या अपशिष्ट से खाद बनाना आदि।

57 1. भिवानी, 2. करनाल-कैथल-कुरुक्षेत्र, 3. सिरसा।

58 1. अंबाला-यमुनानगर, 2. फरुखनगर, 3. हिसार-फतेहाबाद, 4. जींद, 5. मानेसर-रेवाड़ी, 6. पलवल-पुन्हाना, 7. पंचकुला और 8. रोहतक-बहादुरगढ़-झज्जर।

तक चालू हो सका। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रसंस्करण किए बिना ही लैंडफिल स्थलों में निपटा दिया गया। इसके अलावा, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को भी समय पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सोनीपत-पानीपत और फरीदाबाद-गुरुग्राम क्लस्टर की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर क्रमशः ***अनुच्छेद 2.8.2*** और ***2.8.3*** में चर्चा की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि इसने निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए कई प्रयास किए और अनुमोदन के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसमें काफी समय लगा। इसके अतिरिक्त, 2022-23 में, पंचकुला और फरुखनगर में भूमि की अनुपलब्धता के कारण शेष आठ क्लस्टरों को छः में विलय कर दिया गया।

2.8.2 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का कार्यान्वयन: सोनीपत-पानीपत क्लस्टर

प्रतिस्पर्धी बोली के बाद एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के विकास के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, चार सहभागी शहरी स्थानीय निकायों[59] और मेसर्स जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के बीच 22 वर्ष की अवधि के लिए एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए (सितंबर 2017)। रियायत करार के अनुसार, रियायतग्राही की ओर से सेवा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रह (दैनिक घर-घर संग्रह), द्वितीयक भंडारण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाना, चिह्नित स्थल पर अपनी लागत पर प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना और संचालन, जिसमें कम से कम 5 मेगावाट क्षमता का अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करना और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए सेनिटरी लैंडफिल साइट विकसित करना शामिल है। नगर निगम सोनीपत को सहभागी शहरी स्थानीय निकायों की ओर से कार्य करने के लिए निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय के रूप में नामित किया गया था। करार के अनुसार, रियायतग्राही को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र सहित प्रसंस्करण सुविधाओं को पूरा करना था और रियायत करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 24 माह के भीतर, अर्थात 25 सितंबर 2019 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी.ओ.डी.) प्राप्त करनी थी। इसके अलावा, करार के निबंधनों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अपेक्षित था:

- शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 180 दिनों के भीतर रियायतग्राही और वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के बीच विद्युत क्रय करार (पी.पी.ए.) का निष्पादन कराना होगा।
- रियायतग्राही को लागू कानून के अंतर्गत या उसके अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- सहभागी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रियायतग्राही को सभी लागू अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सहायता और भागीदारी की सुविधा प्रदान करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही को वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले की अवधि के दौरान या

[59] अर्थात, 1. नगरपालिका, गन्नौर, 2. नगर निगम, पानीपत, 3. नगरपालिका, समालखा और 4. नगर निगम, सोनीपत।

दो वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रति टन ₹ 1,000 की दर से टिपिंग/परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जाना था, बशर्ते कि यदि सहभागी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चूक के मामले में या किसी अप्रत्याशित घटना के कारण दो वर्ष की अवधि से अधिक का विलंब होता है, तो विस्तारित अवधि में भी ₹ 1,000 प्रति टन की दर से टिपिंग प्रभारों का भुगतान किया जाना था। वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद, एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रति टन ₹ 333 की दर से टिपिंग/परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिजली संयंत्र और अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए सोनीपत में साइट, करार पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियायतग्राही को सौंप दी गई थी (नवंबर 2017)। हालांकि, विद्युत क्रय करार को अंतिम रूप देने (सितंबर 2018), पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने (मई 2019) में देरी और अप्रत्याशित घटना (बाद के चरणों में कोविड-19 के दौरान) के कारण रियायतग्राही 23 माह की देरी के बाद 13 अगस्त 2021 को वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त कर सका। रियायतग्राही को पर्यावरणीय मंजूरी 20 माह बाद प्राप्त हुई और यही 23 माह की कुल देरी का मुख्य कारण था। परिणामस्वरूप, सहभागी शहरी स्थानीय निकायों को अक्तूबर 2019 से अगस्त 2021 के दौरान एकत्र किए गए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के लिए रियायतकर्ता को ₹ 333 प्रति टन के बजाय ₹ 1,000 प्रति टन की उच्च दरों पर टिपिंग/परिवहन प्रभारों का भुगतान करना पड़ा। परिणामस्वरूप, नमूना-जांच किए गए दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, पानीपत और नगर निगम, सोनीपत) को उसी अवधि के दौरान ₹ 28.81 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा। पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने और विद्युत क्रय करार को अंतिम रूप देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय और निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय की ओर से एक सुसंगत दृष्टिकोण अपेक्षित था। स्पष्टतः, यह अनुपस्थित था, जिससे देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों पर भार पड़ा, जो बदले में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता पर निर्भर थे।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि परियोजना के चालू होने में देरी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में प्रक्रियागत देरी के कारण हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम, सोनीपत को रियायत करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को समय पर मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए थी।

2.8.2.1 रियायतग्राही द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

रियायतग्राही ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन का कार्य शुरू किया और एकत्रित अपशिष्ट को निंबरी डंपसाइट, पानीपत में डालना शुरू किया (22 फरवरी 2018)। रियायतग्राही ने फरवरी 2018 से अगस्त 2021 के दौरान नगर निगम, पानीपत के अधिकार क्षेत्र से एकत्र किए गए छः लाख मीट्रिक टन कचरे को निंबरी डंपसाइट पर डंप किया। इसी प्रकार, रियायतग्राही ने नगर निगम, सोनीपत में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन का कार्य शुरू किया (26 मार्च 2018) और मार्च 2018 से अगस्त 2021 तक एकत्रित दो लाख मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को सोनीपत में डंप साइट पर डंप किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की वाणिज्यिक संचालन तिथि (अगस्त 2021) प्राप्त करने के बाद भी, मार्च 2018 से अगस्त 2021 के दौरान एकत्र किया गया नगरपालिका ठोस अपशिष्ट दोनों डंप साइटों पर अप्रसंस्कृत पड़ा रहा (मार्च 2023), इस तथ्य के बावजूद कि रियायतग्राही को इसे भी प्रसंस्कृत करना अपेक्षित था।

रियायतग्राही द्वारा डंप किए गए आठ लाख मीट्रिक टन[60] अप्रसंस्कृत अपशिष्ट का लेखापरीक्षा अवधि (मार्च 2023) तक निपटान नहीं किया गया था। इसके अलावा, रियायतग्राही द्वारा डंप किया गया आठ लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट डंपसाइट पर खुले स्थान पर पड़ा हुआ था जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। हालांकि, नगर निगम, सोनीपत ने अप्रसंस्कृत अपशिष्ट को हटाने के लिए रियायत करार की जोखिम एवं लागत क्लॉज का उपयोग नहीं किया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि नगर निगम, सोनीपत क्षेत्र में वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले डंप किए गए अपशिष्ट को रियायतग्राही द्वारा प्रसंस्कृत किया गया है। हालांकि, नगर निगम, पानीपत क्षेत्र में वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले रियायतग्राही द्वारा डंप किए गए छः लाख मीट्रिक टन अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

2.8.2.2 रियायतग्राही को आउटपुट आधारित प्रोत्साहन का भुगतान

अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, सोनीपत) को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ (₹ 6.84 प्रति किलोवाट घंटा) और रियायत अवधि के दौरान वितरण कंपनी को निर्यात की गई बिजली के लिए रियायतग्राही द्वारा उद्धृत आउटपुट आधारित प्रोत्साहन (ओ.बी.आई.) (₹ 10.60 प्रति किलोवाट घंटा) के बीच के अंतर, जो ₹ 3.76 प्रति यूनिट था, का भुगतान करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही ने अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में इनपुट के रूप में 3.64 लाख मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया था। रियायतग्राही ने इसी अवधि के दौरान 845.31 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि परियोजना क्षेत्र से केवल 2.78 लाख मीट्रिक टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एकत्र किया गया था, जबकि शेष 0.86 लाख मीट्रिक टन (3.64 लाख मीट्रिक टन- 2.78 लाख मीट्रिक टन) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट परियोजना क्षेत्र के बाहर के स्रोतों से एकत्र किया गया था। नगर निगम, सोनीपत ने भी इस संयंत्र के निरीक्षण (अक्तूबर और दिसंबर 2021) के दौरान पाया था कि रियायतग्राही शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की अनुमति के बिना परियोजना क्षेत्र के बाहर से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट स्वीकार कर रहा था। इस प्रकार, रियायतग्राही ने 199.71 लाख यूनिट[61] अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की, जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम, सोनीपत को अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान

---

60 पानीपत: छः लाख मीट्रिक टन और सोनीपत: दो लाख मीट्रिक टन।

61 उत्पादित बिजली = 0.86 लाख मीट्रिक टन / 3.64 लाख मीट्रिक टन * 845.31 लाख यूनिट = 199.71 लाख यूनिट।

₹ 7.51 करोड़[62] की वित्तीय हानि हुई।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि परियोजना क्षेत्र के बाहर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के उपयोग का संज्ञान लेने के बाद, रियायतग्राही से विवरण मांगा गया है और इस मामले के निपटान के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

2.8.3 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना: फरीदाबाद-गुरुग्राम क्लस्टर

प्रतिस्पर्धी बोली के बाद एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के विकास के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, दो सहभागी शहरी स्थानीय निकायों (अर्थात नगर निगम, फरीदाबाद और नगर निगम, गुरुग्राम) और मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के बीच 22 वर्ष की अवधि के लिए एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए (अगस्त 2017)। रियायत करार के अनुसार, रियायतग्राही की ओर से सेवा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रह (दैनिक घर-घर संग्रह), द्वितीयक भंडारण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाना, चिह्नित स्थल पर अपनी लागत पर प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना और संचालन, जिसमें कम से कम 10 मेगावाट क्षमता का अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करना और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए सेनिटरी लैंडफिल साइट विकसित करना शामिल है। नगर निगम, गुरुग्राम को सहभागी शहरी स्थानीय निकायों की ओर से कार्य करने के लिए निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय के रूप में नामित किया गया था। करार के निबंधनों एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अपेक्षित था कि:

i. निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय को भागीदार शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना था तथा परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से हस्तांतरण स्टेशनों, प्रसंस्करण सुविधा, लैंडफिल साइट के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करार पर हस्ताक्षर करने से 30 दिनों के भीतर रियायतग्राही को जैसा है जहां है के आधार पर भार-मुक्त भूमि सौंपना सुनिश्चित करना था।

ii. रियायतग्राही को मौजूदा स्थल पर एकत्रित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं को अपनाना अपेक्षित था, ताकि भूमि को यथासंभव अधिकतम सीमा तक साफ किया जा सके, तथा यह प्रसंस्करण और निपटान संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि तक ही सीमित न हो।

iii. रियायतग्राही को लागू कानून के अंतर्गत या उसके अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित था।

iv. रियायतग्राही को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र सहित प्रसंस्करण सुविधाओं को पूरा करना था और रियायत करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 24 माह के भीतर, अर्थात 13 अगस्त 2019 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करनी थी। यदि रियायतग्राही 24 माह की अवधि के भीतर विद्युत संयंत्र की वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो रियायतग्राही को किसी क्षतिपूर्ति के बिना आपसी सहमति से अतिरिक्त

[62] 199.67 लाख यूनिट * ₹ 3.76 प्रति यूनिट = ₹ 750.76 लाख।

अवधि प्रदान की जाएगी। आपसी सहमति से अतिरिक्त अवधि में वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में किसी भी और विलंब के मामले में, रियायतग्राही पर प्रतिदिन के विलंब के लिए निष्पादन प्रतिभूति (₹ 33.05 करोड़) की 0.1 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकाय द्वारा लगाई जाएगी।

v. रियायतग्राही को वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले की अवधि के दौरान या दो वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रति टन ₹ 1,000 की दर से टिपिंग/परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जाना था, बशर्ते कि यदि सहभागी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चूक के मामले में या किसी अप्रत्याशित घटना के कारण दो वर्ष की अवधि से अधिक का विलंब होता है, तो विस्तारित अवधि में भी ₹ 1,000 प्रति टन की दर से टिपिंग प्रभारों का भुगतान किया जाना था। वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद, एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रति टन ₹ 333 की दर से टिपिंग/परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जाना था।

नगर निगम, गुरुग्राम ने निर्धारित समयानुसार अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और लैंडफिल साइट पर लीगेसी अपशिष्ट के प्रबंधन एवं उपचार के लिए बंधवाड़ी लैंडफिल साइट रियायतग्राही को सौंप दी (सितंबर 2017)। हालांकि, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की क्षमता को 10 मेगावाट से बढ़ाकर 15 मेगावाट करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में विलंब के कारण रियायतग्राही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में विफल रहा। रियायतग्राही ने वाणिज्यिक संचालन तिथि को 30 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया (जुलाई 2020)। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाए बिना वाणिज्यिक संचालन तिथि को 01 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया। रियायतग्राही विस्तारित अवधि में भी वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में विफल रहा और उसने फिर से 30 दिसंबर 2024 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि के विस्तार के लिए अनुरोध किया (सितंबर 2021), जिसमें कारण बताए गए, जैसे कि निर्दिष्ट स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की 15 मेगावाट से 25 मेगावाट तक विस्तारित क्षमता के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लंबित है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाए बिना वाणिज्यिक संचालन तिथि को 31 अक्तूबर 2023 तक बढ़ा दिया (अक्तूबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाणिज्यिक संचालन तिथि में विस्तार के लिए रियायतग्राही द्वारा दिया गया कारण अर्थात निर्दिष्ट स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता, तर्कसंगत नहीं था क्योंकि रियायतग्राही को रियायत करार की शर्त (ऊपर उल्लिखित क्रम संख्या ii) के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि का पुन:ग्रहण करने के लिए बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा अपशिष्ट को साफ/प्रबंधित करना अपेक्षित था। इसके अलावा, करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना रियायतग्राही का उत्तरदायित्व था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नवंबर 2019 में 15 मेगावाट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद भी, रियायतग्राही ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा अपशिष्ट को साफ नहीं किया। यह भी पाया गया कि रियायतग्राही का कहना था कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा अपशिष्ट का प्रबंधन उसके दायरे में नहीं

आता। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने कानूनी राय लेने के लिए मामला महाधिवक्ता (ए.जी.) के पास भेज दिया। महाधिवक्ता ने बताया (अक्तूबर 2019) कि रियायतग्राही साइट पर संपूर्ण लीगेसी अपशिष्ट और लीचेट के प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। मौजूदा स्थल पर जमा अपशिष्ट का प्रबंधन करने में रियायतग्राही की ओर से विफलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने रियायतग्राही के जोखिम एवं लागत पर नगर निगम, गुरुग्राम स्तर पर लीगेसी अपशिष्ट के साथ-साथ ताजा अपशिष्ट के उपचार से संबंधित कार्य शुरू करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2019)। इसके बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर निगम, गुरुग्राम ने अक्तूबर 2021 में दूसरा विस्तार देते हुए जुर्माना लगाए बिना वाणिज्यिक संचालन तिथि को बढ़ा दिया।

करार के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, 02 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में देरी के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की गणना ₹ 4.92 करोड़[63] की गई। इसके अतिरिक्त, सहभागी शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित समय के अनुसार सितंबर 2019 से मार्च 2022 के दौरान उच्च टिपिंग/परिवहन प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 108.93 करोड़[64] का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा। इस प्रकार, निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद से अतिरिक्त भुगतान करके रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया जा रहा था। नगर निगम, गुरुग्राम ने 14 जून 2024 तक रियायतग्राही की ओर से जोखिम एवं लागत के आधार पर किए गए कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों को ₹ 173.45 करोड़ का भुगतान किया।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि रियायतग्राही ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कोई ड्राईंग तैयार नहीं की गई थी, कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए तथा कोई तकनीकी मानवशक्ति/संसाधन तैनात नहीं किए गए थे। 31 अक्तूबर 2023 तक वाणिज्यिक संचालन तिथि के दूसरे विस्तार के दौरान, चूंकि रियायतग्राही का निष्पादन रियायत करार में निर्धारित मानक से कम रहा, इसलिए 01 नवंबर 2022 से टिपिंग फीस घटाकर ₹ 333 प्रति मीट्रिक टन कर दी गई थी। बार-बार अनुस्मारक/नोटिस के बाद भी रियायतग्राही ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य नहीं किया। परिणामस्वरूप, नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा 03 जनवरी 2024 को ₹ 33.05 करोड़ की बैंक गारंटी प्रयोग कर ली गई और 14 जून 2024 को रियायत करार समाप्त कर दिया गया। विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क की पुष्टि करता है कि रियायतग्राही को दिया गया विस्तार उचित नहीं था।

2.8.3.1 गुरुग्राम-फरीदाबाद क्लस्टर का लीगेसी अपशिष्ट

गुरुग्राम-फरीदाबाद क्लस्टर का लीगेसी अपशिष्ट स्थल बंधवाड़ी गांव में स्थित है जो गुरुग्राम शहर से 5.98 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बंधवाड़ी साईट पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के कारण भूजल के लीचेट संदूषण और सतही जल के प्रदूषण के कारण मौद्रिक दृष्टि से पर्यावरण को हुई हानि की सीमा और बहाली की लागत निर्धारित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की एक विशेषज्ञ समिति का

---

63 ₹ 33.05 करोड़ * 149 दिन * 0.1 प्रतिशत।

64 नगर निगम ठोस अपशिष्ट 16331.43 लाख मीट्रिक टन * ₹ 667 (₹ 1,000 - ₹ 333)।

गठन[65] किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लैंडफिल उत्सर्जन से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जलवायु और सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए ₹ 148.46 करोड़ की क्षति का निर्धारण किया (फरवरी 2020)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के संवैधानिक दायित्व को निभाने में प्राधिकारियों और राज्य सरकारों की ओर से गंभीर चूक और निरंतर विफलता के दृष्टिगत लीगेसी अपशिष्ट की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए तीन सदस्यीय समिति[66] का गठन भी किया (जुलाई 2021)। समिति ने अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की (मार्च और अगस्त 2022), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लीगेसी अपशिष्ट का संचय 38 मीटर की ऊंचाई के साथ 33 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ गया है, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 2,000 टन नया अपशिष्ट जमा हो रहा था। इसके अलावा, प्रतिदिन 15,000 टन उपचार क्षमता की आवश्यकता के विपरीत, साइट पर केवल 5,100 टन प्रतिदिन की क्षमता उपलब्ध थी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को लगातार हो रही हानि के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में अशोधित लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा के लिए ₹ 100 करोड़ का जुर्माना लगाया (सितंबर 2022) और नगर निगम, गुरुग्राम को यह राशि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करने का निर्देश दिया। तदनुसार, नगर निगम, गुरुग्राम ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ₹ 100 करोड़ जमा कराए (अक्तूबर 2022)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर निगम, गुरुग्राम अनुचित रूप से दूसरा विस्तार प्रदान करने और खराब निष्पादन के बावजूद रियायतग्राही के विरूद्ध समय पर पेनल्टी कार्रवाई शुरू न करने के कारण रियायत करार पर हस्ताक्षर करने के बाद से पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रियायत करार में सक्षम करने वाले क्लॉज के बावजूद रियायतग्राही से बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लीगेसी अपशिष्ट को हटाने में विफल रहा, जैसा कि ***अनुच्छेद 2.8.3*** में चर्चा की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि नगर निगम, गुरुग्राम के पास रियायतग्राही के जोखिम एवं लागत पर स्वयं ही कार्य शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप, नगर निगम, गुरुग्राम ने रियायतग्राही के जोखिम एवं लागत पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लीगेसी अपशिष्ट और नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण का कार्य आगे बढ़ाया।

इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम, गुरुग्राम और नगर निगम, फरीदाबाद को न केवल ₹ 382.38 करोड़[67] का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा, बल्कि ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य भी अधूरा रह गया और परिणामतः, ठोस अपशिष्ट का निपटान

---

65 दिनांक 16 सितंबर 2015 के मूल आवेदन के संदर्भ में।

66 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम।

67 उच्च टिपिंग/परिवहन प्रभार: ₹ 108.93 करोड़, जोखिम एवं लागत के आधार पर किया गया कार्य: ₹ 173.45 करोड़ जैसा कि अनुच्छेद 2.8.3 में चर्चा की गई है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना: बंधवाड़ी स्थल पर लीगेसी अपशिष्ट के गैर-जैव-उपचार के लिए ₹ 100 करोड़।

पारंपरिक पद्धति से ही किया जाता रहा, जिसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.8.4 'बायो-मीथेनेशन' संयंत्र का उपयोग

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (एम) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजार से दैनिक आधार पर अपशिष्ट एकत्र करे और बाजारों में या बाजारों के आसपास उपयुक्त स्थानों पर विकेन्द्रीकृत खाद संयंत्र या जैव-मीथेनेशन संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दे, जिससे स्वच्छतापूर्ण स्थिति सुनिश्चित हो सके।

स्वच्छ भारत अभियान पर भारत सरकार की पहल का समर्थन करने की दिशा में एक कदम के रूप में भोजन/रसोई के अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित करने के लिए फरीदाबाद में पांच टन प्रतिदिन की क्षमता वाले बायो-मीथेनेशन प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, फरीदाबाद और मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स इकोग्रीन) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए (अप्रैल 2018)। करार के अनुसार

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत व्यय, बायो-मीथेनेशन संयंत्र की खरीद और तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए संयंत्र के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) की निगरानी के लिए उत्तरदायी था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तीन वर्ष के संचालन के बाद संयंत्र का स्वामित्व नगर निगम, फरीदाबाद को सौंपना था, ताकि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा संयंत्र का आगे भी संचालन एवं रखरखाव जारी रखा जा सके।
- मेसर्स इकोग्रीन दैनिक आधार पर संयंत्र को पांच मीट्रिक टन पृथक किए गए जैविक अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति के लिए उत्तरदायी थी।
- नगर निगम, फरीदाबाद संयंत्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त मात्रा में पृथक किए गए जैविक अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति हेतु मेसर्स इकोग्रीन की निगरानी के लिए उत्तरदायी था।

इस संयंत्र से उत्पादित गैस को इस्कॉन सेंटर, फरीदाबाद को आपूर्ति की जानी थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सेक्टर 13, फरीदाबाद में संयंत्र स्थापित किया और 2019-21 के दौरान अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से ₹ 2.72 करोड़ खर्च किए। बायो-मीथेनेशन संयंत्र 15 सितंबर 2019 को चालू हो गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2023) कि करार में कोई प्रोत्साहन या जुर्माना प्रावधान नहीं था, जिससे नगर निगम, फरीदाबाद को मेसर्स इकोग्रीन द्वारा संयंत्र को जैविक अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके। संयंत्र के भौतिक सत्यापन के दौरान (फरवरी 2023), यह पाया गया कि मेसर्स इकोग्रीन द्वारा जैविक/गीले अपशिष्ट की कम आपूर्ति के कारण संयंत्र अपनी अधिकतम क्षमता पर नहीं चल रहा था। मेसर्स इकोग्रीन ने अक्तूबर 2022 से 15 फरवरी 2023 के दौरान प्रतिदिन पांच मीट्रिक टन की सहमत मात्रा के विरूद्ध प्रतिदिन 0.218 मीट्रिक टन की औसत मात्रा की आपूर्ति की। अक्तूबर 2022 से पहले अपशिष्ट की आपूर्ति का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इस करार में एक अंतर्निहित कमी थी क्योंकि मेसर्स इकोग्रीन गुरुग्राम-फरीदाबाद क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी रियायतग्राही थी। बायो-मीथेनेशन संयंत्र के लिए मेसर्स इकोग्रीन को आईओसीएल को बिना किसी लागत के जैविक अपशिष्ट की आपूर्ति करनी अपेक्षित थी, जबकि क्लस्टर में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए उसी रियायतग्राही को ₹ 1,000 प्रति टन का भुगतान किया जा रहा था। इस व्यवस्था ने मेसर्स इकोग्रीन को बाजार से एकत्रित जैविक अपशिष्ट को बंधवाड़ी लैंडफिल में ठोस अपशिष्ट डंपसाइट पर स्थानांतरित करके अपने राजस्व को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैविक अपशिष्ट की कम आपूर्ति के कारण न केवल अपशिष्ट का प्रसंस्करण/अपशिष्ट से बायोगैस/खाद का उत्पादन कम हुआ, बल्कि पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा। इस स्थिति से अवगत होने के बावजूद, नगर निगम, फरीदाबाद ने न तो मेसर्स इकोग्रीन के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया और न ही संयंत्र के सतत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कोई समाधान निकाला।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्तूबर 2024) कि गैर-निष्पादन के कारण रियायतग्राही के साथ रियायत करार 14 जून 2024 को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि इस करार में एक अंतर्निहित दोष था क्योंकि इसमें मेसर्स इकोग्रीन द्वारा एकत्रित जैविक अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोत्साहन या दंडात्मक क्लॉज शामिल नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप बायो-मीथेनेशन संयंत्र का उसकी इष्टतम क्षमता पर उपयोग नहीं हो पाया।

2.9 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी

क्या पर्यावरणीय प्रभावों के निर्धारण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.9.1 राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 23 के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार के स्थानीय निकायों के प्रत्येक विभाग प्रभारी को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छ: माह के भीतर एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय (एसएलएबी) का गठन करना अपेक्षित है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों/अपशिष्ट बीनने वालों या अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य करने वाली सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि, राज्य या केंद्रीय स्तर के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का एक सदस्य, अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग का एक सदस्य और दो विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और इन नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु राज्य सरकार को सलाह

देने के लिए प्रत्येक छ: माह में कम से कम एक बार बैठक करनी अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने 16 माह की देरी से फरवरी 2018 में राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन किया। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठन/सिविल सोसायटी, उद्योग, रीसाइक्लिंग उद्योग और दो विषय विशेषज्ञों से कोई सदस्य राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय में नामित नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि 10 बैठकों की आवश्यकता के विपरीत, राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय ने मार्च 2023 तक केवल एक बैठक (अप्रैल 2018) आयोजित की।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की बैठकें आयोजित न किए जाने तथा विभिन्न हितधारकों एवं विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण राज्य सरकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव एवं विशेषज्ञ सलाह से वंचित रही। इस प्रकार, हरियाणा में राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन लगभग औपचारिकता मात्र था तथा इसमें उन सदस्यों/प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), विभाग ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय के अन्य सदस्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.9.2 अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्टिंग

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 24 (3) में प्रावधान है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन तथा अनुपालन न करने वाले स्थानीय निकायों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

चार वर्षों अर्थात 2017-18, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए समेकित वार्षिक रिपोर्ट एक से नौ माह की देरी के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई। इसके अलावा यह भी पाया गया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न करने की निम्नलिखित रिपोर्ट दी।

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्राधिकार प्राप्त न करने के लिए;
- 2017-18 में घरेलू ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण न किया जाना तथा शेष चार वर्षों में पृथक्करण का प्रतिशत कम होना;
- शहरी स्थानीय निकायों में अपेक्षित प्रसंस्करण सुविधा की अनुपलब्धता; तथा
- नजदीकी डंप स्थल में परिवेशी वायु, भूजल (दो शहरी स्थानीय निकायों[68] को छोड़कर), लीचेट गुणवत्ता और खाद की गुणवत्ता की निगरानी न करना।

हालांकि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई, जिससे स्वच्छ और हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने के अपने स्वयं के अधिदेश की अनदेखी की गई।

[68] नगर निगम गुरुग्राम और नगर निगम करनाल।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जनवरी 2024), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाएंगे।

2.9.3 पर्यावरण मानकों की निगरानी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्धारित भूजल परीक्षण के लिए 17 मापदंडों[69] में से, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/शहरी स्थानीय निकायों ने 2017-22 के दौरान राज्य में विद्यमान 65 से 77 डंपसाइटों के विरूद्ध चार डंपसाइटों [गुरुग्राम (2018-22 के दौरान प्रत्येक वर्ष), पंचकुला (2018-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष), करनाल (2018-19 और 2021-22) और यमुनानगर (2018-19)] पर केवल पांच मापदंडों[70] पर भूजल परीक्षण किया। 2019-21 में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लीचेट गुणवत्ता के नमूना परीक्षण को छोड़कर किसी भी स्थान पर परिवेशी वायु, मिट्टी, लीचेट गुणवत्ता और खाद का नमूना परीक्षण नहीं किया जा रहा था।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट की जांच से पता चला कि शहरी स्थानीय निकायों ने भूजल, परिवेशी वायु, लीचेट, खाद की गुणवत्ता के संबंध में निगरानी डेटा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए न तो शहरी स्थानीय निकायों और न ही हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई अध्ययन/मूल्यांकन किया।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण पर अपनाई जा रही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों की जांच के लिए अपेक्षित नमूना परीक्षण की निगरानी न करने के कारण हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों/कर्तव्यों को पूरा नहीं किया।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने उत्तर में बताया (30 जनवरी 2024) कि बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपनी प्रयोगशालाओं को उन्नत करने और नमूना परीक्षण उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया में है।

2.10 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति और रणनीति को 15 माह की देरी से अनुमोदन दिया और वह भी विभिन्न हितधारकों से परामर्श किए बिना। इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की थी। इन योजनाओं के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों में अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और चयन आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

---

69 आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, सायनाइड, सीसा, पारा, निकल, नाइट्रेट, पीएच, आयरन, कुल कठोरता, क्लोराइड, घुलित ठोस, फेनोलिक यौगिक, जस्ता और सल्फेट।

70 पीएच, आयरन, कुल कठोरता, क्लोराइड और घुलित ठोस।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए तीन शहरी स्थानीय निकायों (गुरुग्राम, सोनीपत और शाहबाद) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधानों वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों को अधिसूचित नहीं किया था। नमूना-जांच किए गए शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों ने देरी से उपनियम अधिसूचित किए। वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर किए गए आवर्ती व्यय की तुलना में उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण की प्रतिशतता 0.37 और 3.38 प्रतिशत के बीच रही। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को स्व-निर्भर गतिविधि बनाने के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों को संशोधित नहीं किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण एवं संग्रहण क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 98 प्रतिशत बताया गया, हालांकि, लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में पाया कि उन्होंने एकत्रित अपशिष्ट का दिन/माहवार डेटा नहीं रखा था। लेखापरीक्षा नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं कर सकी क्योंकि रिपोर्ट किए गए डेटा तक पहुंचने के लिए अपनाए गए मानदंड/प्रक्रिया लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। वर्ष 2017-22 के दौरान, उत्पन्न कुल अपशिष्ट 103.58 लाख टन बताया गया था, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट (63 प्रतिशत) बिना किसी प्रसंस्करण के डंपसाइटों पर फेंक दिया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान 77 डंपसाइटें ऐसी थी, जहां शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लिए बिना अपशिष्ट फेंक रहे थे। इसके अलावा, 29 डंपसाइटों के संबंध में जैविक उपचार का कार्य नहीं दिया गया और 48.77 लाख मीट्रिक टन (48 प्रतिशत) लीगेसी अपशिष्ट डंपसाइट पर अप्रसंस्कृत पड़ा हुआ था (अप्रैल 2023)।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना अब तक (मार्च 2023) केवल एक क्लस्टर (सोनीपत-पानीपत) में ही संचालित की जा सकी है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि फरीदाबाद-गुरुग्राम क्लस्टर का अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र अब तक (अक्तूबर 2024) पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रियायतग्राही बंधवाड़ी लैंडफिल साइटों पर जमा अपशिष्ट को साफ/प्रबंधित करने में विफल रहा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय/नगर निगम, गुरुग्राम ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए ₹ 4.92 करोड़ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति नहीं लगाई थी। इसके अलावा, नगर निगम, गुरुग्राम और नगर निगम, फरीदाबाद को परियोजना के निर्धारित समय पर लागू न होने के कारण उच्च टिपिंग/परिवहन प्रभारों के भुगतान के कारण ₹ 108.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बंधवाड़ी साइट पर लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार न करने के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर ₹ 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया।

2.11 सिफारिशें

1 राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट बीनने वालों के स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए सक्रिय कदम उठाने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दे।

2 राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय संसाधन अंतराल को दूर करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की स्व-निर्भरता के लिए प्रयास करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता फीस के संग्रहण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करें।

3 राज्य सरकार जागरूकता अभियानों के माध्यम से स्रोत पृथक्करण पर अधिक जोर दे।

4 राज्य सरकार समयबद्ध ढंग से 100 प्रतिशत अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण करे।

5 राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को समयबद्ध ढंग से पर्याप्त संख्या में सेनिटरी भूमिभरण स्थल स्थापित करने तथा शेष लीगेसी अपशिष्ट का जैविक उपचार करने के निर्देश दे।

6 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना प्राधिकार के अपशिष्ट का निपटान करने पर शहरी स्थानीय निकायों के विरूद्ध कार्रवाई करे।

7 राज्य सरकार शेष क्लस्टरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाए तथा रियायत करार में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करे।

8 राज्य सरकार गैर-सरकारी संगठन/सिविल सोसायटी, उद्योग, रिसाइक्लिंग उद्योग, विषय विशेषज्ञों आदि से सदस्यों को नामित करके राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय को सुदृढ़ करे तथा राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करे।

9 राज्य सरकार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/शहरी स्थानीय निकायों को अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए अध्ययन/मूल्यांकन करने का निर्देश दे।

अध्याय 3

गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

गेहूं की खरीद, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्दगी पर निष्पादन लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से किसानों को गेहूं के लिए समर्थन मूल्य प्रदान करती है। गेहूं खरीद नीति में प्रावधान है कि किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और भारत सरकार द्वारा जारी रबी विपणन सीजन (आर.एम.एस.) दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसूचित गुणवत्ता के अनुरूप प्रस्तुत किया गया गेहूं केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य[1] पर खरीद लिया जाएगा। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरी में अपनी उपज बेचने की आवश्यकता न पड़े।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, एफ.सी.आई. ने केंद्रीय पूल के लिए कुल 1,830.75 लाख मीट्रिक टन (एम.टी.) गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से हरियाणा राज्य ने 414.36 लाख मीट्रिक टन (22.63 प्रतिशत) का योगदान दिया। एफ.सी.आई. द्वारा केंद्रीय पूल के लिए शीर्ष पांच अंशदायी राज्यों से खरीदे गए गेहूं का वर्षवार विवरण ***तालिका 3.1*** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2017-22 के दौरान एफ.सी.आई. द्वारा की गई गेहूं की राज्यवार खरीद

(लाख मीट्रिक टन में)

आर.एम.एस.	पंजाब	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	राजस्थान	अन्य	कुल
2017-18	117.06	74.25	36.99	67.25	12.45	0.16	308.16
2018-19	126.92	87.57	52.94	73.13	15.32	2.06	357.94
2019-20	129.12	93.6	37.00	67.25	14.11	0.21	341.29
2020-21	127.14	74.01	35.77	129.42	22.25	1.33	389.92
2021-22	132.22	84.93	56.41	128.16	23.40	8.32	433.44
कुल	**632.46**	**414.36**	**219.11**	**465.21**	**87.53**	**12.08**	**1,830.75**

स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

3.1.1 हरियाणा में खरीद प्रक्रिया

राज्य सरकार केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद, उसके भंडारण और एफ.सी.आई. को सुपुर्दगी करती है। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा (एफ.एस.डी.) सभी खरीद एजेंसियों पर सामान्य अधीक्षण का कार्य करते हैं। खरीद प्रक्रिया में शामिल अन्य एजेंसियां; हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड), हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) हैं। खरीद कार्यों में प्रत्येक एजेंसी के मुख्य कार्य ***परिशिष्ट 3.1*** में दिए गए हैं।

[1] न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज के लिए दिया जाने वाला गारंटीकृत मूल्य है जिसे भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार घोषित किया जाता है।

गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दो ऑनलाइन पोर्टल थे (i) "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" जिस पर किसानों को खेती के अंतर्गत भूमि, उगाई जा रही फसलों, बैंक खाते का विवरण आदि देते हुए स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक था; और (ii) ई-खरीद पोर्टल, एक एकीकृत पोर्टल था, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से डेटा प्राप्त करके पूरी खरीद प्रक्रिया का प्रबंधन करता था। ई-खरीद पोर्टल, खरीद के प्रत्येक चरण अर्थात मंडी में किसान के प्रवेश के समय गेट पास बनाने से लेकर खरीदे गए गेहूं के लिए किसान को भुगतान करने तक की सुविधा प्रदान करता था।

गेहूं की खरीद प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आर.एम.एस. के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और प्रत्येक राज्य के लिए खरीद का लक्ष्य तय करने से शुरू होती है। राज्य स्तर पर, एफ.एस.डी. द्वारा मंडीवार लक्ष्य तय किया जाता है और प्रत्येक खरीद एजेंसी को मंडियां आबंटित करता है। राज्य खरीद एजेंसियां खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें धन की व्यवस्था, पैकेजिंग सामग्री, उठान, भंडारण, एफ.सी.आई. को गेहूं की डिलीवरी तथा बिल जारी करना सम्मिलित है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य और लेखापरीक्षा का दायरा

यह लेखापरीक्षा नवंबर 2022 से सितंबर 2023 तक आयोजित की गई, जिसमें आठ जिलों[2] (कुल 22 जिलों में से) में अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक (आर.एम.एस. 2017 से आर.एम.एस. 2021) की अवधि को शामिल किया गया ताकि यह आकलन किया जा सके कि:

i). गेहूं खरीद के लिए पूर्व व्यवस्था कुशलतापूर्वक और मितव्ययितापूर्वक की गई थी;

ii). गेहूं की खरीद प्रक्रिया और भंडारण कुशल और मितव्ययी थी; और

iii). दावे एफ.सी.आई. के समक्ष समय पर और सटीक ढंग से प्रस्तुत किये गए थे।

लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की नमूना-जांच, लेखापरीक्षित इकाइयों[3] के साथ चर्चा और लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण शामिल था। लेखापरीक्षा ने ई-खरीद पोर्टल और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध गेहूं खरीद के डेटा की भी नमूना-जांच और विश्लेषण किया।

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एफ.एस.डी. और अन्य राज्य खरीद एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों के साथ 3 मार्च 2023 को एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। एफ.एस.डी. और अन्य राज्य खरीद एजेंसियों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। 26 जुलाई 2024 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी और बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- भारत सरकार द्वारा जारी रबी विपणन सीजन 2017 से 2021 के लिए अनंतिम लागत शीट;

---

[2] (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) हिसार, (iv) करनाल, (v) कुरूक्षेत्र, (vi) पानीपत, (vii) सोनीपत, (viii) यमुनानगर।

[3] एफ.एस.डी., हैफेड, एच.एस.डब्ल्यू.सी., हरियाणा कृषि उद्योग निगम और एच.एस.ए.एम.बी. की नमूना इकाइयां।

- गेहूं की खरीद, भंडारण एवं वितरण के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश और दिशानिर्देश; तथा
- हरियाणा में यथा लागू पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961

3.1.4 खरीद योजना

किसानों को प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन के लिए कृषि भूमि और फसलों का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। गेहूं (एक रबी फसल) के लिए, किसानों को प्रत्येक वर्ष जनवरी तक गेहूं की खेती के अंतर्गत क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिसे कृषि विभाग द्वारा सत्यापित किया जाता है। गेहूं की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का विवरण आर.एम.एस. में उत्पादित होने वाली अनुमानित मात्रा को दर्शाता है। उत्पादन अनुमानों के आधार पर, राज्यवार खरीद लक्ष्य प्रत्येक वर्ष फरवरी में सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य खाद्य सचिवों की बैठक में निर्धारित किए जाते हैं। आर.एम.एस. 2017-18 से 2021-22 तक, हरियाणा राज्य के लिए खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन अनुमान, खरीद लक्ष्य और वास्तविक खरीद के विवरण ***तालिका 3.2*** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: 2017-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन अनुमान, खरीद लक्ष्य और वास्तविक खरीद

आर.एम.एस.	गेहूं की खेती का क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में	उत्पादन अनुमान (लाख मीट्रिक टन)	खरीद का लक्ष्य (लाख मीट्रिक टन)	वास्तविक खरीद (लाख मीट्रिक टन)	लक्ष्य के विरुद्ध खरीद की प्रतिशतता
2017-18	25.58	123.84	75	74.25	99
2018-19	25.30	117.80	80	87.57	109
2019-20	25.23	128.00	85	93.60	110
2020-21	23.87	115.55	95	74.01	78
2021-22	25.39	122.36	80	84.93	106
कुल		**607.55**	**415**	**414.36**	

स्रोत: एफ.एस.डी. हरियाणा की वेबसाइट https://haryanafood.gov.in/procurement/ पर उपलब्ध सूचना।

आर.एम.एस. 2020-21 को छोड़कर आर.एम.एस.-वार निर्धारित लक्ष्यों और की गई खरीद में कोई बड़ा अंतर नहीं था। 2017-18 और 2020-21 को छोड़कर खरीद अनुमानित लक्ष्यों से अधिक थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2 मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान

एच.एस.ए.एम.बी. कृषि उपज के कुशल विपणन के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मार्केट (मंडियां) स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2022 तक, 114 मार्केट कमेटियां थी जो 114 प्रमुख यार्डों, 172 उप-यार्डों और 204 खरीद केंद्रों की देखरेख करती थीं जिन्हें खाद्यान्नों की खरीद के लिए मंडियों के रूप में नामित किया गया है।

चयनित जिलों में स्थित 53 मंडियों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण मार्केट कमेटियों से प्राप्त किया गया। यह पाया गया कि एक या दो मंडियों को छोड़कर लगभग सभी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे आंतरिक एवं सर्विस सड़कें, पहुंच एवं संपर्क सड़कें, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था, सामान्य नीलामी प्लेटफार्म, कवर्ड प्लेटफार्म एवं चारदीवारी उपलब्ध थी।

हालांकि, मंडियों में तौल-कांटे (30), कैंटीन (36), किसान विश्राम गृह (25), बैंक (41) और अग्निशमन स्टेशन (46) जैसी सुविधाओं का अभाव था। मंडियों में तौल-कांटों की अनुपलब्धता के कारण मंडियों के बाहर गेहूं का तौल कराने के परिणामस्वरूप गेहूं के परिवहन पर अनावश्यक व्यय हुआ, जैसा कि इस प्रतिवेदन के ***अनुच्छेद 3.4.4*** में चर्चा की गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) अपर मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को मंडियों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि और विस्तार के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए।

3.3 गेहूं की खरीद के लिए वित्तपोषण व्यवस्था

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान एफ.एस.डी. ने गेहूं खरीद पर कुल ₹ 24,658.59 करोड़ का व्यय किया। एच.एस.डब्ल्यू.सी. और हैफेड ने क्रमशः ₹ 15,522.14 करोड़ और ₹ 32,874 करोड़ का व्यय किया, जैसा कि ***तालिका 3.3*** में दिया गया है।

तालिका 3.3: विभिन्न राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा निधियों की व्यवस्था

(₹ करोड़ में)

आर.एम.एस.	एफ.एस.डी.	एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हैफेड
2017-18	3,312.15	2,657.05	4,697.00
2018-19	5,005.30	2,649.23	6,586.00
2019-20	5,594.83	3,095.86	7,750.00
2020-21	5,197.93	3,787.00	6,151.00
2021-22	5,548.38	3,333.00	7,690.00
कुल	**24,658.59**	**15,522.14**	**32,874.00**

एफ.एस.डी. ने कैश क्रेडिट लिमिट[4] (सी.सी.एल.) के माध्यम से निधियां प्राप्त की, जिन पर ब्याज दर एच.एस.डब्ल्यू.सी. और हैफेड द्वारा प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर उद्धरण आमंत्रित करके लिए गए अल्पावधि ऋणों की तुलना में अधिक थी जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: विभिन्न राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा व्यवस्थित निधियों पर ब्याज दरों में अंतर

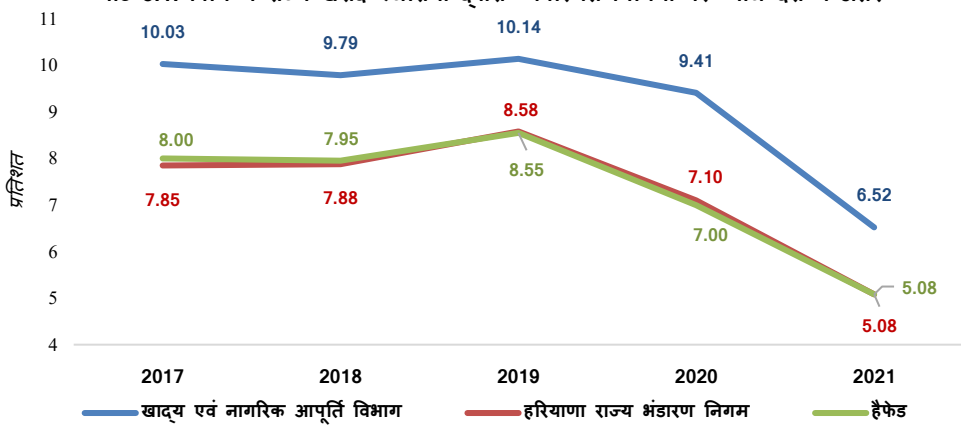

लेखापरीक्षा के अनुसार एफ.एस.डी. पर सी.सी.एल. की उच्च ब्याज दरों और राज्य बजट से व्यवस्थित निधियों के कारण ₹ 222.24 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा, जैसा कि ***तालिका 3.4*** में विवरण दिया गया है।

[4] सी.सी.एल. भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकार और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत प्रदान की जाती है। वित्त विभाग, हरियाणा सी.सी.एल. से निधियां आहरित करता है और खरीद कार्यों के लिए उन्हें एफ.एस.डी. को स्थानांतरित करता है।

तालिका 3.4: उच्च ब्याज दरों के कारण एफ.एस.डी. पर ब्याज का अतिरिक्त भार

आर. एम. एस.	एफ.एस.डी. के लिए सी.सी.एल./ लिया गया ऋण	एफ.एस.डी. के लिए सी.सी.एल./ लिए गये ऋणपर ब्याज दर	निधियों पर कुल ब्याज भार	अन्य राज्य खरीद एजेंसियां (अल्पकालिक ऋण पर ब्याज की औसत दर)	अन्य राज्य खरीद एजेंसियों की तुलना में ब्याज दर में अंतर	एफ.एस.डी. पर अतिरिक्त ब्याज
वर्ष	(₹ करोड़ में)	(प्रतिशत में)	(₹ करोड़ में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6=3-5	7=(4*6)/3
2017	3,312.15	10.03/7.77	72.87	8.22	-	-
2018	5,005.30	9.79/8.48	92.75	7.91	1.88/0.57	17.79
2019	6,056.00	10.14	459.17	8.56	1.58	71.43
2020	5,500.00	9.41	357.31	7.05	2.36	89.61
2021	5,548.38	6.44[5]	204.82	5.08	1.37	43.41
कुल	**25,421.83**		**1,186.92**			**222.24**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) विभाग ने बताया कि एफ.एस.डी. ने वित्त विभाग के समन्वय से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर निधियों की व्यवस्था की थी, जबकि अन्य राज्य खरीद एजेंसियां प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों से ऋण लेने के लिए स्वतंत्र थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने की संभावना न तलाशने से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इसके अलावा, वित्त विभाग, हरियाणा ने पाया (नवंबर 2019) कि कुल खरीद में एफ.एस.डी. का उच्च अनुपात, राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालता है (निधियों की व्यवस्था करने पर अधिक व्यय के कारण) और ब्याज के भार को कम करने के लिए एफ.एस.डी. के खाद्यान्न खरीद कोटे को 33 प्रतिशत से घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाने की सिफारिश की। परन्तु, एफ.एस.डी. ने इस सिफारिश को लागू नहीं किया और आर.एम.एस. 2020 के दौरान 33 प्रतिशत गेहूं की खरीद जारी रखी।

3.4 गेहूं की खरीद

किसान अपनी उपज को निकटतम विनियमित मंडी में लाते हैं। मंडी में उपज की आवक एच.एस.ए.एम.बी. और राज्य खरीद एजेंसी, जिसे गेहूं की खरीद के लिए मंडी आबंटित की गई है, के रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। आढ़तियों[6] द्वारा गेहूं की खरीद के लिए किसानों और राज्य खरीद एजेंसियों की सहायता की जाती है जिसके लिए उन्हें कमीशन[7] के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.50 प्रतिशत मिलता है। खरीदे गए गेहूं को बोरियों में भरकर या तो एफ.सी.आई. को सौंप दिया जाता है या गोदामों में रखा जाता है।

आर.एम.एस. 2019 से पहले खरीद का माध्यम ऑफलाइन था। वर्ष 2019-20 से खरीद प्रक्रिया का प्रबंधन ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ई-खरीद पोर्टल का प्रक्रिया प्रवाह ***चार्ट 3.2*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा परिणाम, जहां भी लागू हो, ई-खरीद पोर्टल में उपलब्ध सूचना के डाटा विश्लेषण पर आधारित हैं।

---

5 6.35 और 6.52 प्रतिशत का औसत।

6 आढ़तिया, एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट हैं जो खरीद की प्रक्रिया में मध्यस्थ और एकत्रीकरण की सेवाएं प्रदान करते हैं।

7 आर.एम.एस. 2020 से ₹ 46 प्रति क्विंटल तय किया गया।

चार्ट 3.2: ई-खरीद पोर्टल का प्रक्रिया प्रवाह चार्ट

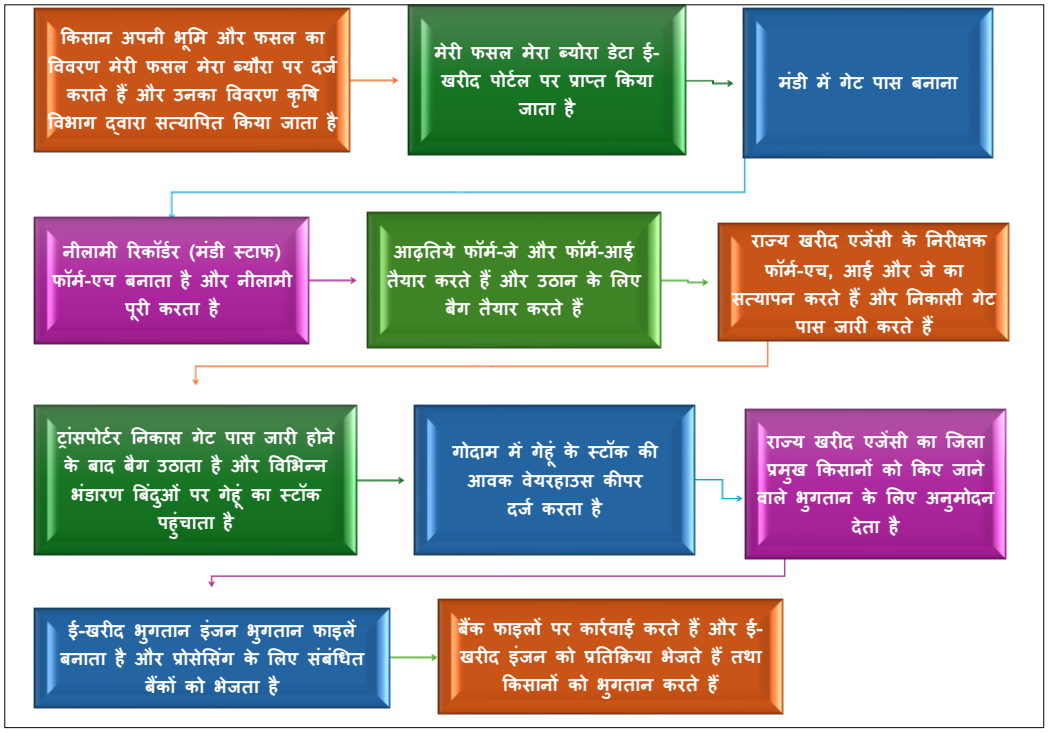

खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में भरे जाने वाले फॉर्म:

1 **गेट पास:** किसानों के मंडियों में प्रवेश के समय गेटकीपर (एच.एस.ए.एम.बी. स्टाफ) द्वारा गेट पास बनाया जाता है।

2 **फार्म - एच:** एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा एच-रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, जिसमें नीलामी की तिथिवार जानकारी तथा दर सहित बेची गई मात्रा के साथ किसान, कमीशन एजेंट और क्रय एजेंसी का विवरण दर्ज किया जाता है।

3 **फार्म - जे:** यह आढ़ती द्वारा तैयार किया जाता है और किसानों को जारी किया जाता है। यह मंडी में कृषि उपज के लिए जारी की गई बिक्री रसीद है।

4 **फार्म - आई**: इसे आढ़ती द्वारा तैयार किया जाता है और सत्यापन के बाद संबंधित राज्य खरीद एजेंसी के निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसमें किसानों से खरीदी गई मात्रा के साथ-साथ आढ़तियों का विवरण भी शामिल होता है।

3.4.1 खरीद प्रक्रिया में शामिल चरणों के लिए समयसीमा का निर्धारण न किया जाना

आर.एम.एस. 2021-22 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार राज्य खरीद एजेंसियों के निरीक्षक द्वारा फार्म-आई के अनुमोदन से 48 से 72 घंटों के भीतर किसानों को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, गेट पास बनाने से लेकर फॉर्म-आई बनाने तक के प्रत्येक चरण के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने एच.एस.ए.एम.बी. और राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों का विश्लेषण किया तथा प्रत्येक चरण के लिए अधिकतम समय अवधि का आकलन किया, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अधिकतम समय अवधि का विवरण

की गई गतिविधियां	अधिकतम समय
किसान का मंडी में प्रवेश	0 दिन
मंडी में प्रवेश के बाद नीलामी	0+ 2 दिन
फॉर्म जे और आई बनाना और उसका अनुमोदन	0+ 4 दिन
फॉर्म आई के अनुमोदन से उठान के लिए तैयारी	0+ 6 दिन
मंडी से गेहूं उठाने के लिए निकासी गेट पास जारी करना और गोदाम में प्राप्त करना	0+ 9 दिन
प्राप्ति के बाद भुगतान का अनुमोदन	0+ 10 दिन
भुगतान के अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा भुगतान पूरा करना	0+ 12 दिन

तालिका 3.5 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसानों को मंडी में प्रवेश करने के 12 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने भुगतान में 12 दिनों से अधिक का विलंब पाया जो कि निम्न प्रकार से है:

क. आर.एम.एस. 2019 से 2021 तक के ई-खरीद डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण में यह पाया गया कि आर.एम.एस. 2019 में गेहूं का पूरा स्टॉक 15 मई 2019 तक मंडियों में आ गया था, लेकिन 30 जून 2019 तक केवल 89.37 प्रतिशत भुगतान किया गया था। आर.एम.एस. 2020 में, हालांकि मंडियों में गेहूं की आवक 20 अप्रैल 2020 से शुरू हो गई थी, लेकिन भुगतान केवल 12 मई 2020 से शुरू हुआ, अर्थात मंडी में प्रवेश के 22 दिन बाद से। गेहूं की आखिरी खेप 6 जून 2020 तक मंडियों में आ गई थी, लेकिन 30 जून 2020 तक 99.46 प्रतिशत भुगतान किया गया था, जो किसानों को भुगतान करने में देरी दर्शाता है। आर.एम.एस. 2021 में गेहूं की आखिरी खेप 12 मई 2021 को मंडियों में आई, लेकिन अंतिम भुगतान 4 जून 2021 को किया गया, जो कि विलंबित भुगतान को दर्शाता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) निदेशक, एफ.एस.डी. ने बताया कि समय-सीमा का निर्धारण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था, क्योंकि खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार की जानी थी। हालांकि, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है। विभाग को इन समय-सीमाओं को प्रभावित करने वाली बाधाओं की जांच करके तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

ख. ई-खरीद पोर्टल पर डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी पता चला कि आर.एम.एस. 2020 में 24.18 प्रतिशत गेहूं और आर.एम.एस. 2021 में 25.50 प्रतिशत गेहूं के लिए निरीक्षकों द्वारा फार्म-आई के सत्यापन और अनुमोदन में देरी हुई। आर.एम.एस. 2021 में, उठान के लिए तैयार किए गए 18.63 प्रतिशत बैगों के लिए देरी हुई और 57.96 प्रतिशत गेहूं के एग्जिट गेट पास 72 घंटे की निर्धारित समय-सीमा के बाद जारी किए गए थे।

अपर मुख्य सचिव, एफ.एस.डी. ने उत्तर दिया (जून 2024) कि एग्जिट गेट पास जारी करने में देरी मुख्यत: एफ.सी.आई. के गोदामों में धीमी गति से अनलोडिंग के कारण वाहनों की अनुपलब्धता और कभी-कभी मंडियों में बारिश और आंधी जैसे मौसम के कारण हुई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एग्जिट गेट पास जारी करने में देरी के कारणों को ई-खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है।

3.4.2 ट्रांसपोर्टरों पर जुर्माना न लगाना

उठान में देरी के लिए जिम्मेदार परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध जिला प्रबंधक (डी.एम.)/जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) अनुबंध की शर्तों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। निविदा शर्तों के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों द्वारा गेहूं की बोरियां उठान के लिए तैयार होने के 72 घंटे के भीतर मंडियों से उठान करना अनिवार्य है, अन्यथा उठान के लिए बकाया मात्रा के लिए प्रति ट्रक ₹ 100 (आर.एम.एस. 2017 से 2020 के लिए) और ₹ 500 (आर.एम.एस. 2021 में) जुर्माना के रूप में प्रभार्य था।

आर.एम.एस. 2020 और 2021 के लिए ई-खरीद डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ट्रांसपोर्टरों पर ₹ 54.90 करोड़ (₹ 48.83 करोड़ - आर.एम.एस. 2021 + ₹ 6.07 करोड़[8] - आर.एम.एस. 2020) का जुर्माना लगाया जाना था। परन्तु उठान में देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), निदेशक, एफ.एस.डी. ने उत्तर दिया कि कोविड-19 प्रकोप के कारण प्रतिबंधित दिशा-निर्देशों में खरीद कार्य संचालित करना कठिन था। हालांकि, विभाग ने राज्य खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर खरीद जारी रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टरों पर जुर्माना लगाना उचित नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों द्वारा की गई देरी, जिसके कारण अंततः किसानों को भुगतान में देरी हुई, के लिए जुर्माना माफ करने का राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

3.4.3 भुगतान संवितरण

आर.एम.एस. 2019 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया शुरू की गई और ई-खरीद पोर्टल द्वारा आढ़तियों को भुगतान करके आगे किसानों को भुगतान किया गया। आर.एम.एस. 2020 के लिए, आढ़तियों के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किए गए थे।

आर.एम.एस. 2021 से ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किए गए। किसानों को ऑनलाइन भुगतान का मेटाडेटा सार्वजनिक निधि निगरानी प्रणाली[9] (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाना था। सॉफ्टवेयर प्रदाता और संबंधित बैंकों को सुचारू एकीकृत ऑनलाइन परिचालन (गेट पास बनाने से लेकर ऑनलाइन भुगतान करने तक) सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करना था।

लेखापरीक्षा के अनुसार, मंडी में प्रवेश के 12 दिनों के भीतर किसान को भुगतान किया जाना चाहिए था ***(अनुच्छेद 3.4.1)***। लेकिन यह पाया गया है कि इसमें देरी हुई, जैसा कि ***तालिका 3.6*** में दर्शाया गया है।

---

[8] केवल 14,159 वाहनों के लिए देरी की गणना की गई है क्योंकि आर.एम.एस. 2020 का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है।

[9] यह एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन करती है। इसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित किया गया।

तालिका 3.6: मंडी में प्रवेश से लेकर भुगतान में लगने वाले समय का विवरण

(₹ करोड़ में)

आर.एम. एस.	कुल भुगतान	मंडी में प्रवेश के 12 दिन के भीतर किया गया भुगतान	विलंबित भुगतान	के मध्य देरी			
				13 से 19 दिन	20 से 26 दिन	27 से 31 दिन	31 दिन से अधिक
2019	15,159.86	7,055.14	8,104.72	4,655.05	1,175.46	229.95	2,044.26
प्रतिशतता	100	46.54	53.46	30.71	7.75	1.52	13.48
2020	9,602.54[10]	33.74	9,568.80	1,703.30	5,459.70	1,256.97	1,148.83
प्रतिशतता	100	0.35	99.65	17.74	56.86	13.09	11.96
2021	15,212.63	7,487.29	7,725.34	3,822.00	1,935.44	1,335.65	632.25
प्रतिशतता	100	49.22	50.78	25.12	12.72	8.78	6.16

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, आर.एम.एस. 2019 में मंडी में प्रवेश से 12 दिनों के भीतर केवल 46 प्रतिशत भुगतान किए गए थे। जबकि आर.एम.एस. 2020 में समय पर भुगतान केवल 0.35 प्रतिशत था, वर्ष 2021 में स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि 49 प्रतिशत भुगतान समय पर सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया। हालांकि, आर.एम.एस. 2021 में ₹ 632.25 करोड़ (चार प्रतिशत) का भुगतान एक माह से अधिक की देरी से हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), विभाग ने बताया कि देरी का मुख्य कारण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बैंक खाते के विवरण की असंगतता और महामारी का प्रकोप था। इसके अलावा, आर.एम.एस. 2021 के दौरान, पहली बार सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया गया।

ई-खरीद पोर्टल से किसानों को भुगतान को और अधिक सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है क्योंकि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन कृषि विभाग के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 15 मार्च 2021 तक, अर्थात आर.एम.एस. 2021 आरंभ होने से पहले, पूरा किया जाना आवश्यक था।

3.4.4 गेहूं की तुलाई पर अनावश्यक व्यय

तीनों राज्य खरीद एजेंसियों में से हैफेड ने प्रत्येक आर.एम.एस. में निर्देश जारी किए थे कि गेहूं का 100 प्रतिशत वजन तभी किया जाए, जब कोई अतिरिक्त ढुलाई शामिल न हो। जहां पर तौल-कांटे सुविधा उपलब्ध न हो या तौल-कांटे के रूट पर व्यय अधिक हो तो भंडारण बिंदु पर बीम स्केल/प्लेटफॉर्म स्केल पर केवल पांच प्रतिशत तौल किया जाए। यदि नमूना-जांच में कमी पाई जाती है, तो परीक्षण वजन की प्रतिशतता 10 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यमुनानगर जिले, अंबाला कैंट, अंबाला शहर और समालखा (पानीपत) में खरीद मंडी में ही स्थित खुले प्लिंथ/गोदाम में 3.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया गया था। लेकिन बीम स्केल/प्लेटफॉर्म स्केल पर पांच प्रतिशत नमूना-जांच के बजाय मंडी के बाहर स्थित तौल-कांटे पर गेहूं का वजन करवाया गया। परिणामस्वरूप, भंडारण स्थान की दूरी 0.5 किलोमीटर - 1 किलोमीटर मानकर ***परिशिष्ट 3.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 2.93 करोड़[11] का परिहार्य व्यय हुआ।

---

[10] आर.एम.एस. 2020 के लिए ई-खरीद पोर्टल से राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी गई 67.31 लाख मीट्रिक टन की वास्तविक मात्रा की तुलना में केवल 50.8 लाख मीट्रिक टन का डेटा प्राप्त किया जा सका।

[11] अंबाला 1.41 लाख मीट्रिक टन- ₹ 148.52 लाख, समालखा 0.50 लाख मीट्रिक टन - ₹ 77.50 लाख और जगाधरी 1.23 लाख मीट्रिक टन - ₹ 67.24 लाख।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि हैफेड के निर्देश केवल उन मंडियों के लिए प्रतिबंधात्मक थे जहां पर तौल-कांटों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गेहूं का वजन आढ़तियों से तौल-कांटे तक तथा तौल-कांटे से गोदामों तक वजन के वास्तविक अंतर की जांच करने के लिए किया गया था। यह तौल भंडारण हानि को न्यूनतम करने के लिए किया गया था तथा तौल पर होने वाला व्यय राज्य खरीद एजेंसियों के हित में था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंडियों में तौल-कांटे न लगाए जाने या उनका उपयोग न किए जाने के कारण गेहूं के तौल पर अनावश्यक व्यय हुआ। इसके अलावा, निर्देशों के अनुसार, जहां पर तौल-कांटों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और तौल-कांटों के रूट पर व्यय अधिक हो तो केवल पांच प्रतिशत गेहूं का ही नमूना-जांच के लिए वजन किया जाना था।

3.4.5 राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा भुगतान में देरी और ब्याज का भुगतान न करना

आर.एम.एस. 2021 के दिशा-निर्देशों (25 मार्च 2021) और मुख्यमंत्री के निर्देश (05 अप्रैल 2021) के अनुसार किसानों को भुगतान फॉर्म-आई के अनुमोदन के बाद 72 घंटे के भीतर किया जाना था। देरी की स्थिति में, नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय था। हरियाणा सरकार ने 72 घंटे की समय-सीमा एग्जिट गेट पास जारी होने से लागू करने का निर्णय लिया (20 अप्रैल 2021)। ई-खरीद पोर्टल के डेटा से पता चला कि एग्जिट गेट पास जारी होने के तीन दिनों से अधिक देरी से भुगतान के कारण किसानों को ब्याज के रूप में ₹ 9.91 करोड़ की राशि देय थी। हालांकि, किसानों को केवल ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान किया गया था जैसा कि ***तालिका 3.7*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: आर.एम.एस. 2021 के दौरान किसानों को देय और वास्तव में भुगतान किया गया ब्याज

(₹ करोड़ में)

मंडियों में आए किसानों की संख्या	एग्जिट गेट पास जारी होने के तीन दिन बाद देय ब्याज	किसानों को भुगतान किया गया ब्याज
5,09,733	9.91 (2,28,103 किसान)	1.02 (63,613 किसान)

कुल 5.10 लाख किसानों में से 2.28 लाख किसानों को भुगतान में देरी के कारण ₹ 9.91 करोड़ का ब्याज उपार्जित हुआ। इसमें से 0.64 लाख किसानों को केवल ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान किया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), यह बताया गया कि देरी का मुख्य कारण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बैंक खाते के विवरण की असंगतता और महामारी का प्रकोप था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन कृषि विभाग के साथ-साथ ई-खरीद पोर्टल का रखरखाव करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 15 मार्च 2021 तक, अर्थात आर.एम.एस. 2021 के आरंभ होने से पहले, पूरा किया जाना था।

3.4.6 किसानों को किया गया अधिक भुगतान और वसूली की स्थिति

तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, निदेशक, एफ.एस.डी. ने किसानों को भुगतान करने के लिए प्रत्येक राज्य खरीद एजेंसी के लिए दो बैंक नियत किए थे (फरवरी 2021)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा चार बैंकों के माध्यम से किसानों को दोहरा भुगतान किया गया। भुगतान की गई अतिरिक्त राशि और किसानों से वसूली

गई राशि (दिसंबर 2024 तक) का विवरण ***तालिका 3.8*** में दिया गया है।

तालिका 3.8: आर.एम.एस. 2021 के दौरान किसानों को किया गया अतिरिक्त भुगतान और वसूलनीय राशि

(₹ करोड़ में)

एजेंसी का नाम	बैंक का नाम	फार्म जे की संख्या	किया गया अतितिक्त भुगतान	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु लंबित राशि
एफ.एस.डी.	आई.सी.आई.सी.आई.	2642	0.29	0.24	0.05
	आई.डी.बी.आई.		42.34	26.99	15.35
हैफेड	कोटक	1790	1.42	0.66	0.76
	एच.डी.एफ.सी.		29.92	18.71	11.21
कुल			**73.97**	**46.60**	**27.37**

ई-खरीद पोर्टल द्वारा लंबित भुगतान के लिए रिस्पॉन्स कोड द्वारा भुगतान विफल होने की गलत सूचना और इसे पुनःट्रिगर करने के कारण एफ.एस.डी. और हैफेड द्वारा किसानों को उनके खातों में गलती से दो बार ₹ 73.97 करोड़ का भुगतान किया गया। परन्तु राज्य खरीद एजेंसियां जून 2022 तक केवल ₹ 46.60 करोड़ ही वसूल कर सकी और दिसंबर 2024 तक ₹ 27.37 करोड़ अभी भी वसूलनीय थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि ई-खरीद में कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण अधिक भुगतान किया गया था। राशि वसूल करने के प्रयास किए गए थे और दो-तिहाई से अधिक राशि पहले ही वसूल की जा चुकी थी। यह भी बताया गया कि शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (फरवरी 2025)।

3.5 गेहूं का भंडारण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 22(4) (ई) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार विभिन्न स्थानों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं बनाएगी और उनका रखरखाव करेगी। एफ.सी.आई. के साथ समन्वय में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्य खरीद एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एफ.सी.आई. को डिलीवरी तक गेहूं के स्टॉक के उचित रखरखाव के लिए राज्य खरीद एजेंसियों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता की होनी चाहिए। राज्य खरीद एजेंसियों के पास भंडारणों की उपलब्धता ***तालिका 3.9*** में दी गई है।

तालिका 3.9: राज्य खरीद एजेंसीवार गेहूं की खरीद और उपलब्ध भंडारण क्षमता

(लाख मीट्रिक टन में)

राज्य खरीद एजेंसी	2017-22 के दौरान औसत खरीद	मार्च 2022 तक उपलब्ध भंडारण क्षमता	किराये पर ली गई भंडारण क्षमता	कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता	औसत खरीद और भंडारण के बीच अंतर
खरीदा गया गेहूं (एफ.सी.आई. के अतिरिक्त)					
एफ.एस.डी.	24.61	4.50	1.03	5.53	19.08
हैफेड	33.43	12.74	4.00	16.74	16.69
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	14.64	15.26	3.98	19.24	(-) 4.60

भंडारणों[12] की अनुपलब्धता के कारण, राज्य खरीद एजेंसियों ने अवैज्ञानिक भंडारण स्थान जैसे खुले प्लिंथ, मंडी यार्ड, राइस मिलों आदि को किराये पर लेकर गेहूं का भंडारण किया। संबंधित

[12] भंडारणों को वैज्ञानिक आधार पर डिजाइन और निर्मित किया जाता है, जिससे उन्हें उचित ऊंचाई देकर चूहों से सुरक्षित रखा जाता है, पक्का फर्श प्रदान करके नमी से सुरक्षित रखा जाता है तथा रिसाव से मुक्त रखा जाता है।

वर्षों में 31 मई तक कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज[13] (सी.ए.पी.) पर भंडारित गेहूं की स्थिति ***तालिका 3.10*** में दी गई है।

तालिका 3.10: प्रत्येक वर्ष 31 मई को सी.ए.पी. स्टोरेज में भंडारित राज्य खरीद एजेंसियों का स्टॉक

(लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	एफ.एस.डी.		हैफेड		एच.एस.डब्ल्यू.सी.			
	कवर्ड	सी.ए.पी. स्टोरेज	कवर्ड	सी.ए.पी. स्टोरेज	कवर्ड	सी.ए.पी. स्टोरेज	कुल	सी.ए.पी. स्टोरेज की प्रतिशतता
2017	5.35	4.91	8.31	5.24	9.50	0.88	34.19	32.26
2018	8.01	14.20	10.92	16.86	11.04	3.80	64.83	53.77
2019	6.02	21.13	12.81	24.97	10.05	6.08	81.06	64.37
2020	6.85	22.80	10.76	21.30	7.77	5.88	75.36	66.32
2021	6.49	22.75	12.85	22.77	9.15	5.12	79.13	64.00

(स्रोत: एफ.एस.डी. द्वारा भारत सरकार को दी गई जानकारी)

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, भंडारणों की अनुपलब्धता के कारण 2019 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष मई के अंत में राज्य खरीद एजेंसियों के पास उपलब्ध लगभग 65 प्रतिशत गेहूं सी.ए.पी. स्टोरेज में भंडारित किया गया था।

3.5.1 गेहूं को क्षति

एफ.सी.आई. को डिलीवरी तक गेहूं के स्टॉक को अच्छी स्थिति में बनाए रखना राज्य खरीद एजेंसियों का उत्तरदायित्व है। भंडारण के दौरान गेहूं के स्टॉक की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण स्थानों की उपयुक्तता और खाद्यान्नों को भंडारण योग्य बनाए रखना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपर्याप्त एवं अनुचित भंडारण स्थितियों, खराब संरक्षण तकनीकों, आधिकारिक उदासीनता और संरक्षक कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एफ.सी.आई. द्वारा आर.एम.एस. 2017 से आर.एम.एस. 2021 के दौरान 79,967 मीट्रिक टन गेहूं स्टॉक को क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.11*** में दर्शाया गया है।

एफ.एस.डी., कुरुक्षेत्र में आर.एम.एस. 2020-21 से संबंधित महा सरस्वती राइस मिल्स, गुमथला गढ़ू में क्षतिग्रस्त गेहूं

[13] कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज प्रणाली के अंतर्गत, गेहूं का भंडारण खुले में या तो पक्के प्लिंथ पर या फिर समतल जमीन पर कच्चे प्लिंथ पर किया जाता है।

तालिका 3.11: आर.एम.एस. 2017-2021 के दौरान राज्य खरीद एजेंसियों के क्षतिग्रस्त गेहूं

(मीट्रिक टन में)

आर.एम.एस.	हैफेड	एच.एस.डब्ल्यू.सी.	एफ.एस.डी.	कुल क्षतिग्रस्त गेहूं
2017-18	154	शून्य	शून्य	154
2018-19	129	1,976	1,012	3,117
2019-20	3,304	518	43,380	47,202
2020-21	2,921	2,020	22,330	27,271
2021-22	शून्य	2,223	शून्य	2,223
कुल	**6,508**	**6,737**	**66,722**	**79,967**
कुल खरीदे गए गेहूं की प्रतिशतता	167.15 लाख मीट्रिक टन का 0.04 प्रतिशत	73.14 लाख मीट्रिक टन का 0.09 प्रतिशत	123.07 लाख मीट्रिक टन का 0.50 प्रतिशत	

(स्रोत: राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, ₹ 174.58 करोड़[14] मूल्य का 79,967 मीट्रिक टन गेहूं तीन राज्य खरीद एजेंसियों के संरक्षण में क्षतिग्रस्त हो गया। एफ.एस.डी. में क्षतिग्रस्त गेहूं की उच्च प्रतिशतता एफ.एस.डी. के भीतर त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी को दर्शाती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि क्षति का मुख्य कारण सी.ए.पी. स्टोरेज में भंडारण था। चूंकि एफ.एस.डी. का अधिकतम स्टॉक सी.ए.पी. स्टोरेज में भंडारित किया गया था, इसलिए अन्य राज्य खरीद एजेंसियों की तुलना में एफ.एस.डी. में क्षतिग्रस्त गेहूं की मात्रा अधिक थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि राज्य खरीद एजेंसियां एफ.सी.आई. को गेहूं की डिलीवरी करने से पहले उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, राज्य खरीद एजेंसियों को भंडारण क्षमता बढ़ाकर या गोदामों को किराये पर लेकर गेहूं को उचित रूप से भंडारित करना चाहिए था।

3.5.1.1 क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी हेतु निविदा प्रक्रिया में पाई गई विसंगतियां

क्षतिग्रस्त गेहूं की बिक्री राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा क्षति की मात्रा के आधार पर आरक्षित मूल्य तय करके ई-निविदा के माध्यम से की जाती है। एफ.एस.डी. के पास 43,835 मीट्रिक टन[15] क्षतिग्रस्त गेहूं पड़ा हुआ था, जिसकी बिक्री की देखरेख के लिए जून 2022 में एक विभागीय समिति का गठन किया गया था। निविदा सूचना में यह शर्त शामिल थी कि निविदाकर्ता का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹ 15 करोड़ होना चाहिए। इस शर्त के कारण, केवल चार फर्म, जिनमें तीन कंसोर्टियम फर्म शामिल थीं, जो मवेशी या पोल्ट्री फीड के निर्माता नहीं थीं, तकनीकी रूप से सक्षम पाई गईं। यह क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री के लिए एफ.सी.आई. के दिशानिर्देशों (जुलाई 2014) का उल्लंघन था, जिसमें प्रावधान है कि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए सर्वोत्तम वाणिज्यिक शर्तों पर केवल वास्तविक फीड निर्माताओं/उपभोक्ता को निविदा/नीलामी के माध्यम से की जानी चाहिए।

इसके अलावा, क्षतिग्रस्त गेहूं की श्रेणीवार बिक्री की तुलना करने पर पाया गया कि एफ.एस.डी., एच.एस.डब्ल्यू.सी. और हैफेड के बीच बिक्री की दरों में भारी भिन्नता थी। एफ.एस.डी. ने

---

[14] न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंसिडेंटल्स को जोड़कर गणना की गई है।

[15] आर.एम.एस. 2018, 2019 और 2020 से संबंधित जिला कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में स्टोरों में पड़ा हुआ।

2018-19 और 2019-20 के दौरान क्षतिग्रस्त गेहूं की बिक्री के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. की न्यूनतम बिक्री दरों की तुलना में ₹ 14.18 करोड़ और हैफेड की न्यूनतम बिक्री दरों की तुलना में ₹ 9.30 करोड़ का कम राजस्व अर्जित किया ***(परिशिष्ट 3.3)***।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) एफ.एस.डी. ने उत्तर दिया कि नीलामी, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आयोजित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एफ.सी.आई. द्वारा फीड के वास्तविक निर्माताओं को क्षतिग्रस्त गेहूं बेचने के दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई थी और इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर ₹ 15 करोड़ होने की शर्त रखी गई, जिससे व्यापक भागीदारी प्रतिबंधित हो गई और प्रतिस्पर्धात्मक बोली में कमी आई।

3.5.2 भंडारण स्थान किराये पर लेना

3.5.2.1 ओपन प्लिंथ के लिए अधिक किराये का भुगतान

राज्य सरकार ने पक्के सीमेंटेड प्लिंथ/प्लेटफॉर्म को किराये पर लेने के लिए किराया दर ₹ 4.5 प्रति मीट्रिक टन प्रति माह तय की थी (मई 2012)। तीन वर्ष की गारंटी योजना के अंतर्गत किराये पर लिए गए प्लिंथ के लिए किराया दर ₹ 7 प्रति मीट्रिक टन प्रति माह तय की गई थी।

कुरुक्षेत्र में 78,852 मीट्रिक टन क्षमता के लिए प्लिंथ[16] किराये पर लेने की स्वीकृति वास्तविक उपयोग के आधार पर ₹ 4.5 प्रति मीट्रिक टन प्रति माह की दर से जारी की गई (अगस्त 2017)। निदेशक, एफ.एस.डी. ने एक वर्ष की गारंटी के आधार पर ₹ 7 प्रति मीट्रिक टन प्रति माह की दर से संशोधित स्वीकृति जारी की (सितंबर 2017), हालांकि अगस्त 2017 तक कुल गेहूं का स्टॉक एफ.सी.आई. को पहले ही डिलीवर कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.69 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

3.5.2.2 वस्तु एवं सेवा कर का अनुचित भुगतान

हैफेड के साथ निजी गोदामों/प्लिंथ मालिकों के बीच निष्पादित किराया अनुबंधों (2018 से 2020) के क्लॉज 6 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि गोदाम/प्लिंथ मालिक पर लगने वाले सभी करों का भुगतान मालिक द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हैफेड हिसार ने आर.एम.एस. 2018 से आर.एम.एस. 2020 के दौरान ₹ 2.92 करोड़ के किराए पर ₹ 52.55 लाख वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किया, जबकि अनुबंध की क्लॉज के अनुसार ऐसी की कोई देयता नहीं थी। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि गोदाम किराये पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप में ₹ 52.55 लाख की राशि का भुगतान, कर जमा करवाने संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त किये बिना किया गया था।

3.5.2.3 प्लिंथ भंडारण क्षमता का कम उपयोग

एफ.एस.डी. कुरुक्षेत्र में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित प्लिंथों

[16] एक प्लिंथ - जैन और प्रिथी ओपन प्लिंथ, कुरुक्षेत्र, तीन प्लिंथ - (i) सुमेरपाल, (ii) वालिया और (iii) न्यू चहल ओपन प्लिंथ, पेहोवा और एक प्लिंथ - प्रेम और शालिनी ओपन प्लिंथ, लाडवा।

का कम उपयोग हुआ, जैसा कि ***तालिका 3.12*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: किराये पर ली गई भंडारण क्षमता के कम उपयोग के कारण अतिरिक्त व्यय

भंडारण स्थान	आर. एम.एस. वर्ष	स्वीकृत क्षमता (मीट्रिक टन में)	भंडारित गेहूं की अधिकतम मात्रा (मीट्रिक टन में)	कम उपयोग की गई क्षमता (मीट्रिक टन में)	कम उपयोग/उपयोग न करने के कारण अतिरिक्त व्यय (₹ लाख में)
कुरुक्षेत्र					
बलजीत ओपन प्लिंथ	2017-18	24,000	17,895	6,105	5.13
बलजीत ओपन प्लिंथ	2018-19	24,000	19,058	4,942	4.15
बलजीत ओपन प्लिंथ	2019-20	25,000	19,358	5,642	4.74
बलजीत ओपन प्लिंथ	2020-21	42,700	33,342	9,358	7.86
सोहन ओपन प्लिंथ	2019-20	10,000	6,502	3,498	2.94
सोहन ओपन प्लिंथ	2020-21	20,000	15,897	4,103	3.45
कुल					**28.27**

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्लिंथों का कभी भी उनकी पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार स्वीकृत क्षमता का उपयोग किए बिना ही ₹ 28.27 लाख किराये का भुगतान हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि राज्य खरीद एजेंसियों को गेहूं की खरीद और भंडारण के लिए एफ.सी.आई. की लिंकेज योजना का पालन करना होता था। लिंकेज योजना का पालन न करने की स्थिति में, एफ.सी.आई. राज्य खरीद एजेंसियों से कैरी ओवर चार्ज काट सकता था।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एफ.सी.आई. की लिंकेज योजना खरीद अवधि के दौरान मंडी से गेहूं की सीधी डिलीवरी से संबंधित है। एफ.सी.आई. की लिंकेज योजना का भंडारित गेहूं पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा भंडारण क्षमता का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

3.5.2.4 अनुपयोगी स्टॉक वस्तुओं से भंडारण स्थान को अवरुद्ध करना

भंडारण स्थान को अवरोध से बचाने के लिए, अनुपयोगी स्टॉक वस्तुओं[17] का शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाना अपेक्षित है। नमूना-जांच किए गए जिलों में भंडारण स्थान अवरुद्ध रहा क्योंकि ₹ 17.83 करोड़ की लागत वाली अनुपयोगी स्टॉक वस्तुएं स्टोर में पड़ी थी ***(तालिका 3.13)***।

तालिका 3.13: अनुपयोगी स्टॉक वस्तुओं का निपटान न करना (राशि)

(₹ करोड़ में)

जिला	एफ.एस.डी.	एच.एस.डब्ल्यू.सी.	हैफेड	हरियाणा कृषि उद्योग निगम
करनाल	3.03	0.24	1.30	0.13
पानीपत	0.17		0.30	उपलब्ध नहीं
सोनीपत	1.20		0.33	0.05
कुरूक्षेत्र	2.30	0.09	1.02	0.73
यमुनानगर	0.35	0.49	0.77	0.02
अम्बाला	0.62		0.74	0.05
हिसार	0.36	0.43	उपलब्ध नहीं	0.92
फतेहाबाद	1.36		0.71	
कुल	**9.39**	**1.25**	**5.17**	**2.02**
कुल योग	**₹ 17.83 करोड़**			

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि फ्यूमिगेशन कवर, पैडी टॉप्स, एल्युमीनियम फ्लास्क आदि का निपटान महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान द्वारा किया जाना

[17] अनुपयोगी लो-डेंसिटी पॉली इथिलीन (एलडीपीई) कवर, काले पॉलिथीन कवर, तिरपाल, लकड़ी के बक्से आदि।

था। अनुपयोगी स्टॉक वस्तुओं के निपटान का मामला प्रक्रियाधीन था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, नीलामी दरों को अंतिम रूप देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं परन्तु अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खरीद एजेंसियों का था।

3.6 एफ.सी.आई. के समक्ष दावे प्रस्तुत करना

भारत सरकार प्रत्येक आर.एम.एस. की शुरुआत से पहले अनंतिम लागत शीट[18] जारी करती है। प्रत्येक आर.एम.एस. के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार जारी अनंतिम लागत शीट के अनुपालना में एफ.सी.आई. खरीद प्रक्रिया के लिए राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। एफ.सी.आई. द्वारा गेहूं की डिलीवरी लेते समय अनंतिम लागत शीट के अनुसार राज्य खरीद एजेंसियों को भुगतान किया जाता है। इसके बाद अंतिम दावे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम लागत शीट[19] के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने के बाद एफ.सी.आई. के पास अंतिम दावे प्रस्तुत किए जाते हैं।

एफ.सी.आई. तीन पद्यतियों से राज्य खरीद एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालयों से डिलीवरी लेता है और ***तालिका 3.14*** में दिए गए वर्णित तरीकों के अनुसार राज्य खरीद एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंसिडेंटल्स का भुगतान करता है।

तालिका 3.14: एफ.सी.आई. को वितरण का तरीका

	पद्यति	डिलीवरी विधि	न्यूनतम समर्थन मूल्य + भुगतान किए जाने वाले इंसिडेंटल्स
क.	मंडी से सीधी डिलीवरी	मंडी से एफ.सी.आई. तक सीधे गेहूं की डिलीवरी (एफ.सी.आई. के परिवहन द्वारा)	वैधानिक प्रभार + मंडी श्रम प्रभार + समितियों/आढ़तियों को कमीशन + प्रशासनिक प्रभार + बोरियों की लागत
ख.	एफ.सी.आई. के स्थानीय गोदाम/रेलवे हेड तक डिलीवरी	मंडी से एफ.सी.आई. के गोदाम या रेलवे हेड तक गेहूं की सीधी डिलीवरी (राज्य खरीद एजेंसी के परिवहन द्वारा)	पद्यति क. प्रभार + परिवहन एवं हैंडलिंग प्रभार
ग.	राज्य खरीद एजेंसी के गोदाम से एक्स-गोदाम डिलीवरी	राज्य खरीद एजेंसियों के भंडारण स्थल से एफ.सी.आई. तक गेहूं की डिलीवरी (एफ.सी.आई. के परिवहन द्वारा)	पद्यति ख. प्रभार + संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार, ब्याज प्रभार और अतिरिक्त प्रभार (लोडिंग, तौल आदि)

उपर्युक्त इंसिडेंटल्स प्रत्येक वर्ष 30 जून तक गेहूं की डिलीवरी के लिए राज्य खरीद एजेंसियों को देय हैं। इसके बाद, एफ.सी.आई. द्वारा राज्य खरीद एजेंसियों को अनंतिम लागत शीट में उल्लिखित दरों पर ब्याज देय है, जिसकी गणना न्यूनतम समर्थन मूल्य और इंसिडेंटल्स पर की जाती है (प्रशासनिक और भंडारण प्रभारों को छोड़कर)। डिलीवरी वाले माह के लिए, ब्याज के साथ-साथ भंडारण प्रभार भी आधी दर पर दिया जाता है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

3.6.1 अनंतिम लागत शीट का जारी होना

अनंतिम लागत शीट में शामिल इंसिडेंटल्स राज्य सरकार द्वारा, जुलाई 2003 में अधिसूचित खरीद इंसिडेंटल्स के सिद्धांतों, जिन्हें राज्य राज्य सरकार के अनुरोध पर समय-समय पर संशोधित

---

18 अनंतिम लागत शीट एक अनुमानित लागत ढांचा है जो प्रत्येक आर.एम. एस. से पहले जारी किया जाता है, क्योंकि वास्तविक व्यय केवल खरीद समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होता है।

19 लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर भारत सरकार/एफ.सी.आई. द्वारा अनुमोदित इंसिडेंटल्स की अंतिम लागत।

किया जाता है, के अनुसार भरत सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मंजूर किये जाते हैं। इंसिडेंटल्स और उसके निर्धारण की विधि का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिया गया है।

राज्य खरीद एजेंसियां वित्तीय संस्थाओं से सी.सी.एल./अल्पकालिक ऋण लेकर गेहूं खरीदती हैं। अत: राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद कार्यों पर किए गए संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति एफ.सी.आई. से समय पर प्राप्त करने के लिए अनंतिम लागत शीट के सभी घटकों का सही और समयबद्ध ढंग से अवलोकन किया जाना चाहिए। अनंतिम लागत शीट की पूर्णता और समयबद्धता से संबंधित किसी भी प्रकार की ढिलाई के कारण राज्य खरीद एजेंसियों को ब्याज के रूप में प्रत्यक्ष हानि का कारण बनती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

3.6.1.1 अनंतिम लागत शीट जारी करने में देरी के कारण हानि

प्रत्येक वर्ष आर.एम.एस. की शुरुआत से पहले अनंतिम लागत शीट जारी की जानी होती है, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि आर.एम.एस. 2020 और 2021 के लिए अनंतिम लागत शीट 80 और 161 दिनों की देरी से जारी की गई। आर.एम.एस. 2020 और 2021 के दौरान, एफ.सी.आई. ने अनंतिम लागत शीट जारी होने तक गेहूं की डिलीवरी लेते समय केवल समर्थन मूल्य का भुगतान किया और इंसिडेंटल्स[20] का भुगतान नहीं किया। राज्य खरीद एजेंसियों ने अनंतिम लागत शीट जारी होने के बाद पूरक बिलों के रूप में इन इंसिडेंटल्स का दावा किया। राज्य खरीद एजेंसियां बैंकों से ब्याज पर निधियां उधार लेती हैं, और अनंतिम लागत शीट जारी होने में देरी के कारण इंसिडेंटल्स का दावा प्रस्तुत करने में देरी होती है। राज्य खरीद एजेंसियों को ऐसे इंसिडेंटल्स का बाद में पूरक दावों के रूप में दावा करना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि एफ.सी.आई. पूरक दावों पर ब्याज नहीं देता है, जो कि अंततः राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनंतिम लागत शीट जारी करने में देरी होने के कारण एफ.सी.आई. द्वारा ₹ 1,157.27 करोड़ के इंसिडेंटल्स का भुगतान पूरक दावों के रूप में किया गया, जिसके कारण राज्य खरीद एजेंसियों पर ₹ 33.67 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा, जैसा कि ***तालिका 3.15*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: क्षेत्रीय कार्यालयों को अनंतिम लागत शीट भेजने में देरी के कारण ब्याज की हानि

रबी विपणन सीजन	एफ.सी.आई. को सीधी डिलीवरी (लाख मीट्रिक टन में)				देरी (दिनों में)	इंसिडेंटल्स (न्यूनतम समर्थन मूल्य को छोड़कर) (₹ प्रति क्विंटल)	इंसिडेंटल्स दावा/ भुगतान	कम भुगतान (प्रति क्विंटल)	कम भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में) (मात्रा*कम भुगतान)	अनंतिम लागत शीट में ब्याज दर प्रति वर्ष	ब्याज की हानि (₹ करोड़ में)
	खाद्य	हैफेड	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	कुल							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-7)	10 (9*5)	11	12
2020	6.24	10.71	4.46	**21.41**	80	292.41	0	292.41	626.05	9.61	13.19
2021	4.91	9.91	4.55	**19.37**	161	274.25	0	274.25	531.22	8.74	20.48
कुल									**1,157.27**		**33.67**

(स्रोत: एफ.सी.आई. और राज्य खरीद एजेंसियों से प्राप्त जानकारी)

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एफ.एस.डी. ने विभागीय अधिकारियों को इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाने का निर्देश दिया।

[20] वैधानिक प्रभार, मंडी श्रम प्रभार, समितियों/आढ़तियों को कमीशन, प्रशासनिक प्रभार, बोरियों की लागत, परिवहन एवं हैंडलिंग प्रभार आदि।

3.6.1.2 अनंतिम लागत शीट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण हानि

भारत सरकार ने फरवरी 2020 में केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद के लिए लागू इंसिडेंटल्स के सिद्धांतों में संशोधन कर दिया, जिसके अनुसार कमीशन/आढ़तिया प्रभारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से पृथक कर दिया गया था। खरीद इंसिडेंटल्स के संशोधित सिद्धांत आर.एम.एस. 2020-21 से लागू थे।

हरियाणा सरकार खरीद इंसिडेंटल्स के संशोधित सिद्धांतों के अनुसार आढ़तिया कमीशन को न्यूनतम समर्थन मूल्य से पृथक करने में विफल रही और आर.एम.एस. 2020-21 के लिए ₹ 48.12 प्रति क्विंटल[21] की दर से आढ़तिया कमीशन प्रस्तावित कर दिया (3 अप्रैल 2020), जो खरीद इंसिडेंटल्स के संशोधित सिद्धांतों के विरुद्ध था। भारत सरकार द्वारा आर.एम.एस. 2020-21 के लिए अनंतिम लागत शीट जुलाई 2020 में जारी की गई, जिसमें ₹ 46 प्रति क्विंटल की दर से आढ़तिया कमीशन को मंजूरी दी गई। अनंतिम लागत शीट, खरीद सीजन पूरा होने के बाद जारी होने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों को ₹ 48.12 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर दिया गया था। आढ़तियों को अधिक कमीशन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 14.27 करोड़[22] की हानि हुई।

हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों के कमीशन के संशोधन करने और ₹ 48.12 प्रति क्विंटल करने (चूँकि आढ़तियों को पहले ही भुगतान किया जा चुका था) के लिए एफ.सी.आई. के साथ उच्चतम स्तर पर मामला उठाया, लेकिन मामला अनसुलझा ही रहा।

इस प्रकार, खरीद इंसिडेंटल्स के संशोधित सिद्धांतों के अनुसार एफ.एस.डी. द्वारा आढ़तिया कमीशन का निर्धारण न करने तथा भारत सरकार द्वारा अनंतिम लागत शीट जारी करने में देरी के कारण, हरियाणा सरकार को ₹ 14.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि आर.एम.एस. 2020 के दौरान, एच.एस.ए.एम.बी. हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ₹ 48.12 प्रति क्विंटल, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत, की दर से आढ़तिया कमीशन का भुगतान किया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा 10 जुलाई 2020 को अनंतिम लागत शीट जारी की गई जिसमे आढ़तिया कमीशन ₹ 46 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा अनंतिम लागत शीट जारी करने में देरी के कारण अधिक प्रभारों का भुगतान किया गया। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), अपर मुख्य सचिव ने विभाग के उत्तर को दोहराया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अर्थात् 2020 के खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से आढ़तिया कमीशन को पृथक कर खरीद इंसिडेंटल्स के संशोधित सिद्धांतों को अधिसूचित कर दिया था।

3.6.2 कवर्ड स्टोरेज के लिए संरक्षण और रखरखाव प्रभारों की अनदेखी करना

भारत सरकार खरीद अवधि के लिए आधे समय (डेढ़ माह) के लिए केवल सी.ए.पी. स्टोरेज का भुगतान करती है। अत: 30 जून तक कवर्ड स्टोरेज के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

---

[21] ₹ 1,925 का 2.5 प्रतिशत: रबी विपणन सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

[22] 67.31 लाख मीट्रिक टन * ₹ 2.12 प्रति क्विंटल।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि अनंतिम लागत शीट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, हरियाणा सरकार ने कवर्ड स्टोरेज के लिए संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार को शामिल नहीं किया था, इस तथ्य के बावजूद कि गेहूं बड़ी मात्रा में रखी जा रही थी। एफ.सी.आई. द्वारा देय ओपन प्लिंथ और कवर्ड स्टोरेज के लिए प्रभारों में बहुत अंतर था, जैसा कि ***तालिका 3.16*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.16: कवर्ड गोदाम में भंडारित गेहूं पर सी.ए.पी. की दरों से संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार लेने से हानि

रबी विपणन सीजन	सी.ए.पी. स्टोरेज के लिए भंडारण प्रभार	कवर्ड गोदाम के लिए भंडारण प्रभार	कवर्ड और सी.ए.पी. स्टोरेज दरों में अंतर	डेढ़ माह के लिए	गोदाम में भंडारित मात्रा	हानि
	(₹ प्रति मीट्रिक टन प्रति माह)			(₹ प्रति मीट्रिक टन)	(लाख मीट्रिक टन में)	(₹ करोड़ में)
2017	24.00	74.00	50.00	75.00	24.32	18.24
2018	24.00	83.00	59.00	88.50	24.00	21.24
2019	24.00	93.60	69.60	104.40	15.09	15.75
2020	24.00	104.20	80.20	120.30	8.45	10.16
2021	24.00	107.80	83.80	125.70	19.82	24.91
कुल					**91.68**	**90.30**

अनंतिम लागत शीट में कवर्ड गोदाम के लिए संरक्षण एवं रखरखाव प्रभारों को शामिल न करने के कारण तथा सी.ए.पी. स्टोरेज के लिए दावे प्रस्तुत करने के कारण ₹ 90.30 करोड़ की हानि हुई, जबकि वास्तव में आर.एम.एस. 2017 से 2021 के दौरान गेहूं कवर्ड गोदामों में भंडारित किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024), अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 30 जून तक कवर्ड स्टोरेज की दरें प्रदान करने के लिए मामला भारत सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

3.7 एफ.सी.आई. को गेहूं की डिलीवरी

3.7.1 एफ.सी.आई. की मूवमेंट प्लान के अनुसार डिलीवरी में विफलता

राज्य खरीद एजेंसियों को एफ.सी.आई. की मूवमेंट प्लान अथवा आवश्यकता के अनुसार गेहूं का स्टॉक डिलीवर करना अपेक्षित है। यदि राज्य खरीद एजेंसियां एफ.सी.आई. की आवश्यकता या मूवमेंट प्लान के अनुसार गेहूं डिलीवर करने में विफल रहती हैं, तो एफ.सी.आई. द्वारा कैरी ओवर चार्ज देने से इनकार कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफ.सी.आई. ने आर.एम.एस. 2017 से 2021 के लिए मूवमेंट प्लान के अनुसार गेहूं की डिलीवरी न करने पर राज्य खरीद एजेंसियों के चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों से ₹ 4.58 करोड़ का कैरी ओवर चार्ज की कटौती की थी जैसा कि ***तालिका 3.17*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.17: एफ.सी.आई. द्वारा की गई कटौतियों का विवरण

क्र. सं.	एजेंसी	जिला कार्यालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	कटौती का कारण
1	एच.एस.डब्ल्यू.सी.	एच.एस.डब्ल्यू.सी., फतेहाबाद	0.24	डिलीवरी न देना
		एच.एस.डब्ल्यू.सी., पानीपत	1.28	ट्रांसपोर्टर द्वारा वाहन उपलब्ध न कराना, डिलीवरी न करना
2	हैफेड	हैफेड, फतेहाबाद	0.18	डिलीवरी न देना
		हैफेड, सोनीपत	0.06	डिलीवरी न देना
3	एफ.एस.डी.	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, पानीपत	2.82	गोदाम पर कर्मचारियों की अनुपलब्धता तथा पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध न कराना आदि।
कुल			**4.58**	

यदि एफ.सी.आई. को गेहूं का स्टॉक उनकी मांग/मूवमेंट प्लान के अनुसार दिया गया होता, तो ₹ 4.58 करोड़ की हानि को टाला जा सकता था।

3.7.2 नमी के कारण एफ.सी.आई. द्वारा कटौती

आर.एम.एस. के दिशा-निर्देशों के अनुसार एफ.सी.आई. को दिए जाने वाले गेहूं के स्टॉक में नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 से 14 प्रतिशत के बीच नमी वाला गेहूं दरों में कुछ कमी के साथ स्वीकार्य है और 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाला स्टॉक स्वीकार्य नहीं है। एफ.सी.आई. ने आर.एम.एस. 2017 से 2021 के लिए गेंहूं में नमी मात्र सही न होने के कारण राज्य खरीद एजेंसियों से ₹ 4.63 करोड़ की कटौती की, जैसा कि ***तालिका 3.18*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: एफ.सी.आई. द्वारा गेहूं में नमी के कारण की गई कटौती

(₹ करोड़ में)

एजेंसी	नमी के कारण एफ.सी.आई. द्वारा की गई कटौती	आढ़तियों से वसूल की गई कटौती	लंबित वसूली
एफ.एस.डी.	1.02	0.24	0.78
हैफेड	3.43	-	3.43
एच.एस.डब्ल्यू.सी.	0.17	0.00	0.17
हरियाणा कृषि उद्योग निगम	0.01	-	0.01
कुल	**4.63**	**0.24**	**4.39**

मंडियों से सीधे डिलीवरी के मामले में कुल ₹ 4.63 करोड़ में से ₹ 0.24 करोड़ आढ़तियों से वसूल किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भंडारित गेहूं के मामले में, राज्य खरीद एजेंसियों ने न तो खरीद के समय और न ही भंडारण के दौरान गेहूं में नमी की मात्रा का आकलन किया गया था। राज्य खरीद एजेंसियों को खरीद के समय और भंडारण के दौरान नमी की मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह उत्तर दिया गया कि आढ़तियों से गेहूं की प्राप्ति के दौरान पाई गई नमी के लिए कटौती कर ली गई थी। गेहूं की डिलीवरी के दौरान नमी के कारण की गई कटौती को गेहूं में कमी माना गया और तदनुसार संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया गया था।

3.8. वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी

3.8.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इंसिडेंटल्स का दावा न होना

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने थे। भारत सरकार के निर्देशों (जनवरी 2017) के अनुसार, पिछले साल की अंतिम या अनंतिम दर को आधार मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक[23] के आधार पर इंसिडेंटल्स की अनंतिम दरें तय की जानी थी। लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में चूक करने वाले राज्यों को सूचकांकीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एफ.एस.डी. ने केवल आर.एम.एस. 2017-18 तक के लेखों को अंतिम रूप दिया था, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य राज्य खरीद एजेंसियों (एच.एस.डब्ल्यू.सी., हैफेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम) ने अपने वार्षिक लेखे तैयार कर लिए थे और

[23] उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पिछले अनंतिम लागत शीट के खरीद आकस्मिक व्यय को वर्तमान स्तर तक अद्यतन करना। यह लाभ रबी विपणन सीजन 2020 तक उपलब्ध था।

आर.एम.एस. 2021-22 तक उनकी लेखापरीक्षा भी हो चुकी थी। नोडल विभाग द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, ये राज्य खरीद एजेंसियां भी अपने अंतिम दावे प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को हानि हुई। इसके अलावा, आर.एम.एस. 2017 से 2020 के लिए ₹ 179.10 करोड़ के मूल्य सूचकांकीकरण का लाभ राज्य द्वारा नहीं लिया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.18 करोड़ (मार्च 2023 तक) के ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा, जैसा कि ***तालिका 3.19*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.19: सूचकांकीकरण का लाभ न लेने पर ब्याज का अतिरिक्त भार

आर. एम. एस.	राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	निर्दिष्ट इंसिडेंटल्स के लिए सूचकांकीकृत लागत (₹ प्रति क्विंटल)	अनंतिम लागत शीट में निर्दिष्ट इंसिडेंटल्स (₹ प्रति क्विंटल)	सूचकांकीकरण का लाभ नहीं लिया गया (₹ प्रति क्विंटल)	सूचकांकीकरण लाभ न लेने के कारण अंतर (₹ करोड़ में)	ब्याज दर (प्रतिशत में)	ब्याज हानि (₹ करोड़ में)
2017-18	65.61	38.49	34.27	4.22	27.66	11.01	15.23
2018-19	77.02	42.47	36.38	6.09	46.89	9.66	18.12
2019-20	82.28	43.66	36.38	7.28	59.93	10.15	18.25
2020-21	67.31	25.88	19.25	6.63	44.62	9.61	8.58
कुल	**292.22**				**179.10**		**60.18**

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण अंतिम लागत शीट प्रस्तुत करने में देरी हुई। विभाग ने लेखे तैयार करने और भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जनवरी 2024 से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया था।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में देरी के कारण ₹ 179.10 करोड़ का मूल्य सूचकांक का लाभ नहीं लिया जा सका।

3.8.2 अंतिम दावे प्रस्तुत न करना

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आर.एम.एस. के लिए लागत शीट को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिसमें आर.एम.एस. समाप्त होता है, से 20 माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई जिससे राज्य एजेंसियों की खरीद संबंधी इंसिडेंटल्स को फाइनल नहीं किया जा सका, जैसा कि ***तालिका 3.20*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.20: अंतिम दावे प्रस्तुत करने में देरी और आगे एफ.सी.आई. द्वारा अंतिम अनुमोदन देने में देरी

आर.एम.एस.	स्थिति	राज्य द्वारा दावा प्रस्तुत करना			एफ.सी.आई. द्वारा अनुमोदित दावे		
		देय तिथि	प्रस्तुत करने की तिथि	देरी दिनों में	देय तिथि	अंतिम अनुमोदन की तिथि	देरी दिनों में
2013-14	अंतिम	31 मार्च 2015	06 जून 2017	798	30 नवंबर 2015	05 जून 2020	1,649
2014-15	अंतिम	31 मार्च 2016	15 फरवरी 2022	2,147	30 नवंबर 2016	18 जुलाई 2023	2,421
2015-16	लंबित*	31 मार्च 2017	15 फरवरी 2022	1,782	30 नवंबर 2017	18 जुलाई 2023	2,057
2016-17	अंतिम	31 मार्च 2018	21 मई 2021	1,147	30 नवंबर 2018	12 जुलाई 2023	1,685
2017-18	लंबित'	31 मार्च 2019	24 नवंबर 2022	1,402	30 नवंबर 2019	लंबित	
2018-19	दावे प्रस्तुत नहीं किए गए*	31 मार्च 2020			30 नवंबर 2020	लंबित	
2019-20		31 मार्च 2021			30 नवंबर 2021	लंबित	
2020-21		31 मार्च 2022			30 नवंबर 2022	लंबित	
2021-22		31 मार्च 2023					

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

* **2016-17 के लिए लागत शीट को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद 2015-16 की लागत शीट लंबित रहने के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।**

हरियाणा सरकार द्वारा अंतिम दावे प्रस्तुत करने में 16 से 71 माह के मध्य की देरी हुई। आर.एम.एस. 2013 की लागत शीट को 55 माह की देरी से जून 2020 में अंतिम रूप दिया

गया और आर.एम.एस. 2014, 2015 और 2016 की लागत शीट को 56 से 80 माह की देरी से जुलाई 2023 में अंतिम रूप दिया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2024) यह बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण अंतिम लागत शीट प्रस्तुत करने में देरी हुई। विभाग ने लेखे तैयार करने और भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जनवरी 2024 से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त कर लिया था।

3.9 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई कुछ मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन आदि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं थी। कुछ मंडियों में तौल कांटे की अनुपलब्धता के कारण, हैफेड द्वारा मंडी के बाहर स्थित तौल कांटों तक गेहूं के परिवहन पर ₹ 2.93 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

एफ.एस.डी. ने गेहूं की खरीद के लिए उच्च ब्याज दरों पर निधियों की व्यवस्था की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 222.24 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा। चूंकि खरीद प्रक्रिया में शामिल गतिविधियों के लिए समय-सीमा तय नहीं थी, इसलिए किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लिंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया।

राज्य सरकार ने आर.एम.एस. 2020-21 के लिए ₹ 48.12 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन का भुगतान किया, जबकि एफ.सी.आई. ने ₹ 46 प्रति क्विंटल कमीशन तय किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 14.27 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, कवर्ड गोदामों के लिए संरक्षण एवं रखरखाव प्रभार को अनंतिम लागत शीट में शामिल न किए जाने के कारण राज्य खरीद एजेंसियों को ₹ 90.30 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, आर.एम.एस. 2018-19 तथा इसके बाद की लागत शीट को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

3.10 सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

1 राज्य सरकार द्वारा मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जैसे तौल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन तथा बैंक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2 राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण लेने के विकल्पों की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

3 राज्य सरकार द्वारा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गेहूं खरीद गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

4 राज्य सरकार द्वारा अवैज्ञानिक भंडारण को रोकना चाहिए ताकि गेहूं की क्षति से होने वाली हानि को कम किया जा सके।

5 राज्य सरकार द्वारा एफ.सी.आई. को समय पर दावे प्रस्तुत करने के लिए खाद्यान्न खरीद से संबंधित वार्षिक लेखों को एफ.एस.डी. द्वारा अंतिम रूप देने में तीव्रता लानी चाहिए।

अध्याय 4

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 4

श्रम विभाग

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

4.1 प्रस्तावना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से, हरियाणा राज्य सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 62 एवं 40 के अंतर्गत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 (नियम) तैयार किए। अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया (नवंबर 2006) तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाया (जनवरी 2007)। बोर्ड, निर्माण श्रमिकों के लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण, योजनाओं के निर्माण और निर्माण श्रमिकों को लाभों के अंतिम संवितरण, उपकर के रूप में एकत्र की गई निधियों के प्रबंधन और निवेश के लिए उत्तरदायी है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 2 (i) में उल्लेख है कि किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, नियोक्ता ही ठेकेदार या मालिक है, जहां बिना किसी ठेकेदार के सीधे कार्य किया जा रहा है।

अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित नियम, 2005 के नियम 28 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य कल्याण निधि का सदस्य नहीं है और जिसने ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन की सेवा पूरी कर ली है, वह निधि में सदस्यता के लिए पात्र होगा।

4.2 हरियाणा में कार्यात्मक व्यवस्था

अधिनियम और उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक व्यवस्था ***चार्ट 4.1*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.1: अधिनियम और उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यात्मक व्यवस्था

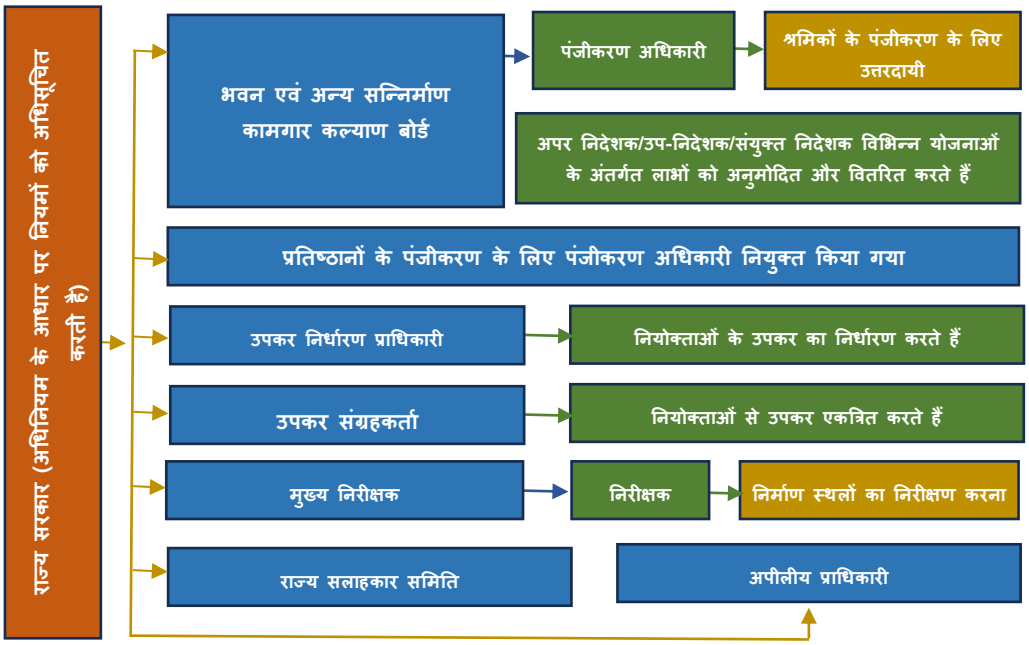

राज्य सरकार ने निधि के प्रबंधन से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सलाहकार समिति का गठन (अप्रैल 2007) किया था। श्रम आयुक्त को मुख्य निरीक्षक के रूप में नामित किया गया है तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारियों जैसे कारखानों के मुख्य निरीक्षक, अपर निदेशक और सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि को अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक, पंजीकरण अधिकारी, उपकर संग्रहकर्ता, निर्धारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का पता लगाने के लिए की गई थी:

i. क्या अधिनियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की भावना के अनुरूप हैं;

ii. क्या प्रतिष्ठानों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था थी;

iii. क्या उपकर का निर्धारण, संग्रहण और एकत्रित उपकर का निधि में अंतरण उचित तरीके से किया गया था;

iv. क्या सरकार ने उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए हैं तथा नियोक्ताओं द्वारा इन मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए निरीक्षण की पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था लागू की गई है; और

v. क्या बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और निधियों का उपयोग कुशल और प्रभावी था।

4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत निम्नानुसार थे:

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम);
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम);
- हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 (नियम, 2005);
- राज्य वित्तीय नियम;
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निरीक्षण नीति;
- बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव; और
- अधिनियम और उपकर अधिनियम से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय।

4.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और नमूनाकरण पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में बोर्ड की गतिविधियों को शामिल किया गया। हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए उचित स्थानों पर सूचना अपडेट की गई है। विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए छ:[1] जिलों का चयन किया गया था।

यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या पात्र लाभार्थियों को लाभ वितरित किया गया था, चयनित जिलों में वितरित 2,506 लाभों में से, 1,267 लाभों का चयन स्तरीकृत नमूना पद्धति के माध्यम से किया गया था। इन 1,267 लाभों का वितरण 646 लाभार्थियों[2] को किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित जिले के आठ गांवों से 24 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले 10 लाभार्थियों को चुना गया और 14 लाभार्थियों को रैंडम नमूना पद्धति के माध्यम से चुना गया था। इसके अतिरिक्त, छ: चयनित जिलों में, संयुक्त निरीक्षण के लिए 60 प्रतिष्ठानों का भी चयन किया गया था।

श्रम विभाग के पोर्टल पर प्रतिष्ठानों/लाभार्थियों के पंजीकरण, लाभार्थियों द्वारा प्राप्त लाभ, बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं आदि की जानकारी का कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा तकनीक का प्रयोग कर विश्लेषण किया गया।

बोर्ड के सचिव-सह-श्रम आयुक्त के साथ एंट्री कॉन्फ्रेंस (18 नवंबर 2021) आयोजित की गई

---

1 (i) फरीदाबाद, (ii) गुरुग्राम, (iii) हिसार, (iv) जींद, (v) करनाल और (vi) पानीपत।

2 एक लाभार्थी विभिन्न योजनाओं से एक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

थी, जिसमें लेखापरीक्षा की पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंडों पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एग्जिट कॉन्फ्रेंस (24 जून 2024) प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा सरकार के साथ आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई थी। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के निर्णयों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

4.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान सूचना एवं रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए बोर्ड, श्रम विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य चयनित विभागों जैसे नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकायों, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) आदि के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

लेखापरीक्षा परिणाम

बोर्ड का प्रबंधन एवं निधि का उपयोग

4.7 प्राप्तियां एवं व्यय

2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए बोर्ड की प्राप्तियां एवं व्यय ***तालिका 4.1*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.1: 2017-18 से 2022-23 की अवधि के लिए बोर्ड की प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23[3]	कुल
प्रारंभिक शेष		**2,407.16**	**2,744.34**	**2,948.78**	**3,118.96**	**3,229.31**	**3,546.84**	
प्राप्तियां	उपकर से प्राप्तियां	328.45	288.60	285.15	355.62	422.84	472.45	**2,153.11**
	पंजीकरण, अंशदान फीस और जुर्माना	4.21	7.24	3.61	3.26	2.01	1.59	**21.92**
	ब्याज एवं अन्य विविध आय	159.26	181.85	204.92	139.95	109.62	175.92	**971.52**
	कुल प्राप्ति	**491.92**	**477.69**	**493.68**	**498.83**	**534.47**	**649.96**	**3,146.55**
उपलब्ध निधि		**2,899.08**	**3,222.03**	**3,442.46**	**3,617.79**	**3,763.78**	**4,196.80**	
व्यय	कल्याण व्यय	148.31	266.32	314.63	379.21	206.86	341.45	**1,656.78**
	प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में)	6.43 (4.15)	6.93 (2.53)	8.87 (2.74)	9.27 (2.39)	10.08 (4.65)	15.67 (4.39)	**57.25**
	कुल व्यय	**154.74**	**273.25**	**323.50**	**388.48**	**216.94**	**357.12**	**1,714.03**
अंतिम शेष		**2,744.34**	**2,948.78**	**3,118.96**	**3,229.31**	**3,546.84**	**3,839.68**	
उपलब्ध निधियों में व्यय की प्रतिशतता		**5.34**	**8.48**	**9.40**	**10.74**	**5.76**	**8.51**	

स्रोत: बोर्ड की बैलेंस शीट।

जैसा कि ***तालिका 4.1*** से देखा जा सकता है, 2017-18 से 2022-23 के दौरान उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय 5.34 प्रतिशत और 10.74 प्रतिशत के मध्य रहा। 2017-18 से 2022-23 के दौरान, निधि में कुल प्राप्तियां ₹ 3,146.55 करोड़ थी। इसके विरुद्ध, बोर्ड ने योजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 1,714.03 करोड़ (₹ 57.25 करोड़ के प्रबंधन प्रभार सहित) खर्च किए। वर्ष 2022-23 के अंत में, निधि का शेष ₹ 3,839.68 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने निधि के प्रबंधन में कमियों का उल्लेख किया है, जिनका विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है।

[3] वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

4.7.1 वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना

अधिनियम की धारा 26 और नियम 45 (घ) में प्रावधान है कि बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा होगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

हालांकि, बोर्ड ने इस लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के लिए कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने अनुपालन का आश्वासन दिया।

4.7.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम में एक नई उप-धारा 10 (46) शामिल की गई (जून 2011) जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी अधिसूचित निकाय/प्राधिकरण/बोर्ड/ट्रस्ट/आयोग को होने वाली कोई विनिर्दिष्ट[4] आय, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से स्थापित या गठित किया गया हो, को आयकर से पूरी तरह छूट दी गई थी।

बोर्ड ने जनवरी 2018 में धारा 10 (46) के अंतर्गत अधिसूचित होने के लिए आवेदन किया और इसे जुलाई 2021 में अधिसूचित किया गया। चूंकि धारा 10 (46) के अंतर्गत अधिसूचना 1 जून 2020 से लागू थी, इसलिए निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2020-21 (मई 2020 तक) के लिए बोर्ड की आय का निर्धारण धारा 11 के अंतर्गत किया जाना था, जिसके अनुसार 85 प्रतिशत आय का उपयोग लक्षित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए था।

निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,969.31 करोड़[5] की कर योग्य आय की गणना की और दिसंबर 2016 से मार्च 2021 के दौरान ₹ 713.25 करोड़[6] की मांग की। इन मूल्यांकन आदेशों के विरुद्ध, बोर्ड ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया (मार्च 2023)। इसके बाद, बोर्ड ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की जो कि आज (जुलाई 2023) तक लंबित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड को जुलाई 2011 में धारा 10 (46) के अंतस्थापन के तुरंत बाद इसके अंतर्गत स्वयं को अधिसूचित करवाना अपेक्षित था, क्योंकि किसी भी अधिसूचित निकाय की आय को इस धारा के अंतर्गत पूरी तरह से छूट दी गई थी। हालांकि, बोर्ड ने 31 जनवरी 2018 को विलंब से आवेदन किया। इसके अतिरिक्त, इसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और जुलाई 2021 में धारा 10 (46) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

बोर्ड ने अवगत करवाया (मार्च 2024) कि उसे जनवरी 2018 से पहले आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रावधानों की जानकारी नहीं थी और बोर्ड के पेशेवर सलाहकार ने इस पर

---

[4] विनिर्दिष्ट आय से तात्पर्य इस खंड में निर्दिष्ट किसी निकाय या प्राधिकारी या बोर्ड/ट्रस्ट/आयोग (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) को होने वाली उस प्रकृति और सीमा तक की आय से है, जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

[5] (₹ 413.93 करोड़+ ₹ 1,555.38 करोड़) मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए।

[6] ₹ 713.25 करोड़ = ₹ 130.39 करोड़ (2014-15) + ₹ 123.47 करोड़ (2016-17) + ₹ 209.94 करोड़ (2017-18) + ₹ 249.45 करोड़ (2018-19)

सलाह नहीं दी थी। हालांकि, वर्तमान में बोर्ड को 1 जून 2020 से धारा 10 (46) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

तथ्य यह है कि बोर्ड की देरी से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 713.25 करोड़ की कर देनदारी बकाया हो गई।

4.7.3 सिलाई मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता पर अनियमित व्यय

बोर्ड जून 2014 से "सिलाई मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता" योजना का संचालन कर रहा था, जिसके अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को जीवन में एक बार ₹ 3,500 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। सिलाई मशीन की कीमत, ट्रेडमार्क, स्रोत और खरीद की तारीख के साथ एक वचनबंध के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती थी।

बोर्ड ने 'स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह' योजना के अंतर्गत सिलाई मशीनें (प्रति मशीन ₹ 2,199 की दर से) वितरित करने का निर्णय लिया (नवंबर 2016) और दिसंबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹ 9.50 करोड़[7] की लागत की 43,205 सिलाई मशीनें खरीदी। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए (जनवरी 2018) कि मौजूदा मशीनों के वितरित होने तक वित्तीय सहायता की मौजूदा योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 43,205 मशीनों में से, 1,257 मशीनें अवितरित रह गई और अभी भी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टोर में पड़ी थी (मार्च 2023)। इस अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने सिलाई मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का वितरण जारी रखा, जबकि मशीनें स्टॉक में पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.64 लाख (1,257 x ₹ 2,199) का व्यर्थ व्यय हुआ।

बोर्ड ने अवगत करवाया (मार्च 2024) कि 1,229 सिलाई मशीनें क्षेत्रीय कार्यालयों में पड़ी थी और कार्य करने लायक नहीं थी।

4.8 राज्य सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों का कम होना/न होना

(i) राज्य सलाहकार समिति

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 14 के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक छ: माह में कम से कम एक बार आयोजित होगी।

2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी, जिसने समिति के गठन के उद्देश्य को विफल कर दिया और राज्य सरकार को उक्त समिति की सलाहकार भूमिका से वंचित कर दिया।

(ii) बोर्ड की बैठकें

अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार

[7] ₹ 9.50 करोड़ = 43,205 मशीनें x ₹ 2,199 प्रति इकाई।

एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 36 में बताया गया है कि बोर्ड की सामान्यतः तीन माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित होनी चाहिए।

2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, बोर्ड की अपेक्षित 24 बैठकों के विरुद्ध केवल 11 बैठकें (46 प्रतिशत) ही आयोजित की गई। इसके परिणामस्वरूप निधि के प्रबंधन से जुड़े मामलों, जैसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना; उपकर का संग्रह; प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के मामलों में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय, श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लंबित आवेदन, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए निरीक्षण, पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2024) के दौरान, बोर्ड ने भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

4.9 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

अधिनियम की धारा 7 में नियोक्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिष्ठान के शामिल होने के 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अधिनियम के अनुसार, कोई अपंजीकृत प्रतिष्ठान भवन निर्माण श्रमिकों को नियुक्त नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित नियम, 2005 के नियम 17 और 18 में प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का तरीका निम्नानुसार बताया गया है:

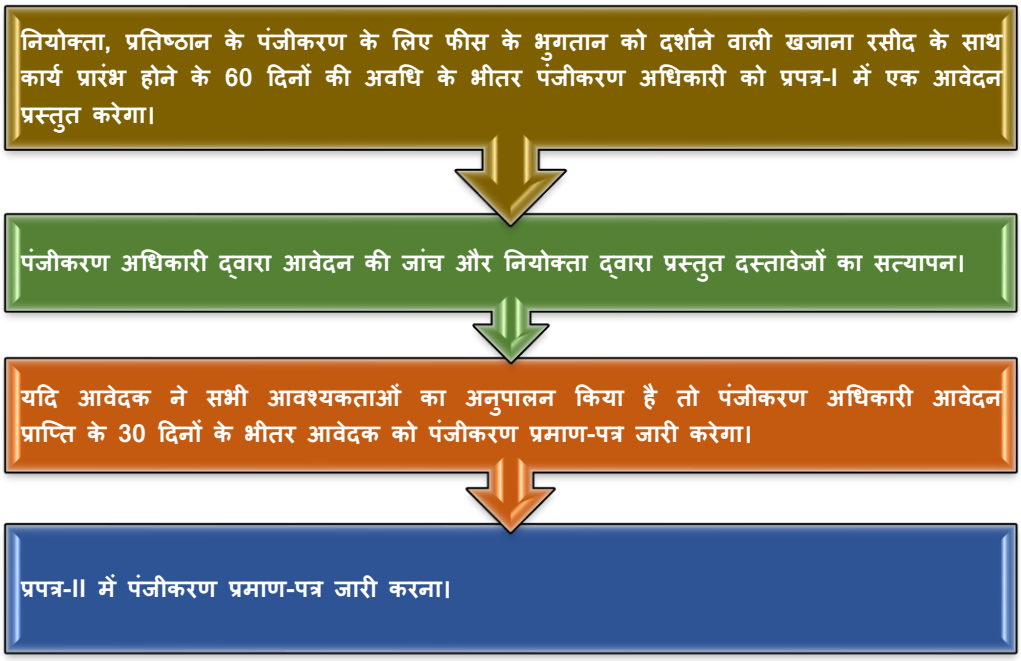

2017-23 के दौरान श्रम विभाग द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 4,268 निर्माण कार्य प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत किए गए थे।

4.9.1 बिना पंजीकरण के चालू निर्माण कार्य

लेखापरीक्षा द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग

(पी.डब्ल्यू.डी.) (बी. एंड आर.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) और सिंचाई विभाग के 12 मंडलों के मासिक लेखों से 60 निर्माण कार्यों ***(परिशिष्ट 4.1)*** का चयन किया गया ताकि यह जांच की जा सके कि भवन निर्माण श्रमिकों के रोजगार के लिए प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा था या नहीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 60 निर्माण कार्यों में से कोई भी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत नहीं था। यह पाया गया कि इन 60 कार्यों के विरुद्ध ₹ 942.37 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था, जो दर्शाता है कि इस प्रावधान (अधिनियम की धारा 7) के बावजूद कि कोई भी अपंजीकृत प्रतिष्ठान भवन एवं निर्माण श्रमिकों को नियुक्त नहीं कर सकता है, इन प्रतिष्ठानों ने इन श्रमिकों को नियोजित करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने पंजीकरण विसंगति के कारणों का विश्लेषण किया और निम्नलिखित तथ्य पाए गए:

(i) राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के मामले में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों के बीच समन्वय की कमी थी। उदाहरण के लिए, 26 मार्च 2010 को आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को मासिक आधार पर अनुमोदित भवन निर्माण योजना की एक प्रति संबंधित सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, श्रम विभाग को अग्रेषित करनी थी। श्रम विभाग/बोर्ड को प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए इस सूचना का उपयोग करना अपेक्षित था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों[8] ने 2017-23 के दौरान कुल 1,523 आधिपत्य प्रमाण-पत्र[9] जारी किए तथा 566 भवन निर्माण योजनाओं[10] को अनुमोदित किया। तथापि, चयनित छः जिलों के संबंध में श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से केवल 265 आधिपत्य प्रमाण-पत्र[11] और एक भवन निर्माण योजना (फरीदाबाद जिले में) प्राप्त हुई थी। हालांकि, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि इन आधिपत्य प्रमाण-पत्रों और भवन निर्माण योजनाओं की सूची हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा श्रम विभाग को भी भेज दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को प्राप्त 265 आधिपत्य प्रमाण-पत्रों और एक भवन निर्माण योजना में से, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के क्रमशः 104 और 25 मामलों में उपकर का निर्धारण, निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। जींद और हिसार जिलों के मामलों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया।

---

8 (i) फरीदाबाद, (ii) गुरुग्राम, (iii) हिसार, (iv) जींद, (v) करनाल और (vi) पानीपत।

9 (i) फरीदाबाद: 559, (ii) गुरुग्राम: 791, (iii) हिसार: 4, (iv) जींद: 60, (v) करनाल: 93 और (vi) पानीपत: 16.

10 (i) फरीदाबाद: 284, (ii) गुरुग्राम: 190, (iii) हिसार: 3, (iv) जींद: 66, (v) करनाल: 5 और (vi) पानीपत: 18.

11 फरीदाबाद: 173, गुरूग्राम: 88, हिसार: 2, जींद: 2, करनाल: शून्य और पानीपत: शून्य।

विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता वाले निर्माण स्थलों की पहचान करने के लिए न तो कोई तंत्र विकसित किया था और न ही प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई की थी, भले ही वे उसके ध्यान में आए हों, जैसा कि ***अनुच्छेद 4.9.2*** में चर्चा की गई है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि सरकारी विभाग होने के नाते, यह सुनिश्चित करना एक मंडल का उत्तरदायित्व है कि निर्माण स्थलों का विवरण पंजीकरण के लिए श्रम विभाग को भेजा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के बिना प्रथम रनिंग बिल का भुगतान जारी करने पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी करने के संबंध में आश्वासन दिया।

4.9.2 निरीक्षित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण न होना

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा के लिए 118 प्रतिष्ठानों[12] (120 निरीक्षण रिपोर्ट[13]) का चयन किया, जिनका निरीक्षण 2017-18 से 2022-23 के दौरान श्रम विभाग द्वारा किया गया था और यह पाया गया कि 31 मार्च 2023 तक, श्रम विभाग के पास 84 प्रतिष्ठानों[14] का पंजीकरण नहीं किया गया था। इन अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 7 का अनुपालन न करने के लिए नोटिस दिए गए थे और अधिनियम, 1996 की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय में अपंजीकृत प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किए गए थे। हालांकि, उल्लंघन के लिए जुर्माना देने के बाद भी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत नहीं किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। नियोक्ता द्वारा प्रतिष्ठान को पंजीकृत करवाने का अनुपालन न करने की स्थिति में, श्रम विभाग नियोक्ता के विरुद्ध में अभियोजन चलाता है।

हालांकि, बोर्ड इन प्रतिष्ठानों को पंजीकृत न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सका। इस प्रकार, अपंजीकृत प्रतिष्ठानों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए श्रमिकों को नियुक्त करना जारी रखा।

4.9.3 पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत न करना

नियम, 2005 के नियम 30 (2) में अपेक्षित है कि प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक माह की पंद्रहवीं तारीख से पहले प्रपत्र IX में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें पंजीकृत होने के पात्र श्रमिकों के साथ-साथ पिछले माह के दौरान सेवा छोड़ने वाले श्रमिकों का विवरण दर्शाया गया हो।

इसके अतिरिक्त, नियम 2005 के नियम 89 के अनुसार, पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रतिष्ठान से संबंधित वार्षिक विवरणी प्रपत्र-XXXV में पंजीकरण अधिकारी को

---

[12] (i) फरीदाबाद-22, (ii) गुरुग्राम-46, (iii) हिसार-10, (iv) जींद-10, (v) करनाल-16 और (vi) पानीपत-14.

[13] (i) फरीदाबाद-22, (ii) गुरुग्राम-47, (iii) हिसार-10, (iv) जींद-10, (v) करनाल-16 और (vi) पानीपत-15 गुरुग्राम और पानीपत जिलों में दो प्रतिष्ठानों का दो बार निरीक्षण किया गया।

[14] 84 प्रतिष्ठान: (i) 2017-18: 2, (ii) 2018-19: 4, (iii) 2019-20: 34, (iv) 2020-21: 5, (v) 2021-22: 29 और (vi) 2022-23: 10.

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 15 फरवरी तक प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक को भी प्रस्तुत करेगा। प्रतिष्ठान के वार्षिक रिटर्न में हुई दुर्घटनाओं की संख्या, मृत्यु, श्रमिक की आंशिक या पूर्ण दिव्यांगता, दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक या उसके नामांकित व्यक्ति को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि आदि शामिल होती है।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में पाया कि बोर्ड ने पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा मासिक और वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में कोई भौतिक अभिलेख नहीं रखा था।

इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग द्वारा चयनित 118 प्रतिष्ठानों की निरीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग को पता था कि 96 प्रतिष्ठानों और 24 प्रतिष्ठानों द्वारा क्रमशः मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालांकि, विभाग द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए इन रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

इन रिटर्नों से बोर्ड पंजीकरण के लिए पात्र निर्माण श्रमिकों की संख्या, पिछले महीनों में सेवा छोड़ने वाले श्रमिकों, दुर्घटनाओं की संख्या, मृत्यु, श्रमिक की आंशिक या पूर्ण दिव्यांगता आदि का आकलन कर सकता था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड ने बताया (जून 2024) कि बोर्ड द्वारा रिटर्न का रखरखाव नहीं किया गया था क्योंकि किसी भी नियोक्ता ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिटर्न नहीं भेजी थी। बोर्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमों का अनुपालन ठीक से सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने निरीक्षित प्रतिष्ठानों द्वारा मासिक और वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत न करने के संबंध में किए गए उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया।

4.10 अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण

4.10.1 पंजीकृत एवं कार्यरत श्रमिकों के डेटा में असंगति

श्रम विभाग के पोर्टल से प्राप्त (27 मई 2023) पंजीकृत प्रतिष्ठानों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान 4,268 प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए थे। इन प्रतिष्ठानों ने 5.97 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का दावा किया था। 31 मार्च 2023 तक जिलावार सक्रिय श्रमिकों[15] और 2017-2023 की अवधि के दौरान पंजीकृत प्रतिष्ठानों को ***तालिका 4.2*** में दर्शाया गया है।

[15] सक्रिय श्रमिकों में (क) वे श्रमिक शामिल हैं जिन्होंने वर्तमान वर्ष के दौरान पंजीकरण कराया है, तथा (ख) पूर्व श्रमिक जिन्होंने वर्ष के दौरान अपना पंजीकरण नवीकृत कराया है।

तालिका 4.2: जिलावार सक्रिय श्रमिक और पंजीकृत प्रतिष्ठान

क्र. सं.	जिले का नाम	2017-2023 के दौरान पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय प्रतिष्ठान द्वारा उल्लिखित कार्यरत श्रमिकों की संख्या[16]	31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास पंजीकृत सक्रिय श्रमिक
1	गुरुग्राम	2,977	4,37,946	14,828
2	फरीदाबाद	438	46,609	18,231
3	झज्जर	208	27,222	8,012
4	रेवाड़ी	159	13,688	18,821
5	पलवल	109	11,480	14,823
6	पंचकुला	26	2,408	4,849
7	सोनीपत	60	15,163	18,298
8	रोहतक	53	3,832	23,843
9	कुरुक्षेत्र	26	1,428	15,144
10	करनाल	26	4,495	29,950
11	पानीपत	31	6,033	37,886
12	मेवात	39	12,855	50,390
13	सिरसा	13	1,106	27,748
14	हिसार	42	1,737	79,970
15	महेंद्रगढ़	10	1,216	18,202
16	यमुनानगर	11	728	26,693
17	अंबाला	9	2,985	30,333
18	भिवानी	11	2,881	37,926
19	फतेहाबाद	6	250	22,297
20	चरखी दादरी	1	400	6,126
21	जींद	8	2,450	59,840
22	कैथल	5	345	65,728
	कुल	**4,268**	**5,97,257**	**6,29,938**

स्रोतः श्रम विभाग का पोर्टल।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, प्रतिष्ठानों में सक्रिय निर्माण श्रमिकों के डेटा और बोर्ड के पास पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों की संख्या के डेटा में अंतर था। उपर्युक्त से यह अवलोकित किया जा सकता है कि:

i. 2017-23 के दौरान, 19 जिलों (फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर के अतिरिक्त) में 645 पंजीकृत प्रतिष्ठानों[17] द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय 0.85 लाख निर्माण श्रमिकों को कार्यरत बताया गया था। हालांकि, बोर्ड के डेटा के अनुसार इन 19 जिलों में 5.89 लाख सक्रिय श्रमिक दर्शाए गए हैं।

ii. इसी प्रकार, पांच जिलों (भिवानी, हिसार, जींद, कैथल और मेवात) में जहां सक्रिय श्रमिकों की संख्या (2.94 लाख[18]) सबसे अधिक थी, वहां केवल 105 पंजीकृत प्रतिष्ठान[19] थे, परंतु श्रम विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 0.20 लाख[20] निर्माण श्रमिकों को कार्यरत दर्शाया गया था।

---

16 किसी भी दिन नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या।

17 19 जिलों में 645 प्रतिष्ठान = 4,268 प्रतिष्ठान (22 जिलों में) - 3,623 प्रतिष्ठान (फरीदाबाद: 438 + गुरुग्राम: 2,977 + झज्जर: 208)।

18 2,93,854 पंजीकृत श्रमिक = (i) भिवानी: 37,926, (ii) हिसार: 79,970, (iii) जींद: 59,840, (iv) कैथल: 65,728 और (v) मेवात: 50,390.

19 105 प्रतिष्ठान : (i) भिवानी: 11, (ii) हिसार: 42, (iii) जींद: 8, (iv) कैथल: 5 और (v) मेवात: 39.

20 20,268 निर्माण श्रमिक = (i) भिवानी: 2,881, (ii) हिसार: 1,737, (iii) जींद: 2,450, (iv) कैथल: 345 और (v) मेवात: 12,855.

प्रतिष्ठानों में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के डेटा और बोर्ड के पास पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों के डेटा के बीच अंतर प्रतिष्ठानों द्वारा समय पर अद्यतन तंत्र की कमी को दर्शाता है।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि फील्ड अधिकारियों को अधिनियम की धारा 12 और नियम 28 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत/नवीनीकृत करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, बोर्ड ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2024) और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

4.10.2 पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण न होना

नियम, 2005 के नियम 28 में प्रावधान है कि निधि का लाभार्थी बनने के लिए पात्र प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र V) में आवेदन करना होगा। जिसमें श्रमिक द्वारा प्रतिष्ठान (जहां आवेदक कार्य कर रहा है) का नाम, पता और पंजीकरण संख्या जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।

बोर्ड ने अंत्योदय सरल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य करके प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकरण की प्रणाली में परिवर्तन कर दिया (दिसंबर 2020) और जहां श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रमिक के परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)[21] को अनिवार्य कर दिया गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना (सितंबर 2021) के अनुसार, हरियाणा राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाला प्रत्येक निवासी/परिवार, परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने का हकदार था। प्रवासी श्रमिकों के लिए, निवास का दस्तावेजी प्रमाण परिवार पहचान पत्र प्राप्त करने में बाधा के रूप में कार्य करता था, जिसे श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।

प्रतिष्ठानों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान (अक्तूबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच), लेखापरीक्षा ने 125 अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नमूने का सर्वेक्षण किया, जिनमें से 119 प्रवासी श्रमिक थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 119 प्रवासी श्रमिकों में से 65 प्रवासी श्रमिक बोर्ड के पास पंजीकरण के लिए पात्र थे, लेकिन परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता के कारण कोई भी श्रमिक पंजीकृत नहीं हो पाया था और वे बोर्ड से कोई कल्याण सहायता प्राप्त नहीं कर सके (जैसा कि ***अनुच्छेद 4.18.2*** में चर्चा की गई है)।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के संबंध में हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 8 के प्रावधान के अंतर्गत छूट (जनवरी 2024) प्रदान की है।

4.10.3 जागरूकता की कमी के कारण श्रमिकों का पंजीकरण न होना

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मॉडल योजना (अक्तूबर 2018) के अनुसार, श्रमिक पंजीकरण प्राधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने और श्रमिकों के पंजीकरण को

[21] परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पारिवारिक पहचान पत्र है। यह राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। यह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों तक पहुंचने के लिए प्रमाणीकरण के साधन के रूप में कार्य करता है।

सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रमुख श्रमिक चौकों पर नियमित शिविर आयोजित करने/ सुविधा केंद्र बनाने अपेक्षित थे।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा सोनीपत और करनाल में केवल दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

17 चल रही निर्माण साइट्स {आठ अपंजीकृत साइट्स[22], सात पंजीकृत साइट्स[23] और दो दुर्घटना साइट्स (गुरुग्राम)} के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 125 श्रमिकों[24] में से 107 श्रमिक बोर्ड, पंजीकरण प्रक्रिया और इसकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। यह इस बात का संकेत था कि पंजीकरण प्राधिकरण अर्थात श्रम विभाग नियमित रूप से जागरूकता शिविर का आयोजन और श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा नहीं दे रहा था।

इस प्रकार, निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के बोर्ड के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इन योजनाओं से अनभिज्ञ श्रमिक अपंजीकृत रह गए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से और निर्माण स्थलों पर शिविर आयोजित करके निर्माण श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने का आश्वासन दिया गया।

4.10.4 श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लंबित आवेदन

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, बोर्ड द्वारा श्रमिकों से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बोर्ड के लाभार्थियों के रूप में निर्माण श्रमिकों की सदस्यता को पंजीकृत/नवीनीकृत करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लंबित आवेदनों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 94,642 आवेदन अंतिम निपटान (17 जुलाई 2023) के लिए लंबित थे। इन 94,642 लंबित आवेदनों में से 4,838 आवेदनों पर प्रारंभिक कार्रवाई भी नहीं की गई और शेष 89,804 आवेदनों पर श्रम विभाग द्वारा आपत्तियां उठाई गई। ये 4,838 आवेदन निर्धारित समय-सीमा के विरुद्ध तीन माह से 65 माह तक की अवधि से लंबित थे। जिन 89,804 आवेदनों पर आपत्तियां उठाई गई उनमें से 2017-22 की अवधि के लिए 79,136 आवेदन (88 प्रतिशत) लंबित थे।

चयनित प्रतिष्ठानों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि एक प्रतिष्ठान[25] के नियोक्ता द्वारा 29 सितंबर 2022 को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पोर्टल से डेटा निकाला और पाया कि नियोक्ता द्वारा 29 सितंबर 2022 को 16 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे और ये सभी 16 आवेदन अभी

---

22 (i) फरीदाबाद-2, (ii) हिसार-2, (iii) करनाल-1 और (iv) पानीपत-3.

23 (i) गुरुग्राम-2, (ii) हिसार-1, (iii) जींद-1, (iv) करनाल-2 और (v) पानीपत-1.

24 (i) फरीदाबाद-24, (ii) गुरुग्राम-28, (iii) हिसार-15, (iv) जींद-10, (v) करनाल-19 और (vi) पानीपत-29.

25 मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हेरिटेज साइट, सेक्टर-59, गुरुग्राम।

भी 6 मार्च 2023 तक लंबित थे। लेखापरीक्षा द्वारा पंजीकरण न किए जाने के मामले को इंगित (6 मार्च 2023) किए जाने पर, बोर्ड ने अपने पोर्टल पर *"वैध कार्य स्लिप (डब्ल्यू.एस.) अपलोड करें"* का उल्लेख करते हुए इन आवेदनों पर आपत्तियां उठाई (24 मार्च 2023)। हालांकि, इन कार्य स्लिप पर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के उप-प्रबंधक, मानव संसाधन (एच.आर.) द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाकर इनको पोर्टल पर अपलोड किया गया था, जो निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच करने में विभाग की लापरवाही को दर्शाता है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा आवेदनों पर कोई कार्रवाई न किए जाने तथा आवेदनों की जांच में उदासीनता के कारण श्रमिक अपना पंजीकरण नहीं करा सके और परिणामस्वरूप वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि आवेदकों द्वारा उचित दस्तावेजों/उत्तरों के अभाव में आवेदन लंबित थे और वर्ष 2022-23 के लिए लंबित 15,376 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है। अपने उत्तर में, यह भी उल्लेख किया गया है कि 6,886 आवेदन लंबित हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड द्वारा 4,838 आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

4.11 उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण का अवलोकन

4.11.1 उपकर संग्रहण की समय-सीमा एवं प्रणाली का अनुपालन न करना

उपकर नियमों के नियम 4 में यह प्रावधान है कि उदग्रहित उपकर का नियोक्ता द्वारा उपकर संग्रहकर्ता को, निर्माण परियोजना के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर या देय उपकर के निर्धारण की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, के भीतर भुगतान किया जाएगा। उपकर नियमों के नियम 6 और 7 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता को अपना कार्य प्रारंभ करने के 30 दिनों के भीतर प्रपत्र-I में निर्माण की अनुमानित लागत, जमा किए गए उपकर के भुगतान के विवरण आदि से संबंधित जानकारी निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देय उपकर की गणना उचित रूप से की गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने उपकर निर्धारण के लिए नियोक्ताओं से निर्धारित समय-सीमा 30 दिनों के भीतर प्रपत्र-I प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित नहीं किया था। 123 निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

i. 58 मामलों में नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-I में प्रस्तुत करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। यहां तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग भी खाली था। प्रपत्र-I पर प्रस्तुत करने की तिथि के अभाव में, प्रपत्र-I प्रस्तुत करने में विलंब के साथ-साथ उपकर के निर्धारण में देरी का पता नहीं लगाया जा सका।

ii. अन्य 40 मामलों में प्रपत्र-I प्रस्तुत करने में दो से 137 महीने तक की देरी हुई। इसके कारण निर्धारण में विलंब हुआ और परिणामस्वरूप उपकर राशि की वसूली में विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नियोक्ताओं ने न तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रपत्र-I प्रस्तुत किया था और न ही विभाग ने नियोक्ताओं द्वारा प्रपत्र-I को देरी से प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2024) के दौरान बोर्ड ने आश्वासन दिया कि इन विसंगतियों को रोकने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी।

4.11.2 करदाता द्वारा उपकर कम जमा करना/जमा न करना

उपकर नियमों के नियम 4 के अनुसार, नियोक्ता द्वारा उपकर संग्रहकर्ता को निर्माण परियोजना के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर या देय उपकर के निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, उपकर का भुगतान किया जाएगा। उपकर अधिनियम की धारा 8 में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई नियोक्ता निर्धारण आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर उपकर की किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा नियोक्ता उपकर की देय राशि पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- दो चयनित जिलों (जींद और फरीदाबाद) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कर-निर्धारण अधिकारियों ने 2018 से 2022 के दौरान आठ नियोक्ताओं[26] के संबंध में ₹ 39.25 लाख की राशि के उपकर की मांग की थी। हालांकि, किसी भी नियोक्ता द्वारा कोई राशि जमा नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि उपकर जमा न करने पर ब्याज देयता को मांग नोटिस में नहीं उठाया गया था। सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हिसार ने स्वीकार किया (मार्च 2023) और बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को उपकर जमा करने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए गए थे।
- गुरूग्राम जिले में एक प्रतिष्ठान[27] के संयुक्त निरीक्षण (4 जनवरी 2023) के दौरान, यह पाया गया कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में परियोजना के पूरा होने की तारीख (30 जून 2019) पहले से ही अंकित थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि उक्त प्रतिष्ठान के संबंध में आधिपत्य प्रमाण-पत्र वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम द्वारा 11 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार, नियोक्ता ने पहले ही (जुलाई 2017 और जनवरी 2021) ₹ 13.07 लाख के उपकर का भुगतान कर दिया था। यह पाया गया कि विभाग के पास निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

  लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2023), विभाग ने अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठान का निर्धारण किया और ₹ 35.73 लाख की उपकर राशि जमा करवाई। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा को सूचना के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2024)।

---

[26] (i) मेसर्स इंडिगो अपैरल, प्लॉट संख्या-106, सेक्टर-6, फरीदाबाद, (ii) मेसर्स भारत पेट्रोलियम सीओपी लिमिटेड पियाला इंस्टालेशन, पियाला असोटी, (iii) मेसर्स ट्राइडेंट पैकिंग्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट संख्या-414, सेक्टर-68, आईएमटी फरीदाबाद, (iv) मेसर्स न्यू लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट संख्या-741, सेक्टर-69, आईएमटी, फरीदाबाद, (v) मेसर्स कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड, डिस्कवरी पार्क का लाइसेंसधारी, सेक्टर-80, फरीदाबाद, (vi) मेसर्स विजय मेटल, प्लॉट संख्या-182, सेक्टर-68 आईएमटी फरीदाबाद, (vii) मेसर्स एकांश मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और (viii) मेसर्स लेखराज ऑटो प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड, एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट के सामने रोहतक रोड, जींद।

[27] मेसर्स आरवी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्रोजेक्ट "आरवी हॉस्पिटल" सेक्टर 90, गुरुग्राम।

4.12 उपकर संग्रहण

उपकर नियमों के नियम 4(4) में यह प्रावधान है कि जहां किसी निर्माण कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है, वहां ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निर्माण की अनुमानित लागत की अधिसूचित दरों पर देय उपकर की राशि के लिए बोर्ड के पक्ष में एक रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा।

उपकर नियमों के नियम 5 (1) के अंतर्गत, एकत्रित उपकर की आय ऐसे सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहकर्ता द्वारा बोर्ड को निर्धारित चालान के रूप (और बोर्ड के लेखा शीर्ष में) में संग्रह के 30 दिनों के भीतर अंतरित की जाएगी।

स्थानीय प्राधिकरण जो भवन योजना को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत है, भवन योजना के अनुमोदन के समय उपकर एकत्र करते हैं और सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो निर्माण कार्य निष्पादित करते हैं, ठेकेदारों को किए गए भुगतान की राशि से उपकर काटते हैं। उपकर एकत्र करने और काटने वाले प्राधिकरण एक प्रतिशत संग्रह प्रभार काटने के उपरांत उपकर की आय को ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोर्ड के पास जमा करते हैं।

उपकर संग्रहकर्ताओं अर्थात् नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अभिलेखों की जांच के दौरान पाई गई कमियों पर निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.12.1 आधिपत्य प्रमाण-पत्र जारी करते समय अग्रिम उपकर का कम संग्रह

चार पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की नमूना-जांच से पता चला कि निर्धारित उपकर राशि ₹ 5.81 करोड़ के विरूद्ध केवल ₹ 3.23 करोड़ ही एकत्र किए गए थे जिससे ***तालिका 4.3*** में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹ 2.58 करोड़ के उपकर की कम वसूली हुई।

तालिका 4.3: कम वसूली के मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना एवं लाइसेंसधारी का विवरण	देय उपकर की राशि	वसूला गया उपकर	कम वसूली
1	सेक्टर-112, गुरुग्राम में 23.431 एकड़ क्षेत्रफल वाली ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी (2008 की लाइसेंस संख्या 21, दिनांक 8 फरवरी 2008 और 2012 की लाइसेंस संख्या 28, दिनांक 7 अप्रैल 2012), को एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा विकसित किया जा रहा है।	4.39	3.14	1.25
2	गुरुग्राम के सेक्टर-37-डी में 43.558 एकड़ क्षेत्रफल वाली ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी (2008 की लाइसेंस संख्या 83, दिनांक 5 अप्रैल 2008 और 2011 की लाइसेंस संख्या 94, दिनांक 24 अक्तूबर 2011) को सुपर बेल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य द्वारा सी/ओ कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है।	0.86	0	0.86
3	सेक्टर-74-ए, गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स में 35.3675 एकड़ क्षेत्रफल की वाणिज्यिक कॉलोनी (2008 की लाइसेंस संख्या 51, दिनांक 19 मार्च 2008 और 2014 की लाइसेंस संख्या 76, दिनांक 05 अगस्त 2014) को अभीक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है।	0.39	0.09	0.30
4	सेक्टर-48, गुरुग्राम में 47.418 एकड़ क्षेत्रफल वाली ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी (1995 की लाइसेंस संख्या 2, दिनांक 10 मार्च 1995, 2004 की लाइसेंस संख्या 117-119, दिनांक 16 अगस्त 2004 तथा 1996 की लाइसेंस संख्या 35-37, दिनांक 17 अप्रैल 1996), को स्वेता एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य द्वारा विकसित किया जा रहा है।	0.17	0	0.17
कुल		**5.81**	**3.23**	**2.58**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग इन चार मामलों में उपकर वसूलने में विफल रहा, जिनमें आधिपत्य प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे, साथ ही उपकर का कोई अंतिम

निर्धारण भी नहीं किया गया (मार्च 2023)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने आश्वासन दिया कि इन मामलों का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

4.12.2 शहरी स्थानीय निकायों के साथ व्यवस्था

उपकर अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित, इन निकायों द्वारा उपकर संग्रह की स्थिति को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों के 11 नगर निगमों/नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं[28] का चयन किया। शहरी स्थानीय निकायों से एकत्रित किए गए और बोर्ड के पास जमा किए गए उपकर का विवरण देने के लिए कहा गया था। 11 नगर निगमों में से 10 ने उत्तर दिया कि वे बोर्ड को उपकर अंतरित नहीं कर रहे थे (नगर निगम, पानीपत ने जानकारी नहीं दी)।

इसके अतिरिक्त, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2023) कि नवंबर 2018 के बाद, भवन निर्माण योजनाओं का अनुमोदन एवं भुगतान (उपकर, सीवरेज एवं जल प्रभार, संपत्ति प्रभार, अग्नि कर, उपयोगकर्ता प्रभार आदि) हरियाणा ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली (एच.ओ.बी.पी.ए.एस.) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था और बिना किसी प्रभार के ब्रेकअप के भुगतान सीधे बैंक खाते में प्राप्त किया जा रहा था। भुगतान का घटक-वार ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपकर राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका और इसलिए इसे बोर्ड में जमा नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजनाओं की संख्या और इन भवन योजनाओं के अनुमोदन के दौरान एकत्रित श्रम उपकर की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं अपनाया था। ऐसे तंत्र के अभाव के कारण, बोर्ड शहरी स्थानीय निकायों को श्रम उपकर उसके पास जमा करने के लिए कहने/नोटिस भेजने की स्थिति में नहीं था।

4.12.3 बोर्ड द्वारा उपकर डेटा का रखरखाव न करना

बोर्ड के वार्षिक लेखों के अनुसार, अप्रैल 2017 से मार्च 2023 तक बोर्ड ने उपकर के रूप में ₹ 2,153.12 करोड़ एकत्र किए। इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड 2006 से अस्तित्व में था, नियोक्ता-वार/प्रतिष्ठान-वार विवरण प्राप्त करने का तंत्र बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था। एकत्रित उपकर की जानकारी का विभाग/एजेंसी-वार ब्रेकअप बोर्ड के पास केवल 2020-21 से ही उपलब्ध था क्योंकि उसने 2020-21 से पहले की अवधि के लिए ऐसी जानकारी संकलित नहीं की थी। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए उपकर में अंशदान करने वाले विभाग/एजेंसी का विवरण ***तालिका 4.4*** में दिया गया है।

[28] **नगर निगम:** (i) फरीदाबाद, (ii) गुरुग्राम, (iii) हिसार, (iv) करनाल, (v) पानीपत।
नगर परिषद: (vi) हांसी, (vii) जींद, (viii) नरवाना।
नगरपालिका: (ix) घरौंडा, (x) पटौदी और (xi) समालखा।

तालिका 4.4: 2020-22 के दौरान विभाग/एजेंसी द्वारा अंशदान किए गए उपकर का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग/एजेंसी	2020-21	2021-22	कुल
1.	श्रम विभाग	98.43	95.82	194.25
2.	नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग	83.38	108.94	192.32
3.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	24.83	26.31	51.14
4.	नगर निगम/स्थानीय निकाय	17.92	25.49	43.41
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	39.50	30.29	69.79
6.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	4.35	6.40	10.75
7.	हरियाणा ग्रामीण सड़क एवं अवसंरचना विकास एजेंसी	1.14	4.43	5.57
8.	निजी/अन्य	24.06	14.63	38.69
9.	अज्ञात	38.29	83.31	121.60
10.	अन्य विभाग/एजेंसियां	23.77	28.09	51.86
	कुल	**355.67**	**423.71**	**779.38**

स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 31 मार्च 2021 तक ₹ 355.67 करोड़ के कुल उपकर में से ₹ 38.29 करोड़ (10.77 प्रतिशत) अज्ञात स्रोतों से था (लेन-देन के लिए, जिसके स्रोत की पहचान बोर्ड द्वारा नहीं की जा सकी)। 2021-22 में अज्ञात स्रोतों से प्राप्त उपकर बढ़कर ₹ 83.31 करोड़ (19.66 प्रतिशत) हो गया। बोर्ड ने प्राप्त उपकर का नियोक्ता-वार और प्रतिष्ठान-वार विवरण नहीं रखा था। उक्त अभिलेखों के अभाव में, बोर्ड को उन स्रोतों की भी जानकारी नहीं है, जिनसे 2020-22 के दौरान उपकर के रूप में ₹ 121.60 करोड़ प्राप्त हुए थे।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि मामले को उपकर निर्धारण अधिकारियों, उपकर संग्रहकर्ताओं और उपकर कटौतीकर्ताओं के समक्ष उठाया जाएगा और उपकर एकत्र करने और जमा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.12.4 बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों के अभिलेखों के बीच मेल न होना

मिलान प्रणाली के अभाव के कारण बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों में मेल नहीं था, जैसा कि निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में स्पष्ट किया गया है:

(i) नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा एकत्रित और बोर्ड द्वारा प्राप्त उपकर में मेल न होना

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसने 2020-22 के दौरान ₹ 137.61 करोड़ की उपकर आय एकत्रित की और बोर्ड को अंतरित की थी। हालांकि, बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बोर्ड ने इसी अवधि के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से ₹ 192.32 करोड़ एकत्र किए थे। इस प्रकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अंतरित और बोर्ड द्वारा प्राप्त उपकर राशि के बीच ₹ 54.71 करोड़ का अंतर था। इसने दर्शाया कि बोर्ड ने संभवतः प्राप्तियों के अन्य स्रोतों को भी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अंतर्गत दर्ज किया होगा। बोर्ड और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा उपकर के आंकड़ों का कभी मिलान नहीं किया गया।

(ii) श्रम विभाग द्वारा एकत्रित और बोर्ड द्वारा प्राप्त उपकर में मेल न होना

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2020-22 के दौरान श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों

द्वारा सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से एकत्रित ₹ 194.25 करोड़ जमा किए गए थे। चयनित छः जिलों द्वारा ₹ 194.25 करोड़ में से ₹ 169 करोड़ जमा किए गए। श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बोर्ड को अग्रेषित डिमांड ड्राफ्टों और बोर्ड द्वारा वास्तव में प्राप्त उपकर की राशि का जिलावार विवरण ***तालिका 4.5*** में दिया गया है।

तालिका 4.5: क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रेषित डिमांड ड्राफ्ट और बोर्ड द्वारा वास्तव में प्राप्त उपकर की राशि

(₹ करोड़ में)

जिला	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बोर्ड को अग्रेषित सभी डिमांड ड्राफ्ट की राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि	अंतर
गुरुग्राम	153.33	130.39	22.94
हिसार	2.79	3.11	(-)0.32
जींद	0.35	0	0.35
करनाल	1.88	2.20	(-)0.32
पानीपत	2.73	2.91	(-)0.18
फरीदाबाद	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई	30.38	-

स्रोत: विभागीय अभिलेख।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, श्रम विभाग द्वारा एकत्रित उपकर और बोर्ड द्वारा वास्तव में प्राप्त उपकर के आंकड़ों में अंतर था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकर एकत्रित करने और बोर्ड में जमा करने की विधि के संबंध में श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कोई समेकित अनुदेश नहीं थे।

श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में देय, संग्रहित और बकाया उपकर के प्रतिष्ठान-विशिष्ट अभिलेख का अभाव था। उन्होंने प्रतिष्ठान पंजीकरण और प्राप्त डिमांड ड्राफ्टों के संबंध में कोई पत्राचार किए बिना केवल डिमांड ड्राफ्ट रजिस्टर का रखरखाव किया। मैपिंग के अभाव में श्रम विभाग द्वारा एकत्रित उपकर के मिलान में बाधा उत्पन्न होगी।

बोर्ड का केंद्रीकृत बैंक खाता होने के बावजूद, प्रतिष्ठानों से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपकर राशि प्राप्त करने की प्रणाली जारी है, जिससे प्राप्त राशि भुनाने में विलंब और विसंगतियां हो रही हैं। चूंकि भुगतान प्रौद्योगिकियां उन्नत हो गई हैं, इसलिए निधियों के सही और समय पर अंतरण को सुनिश्चित करने हेतु निर्बाध एकीकरण के लिए नई भुगतान विधियों को समायोजित करने के लिए नियमों को अनुकूलित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने उपकर मिलान के लिए एक तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अगस्त 2024)।

4.13 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

निरीक्षणों की अनुपालन रिपोर्टों की जांच के दौरान पाई गई कमियां

चयनित 120 निरीक्षण रिपोर्टों में से, 18 मामलों में नियोक्ताओं को मुख्य निरीक्षक द्वारा भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी; इन 18 मामलों में से, छः प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन के समर्थन में समान तस्वीरों का उपयोग किया गया था। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) 27 जून 2019 को सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हिसार द्वारा

जींद में दो निर्माण स्थलों[29] पर दो निरीक्षण किए गए। दोनों निर्माण स्थलों पर विभिन्न स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पाए गए और इस संबंध में 28 जून 2019 को नियोक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। दोनों प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और तस्वीरों के आधार पर, मुख्य निरीक्षक ने 13 अगस्त 2019 को उन्हें चेतावनी जारी की और भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी।

इन दोनों मामलों के निरीक्षण अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्माण स्थल की दोनों अनुपालन रिपोर्टों में नौ तस्वीरों में से चार तस्वीरें एकसमान थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

डीएवी पुलिस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल	18 बेज बस स्टैंड एवं वर्कशॉप बिल्डिंग	डीएवी पुलिस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल	18 बेज बस स्टैंड एवं वर्कशॉप बिल्डिंग
फोटो 1 और 2: खुले छोड़े गए विद्युत तार के जोड़ (धारा 40 के अंतर्गत नियम 103)		**फोटो 3 और 4: अग्निशमन उपकरण उपलब्ध न कराना (धारा 40 के अंतर्गत नियम 91(1))**	
		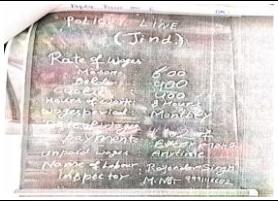	
फोटो 5 और 6: सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा जाल उपलब्ध न कराना (धारा 40 के अंतर्गत नियम 244)		**फोटो 7 और 8: श्रम की दरें, कार्य के घंटे आदि प्रदर्शित न करना (धारा 30 के अंतर्गत नियम 85)**	

यह भी पाया गया कि प्रपत्र (प्रपत्र-I, प्रपत्र-IV, प्रपत्र-IX एवं प्रपत्र-X) पर तिथियां अंकित नहीं थी, जिससे उनमें दी गई सूचना की विश्वसनीयता सिद्ध हो सकती थी। इसके अतिरिक्त, दोनों नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-IX में दी गई सूचना भी गलत थी क्योंकि पिछले महीने की समाप्ति पर श्रमिकों की संख्या, महीने के दौरान कार्य छोड़कर गए श्रमिकों की संख्या और चालू महीने की समाप्ति पर श्रमिकों की संख्या को समान दर्शाया गया था। आगे यह भी पाया गया कि यद्यपि मुख्य निरीक्षक ने दोनों अनुपालन मामलों पर एक ही तिथि को विचार किया था, लेकिन नियोक्ताओं को चेतावनी जारी करने से पहले इन विसंगतियों पर ध्यान देने में विफल रहे।

(ii) इसी प्रकार, अन्य चार मामलों में, करनाल और कैथल के प्रतिष्ठानों की वही तस्वीरें, जो फोटोग्राफ 9 से 16 में दर्शाई गई हैं, विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्हें मुख्य निरीक्षक द्वारा चेतावनी जारी की गई थी। मुख्य निरीक्षक ने दोनों मामलों अर्थात् मेसर्स एस.एस. बिल्डर, घरौंडा (करनाल) और मेसर्स डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैथल पर एक ही तिथि (15 नवंबर 2021) को विचार किया, परंतु इन विसंगतियों को इंगित नहीं किया।

[29] (i) डीएवी पुलिस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, पुलिस लाइन, गोहाना रोड, जींद और (ii) 18 बेज बस स्टैंड एवं वर्कशॉप बिल्डिंग, पांडु पिंडारा (जिला जींद)।

मेसर्स बीबी सेरियल, इंद्री, करनाल	मेसर्स जुगनू केमिकल, सेक्टर-3, करनाल	मेसर्स बीबी सेरियल, इंद्री, करनाल	मेसर्स एसएस बिल्डर्स, घरौंडा करनाल
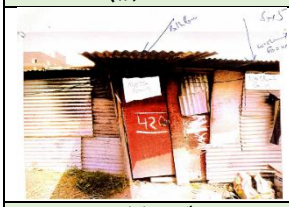			
फोटो 9 और 10: पृथक कुकिंग स्थान आदि के साथ अस्थायी आवास उपलब्ध न कराना (धारा 40)		फोटो 11 और 12: फर्स्ट ऐड उपलब्ध नहीं कराया गया (धारा 36 के अंतर्गत नियम 119)	
मेसर्स एसएस बिल्डर्स, घरौंडा, करनाल	मेसर्स डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैथल	मेसर्स एसएस बिल्डर्स, घरौंडा, करनाल	मेसर्स डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैथल
फोटो 13, 14, 15 और 16: नुकीली वस्तुओं को संभालने वाले श्रमिकों को उपयुक्त हाथ-दस्ताने उपलब्ध न कराना (धारा 40 के अंतर्गत नियम 102)			

इस प्रकार, उचित अनुपालन सुनिश्चित किए बिना केवल चेतावनी जारी करने के बाद नोटिस पर अपेक्षित कार्रवाई रोक दी गई। साक्ष्यों की अपर्याप्त जांच, निरीक्षणों के दौरान फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण की कमी और अनुवर्ती दौरों की अनुपस्थिति ने सामूहिक रूप से प्रवर्तन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मजबूती से समझौता किया।

विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि नियोक्ताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों के अनुपालन के साक्ष्य मुख्य निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चेतावनी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि कुछ अभिलेख गलती से किसी दूसरी फाइल में संलग्न कर दिए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियोक्ताओं द्वारा साईटों की वही तस्वीरें अलग-अलग लेबलिंग के साथ प्रस्तुत की गई थी जैसा कि फोटोग्राफ संख्या 7 एवं 8 में दर्शाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024) यह बताया गया था कि मजबूत प्रवर्तन के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा।

4.14 दुर्घटना के मामलों का निरीक्षण

चयनित छः जिलों में, 2017-18 से 2021-22 के दौरान 45 दुर्घटनाएं[30] दर्ज की गई थी। इनमें से, 19 दुर्घटना के मामलों (18 प्रतिष्ठानों[31] में) को लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा के लिए चुना गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में विवरण दिया गया है।

अपंजीकृत प्रतिष्ठानों में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना और भी आवश्यक है कि प्रतिष्ठान पंजीकृत हों ताकि श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों सहित अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जा सके।

इन दुर्घटना के मामलों की समीक्षा करने पर, तीन मामलों का सारांश आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

30 (i) फरीदाबाद-4, (ii) गुरुग्राम-22, (iii) हिसार-10, (iv) जींद-2, (v) करनाल-3 और (vi) पानीपत-4.

31 18 प्रतिष्ठानों में 19 दुर्घटनाएं हुई इनमें से चार प्रतिष्ठान पंजीकृत थे तथा 14 प्रतिष्ठान अपंजीकृत थे।

क. मेसर्स ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड का निर्माण स्थल

अधिनियम की धारा 43 के साथ पठित नियम 2005 के नियम 291 (1) में यह प्रावधान है कि यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्थल या स्थान, जहां कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में है कि वह भवन निर्माण श्रमिकों या आम जनता के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो वह नियोक्ता को आदेश जारी कर ऐसे स्थल पर चल रहे किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को तब तक प्रतिबंधित कर सकता है जब तक कि वह यह सुनिश्चित न कर ले कि खतरे के कारण को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

गुरुग्राम के पाम हिल प्रोजेक्ट में स्थित प्रतिष्ठान अर्थात मेसर्स ईएमएएआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड को 13 मार्च 2012 को पंजीकृत किया गया था। इस प्रतिष्ठान का 23 फरवरी 2013 और 27 जून 2019 को उप-निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम द्वारा दो बार निरीक्षण किया गया और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उल्लंघन प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न उल्लंघन, जैसे असुरक्षित कार्य प्लेटफॉर्म, भवन की परिधि के साथ ओवरहेड सुरक्षा का निर्माण न करना, मचान पर एक कार्य प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच की कमी, भवन निर्माण श्रमिकों का ऊंचाई से गिरने का खतरा, आदि पाए गए। अभियोजन क्रमशः 14 मई 2013 और 30 सितंबर 2019 को आरंभ किया गया था। हालांकि, इन दोनों मामलों में अभियोजन के परिणाम अभिलेख पर नहीं पाए गए थे।

इसके बाद 2 अगस्त 2022 को साइट पर एक घातक दुर्घटना हुई जिसमें चार निर्माण श्रमिकों की मृत्यु हो गई और एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। निरीक्षण के दौरान, जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), गुरुग्राम ने पाया (2 अगस्त 2022) कि ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा हार्नेस/बेल्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मुख्य ठेकेदार, परियोजना प्रबंधक, टावर प्रभारी और अन्य के विरुद्ध 3 अगस्त 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई।

सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम-II द्वारा 3 से 5 अगस्त 2022 के बीच दुर्घटना की जांच की गई थी और यह बताया गया था कि (i) कार्य प्लेटफॉर्म असुरक्षित और अपर्याप्त था, (ii) बिल्डिंग टॉवर और क्रेन के बीच वॉकवे प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित नहीं की गई थी, (iii) निर्माण स्थल पर सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा नेट्स प्रदान नहीं किए गए/पाए गए और (iv) नियोक्ता की ओर से पर्यवेक्षण की कमी थी।

निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए 5 अगस्त 2022 को निषेधाज्ञा जारी की गई तथा नियोक्ता के विरुद्ध 11 अक्तूबर 2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.), गुरुग्राम की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दुर्घटना जांच रिपोर्ट में इंगित उल्लंघनों का उल्लेख पहले से ही किए गए दो निरीक्षणों (फरवरी 2013 और जून 2019) में किया गया था, लेकिन श्रम विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन की कमी के कारण घातक घटना हुई जिसे टाला जा सकता था।

विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि 2013 और 2019 में निरीक्षण के समय कोई आसन्न खतरा नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2013 और 2019 में निरीक्षण के दौरान विभाग

की निरीक्षण रिपोर्टों में श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित उल्लंघनों का उल्लेख किया गया था।

ख. मेसर्स सिट्रा प्रॉपर्टीज, गुरुग्राम का निर्माण स्थल

28 जून 2017 को मेसर्स सिट्रा प्रॉपर्टीज के निर्माण कार्य स्थल पर एक घातक दुर्घटना हुई, जिसमें दो मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। 29 जून 2017 और 28 जुलाई 2017 के बीच की गई जांच में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रावधानों से संबंधित उल्लंघनों की पहचान की गई।

उल्लंघनों के उत्तर में, नियोक्ता ने एक अनुपालन रिपोर्ट (16 अक्तूबर 2017 को) प्रस्तुत की और सूचित किया कि इस निर्माण स्थल पर कार्य शुरू होने से लेकर दुर्घटना तक, श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न नामित प्राधिकारियों द्वारा स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रावधानों से संबंधित कई भौतिक निरीक्षण किए गए थे। इसके उपरांत, तीन सदस्यों वाली समिति ने अनुपालन रिपोर्ट की जांच की (25 अक्तूबर 2017) और परिणाम में पाया गया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा इस निर्माण स्थल के पिछले निरीक्षणों के दौरान ऐसा कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था। परिणामस्वरूप, मुख्य निरीक्षक ने नियोक्ता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने के निर्देश संबंधी चेतावनी जारी की (25 अक्तूबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने दुर्घटना जांच रिपोर्टों की संवीक्षा के दौरान पाया कि उक्त कार्य मई 2017 में शुरू किया गया था, जबकि दुर्घटना कार्य शुरू होने के दो महीने के भीतर हुई थी और यह प्रतिष्ठान श्रम विभाग द्वारा 2017 से 2022 तक निरीक्षण किए गए प्रतिष्ठानों की सूची में नहीं पाया गया था। नियोक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में श्रम विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि या तो दुर्घटना से पहले इस प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं किया गया था या प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों ने इसे रिकॉर्ड से दूर रखा था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षक ने दुर्घटना जांच के दौरान न तो फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक साक्ष्य एकत्र किए थे और न ही नियोक्ता की अनुपालन रिपोर्ट में ऐसा कोई साक्ष्य पाया गया था। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना (28 जून 2017) होने के बाद प्रतिष्ठान का पंजीकरण (04 अप्रैल 2018) कराया गया। पंजीकरण न कराने के तथ्य की न तो जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई और न ही नियोक्ता को चेतावनी देकर छोड़ने से पहले समिति द्वारा इस पर विचार किया गया।

ग. मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुरुग्राम का निर्माण स्थल

अल्टीमा, सेक्टर-81, गुरुग्राम के लिए मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निर्माण स्थल पर दो घातक दुर्घटनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

पहली दुर्घटना: 26 जून 2017	**दूसरी दुर्घटना: 22 फरवरी 2018**
• दुर्घटना में एक अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हुई थी। • किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। • दुर्घटना जांच में श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विफलता, अपर्याप्त सुरक्षा प्रावधान तथा दुर्घटना की सूचना तुरंत रिपोर्ट करने में विफलता का पता चला। • जांच समिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन की गलती नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस के बाद नियोक्ता को चेतावनी दी गई।	• दुर्घटना में एक अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हुई थी। • घातक दुर्घटना उसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी चूक के कारण हुई, जिसका उल्लेख पहले के निरीक्षण में भी किया गया था। • दुर्घटना जांच में ओवरहेड सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अपर्याप्त निवारक उपायों से संबंधित मामलों की पहचान की गई। • नियोक्ता ने कारण बताओ नोटिस का लिखित उत्तर दिया। • समिति ने उत्तरों की समीक्षा की और प्रबंधन में कोई गलती नहीं पाई गई, जिसके कारण पुनः चेतावनी दी गई।

दो दुर्घटना जांच रिपोर्टों (अक्तूबर 2017 और सितंबर 2018) के दौरान की गई टिप्पणियों की अनुपालन रिपोर्टों के साथ संलग्न तस्वीरों के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुपालन रिपोर्ट में नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत तीन[32] तस्वीरें दोनों दुर्घटनाओं में एक जैसी थी।

दुर्घटना के पहले मामले की तस्वीरें

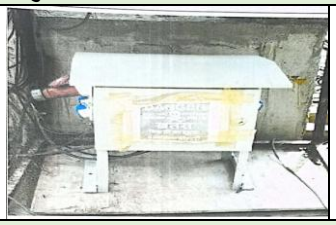

दुर्घटना के दूसरे मामले की तस्वीरें

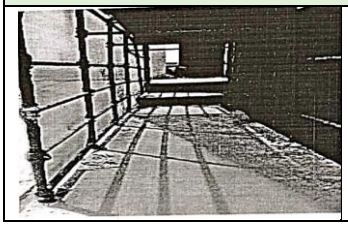

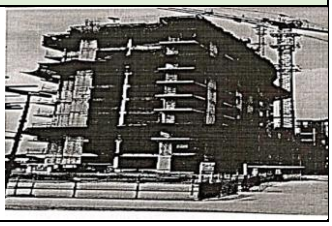

एक वर्ष के अंतराल में की गई जांचों के लिए इन फोटोग्राफिक साक्ष्यों की वास्तविकता संदिग्ध है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नियोक्ता पहली दुर्घटना (जून 2017) के समय एक अपंजीकृत प्रतिष्ठान (जनवरी 2014 से) था और फरवरी 2018 में पंजीकृत हुआ था। दुर्घटना जांच रिपोर्टों में, निरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्माण स्थल का पंजीकरण न करवाने के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया था।

दुर्घटनाओं की दोनों जांच रिपोर्टों में बताया गया कि नियोक्ता श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में विफल रहा था, फिर भी विभाग ने केवल चेतावनी जारी करके दोनों मामलों पर कार्रवाई रोक दी थी।

विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को भविष्य में कड़ाई से अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। तथ्य यह है कि मामले की गंभीरता का विश्लेषण किए बिना, चेतावनी देकर मामले पर कार्रवाई रोक दी गई थी।

4.15 चयनित प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

लेखापरीक्षा ने श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिष्ठानों के 60 संयुक्त निरीक्षण किए ***(परिशिष्ट 4.3)*** जिनमें 23 पंजीकृत प्रतिष्ठान, 23 अपंजीकृत प्रतिष्ठान और 14 दुर्घटना वाले प्रतिष्ठान शामिल थे, ताकि यह आकलन किया जा सके कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानदंडों का पालन किया गया था या नहीं। पंजीकृत प्रतिष्ठानों का चयन पंजीकृत प्रतिष्ठानों के डेटाबेस से रैंडम रूप से किया गया। डिस्कॉम से लिए गए उच्च लोड वाले अस्थायी बिजली कनेक्शन के डेटा का उपयोग करके अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की पहचान की गई। दुर्घटना वाले स्थलों का चयन मृत्यु की संख्या, बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं आदि जैसे मानदंडों का उपयोग करके किया गया था। प्रमुख परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

---

[32] प्रथम जांच में 29 फोटो तथा द्वितीय जांच में 22 फोटो।

- संयुक्त निरीक्षण के लिए चयनित 60 प्रतिष्ठानों में से केवल 21 प्रतिष्ठान[33] अधूरे/निर्माणाधीन पाए गए तथा शेष 39 प्रतिष्ठान साईट पर कार्य पूर्ण पाए गए। विभाग के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है या नहीं। हालांकि, नियोक्ता के लिए कार्य शुरू होने और पूरा होने की सूचना देना अनिवार्य था। उपकर नियमों के नियम 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार नियोक्ता द्वारा निर्माण परियोजना के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर उदग्रहित उपकर का भुगतान करना होगा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2005 के नियम 20 के उप-नियम 3 के अंतर्गत कार्य समाप्ति की तिथि की गणना निर्धारित प्रपत्र-IV में नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य समाप्ति के नोटिस से की जानी थी।

- अधूरे 21 प्रतिष्ठानों में से चार प्रतिष्ठानों[34] (गुरुग्राम: 2, हिसार: 1 और करनाल: 1) का संयुक्त निरीक्षण से पहले, विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया था। इन चार प्रतिष्ठानों में विभागीय निरीक्षण के साथ-साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान भी समान स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उल्लंघन पाए गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई अनुपालन नहीं किया गया था। इन बार-बार होने वाले उल्लंघनों में सुविधाओं की कमी, सुरक्षा समिति/नीति का अभाव, खतरों के संपर्क में आना और सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान न होना शामिल था। निरीक्षण के बावजूद लगातार उल्लंघन, निरीक्षण के उद्देश्य को कमजोर करता है और निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से समझौता करता है।

- छ:[35] निर्माणाधीन स्थलों पर, जहां पहले निरीक्षण नहीं किया गया था, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित उल्लंघन जैसे सुरक्षा नीति का अभाव, ऊंचाई से गिरने का खतरा, उपयुक्त बैरिकेडिंग की कमी, आपातकालीन कार्य योजना तैयार न करना, सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान न करना और विभिन्न रजिस्टरों/रिटर्न का रखरखाव न करना पाया गया। गुरुग्राम के एक मामले में, सुरक्षा समिति के गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख नियोक्ता के पास उपलब्ध नहीं थे। उन स्थलों पर अनेक उल्लंघनों की उपस्थिति, जहां पहले कोई निरीक्षण नहीं किया गया था, नियामक निरीक्षण में अंतराल को रेखांकित करती है, तथा अधिक पारदर्शी और मजबूत निरीक्षण नीति की आवश्यकता का सुझाव देती है।

- संयुक्त निरीक्षण के दौरान शेष नौ प्रतिष्ठानों में कोई स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया।

- विभाग द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के कारण दो निर्माण स्थलों पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया था।

उपर्युक्त संयुक्त निरीक्षणों में उचित अनुवर्ती तंत्र की अनुपस्थिति का पता चला, जिसके

---

33 पंजीकृत प्रतिष्ठान: 7, अपंजीकृत प्रतिष्ठान: 10 और दुर्घटना मामले वाले: 4.

34 पंजीकृत प्रतिष्ठान: 2, अपंजीकृत प्रतिष्ठान: 1 और दुर्घटना मामले वाला: 1.

35 (i) पंजीकृत प्रतिष्ठान: 2 (गुरुग्राम और करनाल) और (ii) अपंजीकृत प्रतिष्ठान: 4 (पानीपत: 2 और करनाल: 2)।

परिणामस्वरूप आंशिक अनुपालन/गैर-अनुपालन हुआ। सुसंगत एवं पारदर्शी अनुवर्ती कार्रवाई एक निवारक तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है, जिससे उल्लंघन और खतरों की संभावना कम हो सकती है।

विभाग ने बताया (मार्च 2024) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को भविष्य में कड़ाई से अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

4.16 बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत बोर्ड द्वारा वितरित लाभों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा ने श्रम विभाग के पोर्टल से डेटा लिया। 2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान 4,053 प्रतिष्ठान[36] पंजीकृत किए गए थे, जिनमें राज्य के 2,18,901 लाभार्थियों को ₹ 1,007.56 करोड़ के 6,56,497 लाभ वितरित किए गए थे ***(परिशिष्ट 4.4)***।

नमूना-जांच किए गए छ: जिलों में, लेखापरीक्षा ने 646 लाभार्थियों[37] को वितरित किए गए ₹ 5.34 करोड़ की राशि के 1,267 लाभों का लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रों में दिए गए विवरणों, कार्य स्लिपों, वचनबंधों और आवेदन पत्रों के साथ अपलोड/संलग्न किए गए अन्य दस्तावेजों के संबंध में जांच के लिए चयन किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

4.16.1 पंजीकृत प्रतिष्ठानों और दिए गए लाभों के बीच सह-संबंध का अभाव

वितरित लाभों की संख्या और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या के बीच कोई सह-संबंध नहीं था। गुरुग्राम में, जहां 2,786 पंजीकृत प्रतिष्ठान थे, 3,408 लाभार्थियों ने ₹ 9.94 करोड़ के 8,814 लाभ प्राप्त किए, जबकि हिसार जैसे अन्य जिले में केवल 42 प्रतिष्ठान पंजीकृत थे, जबकि 49,148 लाभार्थियों को ₹ 243.52 करोड़ के 1,68,004 लाभ वितरित किए गए (***परिशिष्ट 4.4***)। बोर्ड द्वारा ऐसे स्पष्ट अंतरों के कारणों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि गुरुग्राम/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में कई प्रवासी श्रमिक पंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 90 दिन पूरे होने से पहले अन्य शहरों या साइटों पर चले जाते हैं, जो निर्माण श्रमिक के पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने की पात्रता के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास ऐसा कोई अध्ययन/डेटा उपलब्ध नहीं था जिसका उपयोग इस तथ्य को बनाए रखने के लिए किया जा सके।

4.16.2 अपात्र लाभार्थियों को वितरित लाभ

नमूना-जांच किए गए छः जिलों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 5.34 करोड़ के 1,267 लाभों

---

[36] डेटा की सटीक तुलना सुनिश्चित करने के लिए, 29 जनवरी 2018 से पंजीकृत प्रतिष्ठानों के डेटा पर भी विचार किया गया। इसके दृष्टिगत, 4,268 प्रतिष्ठानों के बजाय 4,053 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत दर्शाया गया (पंजीकृत प्रतिष्ठानों का डेटा **अनुच्छेद 4.10.1** की ***तालिका 4.2*** में उपयोग किया गया)।

[37] फरीदाबाद: 56, (ii) गुरुग्राम: 96, (iii) हिसार: 169, (iv) जींद: 145, (v) करनाल: 101 और (vi) पानीपत: 79.

में से ₹ 2.20 करोड़[38] (41.22 प्रतिशत) के 577 लाभ (45.54 प्रतिशत) अपात्र लाभार्थियों (कार्य स्लिप अपलोड न होने, अपलोड होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होने, फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र, अन्य के कारण) को वितरित किए गए। यह पाया गया कि बोर्ड के अधिकारियों ने आवेदन के विवरणों और दस्तावेजों की उचित समीक्षा नहीं की, जिसके कारण अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया। कुछ अनियमितताओं पर अनुवर्ती उप-अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है:

(i) कार्य स्लिप अपलोड न करना

अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित नियम, 2005 के नियम 28 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, परंतु 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा जो किसी भी कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य कल्याण निधि का सदस्य नहीं है तथा जिसने तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी कर ली है, वह निधि में सदस्यता के लिए पात्र होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 577 मामलों में से 136 मामलों में लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित कार्य स्लिप अपलोड नहीं की गई थी, तथापि, इन अपात्र लाभार्थियों को ₹ 75.48 लाख[39] का लाभ वितरित किया गया।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2024) कि इस मामले को श्रम विभाग के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा तथा अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत राशि की वसूली भी की जाएगी।

(ii) कार्य-स्लिपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए

नियम 2005 के नियम 28 (3) (जनवरी, अप्रैल और दिसंबर 2018 में इसके संशोधनों के साथ) में प्रावधान है कि यह सिद्ध करने के लिए कि आवेदक एक निर्माण श्रमिक है, पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ नियोक्ता या ठेकेदार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पंजीकृत नियोक्ता से प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अन्य प्राधिकारियों[40] द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पर विचार किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 43 मामलों में, कार्य स्लिप पर ऐसे प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे। इन कार्य स्लिप पर सरपंच, लेखाकार, नगर पार्षद, अपर ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी आदि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन मामलों में,

---

38 ₹ 219.96 लाख = (i) फरीदाबाद: ₹ 17.79 लाख, (ii) गुरुग्राम: ₹ 28.68 लाख, (iii) हिसार: ₹ 81.20 लाख, (iv) जींद: ₹ 67.54 लाख, (v) करनाल: ₹ 20.28 लाख और (vi) पानीपत: ₹ 4.48 लाख

39 (i) फरीदाबाद: ₹ 16.56 लाख, (ii) गुरुग्राम: ₹ 10.88 लाख, (iii) हिसार: ₹ 17.14 लाख, (iv) जींद: ₹ 19 लाख (ऑनलाइन- ₹ 18.61 लाख और ऑफलाइन- ₹ 0.39 लाख), (v) करनाल: ₹ 7.42 लाख और (vi) पानीपत: ₹ 4.48 लाख

40 (i) सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य; (ii) सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक; (iii) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी; (iv) तहसीलदार/नायब तहसीलदार; (v) खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी; (vi) सभी सरकारी विभागों/बोर्ड/निगमों के उप मंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता; (vii) नगर निकायों के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका अभियंता, कनिष्ठ अभियंता; (viii) कानूनगो और पटवारी; तथा (ix) पंचायत सचिव/ग्राम सचिव

अपात्र लाभार्थियों को ₹ 11.74 लाख[41] के लाभ वितरित किए गए थे।

बोर्ड ने बताया (मार्च 2024) कि कार्य स्लिप का टेलीफोन द्वारा सत्यापन किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि कार्य स्लिप पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(iii) जारी की गई कार्य स्लिप में पाई गई विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने चयनित छः जिलों में, 136 प्राधिकारियों[42] से संपर्क किया, जिनके द्वारा 306 कार्य स्लिप[43] को प्रमाणित किया गया था, तथा उनसे अपने प्रमाण-पत्रों को प्रमाणित करने का अनुरोध किया गया। इन 136 प्राधिकारियों में से केवल नौ प्राधिकारियों[44] ने ही उत्तर दिया। इन नौ प्राधिकारियों में से केवल तीन प्राधिकारियों[45] ने स्वीकार किया कि पांच कार्य स्लिप पर उनके हस्ताक्षर थे। छः प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि 25 कार्य स्लिप, जिन्हें उनके द्वारा जारी किया गया दर्शाया गया था, वास्तव में उनके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- नगरपालिका, नारनौंद (हिसार) में, सचिव[46] द्वारा हस्ताक्षरित 16 कार्य स्लिप के आधार पर 25 लाभों के लिए ₹ 6.04 लाख की राशि वितरित की गई। हालांकि, वर्तमान सचिव, नगरपालिका, नारनौंद ने उत्तर दिया कि जिस सचिव ने कार्य स्लिप पर हस्ताक्षर किए थे, वे कभी इस कार्यालय में सचिव के रूप में कार्यरत नहीं थे।

  दो प्राधिकारियों[47] ने बताया कि उनके पास भेजी गई दो कार्य स्लिप पर लगी मोहर उनकी नहीं थी; इन दो कार्य स्लिप के आधार पर लाभार्थियों को दो लाभों के लिए ₹ 0.16 लाख की राशि वितरित की गई। एक मामले में, जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर नगरपालिका, नारनौंद के सचिव के रूप में कार्य स्लिप पर हस्ताक्षर किए थे, वह 2019-20 में उस कार्यालय में सचिव नहीं था।

- नगरपालिका, बरवाला के दो प्राधिकारियों[48] ने बताया कि उन्हें भेजी गई छः कार्य स्लिप पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे; इन कार्य स्लिप के आधार पर ₹ 8.03 लाख की राशि वितरित की गई।

बोर्ड ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि वह हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों को रजिस्टर में उन श्रमिकों के विवरण का रखरखाव करने का सुझाव देगा जिनकी कार्य स्लिप पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने बताया कि लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र श्रमिकों को वसूली नोटिस जारी किए जाएंगे।

---

41 (i) गुरुग्राम: ₹ 0.13 लाख, (ii) हिसार: ₹ 10.40 लाख और (iii) जींद: ₹ 1.21 लाख

42 (i) फरीदाबाद: 12, (ii) गुरुग्राम: 18, (iii) हिसार: 32, (iv) जींद: 46, (v) करनाल: 19 और (vi) पानीपत: 9

43 (i) फरीदाबाद: 26, (ii) गुरुग्राम: 48, (iii) हिसार: 100, (iv) जींद: 96, (v) करनाल: 24 और (vi) पानीपत: 12

44 (i) गुरुग्राम: 2 और (ii) हिसार: 7

45 (i) गुरुग्राम: 2 और (ii) हिसार: 1

46 श्री संदीप कुमार

47 श्री पंकज और श्री राजिन्द्र सिंह दोनों पहले नगरपालिका, नारनौंद के सचिव थे।

48 श्री परवीन कुमार और श्री धर्मवीर दोनों पहले नगरपालिका, बरवाला में कनिष्ठ अभियंता थे।

(iv) फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र पर जारी किए गए लाभ

नियम, 2005 के नियम 58 (1) में प्रावधान है कि पंजीकृत श्रमिक का हकदार नामिती सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ प्रपत्र-XVIII में आवेदन प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण एवं लाभ आवेदन की मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार, बोर्ड के अधिकारियों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू.आर.) कोड को स्कैन करना अपेक्षित था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के अधिकारी मानक संचालन प्रक्रिया का सही अर्थों में पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुरुग्राम जिले में एक लाभार्थी ने मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर ₹ 2.15 लाख[49] का लाभ प्राप्त किया, जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा जारीकर्ता प्राधिकारी से सत्यापन करने के लिए क्यू.आर. कोड को स्कैन करने पर एक फर्जी वेबसाइट का लिंक खुल गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर ने उत्तर में पुष्टि की (मार्च 2024) कि मृत्यु प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया था।

4.17 लाभ संवितरण के संबंध में परिणाम

4.17.1 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान या दोहरा भुगतान

646 लाभार्थियों द्वारा प्राप्त चयनित 1,267 लाभों के संवितरण की प्रणाली की समीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) विवाह/कन्यादान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह के अवसर पर विवाह योजना के अंतर्गत ₹ 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा पुत्री के विवाह के पश्चात कन्यादान योजना के अंतर्गत ₹ 51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- करनाल और हिसार जिलों में दो आवेदकों[50] ने अपनी पुत्रियों[51] के लिए विवाह/कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन किया। हालांकि, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज उनकी बड़ी पुत्री[52] के नाम पर थे, जिसके लिए पहले ही लाभ प्राप्त किया जा चुका था। इस प्रकार, दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना अपात्र लाभार्थियों को लाभ जारी किया गया।
- जींद जिले में एक लाभार्थी[53] ने योजना के अंतर्गत अपनी पुत्री[54] के विवाह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया (20 सितंबर 2021) और कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थी ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पहले ही (29 दिसंबर 2020) यह लाभ

---

49 मृत्यु सहायता - ₹ 2 लाख और अंतिम संस्कार सहायता - ₹ 0.15 लाख।

50 (i) सुश्री सुमन देवी (पंजीकरण संख्या 60643466) पत्नी श्री शिव कुमार और (ii) श्री महावीर सिंह (पंजीकरण संख्या 120629626)।

51 (i) सुश्री मुस्कान पुत्री श्री शिव कुमार और (ii) सुश्री मोनिका पुत्री श्री महावीर सिंह।

52 (i) सुश्री ज्योति पुत्री श्री शिव कुमार और (ii) सुश्री ममता पुत्री श्री महावीर सिंह।

53 श्री राजेश।

54 सुश्री रजनी पुत्री श्री राजेश।

प्राप्त कर लिया था, जिसकी उसे अनुमति नहीं है।

- तीन जिलों (हिसार, फरीदाबाद और करनाल) में तीन आवेदकों[55] ने पुत्रियों के विवाह के लिए कन्यादान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। बाद में इन तीनों आवेदकों ने पुनः इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जिसे तब स्वीकार कर लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन तीनों आवेदकों को दोनों आवेदनों (अस्वीकृत आवेदन सहित) के लिए भुगतान जारी किया गया था। इस प्रकार, इन आवेदकों[56] को दो बार ₹ 1.53 लाख का अनुचित लाभ दिया गया था।

(ii) मृत्यु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

उक्त योजना की शर्त के अनुसार, श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामिती/आश्रित को ₹ दो लाख की धनराशि प्राप्त करने की पात्रता थी। हिसार और यमुनानगर जिलों में दो मृत निर्माण श्रमिकों के नामितियों ने दो बार आवेदन किया और योजना के अंतर्गत दो बार लाभ प्राप्त किया। यह पाया गया कि विभाग ने आवेदनों की उचित जांच नहीं की और मृतक श्रमिकों[57] के नामितियों को दो बार अनुचित लाभ जारी किया।

(iii) साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

बोर्ड ने अपनी 10वीं बैठक (अप्रैल 2013) में इस योजना के अंतर्गत पांच वर्ष में एक बार ₹ 3,000 की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी थी। अप्रैल 2017 से मार्च 2023 की अवधि के डेटा की जांच के दौरान, यह पाया गया कि मई 2018 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान 31 लाभार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए ₹ 0.93 लाख की वित्तीय सहायता दो बार जारी की गई थी।

(iv) उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार तथा उसके कार्यकाल के दौरान अधिकतम पांच बार ₹ 8,000 की राशि प्रदान की जानी थी। पूरे राज्य में अगस्त 2018 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान 25 लाभार्थियों को कुल ₹ चार लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अनुसार पांच वर्ष में एक बार सहायता प्रदान की जानी थी। हालांकि, इन 25 लाभार्थियों को पांच वर्ष के भीतर दो बार वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए लाभार्थियों को ₹ दो लाख की अतिरिक्त राशि जारी की गई।

---

55 (i) श्री ईश्वर सिंह (पंजीकरण संख्या 120657294), (ii) श्री प्रेम चंद (पंजीकरण संख्या 619058964) और (iii) सुश्री सुमन देवी (पंजीकरण संख्या 60643466)।

56 (i) श्री ईश्वर सिंह: ₹ 0.51 लाख, (ii) श्री प्रेम चंद: ₹ 0.51 लाख और (iii) सुश्री सुमन देवी: ₹ 0.51 लाख।

57 (i) श्री जयपाल (पंजीकरण संख्या 120610728) और (ii) श्री तिलक राज (पंजीकरण संख्या 603027085)।

4.17.2 मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत पुरुष श्रमिकों को दिए गए लाभ

मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत, पंजीकृत महिला श्रमिक को साड़ी, सूट, चप्पल, सैनिटरी नैपकिन, रसोई के बर्तन आदि खरीदने के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 5,100 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि उक्त योजना विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए थी, फिर भी 15 पुरुष श्रमिकों को ₹ 0.77 लाख का लाभ दिया गया था। यह दर्शाता है कि बोर्ड ने आवेदनों की उचित जांच नहीं की थी।

4.17.3 झूठे प्रमाणीकरण पर दिए गए लाभ

29 मामलों (हिसार: 26, जींद: 3) में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों ने ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका, राज्य महासचिव, सचिव, नगरपालिका आदि द्वारा हस्ताक्षरित कार्य स्लिप प्रस्तुत की थी, जिनमें विशिष्ट नियोक्ताओं के लिए कार्यस्थल पर कार्य करने का दावा किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि इन श्रमिकों ने उसी अवधि के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत भी कार्य किया था तथा मनरेगा के अतिरिक्त किसी अन्य नियोक्ता के साथ कार्य करते रहने के लिए कार्य स्लिप प्रस्तुत की थी। उपर्युक्त कार्य स्लिप के आधार पर इन लाभार्थियों को कुल ₹ 11.66 लाख[58] का लाभ दिया गया।

एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2024), बोर्ड ने बताया कि लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2024)।

4.18 निर्माण श्रमिकों का सर्वेक्षण

4.18.1 पंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण[59]

लेखापरीक्षा द्वारा छः चयनित जिलों में 799 लाभार्थियों[60] का लाभार्थी सर्वेक्षण (***परिशिष्ट 4.5*** में विवरण दिया गया है) किया गया, ताकि लाभार्थियों की पहचान, बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, लाभार्थियों का पंजीकरण, आवेदनों की जांच, वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि के संबंध में बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। लाभार्थियों का चयन लाभार्थियों की समेकित सूची (गांववार) से व्यवस्थित रैंडम नमूनाकरण प्रक्रिया द्वारा किया गया।

लाभार्थियों का सर्वेक्षण डेटाबेस में उपलब्ध पते पर किया गया। 799 लाभार्थियों में से

---

58 (i) हिसार: ₹ 10.15 लाख और (ii) जींद: ₹ 1.51 लाख।

59 लाभार्थी सर्वेक्षण करने में लेखापरीक्षा पार्टियों के समक्ष आने वाली बाधाएं (क) लाभार्थियों से स्वतंत्र रूप से पूछताछ करने के प्रयोजन के बावजूद, प्राय: पूछताछ परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में की जाती थी, जिससे लाभार्थियों के उत्तरों में कुछ पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता था। (ख) यदि लाभार्थी उपस्थित नहीं था, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूछताछ की जाती थी।

60 (i) फरीदाबाद-86, (ii) गुरुग्राम-96, (iii) हिसार-210, (iv) जींद-201, (v) करनाल-126 और (vi) पानीपत-80.

611 लाभार्थियों तक पहुंचा जा सका तथा शेष 188 लाभार्थियों से विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध पते पर टेलीफोन कॉल तथा विजिट के बावजूद संपर्क नहीं हो सका। 611 पंजीकृत श्रमिकों के सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- पंजीकृत प्रतिष्ठानों में केवल दो लाभार्थी निर्माण कार्य में लगे हुए थे। 540 लाभार्थी व्यक्तिगत आवासीय मकानों/सड़कों/पार्कों/दीवारों आदि के निर्माण कार्य में लगे हुए थे।
- 44 लाभार्थी[61] भवन या अन्य निर्माण गतिविधि में शामिल न होने के कारण अपात्र पाए गए। इन लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि वे आंगनवाड़ी सहायक, सिलाई कार्य, स्कूल चपरासी, जल आपूर्ति कर्मचारी, फैक्ट्री कर्मचारी आदि जैसे अन्य व्यवसायों में लगे हुए थे।

4.18.2 अपंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण

छ: चयनित जिलों में 17 निर्माण स्थलों[62] के 125 अपंजीकृत श्रमिकों[63] से पूछताछ/सर्वेक्षण किया गया। प्रश्नावली (***परिशिष्ट 4.6*** में दिए गए विवरण) के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि:

- अपंजीकृत 125 श्रमिकों में से 119 बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रवासी श्रमिक थे।
- 107 श्रमिकों को बोर्ड और उसकी कल्याणकारी योजनाओं तथा पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी।
- 72 श्रमिक 90 दिनों से अधिक समय से निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इनमें से सात श्रमिकों ने बताया कि वे अपने मूल राज्यों में पहले से ही बोर्ड के पास पंजीकृत हैं। 65 श्रमिकों ने पंजीकरण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था।
- अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, सभी भवन निर्माण श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन, 11 श्रमिकों को अस्थायी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया।
- पांच श्रमिकों ने बताया कि गुरुग्राम जिले में निर्माण स्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

यद्यपि निर्माण स्थल पर पाए गए अधिकांश श्रमिक प्रवासी श्रमिक थे, लेकिन उनमें से कोई भी बोर्ड में पंजीकृत नहीं था और इसलिए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका।

---

61 (i) फरीदाबाद: 1, (ii) गुरुग्राम: 14, (iii) हिसार: 1, (iv) जींद: 2 और (v) पानीपत: 26.

62 अपंजीकृत स्थल- आठ, पंजीकृत स्थल- सात, दुर्घटना स्थल- दो।

63 (i) फरीदाबाद: 24, (ii) गुरुग्राम: 28, (iii) हिसार: 15, (iv) जींद: 10, (v) करनाल: 19 और (vi) पानीपत: 29.

4.19 निष्कर्ष

2017-18 से 2022-23 के दौरान उपकर संग्रह ₹ 2,153.11 करोड़ था। बोर्ड ने 2017-18 से 2022-23 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल उपलब्ध निधियों (अर्थात ₹ 5,553.71 करोड़) में से केवल ₹ 1,656.78 करोड़ (29.83 प्रतिशत) का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत कर छूट के लिए समय पर आवेदन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 713.25 करोड़ की आयकर देयता हो गई। लेखापरीक्षा में प्रशासनिक मामलों में कमियां पाई गई, जैसे वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करना, राज्य सलाहकार समिति की बैठक न बुलाना तथा बोर्ड की बैठकों में कमी।

यह पाया गया कि श्रम विभाग और अन्य कार्य निष्पादन विभागों के साथ भवन योजनाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पंजीकृत नहीं किए गए। निरीक्षण और अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को नोटिस देने के बाद भी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण नहीं करवाया गया था।

पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का बोर्ड का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि श्रमिकों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं थी और वे अपंजीकृत रह गए। इसके अतिरिक्त, लंबित आवेदनों पर विभाग की निष्क्रियता के कारण संभावित लाभार्थी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए।

लेखापरीक्षा में अग्रिम उपकर के कम संग्रह के मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, मिलान प्रणाली की कमी के कारण बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों में विसंगतियां थी।

निरीक्षण के बाद की प्रक्रिया में अनुपालन रिपोर्टों की अपर्याप्त जांच के साथ-साथ इन अनुपालन रिपोर्टों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव भी पाया गया। वितरित लाभों की संख्या और पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या के बीच कोई सह-संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अधिकारियों ने आवेदनों और दस्तावेजों में दिए गए विवरणों का उचित सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए।

4.20 सिफारिशें

विभाग/बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करे:

1 राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं;

2 निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए कार्य निष्पादन विभागों और भवन योजना को अनुमोदित करने वाले प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करे और श्रमिकों के पंजीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करे;

3 श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे;

4 प्रतिष्ठान-वार उपकर के उपार्जन एवं प्राप्ति की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करे;

5 निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के संबंध में प्रतिष्ठानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करे तथा निरीक्षण मामलों में पाए गए विचलन के संबंध में उचित कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करे; तथा

6 लाभार्थियों को लाभ जारी करने से पहले उनकी उचित पहचान/पात्रता सत्यापन सुनिश्चित करे।

अध्याय 5

कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 5

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

5 कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन

5.1 प्रस्तावना

हरियाणा लोक निर्माण विभाग (एच.पी.डब्ल्यू.डी.) कोड के पैरा 10.1.1 के अनुसार, किसी परियोजना के अनुमान में प्रस्तावित परियोजना की आवश्यकता और परियोजना पर होने वाले संभावित व्यय का उल्लेख किया जाना चाहिए। राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी इस अनुमान के आधार पर परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हैं (पैरा 9.1.1)। यदि अनुमोदित परियोजनाओं की मूल योजना में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, तो व्यय करने से पहले संशोधित अनुमान और अनुबंध मूल्य में वृद्धि को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा लिया जाना चाहिए (पैरा 10.1.12)। परियोजना में 10 प्रतिशत से अधिक के व्यापक परिवर्धन और परिवर्तन के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक है (पैरा 9.3.7 और 9.3.10)। पैरा 16.19.3 में प्रावधान है कि माप पुस्तक में कोई बदलाव तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि इन्हें पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। पैरा 16.19.2 में बताया गया है कि विविधताओं की घटनाओं को कम करने के लिए योजनाओं और विनिर्देशों को सावधानी से और पर्याप्त विवरण के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

5.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा जून 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान आयोजित की गई थी।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा राज्य सरकार के 11 विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में आयोजित की गई थी। वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान निष्पादित ऐसे 98 कार्यों ***(परिशिष्ट 5.1)*** की नमूना-जांच की गई थी, जिनमें अनुबंध राशि में मूल अनुबंध राशि से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई थी, जैसा कि ***तालिका 5.2.1*** में दर्शाया गया है। नमूना-जांच किए गए 19 कार्यों ***(परिशिष्ट 5.2)*** में, ***तालिका 5.2.3*** में दिए गए अनुसार किए गए अनुबंधों के विरूद्ध कार्यों के दायरे में कमी के कारण भिन्नताएं पाई गई।

जुलाई 2023 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के विचार-विमर्श को विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। नमूना-जांच किए गए विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित उत्तरों/जानकारी (दिसंबर 2024) को भी शामिल किया गया है।

तालिका 5.2.1: नमूना-जांच किए गए कार्यों का विवरण जिनमें अनुबंध राशि 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	मंडलों की संख्या	नमूना-जांच किए गए कार्यों की संख्या	मूल अनुबंध राशि	दिसंबर 2024 तक अद्यतन की गई वृद्धित अनुबंध राशि
1.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) {पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)}	13	26	408.15	795.75
2.	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.)	16	10	8.16	15.92
3.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आई. एंड डब्ल्यू.आर.डी.)	7	4	11.75	19.75
4.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.)	6	20	30.10	46.74
5.	कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज मंडल (ई.ई., पी.आर.आई.)	6	4	1.95	2.44
6.	हरियाणा पुलिस आवास निगम (एच.पी.एच.सी.)	6	11	118.04	194.50
7.	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.)	5	1	11.12	14.76
8.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.)	3	6	528.78	883.93
9.	शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	3	16	16.48	23.49
	कुल		**98**	**1,134.53**	**1,997.28**

वर्ष 2019-22 के दौरान नमूना जांच किए गए 98 कार्यों में मूल अनुबंध राशि को ₹ 1,134.53 करोड़ को बढ़ाकर ₹ 1,997.28 करोड़ कर दिया गया। नमूना-जांच किए गए 98 कार्यों में से 27 कार्यों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी और चार कार्यों में वृद्धि 500 प्रतिशत से अधिक थी जैसा कि ***तालिका 5.2.2*** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम (एच.एस.आर.डी.सी.) और हरियाणा पर्यटन निगम (एच.टी.सी.) में वृद्धि का कोई मामला नहीं पाया गया था।

तालिका 5.2.2: कार्यों में रेंजवार वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वृद्धि की रेंज	कार्यों की संख्या	मूल अनुबंध राशि	वृद्धित अनुबंध राशि
50 प्रतिशत तक	40	210.89	280.03
50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम	27	783.97	1,307.96
100 प्रतिशत से अधिक लेकिन 500 प्रतिशत से कम	27	132.99	350.81
500 प्रतिशत से अधिक	4	6.68	58.48

तालिका 5.2.3: मूल अनुबंध से भिन्नता वाले नमूना-जांच किए गए कार्य

क्र. सं.	विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	मंडलों की संख्या	नमूना-जांच किए गए कार्यों की संख्या	अनुबंध राशि	भुगतान किया गया[1]
				(₹ करोड़ में)	
1.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	13	4	30.81	24.74
2.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	6	1	2.01	2.90
3.	हरियाणा पुलिस आवास निगम	6	10	82.25	78.86
4.	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	5	4	27.82	22.21
	कुल		**19**	**142.89**	**128.71**

[1] लेखापरीक्षा के समय।

5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

"कार्यों के दायरे में वृद्धि और परिवर्तन" की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या:

- कार्यों के दायरे में वृद्धि/परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था;
- किसी नए कार्य को कार्य के दायरे में वृद्धि दिखाते हुए मूल कार्य में नहीं जोड़ा गया था;
- संवर्द्धन/परिवर्तन, ठेकेदार को भुगतान आदि के अनुमोदन के दौरान वित्तीय औचित्य सुनिश्चित किया गया था;
- संवर्द्धन/परिवर्तन की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली विद्यमान थी।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया था:

- हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड;
- विभागीय वित्तीय नियम और वित्तीय एवं तकनीकी शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- राज्य सरकार के निर्देश; और
- विभागीय निर्देश।

लेखापरीक्षा परिणाम

नमूना-जांच किए गए 117 कार्यों[2] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि उनके निष्पादन के दौरान नियमों, कोडल प्रावधानों और निर्देशों का उचित अनुपालन नहीं किया गया था। 13 कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक देरी हुई और पांच कार्य अपूर्ण पड़े थे। इन पांच कार्यों पर किया गया व्यय निष्फल रहा क्योंकि इन कार्यों से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा, इन सभी कार्यों की लागत भी बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप लोक धन का व्यय भी बढ़ गया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई सामान्य अनियमितताओं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.5 कार्यों के दायरे में वृद्धि

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.12 में प्रावधान है कि कभी-कभी अनुमोदित परियोजनाओं की मूल योजना में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामले में, संशोधित सार को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना चाहिए और उसके बाद संशोधित अनुमान

[2] 98 कार्यों में अनुबंध राशि में मूल अनुबंध राशि से 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई थी। 19 कार्यों में कमी/परिवर्तन देखे गए थे।

के रूप में माना जाना चाहिए। ठेकेदार को भुगतान करने से पहले कार्य की मदों की संख्या और मात्रा में परिवर्तन के कारण निष्पादन के दौरान अनुबंध मूल्य में वृद्धि या कमी के लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

वृद्धि के ऐसे मामले थे जहां या तो अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था या कार्योत्तर रूप से प्राप्त किया गया था। ऐसे मामलों का विवरण ***तालिका 5.5.1*** में दिया गया है।

तालिका 5.5.1: सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि के अनुमोदन की स्थिति

क्र. स.	विभाग/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	नमूना-जांच किए गए कार्यों की संख्या	मूल अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	वृद्धित अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि के अनुमोदन की स्थिति		
					अनुमोदित	कार्योत्तर रूप से अनुमोदित	अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया
1.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	26	408.15	795.75	8	7	11
2.	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	10	8.16	15.92	8	2	-
3.	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	4	11.75	19.75	4	-	-
4.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	20	30.10	46.74	4	15	1
5.	कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्थान	4	1.95	2.44	0	3	1
6.	हरियाणा पुलिस आवास निगम	11	118.04	194.50	11	-	-
7.	हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	1	11.12	14.76	1	-	-
8.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	6	528.78	883.93	6	-	-
9	शहरी स्थानीय निकाय	16	16.48	23.49	15	-	1
	कुल	**98**	**1,134.53**	**1,997.28**	**57**	**27**	**14**

वृद्धि के कुल 98 मामलों में से, केवल 57 मामलों को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदित करवाया गया था, जबकि 24 मामलों में, अनुमोदन कार्योत्तर रूप से प्रदान किया गया था और 14 मामलों में ***(परिशिष्ट 5.3)***, हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.12 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वृद्धि हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामले सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने तकनीकी स्वीकृति[3] प्रदान करने वाले प्राधिकारी से अनुबंधों में वृद्धि को अनुमोदन देने की शक्तियों को वापस ले लिया था (फरवरी 2023) और निर्णय लिया था कि मंत्रिमंडल की उप-समिति 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न कार्यों में अनेक अनियमितताएं पाई गई, जैसे विस्तृत अनुमान तैयार करने और कार्य आबंटन के समय निर्माण स्थल का जायजा न लेना, सक्षम प्राधिकारियों को संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए बिना बढ़ी हुई मात्रा के साथ कार्य निष्पादित करना और अनुबंधों में वृद्धि के लिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य निष्पादित करना। इसके अलावा, मॉनिटरिंग तंत्र की विफलता रही क्योंकि प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) के कार्यालय ने अनुबंध में वृद्धि के लिए संशोधित विस्तृत अनुमान और प्रस्ताव मांगे बिना अनुबंध राशि से अधिक भुगतान करना जारी रखा। तीन उदाहरणात्मक मामलों का सारांश निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में दिया गया है:

[3] वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या जीएसआर-8/संविधान/अनुच्छेद 283/2008 दिनांक 20 फरवरी 2008 के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी प्राधिकारों का प्रत्यायोजन।

क. घरौंडा (करनाल) में एन.सी.सी. अकादमी

घरौंडा, करनाल में एन.सी.सी. अकादमी के निर्माण का निर्णय अक्तूबर 2016 में लिया गया था। निर्णय के अनुपालन में, हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने 17 कार्यों के लिए ₹ 56.94 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2017)। दिसंबर 2017 में उच्च शिक्षा विभाग ने दो चरणों में कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया। चरण-I में, 10 कार्य (लड़कियों और लड़कों के छात्रावास, मेस ब्लॉक, सुविधाएं ब्लॉक, प्रशासन/गेस्ट हाउस, चारदीवारी, सड़कें और पार्किंग) किए जाने थे। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) ने फरवरी 2018 में इन संरचनाओं के लिए ₹ 18.12 करोड़ के विस्तृत अनुमान को स्वीकृति दी। फरवरी 2018 में 24 महीने की समय-सीमा के साथ ₹ 17.91 करोड़ की अनुबंध राशि पर कार्य आबंटित किया गया। इस प्रकार कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि फरवरी 2020 निर्धारित की गई।

सितंबर 2020 में तैयार किए गए 18वें रनिंग अकाउंट बिल जिसका भुगतान दिसम्बर 2020 में किया गया था, तक ठेकेदार को कुल ₹ 42.17 करोड़ का भुगतान किया गया था। सितंबर 2020 के बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। चरण-I में शामिल सभी कार्य अपूर्ण थे (दिसंबर 2024)। देखी गई मुख्य अनियमितताएं निम्नानुसार थी:-

- विस्तृत अनुमान तैयार करने, निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य शुरू करने के समय साइट की स्थितियों का आकलन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यों की लागत में वृद्धि हुई। दीवार का डिजाइन ईंट की दीवार से बदलकर आर.सी.सी. दीवार कर दिया गया और उपलब्ध स्थल के अनुसार दीवार की लंबाई और ऊंचाई भी बदल दी गई। परिणामस्वरूप, नए प्रस्ताव में चारदीवारी की लागत ₹ 0.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 15.89 करोड़ और सड़क व पार्किंग की लागत ₹ 0.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 6.82 करोड़ हो गई। भू-कार्य की निष्पादित मात्रा भी 63,824 घन मीटर से बढ़कर 2,77,361 घन मीटर हो गई।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹ 17.91 करोड़ की अनुबंध राशि से अधिक ₹ 24.26 करोड़ का भुगतान किया गया था।
- भू-कार्य की उच्च दरों के लिए ₹ 2.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। निविदा दर ₹ 160 प्रति घन मीटर के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 2,13,537 घन मीटर भू-कार्य के लिए ₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था।
- निर्माण सामग्री के एवज में ₹ 2.39 करोड़ का सिक्योर्ड अग्रिम ठेकेदार से वसूलनीय था।
- कार्य पूरा करने की नई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।
- बढ़ी हुई अनुबंध राशि के लिए ठेकेदार से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) साइट पर 70 प्रतिशत कार्य ₹ 42.50 करोड़ की लागत के साथ निष्पादित किया गया था और चरण-I के कार्यों को पूरा करने के लिए ₹ 59 करोड़ तक संभावित वृद्धि होगी। चरण-I और

चरण-II संरचनाओं के लिए ₹ 86 करोड़ का संशोधित अनुमान जुलाई 2021 में संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के लिए महानिदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में वृद्धि की मांग के लिए मामला प्रस्तुत किया जाएगा और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शेष कार्य शुरू किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित भू-कार्य पर अधिक भुगतान के लिए 19वां रनिंग अकाउंट बिल (जून 2022) तैयार करके ₹ 2.99 करोड़[4] की वसूली की गई थी। इस बिल में ₹ 0.92 करोड़ के सिक्योर्ड अग्रिम का समायोजन भी किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित निर्माण स्थल की स्थिति का आकलन करने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। अनुबंध राशि से अधिक भुगतान करने से पूर्व संशोधन अनुमोदित न करवाने से पैरा 10.1.12 के प्रावधान का भी उल्लंघन हुआ।

ख अंबाला कैंट में स्टेडियम का अपग्रेडशन

स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री, हरियाणा के अंबाला कैंट स्थित मौजूदा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) ने अक्तूबर 2015 में सेंट्रल पवेलियन के अपग्रेडशन, फीफा द्वारा अनुमोदित फुटबॉल टर्फ प्रदान करने और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन (आईएएएफ) द्वारा अनुमोदित आठ लेन के 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए एक अनुमान तैयार किया। हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा मामले विभाग के अपर मुख्य सचिव ने परियोजना के लिए ₹ 48.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2016)। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) ने मार्च 2017 में ₹ 45.58 करोड़ के विस्तृत अनुमान को स्वीकृति प्रदान की।

यह कार्य मार्च 2017 में एक एजेंसी को ₹ 40.49 करोड़ की अनुबंध राशि पर सौंपा गया था, जिसे मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए 24 महीने की समय-सीमा प्रदान की गई। एजेंसी को भुगतान किए गए 31वें रनिंग बिल जिसका भुगतान मई 2021 में किया गया, के अनुसार, एजेंसी को ₹ 114.03 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। उसके बाद से यह पूरी परियोजना अधूरी पड़ी थी। निम्नलिखित मुख्य अनियमितताएं पाई गई:

- विस्तृत अनुमान को स्वीकृति देने, निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य शुरू करने के समय से कार्य का दायरा नहीं बदला था। तथापि, कार्य पर व्यय ₹ 40.49 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 114.03 करोड़ तक बढ़ गया था।
- कार्य की ड्राईंग्स के अनुसार संशोधित विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया गया था जो प्रमुख अभियंता की ओर से निगरानी में विफलता को दर्शाता है क्योंकि ₹ 40.49 करोड़

[4] ₹ 2.99 करोड़ = ₹ 6.41 करोड़ (2,13,537 घन मीटर x ₹ 300 प्रति घन मीटर) - ₹ 3.42 करोड़ (2,13,537 घन मीटर x ₹ 160 प्रति घन मीटर)।

की अनुबंध राशि से ₹ 73.54 करोड़ का अधिक भुगतान संशोधित विस्तृत अनुमान और अनुबंध में वृद्धि के मामले को प्रस्तुत किए बिना किया गया था।

- ₹ 48.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक ₹ 65.46 करोड़ का व्यय अनियमित था।
- अधीक्षण अभियंता, अंबाला द्वारा कार्य में निष्पादित और भुगतान की गई स्टील मदों की जांच करने के लिए अंबाला परिमंडल के दो कार्यकारी अभियंताओं, एक उप-मंडल अभियंता और दो कनिष्ठ अभियंताओं की एक समिति (नवंबर 2021) का गठन किया गया। समिति द्वारा स्टील की मात्रा की जांच एवं सत्यापन किया गया और पाया कि अनिष्पादित मदों एवं गैर-अनुसूचित मदों के लिए अधिक दरों के कारण ठेकेदार को ₹ 65.38 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।
- संविदा के खंड 48.1 के अनुसार, ठेकेदार के रनिंग बिलों से छः प्रतिशत प्रतिधारण राशि की कटौती की जानी थी, जो कुल अनुबंध राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत तक होनी चाहिए थी। प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद 50 प्रतिशत प्रतिधारण राशि वापस की जानी थी और शेष 50 प्रतिशत दोष देयता अवधि के पूरा होने पर देय थी। परंतु, यह पाया गया था कि इस कार्य में काटी गई ₹ 4.45 करोड़ की कुल प्रतिधारण राशि (जनवरी 2021 में भुगतान किए गए 27वें रनिंग बिल तक) में से कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) मंडल संख्या 1, अंबाला ने ₹ 3.44 करोड़ की राशि ठेकेदार को वापिस कर दी थी (मार्च 2021) जो न केवल अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध था, बल्कि राज्य सरकार के हितों से भी समझौता किया गया था।
- कार्य पूरा करने की नई समय-सीमा तय नहीं की गई।
- बढ़ी हुई अनुबंध राशि के लिए ठेकेदार से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

अधीक्षण अभियंता, अंबाला ने बताया (जुलाई 2023) कि कार्य के संवर्धन का मामला जून 2021 में उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, स्वीकृति अभी वांछित थी। एजेंसी को किए गए अधिक भुगतान के संबंध में यह सूचित किया गया कि वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इस मामले को एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने वसूली पर स्टे दे दिया था तथा विभाग और ठेकेदार के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त कर दिया था (मार्च 2024)।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि प्रशासनिक अनुमोदन से ₹ 65.46 करोड़ का अधिक व्यय और अनुबंध राशि से ठेकेदार को ₹ 73.54 करोड़ का अधिक भुगतान अनियमित था। इसके अलावा, कार्य पूरा होने से पहले प्रतिधारण राशि वापिस करके और नवंबर 2021 में ₹ 65.38 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान की समय पर वसूली शुरू न करके राज्य सरकार के हितों की अनदेखी की गई, जबकि मध्यस्थता कार्यवाही से बहुत पहले ही अनियमितता सामने आ गई थी।

ग कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुटैल (करनाल) के लिए चारदीवारी

गांव कुटैल (करनाल) में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए ईंट की चारदीवारी के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमान को मई 2016 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा ₹ 5.73 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। बाद में, यह पाया गया कि ईंट की दीवार टिकाऊ नहीं होगी क्योंकि निर्माण स्थल के दोनों तरफ ड्रेन थी। संरचना को आर.सी.सी. की चारदीवारी में बदल दिया गया, जिसके लिए दिसंबर 2018 में संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 22.39 करोड़ प्रदान की गई और सितंबर 2019 में इसे फिर से ₹ 32.14 करोड़ के लिए संशोधित किया गया। कुल 4,269 मीटर की चारदीवारी में से 3,079 मीटर को आर.सी.सी. चारदीवारी में बदल दिया गया।

जून 2018 में 15 महीने की समय-सीमा के साथ ₹ 3.76 करोड़ में कार्य आबंटित किया गया था। दिसंबर 2020 में भुगतान किए गए 22वें रनिंग अकाउंट बिल के अनुसार ठेकेदार को कुल ₹ 36.96 करोड़ का भुगतान किया गया था। मई 2019 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध को बढ़ाकर ₹ 21.66 करोड़ कर दिया गया। निम्नलिखित मुख्य अनियमितताएं पाई गईं:

- प्रारंभिक अनुमान बनाने, निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य सौंपने के समय निर्माण स्थल की स्थितियों का आकलन नहीं किया गया था।
- ₹ 36.96 करोड़ का संशोधित अनुमान अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- ₹ 21.66 करोड़ के बाद के संवर्धन का मामला सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- प्रशासनिक स्वीकृति से ₹ 4.82 करोड़ का अधिक व्यय अनियमित था।
- कार्य का अंतिम बिल अब तक (दिसंबर 2024) तैयार नहीं किया गया था।
- भू-कार्य पर ₹ 3.16 करोड़[5] का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। 2,10,348 घन मीटर भू-कार्य के लिए ₹ 150 प्रति घन मीटर की निविदा दर के विरुद्ध ₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें), करनाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि असाधारण निर्माण स्थल स्थितियों और उपयोगकर्ता विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार अनुबंध की राशि ₹ 3.76 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 36.96 करोड़ की जानी थी।

उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मजबूती प्रदान करता है कि विस्तृत अनुमान तैयार करने और कार्य सौंपने के समय निर्माण स्थल की स्थितियों का आकलन नहीं किया गया था। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) की ओर से निगरानी तंत्र में विफलता थी क्योंकि भुगतान अनुमानित लागत, अनुबंध राशि और प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक हो चुका था।

[5] ₹ 3.16 करोड़ = 2,10,348 घन मीटर x ₹ 150 प्रति घन मीटर।

ऊपर चर्चा किए गए तीनों कार्य एक ही ठेकेदार को आबंटित किए गए थे। ठेकेदार द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) हरियाणा द्वारा उसे आबंटित 35 कार्यों में विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2024 में सभी 35 कार्यों के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच किए गए कार्यों की चर्चा अनियमितताओं के अनुसार आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

5.5.1 संवर्धन के लिए उत्तरदायी कारक

संवर्धन के मामलों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया था कि कार्यों के दायरे में वृद्धि के मुख्य उत्तरदायी कारक विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थितियों का अनुचित आकलन करने, कार्य आबंटन के बाद नई संरचनाओं/मदों को जोड़ने, कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में परिवर्तन, कार्य आबंटन से पहले कार्य का दायरा निश्चित न करने तथा स्थानीय निवासियों और जन प्रतिनिधियों की मांग थे। प्रमुख कार्यों में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में की गई है:

(i) विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थिति का अनुचित आकलन

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.3 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमान तैयार करते समय, भूमि की उपलब्धता सहित निर्माण स्थल की परिस्थिति का सही आकलन के लिए निर्माण स्थल का निरीक्षण आवश्यक है। बड़ी परियोजनाओं में, वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं निर्माण स्थल का दौरा करना चाहिए। तथापि, यह पाया गया था कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल का आकलन ठीक से नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

संवर्धन के मामलों, जहां निर्माण स्थल की परिस्थिति का उचित आकलन नहीं किया गया था, की नीचे चर्चा की गई है:

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
1.	2. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	करनाल में धनौड़ा एस्केप पर हाई लेवल ब्रिज	1.56	4.19	168.59

राज्य सरकार ने अक्तूबर 2018 में ₹ 4.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। विस्तृत अनुमान तकनीकी रूप से सितंबर 2019 में ₹ 1.92 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था। निविदा ₹ 1.81 करोड़ के लिए आमंत्रित की गई थी। जनवरी 2020 में कार्य ₹ 1.56 करोड़ में आबंटित किया गया था। परंतु कार्य शुरू करने से पहले, यह पाया गया कि कार्य निष्पादित नहीं किया जा सकता था क्योंकि 2019 में भारी वर्षा से मौजूदा जलमार्ग बढ़ गया था। नवंबर 2020 में संशोधित विस्तृत अनुमान तकनीकी रूप से ₹ 4.21 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार स्पैन की संख्या बढ़ाई गई और पुल की ऊंचाई बढ़ा कर बड़ा पुल प्रस्तावित किया गया था। अनुबंध रद्द कर बड़े पुल के लिए निविदा आमंत्रित करने की बजाय उसी अनुबंध पर कार्य करवा दिया गया था। कार्य नई ड्राइंग के अनुसार नवंबर 2020 में शुरू किया गया और जून 2021 में पूरा हुआ। सितंबर 2021 में ₹ 4.19 करोड़ का भुगतान किया गया। जुलाई 2021 में अनुबंध में वृद्धि को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया था।

अधीक्षण अभियंता, करनाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 तथा दिसंबर 2024) कि अतिरिक्त कार्य एक वर्ष पहले

अनुमोदित दरों पर निष्पादित किया गया था, जिस पर मुद्रास्फीति और दर वृद्धि का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। इसके अलावा, एजेंसी फरवरी 2020 में अपनी मशीनरी और मैनपावर निर्माण स्थल पर ले गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निविदाएं आमंत्रित करने से पहले साइट की बदली हुई स्थितियों का आकलन नहीं किया गया था और स्पैन की संख्या और ऊंचाई में वृद्धि के कारण, नया पुल पहले से आबंटित पुल की तुलना में पूरी तरह से एक नई संरचना थी। नए पुल के लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.7.2 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थी, जिसमें प्रावधान है कि कार्यों के लिए निविदाएं सबसे पारदर्शी तरीके से आमंत्रित की जानी चाहिए।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
2.	**5. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**जुंडला (करनाल) में सरकारी कॉलेज का निर्माण**	**10.85**	**15.40**	**41.94**

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 सरकारी कॉलेजों के निर्माण के लिए प्रति कॉलेज ₹ 12 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2016)। विस्तृत अनुमान तकनीकी रूप से जून 2017 में मानक आधार पर ₹ 11.06 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था (निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन किए बिना)। इसके बाद, जुंडला (करनाल) में सरकारी कॉलेज के निर्माण का कार्य जुलाई 2017 में ₹ 10.85 करोड़ के लिए 21 माह की समय सीमा के साथ आबंटित किया गया। परंतु, सरकारी कॉलेज, जुंडला के निर्माण स्थल की परिस्थिति के कारण, विभिन्न मदों की मात्रा में वृद्धि हुई जैसे कि भू-कार्य की मात्रा में 1,21,665 घन मीटर और स्टील में 1,831.49 क्विंटल की वृद्धि हुई। अगस्त 2019 में राज्य सरकार (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा ₹ 17.12 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जून 2022 में भुगतान किए गए 19वें रनिंग अकाउंट बिल तक एजेंसी को ₹ 15.40 करोड़ का भुगतान किया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल नंबर 2, करनाल द्वारा सक्षम प्राधिकारी (प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)) से अनुबंध में ₹ 4.55 करोड़ की वृद्धि अनुमोदित नहीं करवाई गई थी।

अधीक्षण अभियंता, करनाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि पूरे प्रदेश में 15 कॉलेजों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मानक अनुमोदन के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई थी। इस कार्य में निर्माण स्थल की परिस्थिति भिन्न थी क्योंकि निर्माण स्थल नीचा था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मदों की मात्रा और मिट्टी भरान में वृद्धि हुई और लागत बढ़ गई। उत्तर स्वयं-व्याख्यात्मक था कि कार्य के आबंटन से पहले निर्माण स्थल की परिस्थिति का आकलन नहीं किया गया था।

3.	**12. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**गांव पाई (कैथल) में कबड्डी स्टेडियम का निर्माण**	**3.65**	**5.00**	**36.99**

यह कार्य सितंबर 2019 में 12 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 3.65 करोड़ में आबंटित किया गया था। निष्पादन के दौरान दर्शक दीर्घाओं की संख्या में वृद्धि, चारदीवारी के विनिर्देशों में बदलाव और वर्षा जल संचयन प्रणाली के आकार में वृद्धि के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया। जुलाई 2021 में भुगतान किए गए तीसरे रनिंग अकाउंट बिल तक सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि हेतु अनुमोदन प्राप्त किए बिना एजेंसी को ₹ पांच करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

चूंकि निर्माण स्थल की परिस्थिति के अनुसार अनुमान तैयार नहीं किया गया था और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रदान की गई कुल निधियां खर्च की जा चुकी थी, कार्य जुलाई 2021 से अधूरा पड़ा था। अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 तथा दिसंबर 2024) कि ₹ 6.52 करोड़ का संशोधित अनुमान, संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जनवरी 2023 में उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कार्य अधूरा रह गया था और कार्य का प्रारंभिक अनुमान निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थिति का आकलन किए बिना तैयार किया गया था।

4.	**19. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**रेफरल पशु चिकित्सा निदान एवं विस्तार केंद्र (आरवीडीईसी), क्योड़क, कैथल**	**4.98**	**13.41**	**169.28**

₹ 5.01 करोड़ के विस्तृत अनुमान में आरवीडीईसी, क्योड़क में तकनीकी-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, पोस्टमॉर्टम ब्लॉक और आउटडोर क्लिनिक ब्लॉक के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। जनवरी 2019 में 18 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 4.98 करोड़ की अनुबंध राशि पर एक एजेंसी को कार्य आबंटित किया गया था। तथापि, स्थल की

वास्तविक स्थिति का आकलन किए बिना अनुमान तैयार करने के कारण, कार्य के निष्पादन के दौरान स्टील, आर.सी.सी. और भू-कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई। ठेकेदार ने जून 2021 तक ₹ 5.10 करोड़ का कार्य निष्पादित किया। उसके बाद कार्य रुक गया और निधियों की अनुपलब्धता के कारण सभी संरचनाएं अधूरी रह गईं। सितंबर 2022 में ठेकेदार को ₹ 0.73 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे कुल भुगतान ₹ 5.83 करोड़ हो गया।

कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल नंबर 2, कैथल और अधीक्षण अभियंता, कैथल के मध्य पत्राचार के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए ₹ 8.31 करोड़ की राशि अपेक्षित होगी क्योंकि निर्माण स्थल की परिस्थिति के अनुसार संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक थे।

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 तथा दिसंबर 2024) कि संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की व्यवस्था के लिए ₹ 18.18 करोड़ का संशोधित अनुमान नवंबर 2022 में उपयोगकर्ता विभाग को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, ₹ 38.59 करोड़ का पुनः संशोधित अनुमान तैयार किया गया जो कि संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सितंबर 2024 में उपयोगकर्ता विभाग को प्रस्तुत किया गया। उपयोगकर्ता विभाग से निधियां प्राप्त होने पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रकार, निर्माण स्थल की परिस्थित का आकलन किए बिना अनुमान तैयार करने के कारण, अनुबंध में बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता विभाग को संशोधित अनुमान प्रस्तुत न करने के कारण संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो सका और निधियां प्राप्त नहीं हो सकी। संरचनाएं जून 2021 से अधूरी पड़ी हुई थी।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
5.	**20. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**समसपुर, चरखी दादरी में नए स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण**	**10.85**	**19.77**	**82.21**

बहुउद्देशीय हॉल, बैडमिंटन हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, बाउंड्री वॉल, सिंथेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल स्टेडियम, लॉन टेनिस कोर्ट, हॉकी फील्ड, कबड्डी ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंड बॉल ग्राउंड और स्विमिंग पूल के लिए ₹ 20.80 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (जून 2019)। चरण-I के लिए, बहुउद्देशीय हॉल, टॉयलेट ब्लॉक, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बाउंड्री वॉल, सड़क और पार्किंग आदि के निर्माण के लिए ₹ 9.93 करोड़ का विस्तृत अनुमान अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और 18 माह की समय-सीमा के साथ उपर्युक्त सभी संरचनाओं के निर्माण के लिए फरवरी 2020 में एक एजेंसी को ₹ 10.85 करोड़ के लिए कार्य आबंटित किया गया था। कार्य के लिए विस्तृत अनुमान जो यह आश्वासन देता है कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से मजबूत हैं, निर्दिष्ट सेवा प्रयोजन के लिए उपयुक्त हैं और पर्याप्त डेटा के आधार पर अनुमान वास्तविक हैं, लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 9.5.1 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं कराया गया था। कार्य के विस्तृत अनुमान का अनुमोदन वांछित था (सितंबर 2022)।

इसके अतिरिक्त, वृद्धित भू-कार्य, बाउंड्री वॉल की लंबाई और ऊंचाई में वृद्धि, पानी की टंकी, आर.सी.सी. ड्रेन आदि के कारण, कार्य का दायरा बढ़कर ₹ 19.77 करोड़ हो गया।

एजेंसी ने मार्च 2022 तक ₹ 7.87 करोड़ का कार्य निष्पादित किया। ₹ 19.77 करोड़ के लिए वृद्धि का मामला मई 2022 में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को प्रस्तुत किया गया था। संशोधित अनुमान और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में कार्य निलंबित रहा।

अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि ₹ 10.85 करोड़ की अनुबंध राशि के भीतर कार्य पूरा करना संभव नहीं था। उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित अनुमान तैयार किया जा रहा था। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आगे यह बताया गया (दिसंबर 2024) कि विभाग ने ₹ 11.10 करोड़ खर्च करने के बाद अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। शेष कार्य नई निविदाओं के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य शुरू करने से पहले निर्माण स्थल की परिस्थित और वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया गया था और विभाग ने चरण-I में प्रस्तावित संरचनाओं को पूरा किए बिना ही अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया था।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
6.	**86. नगर निगम, अंबाला**	**अंबाला के वार्ड 7 में जलबेरा चौक से सेशन ड्रेन और सेशन ड्रेन से झंडू टायर तक बरसाती नाले का निर्माण**	**0.62**	**1.64**	**164.52**
जनवरी 2018 में, वार्ड नंबर 7 में ड्रेन के निर्माण का कार्य आबंटित किया गया था, लेकिन कार्य के आबंटन के बाद, यह पाया गया कि जिस सड़क के साथ ड्रेन का निर्माण किया जाना था, वह लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की थी, नगर निगम की नहीं। नवंबर 2018 में निर्माण स्थल को 'सेक्टर 9 और 10 चौक से जांडली की ओर शमशान घाट तक' के रूप में बदल दिया गया और इस के लिए विस्तृत अनुमान मई 2019 में ₹ 1.56 करोड़ के लिए तकनीकी रूप से अनुमोदित किया गया। निर्माण स्थल में परिवर्तन के कारण यह पूरी तरह से नया कार्य बन गया। नई निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, अनुबंध राशि को ₹ 0.62 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 1.64 करोड़ करके पुराने ठेकेदार को कार्य आबंटित कर दिया गया था। कार्य अगस्त 2021 में पूरा हुआ था। ठेकेदार को उसके 7वें और अंतिम बिल के लिए अक्तूबर 2021 में ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान किया गया था। मामला नगर निगम, अंबाला के समक्ष उठाया गया (अप्रैल 2023, जून 2023 और सितंबर 2024), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।				

उपर्युक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय और कार्य आबंटन से पहले निर्माण स्थल की परिस्थिति का समुचित आकलन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आबंटन के बाद कार्य का दायरा बढ़ गया। तीन कार्य (क्रम संख्या 3, 4 और 5) उपयोगकर्ता विभाग से संशोधित स्वीकृति और निधियों के अभाव में निलंबित रहे और अधूरी संरचनाओं पर ₹ 21.93 करोड़ के निवेश के बाद कार्य रूके पड़े थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2023), तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने बताया कि निर्देश जारी किए गए हैं कि निर्माण स्थल की परिस्थिति का उचित आकलन करने के बाद ही विस्तृत अनुमान तैयार किए जाएं और अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

(ii) कार्यों के आबंटन के बाद नई मदें/संरचना जोड़ने के कारण वृद्धि

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.7.2 के अनुसार कार्यों को पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित कर निष्पादित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जहां कार्यों के आबंटन के बाद नई संरचनाएं और मदें जोड़ी गई जिसके परिणामस्वरूप अनुबंधों में वृद्धि हुई जो प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के प्रावधान के विरूद्ध थी।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
1.	**13. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**कैथल जिले में ढांड पूंडरी राजौंद अलेवा सड़क (एमडीआर 113) किलोमीटर 22.10 से 39.96 तक की विशेष मरम्मत**	**2.20**	**3.55**	**61.36**
सड़क के दो हिस्सों के लिए दो अलग-अलग प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गई थी। पहले हिस्से (किलोमीटर 26.00 से 39.96) के लिए ₹ 2.54 करोड़ का अनुमान और दूसरे हिस्से (किलोमीटर 22.10 से 26.00) के लिए ₹ 0.71 करोड़ का अनुमान तैयार किया गया था। पहले हिस्से के लिए ₹ 2.54 करोड़ के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई और मार्च 2019 में चार माह की समय-सीमा के साथ ₹ 2.20 करोड़ के लिए एक एजेंसी को कार्य आबंटित किया गया। पहले हिस्से के कार्य आबंटन के अनुबंध में दूसरे हिस्से का कार्य भी ₹ 0.71 करोड़ के लिए उसी एजेंसी से करवा लिया गया। कार्य अक्तूबर 2019 में पूरा हो गया था। प्रमुख अभियंता ने जनवरी 2021 में अनुबंध में				

₹ 3.28 करोड़ तक की बढ़ोतरी अनुमोदित की। कार्य अक्तूबर 2019 में पूरा हो गया था, लेकिन एजेंसी को ₹ 3.55 करोड़ का अंतिम भुगतान मार्च 2021 में किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि दोनों कार्यों को एक ही अनुबंध में निष्पादित किया जाना था लेकिन असावधानीपूर्वक विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (डी.एन.आई.टी.) में पहले कार्य की मात्रा ही ली गई और गलती का पता बाद में चला तथा निविदा आमंत्रित करने में देरी से बचने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुबंध में बढ़ोतरी स्वीकृत करवाई गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ठेकेदार को केवल एक ही कार्य आबंटित किया गया था और दूसरा कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुबंध में बढ़ोतरी करके जोड़ दिया गया था।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
2.	**9. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**अंबाला कैंट में एस.डी.ओ. सिविल कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण**	**15.59**	**34.80**	**123.22**

कार्य के लिए ₹ 41.52 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था और दिसंबर 2018 में इस अनुमान के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 41.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी फिर भी ₹ 15.46 करोड़ (फरवरी 2019) की विस्तृत अनुमान तैयार किया गया और कार्य एक एजेंसी को फरवरी 2019 में 21 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 15.59 करोड़ में आबंटित किया गया। यह कार्य नवंबर 2021 में पूरा हुआ।

प्रमुख अभियंता ने मई 2022 में अनुबंध में ₹ 34.80 करोड़ तक बढ़ोतरी स्वीकृत की, जिसका अर्थ था कि विस्तृत अनुमान वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। जुलाई 2023 तक ठेकेदार को ₹ 34.52 करोड़ का अंतिम भुगतान किया जा चुका था।

अधीक्षण अभियंता, अंबाला ने उत्तर दिया (जुलाई 2022 और जुलाई 2023) कि कार्य के दायरे में वृद्धि अग्निशमन संरचना, सीमेंट कंक्रीट पार्किंग, चारदीवारी के कार्य जोड़ने के कारण और मिट्टी की खराब गुणवत्ता, कीचड़युक्त क्षेत्र, उच्च भूजल स्तर के कारण सलाहकारों द्वारा डीवाटरिंग वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट संरचनाओं के विनिर्देशों में संशोधनों आदि के कारण हुई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण और अध्ययन में निर्माण स्थल की परिस्थिति, मिट्टी की वहन क्षमता, जल स्तर आदि का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, ₹ 41.52 करोड़ के अनुमानित लागत अनुमान में सभी सहायक संरचनाओं के प्रावधान थे, जिन्हें विस्तृत अनुमान और विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना तैयार करते समय अनदेखा कर दिया गया था। यह सूचित किया गया (दिसंबर 2024) कि कार्य में वृद्धि को कैबिनेट की उप-समिति द्वारा फरवरी 2023 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

3.	**77 (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**	**गुरुग्राम सेक्टर-17 (पॉकेट-सी) से लेग नंबर II सेक्टर डिवाइडिंग रोड 14/17, तक 500 मिलीमीटर आई/डी आर.सी.सी. एनपी3 पाइपलाइन प्रदान करना और बिछाना, मैनहोल चैंबर आदि का निर्माण करना।**	**0.23**	**3.05**	**1,226.09**

गुरुग्राम के सेक्टर 17 में 20 में सड़क की नालियों और 19 मैनहोल के निर्माण सहित 750 मीटर आर.सी.सी. एनपी3 स्टॉर्म ड्रेन पाइप बिछाने का मूल कार्य नवंबर 2018 में ₹ 0.23 करोड़ में आबंटित किया गया था, जिसे पूरा करने की समय-सीमा तीन माह थी। दिसंबर 2019 में, अपर मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम ने निविदा आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर पटौदी शहर के सेक्टर 1 में सड़कों की मरम्मत का नया कार्य आबंटित करके अनुबंध को ₹ 3.05 करोड़ तक बढ़ा दिया। एजेंसी ने कार्य पूरा कर लिया था और अंतिम भुगतान अक्तूबर 2021 में किया गया था।

4.	**79. (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**	**आउटफॉल मास्टर ड्रेन लेग नं. I और II का निर्माण और मैनहोल कवर लगाना, आदि।**	**298.48**	**483.20**	**61.84**

दिसंबर 2014 में 57.33 किलोमीटर आर.सी.सी. बॉक्स टाइप ड्रेन बिछाने के लिए मूल कार्य ₹ 298.48 करोड़ में आबंटित किया गया, जिसे पूरा करने की समय-सीमा 18 माह थी। सितंबर 2018 में मुख्य अभियंता-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला द्वारा अनुबंध में पहली वृद्धि ₹ 392.27 करोड़ तक की गई, जिसमें गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में 4.510 किलोमीटर आर.सी.सी. बॉक्स टाइप ड्रेन बिछाने का नया कार्य शामिल किया गया। अप्रैल 2019 में मुख्य अभियंता द्वारा 5.81 किलोमीटर आर.सी.सी. बॉक्स टाइप ड्रेन बिछाने और दो पुलिया के नए कार्यों

को जोड़कर अनुबंध को ₹ 483.20 करोड़ तक बढ़ा दिया गया, जो कि गुरुग्राम में स्टॉर्म जल निकासी के समुचित कार्य के लिए तत्काल करना आवश्यक था। वृद्धित कार्य मई 2019 तक पूरा किया जाना था।

बरसाती जल निकासी तंत्र को चालित करने के लिए नए कार्य तत्कालिक एवं आवश्यकता के आधार पर जोडे गए थे। यह पाया गया था कि कार्य जनवरी 2023 तक भी अधूरा था। मार्च 2020 तक ठेकेदार को कुल ₹ 349.24 करोड़ का भुगतान किया गया था। मार्च 2020 के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे में तत्कालिकता एवं अविलंबता की दलील स्वीकार्य नहीं थी।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
5.	**81. (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**	**सोहना रोड से एनएच-8 गुरुग्राम तक दक्षिणी पेरिफेरल मास्टर रोड का निर्माण**	**2.65**	**18.09**	**582.64**

1.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए मूल कार्य सितंबर 2013 में आबंटित किया गया था, जिसे पूरा करने के लिए चार माह अर्थात जनवरी 2014 तक की समय-सीमा प्रदान की गई थी। मार्च 2014 में लगभग 314 मीटर सड़क को छोड़कर, जिसका मुकदमा चल रहा था, अनुबंध पूरा हो गया था। मुख्य अभियंता-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ने जनवरी 2017 में सेक्टर 58 में नई सड़क के निर्माण और सेक्टर 61/62 की आंतरिक सड़कों के कुछ हिस्से तात्कालिकता के आधार पर अनुबंध में ₹ 18.09 करोड़ तक की बढ़ोतरी करके आबंटित कर दिए। एजेंसी ने ₹ 9.63 करोड़ का कार्य किया, जिसका भुगतान अप्रैल 2019 में 10वें और अंतिम बिल के रूप में किया गया।

नए कार्यों के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने की बजाय पहले से पूर्ण हो चुके अनुबंध को बढ़ा दिया गया, जो गंभीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 58 में नई सड़क के लिए वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका।

6.	**82. (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)**	**सेक्टर-81 से 98, गुरुग्राम को बाहरी ड्रेन स्टॉर्म योजना प्रदान करना**	**226.93**	**378.16**	**66.64**

मूल कार्य मार्च 2013 में सोहना रोड से एनएच-8, गुरुग्राम तक बादशाहपुर नाले के निर्माण के लिए आबंटित किया गया था। कार्य में 2.9 किलोमीटर बॉक्स टाइप ड्रेन के नए कार्य को जोड़कर दिसंबर 2014 में पहली बार में अनुबंध को बढ़ाकर ₹ 306.47 करोड़ कर दिया गया। फरवरी 2017 में नाले के तटबंध को मजबूती प्रदान करने, आर.सी.सी. संप वेल आदि की खुदाई के नए कार्य जोड़कर अनुबंध को बढ़ाकर ₹ 333.30 करोड़ कर दिया गया। मार्च 2019 में हीरो होंडा चौक और सोहना/वाटिका चौक पर आर.सी.सी. पुलिया के निर्माण के नए कार्य जोड़कर अनुबंध को तीसरी बार बढ़ाकर ₹ 378.16 करोड़ कर दिया गया। तीनों कार्यों में ठेकेदार को मार्च 2019 और दिसंबर 2019 में ₹ 375.52 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्य पूरा हो गया था और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया (जुलाई 2020)। तथापि, अंतिम बिल अभी तैयार किया जाना शेष था (जनवरी 2023)।

इस प्रकार, नई प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय पुराने अनुबंध में नए कार्य जोड़े गए और ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया। नए कार्यों को तात्कालिकता का संदर्भ देते हुए जोड़ा गया था और उल्लेख किया गया था कि यदि नई निविदाएं आमंत्रित की गई होती तो कम दरों की उम्मीद नहीं थी।

उपर्युक्त मामलों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने नए कार्यों के लिए स्वतंत्र निविदाएं आमंत्रित नहीं की थी, बल्कि मौजूदा ठेकेदारों को उनकी अनुबंध राशि में वृद्धि करके नामांकन के आधार पर कार्य आबंटित किए गए थे। यह वित्तीय नियमों और पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा के लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार अनुबंध के पेनल्टी संबंधी प्रावधानों से बंधे नहीं रहे थे क्योंकि कार्य के बढ़े हुए दायरे को पूरा न करने/देरी करने आदि के लिए उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2023), अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने बताया कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता वाली

एक समिति बढ़ोतरी का आकलन करेगी और प्रमाणित करेगी कि कार्य का बढ़ा हुआ दायरा मूल अनुबंध का अभिन्न अंग है और अनुबंध को उसी ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए या कार्य के बढ़े हुए दायरे को मूल अनुबंध से अलग किया जा सकता है तथा स्वतंत्र रूप से निविदाएं आमंत्रित करने के बाद निष्पादित किया जाना चाहिए।

(iii) कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण वृद्धि

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 16.19.2 में प्रावधान है कि बदलावों और बदलाव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, विस्तृत योजनाएं और विनिर्देश और ड्राइंग निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। यह पाया गया कि कार्यों के आबंटन के बाद विनिर्देशों में बदलाव किया गया था, जो साबित करता है कि विस्तृत योजनाएं और विनिर्देश निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार नहीं बनाए गए थे। प्रारंभ में निविदाएं कम राशि के लिए आमंत्रित की गई फिर कार्य आबंटन के बाद बिना कोई औचित्य बताए विनिर्देशों में बदलाव किया गया जिसके कारण अनुबंधों में बढ़ोतरी हुई। अत: निविदा प्रक्रिया में अपारदर्शिता और अप्रतिस्पर्धा का जोखिम था।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
1.	**14. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**जींद जिले में बरोदा से नगूरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करके विशेष मरम्मत**	**14.41**	**17.87**	**24.01**
उपरोक्त सड़क को 5.50 मीटर से 7.00 मीटर तक चौड़ा करने और सड़क को मजबूत करने का कार्य 12 माह की समय-सीमा के साथ सितंबर 2021 में ₹ 14.41 करोड़ के लिए एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। अनुमान में 50 मिलीमीटर सघन बिटुमिनस मैकडैम का प्रावधान था। कार्य आबंटन के बाद, विनिर्देशों को 75 मिलीमीटर सघन बिटुमिनस मैकडैम में बदल दिया गया। यह कार्य जून 2022 में पूरा किया गया था। प्रमुख अभियंता ने जुलाई 2022 में अनुबंध में ₹ 14.41 करोड़ से ₹ 17.90 करोड़ की बढ़ोतरी स्वीकृत की। नवंबर 2022 में 7वें और अंतिम बिल तक ₹ 17.87 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि यातायात गणना अक्तूबर 2021 में करवाई गई थी और पाया गया कि सड़क पर वाहनों का यातायात बढ़ गया था। जिसके कारण नवीनतम इंडियन रोड़ कांग्रेस (आई.आर.सी.) कोड के अनुसार सघन बिटुमिनस मैकडैम की परत 50 मिलीमीटर से बढ़ाकर 75 मिलीमीटर की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य सितंबर 2021 में आबंटित करने के बाद यातायात गणना अक्तूबर 2021 में करवाई गई जो कि विस्तृत अनुमान बनाने से पहले करवाई जानी चाहिए थी।				
2.	**15. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**कैथल जिले के कलायत में 50 बेड वाले अस्पताल का निर्माण**	**5.88**	**7.99**	**35.88**
उपरोक्त कार्य जनवरी 2018 में 18 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 5.88 करोड़ की राशि के लिए आबंटित किया गया था। कार्य सितंबर 2019 तक पूरा होना था। आठवें और अंतिम बिल तक ₹ 7.99 करोड़ का भुगतान दिसंबर 2021 में किया गया था। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल, नरवाना ने कार्य पूरा होने के 15 माह बाद, वृद्धि का मामला नवंबर 2021 में प्रस्तुत किया। प्रमुख अभियंता द्वारा दिसंबर 2021 में अनुबंध को ₹ 5.88 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8.09 करोड़ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। वृद्धि के लिए बताए गए मुख्य कारण विद्युत सबस्टेशन, वर्षा जल संचयन संरचना, अग्निशमन प्रणाली और पार्किंग क्षेत्र जैसी नई संरचनाओं को शामिल करना और आर.सी.सी. कार्य के लिए स्टील बार की बढ़ी हुई मात्रा, दरवाजे, खिड़कियों और वेंटिलेटर के लिए एल्यूमीनियम का प्रयोग किया गया। इस प्रकार, कार्य आबंटन के बाद परिवर्धन किया गया और विनिर्देशों में बदलाव किया गया।				

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि उपयोगकर्ता विभाग के हस्तक्षेप के कारण भवन निर्माण कार्य का दायरा बढ़ गया। विद्युत सबस्टेशन, वर्षा जल संचयन संरचना, अग्निशमन प्रणाली आदि जैसी नई संरचनाएं जोड़ी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ये संरचनाएं बिल्डिंग कोड 2017 के अनुसार भवन का अनिवार्य हिस्सा थी और इन्हें प्रारंभिक अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, वृद्धि का मामला कार्य पूरा होने के 15 माह बाद प्रस्तुत किया गया था।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
3.	**17. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**पांडु पिंडारा, जींद में बस स्टैंड और वर्कशॉप का निर्माण**	**20.00**	**26.57**	**32.85**

उपरोक्त कार्य अप्रैल 2018 में 24 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 20 करोड़ के लिए एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। कार्य मई 2020 में पूरा हुआ और एजेंसी को कुल ₹ 26.57 करोड़ का भुगतान सितंबर 2021 तक किया गया। परंतु वृद्धि के लिए मामला अगस्त 2021 में प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत किया गया था।

कार्य आबंटन के बाद आर.सी.सी. कार्य में स्टील की मात्रा में वृद्धि, फर्श, छत, लैंडिंग, बालकनियों और एक्सेस प्लेटफॉर्म आदि के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया। इस प्रकार, कार्य आबंटन के बाद संशोधित विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किए बिना विनिर्देशों में बदलाव किया गया।

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि अतिरिक्त घटकों जैसे अग्निशमन प्रणाली के लिए आर.सी.सी. टैंक, टैक्सियों के लिए ट्रैक्स की संख्या में बढ़ोतरी, पेवर ब्लॉक, एनएच-352 से जोड़ने के लिए सड़क और कार्य के निष्पादन के दौरान उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य परिवर्तनों के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया था। संवर्द्धन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवा लिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य आबंटन के बाद विनिर्देश में बदलाव किया गया था, जिनका आकलन विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किया जाना चाहिए था।

4.	**18. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुआना, जींद का निर्माण**	**4.07**	**7.16**	**75.92**

उपरोक्त कार्य के लिए राज्य सरकार ने अक्तूबर 2018 में ₹ 7.66 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति की थी। कार्य का विस्तृत अनुमान मार्च 2019 में ₹ 4.28 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था। कार्य मई 2019 में एक एजेंसी को 18 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 4.07 करोड़ के लिए आबंटित किया गया था। कार्य मई 2021 में पूरा हो चुका था और जुलाई 2021 तक एजेंसी को ₹ 7.16 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रमुख अभियंता द्वारा संशोधित विस्तृत अनुमान मांगे बिना अक्तूबर 2021 में ₹ 7.16 करोड़ की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की थी।

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि आवासों की संख्या में वृद्धि, चारदीवारी, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सेप्टिक टैंक आदि के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृद्धि को स्वीकृत कर लिया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में बदलाव किया था जिनका आकलन विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किया जाना चाहिए था।

5.	**21. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**बाधरा से बेरला रोड पर किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं सीसीपी**	**3.20**	**6.23**	**94.69**

उपरोक्त कार्य अगस्त 2019 में नौ माह की समय-सीमा के साथ ₹ 3.20 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। कार्य आबंटन के बाद, निवासियों की मांग पर, सड़क की चौड़ाई को चार लेन तक बढ़ाया गया और गांव के हिस्से में सीमेंट कंक्रीट रोड़ तथा साइड ड्रेन का निर्माण किया गया। सितंबर 2021 में चौथे रनिंग अकाउंट बिल तक ₹ 6.23 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि संवर्धन की स्वीकृति के लिए मामला तैयार किया जा रहा है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य निष्पादित कर दिया गया था।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
6.	**23. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**लोहारू में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण**	**2.38**	**4.16**	**74.79**
यह कार्य जून 2017 में 12 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 2.38 करोड़ में आबंटित किया गया था। कार्य आबंटन के बाद स्टील, आर.सी.सी. व सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मदों में बढ़तरी हो गई। सितंबर 2021 में तीसरे रनिंग अकाउंट बिल के लिए कुल ₹ 4.16 करोड़ का भुगतान किया गया था। भूमिगत जल टैंक, सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ, प्रवेश एवं निकास द्वारों और पार्किंग जैसी अतिरिक्त संरचनाओं के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया था। वृद्धि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं करवाया गया था। अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि संवर्धन की स्वीकृति के लिए मामला तैयार किया जा रहा है और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2024) कि कार्य दिसंबर 2020 में पूरा हो गया था और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। तथ्य यह है कि कार्य सक्षम प्राधिकारी से संशोधित विनिर्देशों की स्वीकृत करवाए बिना निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध राशि से अधिक का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से संशोधित विस्तृत अनुमान और अनुबंध में वृद्धि के अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए था।				
7.	**24. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**भिवानी जिले में बड़वा से तलवंडी तक नई लिंक रोड किलोमीटर 0.00 से 7.00 तक का निर्माण**	**4.75**	**6.12**	**28.84**
उपरोक्त कार्य अगस्त 2021 में ₹ 5.60 करोड़ के लिए प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किया गया था। विस्तृत अनुमान को उसी माह ₹ 4.84 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। कार्य सितंबर 2021 में छः माह की समय-सीमा के साथ ₹ 4.75 करोड़ में आबंटित किया गया था। एजेंसी ने वाटर बाउंड मैकडैम की अतिरिक्त परत लगाकर सड़क को संशोधित विनिर्देशों के साथ ₹ 6.12 करोड़ की लागत से दिसंबर 2021 में कार्य पूरा किया गया। अक्तूबर 2021 में संशोधित विस्तृत अनुमान को ₹ 5.69 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी और नवंबर 2021 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.84 करोड़ की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जून 2023) कि इंडियन रोड कांग्रेस कोड के मानकों के अनुसार विनिर्देश बदले गए थे। तथापि, तथ्य यह है कि कार्य आबंटन के बाद विनिर्देश में बदलाव किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध राशि से अधिक का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से संशोधित विस्तृत अनुमान और अनुबंध में वृद्धि की स्वीकृति के बिना किया गया था।				
8.	**25. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**नगर परिषद, भिवानी द्वारा अमृत योजना परियोजना के अंतर्गत भिवानी शहर की विभिन्न सड़कों पर किए गए रोड़ कट की विशेष मरम्मत**	**0.76**	**1.70**	**123.68**
कार्य के लिए सितंबर 2020 में ₹ 0.95 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। उसी महीने ₹ 0.75 करोड़ के विस्तृत अनुमान को स्वीकृति दी गई थी। कार्य को पूरा करने के लिए 6 माह की समय-सीमा के साथ दिसंबर 2020 में ₹ 0.76 करोड़ का आबंटन किया गया था। कार्य आबंटन के बाद, बिटुमिनस मैकडैम, ग्रैनुलर सब-बेस (जीएसबी) आदि की मात्रा में वृद्धि करके विनिर्देशों में बदलाव किया गया था। नवंबर 2021 में चौथे और अंतिम बिल के लिए ₹ 1.70 करोड़ का भुगतान किया गया था। अक्तूबर 2021 में संशोधित विस्तृत अनुमान ₹ 1.64 करोड़ और संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 1.71 करोड़ के लिए प्रदान की गई। वृद्धि के लिए अनुमोदन भी अक्तूबर 2021 में प्रदान किया गया था। अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि नगर परिषद, भिवानी द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को तोड़ा गया था। नगर निगम, भिवानी द्वारा रोड कट के आकार में वृद्धि के कारण कार्य का दायरा बढ़ा। विनिर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तथ्य यह है कि कार्य आबंटन के बाद कार्य का दायरे में बदलाव किया गया।				

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
9.	**26. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक, भिवानी के परिसर में पुस्तकालय एवं वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण**	**5.75**	**8.32**	**44.70**
उपरोक्त कार्य 18 माह की समय-सीमा के साथ मार्च 2017 में ₹ 5.75 करोड़ में आबंटित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान, कई मदों के विनिर्देशों में बदलाव किया गया जिसमें दीवारों की ग्रिट फिनिश, वॉटर प्रूफिंग, सीमेंट कंक्रीट विनिर्देश आदि शामिल थे। जनवरी 2021 में नौवें रनिंग अकाउंट बिल के लिए ₹ 8.32 करोड़ का भुगतान किया गया था। उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। दिसंबर 2024 तक वृद्धि की स्वीकृति के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि उपयोगकर्ता विभाग के अनुरोध पर साइट पर आवश्यकता के अनुसार कई मदों के विनिर्देशों में बदलाव किया गया। वृद्धि की स्वीकृति के लिए मामला अतिशीघ्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। तथ्य यह है कि कार्य आबंटन के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्य के विनिर्देशों में बदलाव किया गया।				
10.	**87 नगर निगम, अंबाला**	**वार्ड नंबर 1 से 11, अंबाला शहर के विभिन्न पार्कों में बच्चों के खेलने के उपकरणों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग**	**0.29**	**0.47**	**62.07**
बच्चों के खेलने के उपकरण जैसे मल्टी प्ले स्टेशन, चेन स्विंग, मैरी गो राउंड आदि की आपूर्ति और फिक्सिंग के बजाय, प्रत्येक में सात उपकरणों[6] वाले 13 ओपन जिम स्थापित किए गए। इस परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। मामला नगर निगम, अंबाला के समक्ष उठाया गया (अप्रैल 2023, जून 2023 और सितंबर 2024), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।				

उपर्युक्त मामलों में, कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में बदलाव अनुबंधों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण था। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यकारी अभियंताओं द्वारा विनिर्देशों में बदलाव किया गया। तीन कार्यों (उपर्युक्त तालिका की क्रम संख्या 2, 3 और 4) में, कार्य पूरा होने के बाद वृद्धि के मामले सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए थे। चार कार्यों (उपर्युक्त तालिका की क्रम संख्या 5, 6, 9 एवं 10) में अब तक (दिसंबर 2024) वृद्धि के मामले सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2023) के दौरान, विभागीय अधिकारियों द्वारा यह बताया गया था कि बजट की कमी को ध्यान में रखते हुए, अनुमान कम रखा गया था, लेकिन विस्तृत अनुमान तैयार करने और वास्तविक निष्पादन में समय के अंतराल में सड़कों की स्थिति और खराब हो जाती है इसलिए संशोधन आवश्यक हो जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रारंभिक अनुमान अपर्याप्त थे और वे निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे जो कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग (एच.पी.डब्ल्यू.डी.) कोड के पैरा 16.19.2 की भावना के विपरीत था, जिसमें प्रावधान है कि भिन्नता को न्यूनतम रखा जाना चाहिए तथा निर्माण स्थल की वास्तविक परिस्थिति के अनुसार विस्तृत योजनाएं और विनिर्देश बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा, तीन कार्यों में वृद्धि के मामले कार्य पूरा होने के बाद प्रस्तुत किए गए थे और चार कार्यों में वृद्धि के मामले अभी तक (दिसंबर 2024) प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

[6] एयर स्विंग, हॉर्स राइडर, लेग प्रेस, सीटेड चेस्ट प्रेस, एलिप्टिकल एक्सरसाइजर, आर्म व्हील, सिंगल पोल सिट अप साइकिल।

(iv) कार्य आबंटन से पहले कार्य का दायरा तय नहीं किया गया

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.7 में प्रावधान है कि एक व्यापक विस्तृत अनुमान को ड्राइंग और डिजाइन के पूर्ण विवरण एवं गणना पर आधारित होने चाहिए। कार्य की विभिन्न मदों की मात्रा की गणना ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, कार्य शुरू होने से पहले एक विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कार्यों में, कार्य आबंटन से पहले विस्तृत अनुमान तैयार करने और कार्य के दायरे को अंतिम रूप देने के संबंध में कमियां पाई गई।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
1.	**6. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**पानीपत-सफींदो सड़क से असंध सड़क का सुदृढ़ीकरण खुखराना, आसन मोड़ माजरा गोली फर्म पानीपत जिलों की सीमा तक**	**2.15**	**2.82**	**31.63**
सितंबर 2019 में प्रारंभिक अनुमान ₹ 2.98 करोड़ के लिए प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत किया गया था। अनुमान में 40 मिलीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) (मात्रा 3,308 घन मीटर) का प्रावधान था। अक्तूबर 2019 में विस्तृत अनुमान के अनुमोदन के समय बिटुमिनस कंक्रीट की मात्रा घटाकर 30 मिलीमीटर (मात्रा 2,482 घनमीटर) कर दी गई, जिसके कारण अभिलेख में दर्ज नहीं किए गए। विनिर्देशों में कमी के लिए कोई कारण या औचित्य बताए बिना विस्तृत अनुमान ₹ 1.82 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था। बिटुमिनस कंक्रीट की कम मात्रा के साथ, कार्य ₹ 2.15 करोड़ में आबंटित किया गया था। तथापि, कार्य शुरू होने के बाद, बिटुमिनस कंक्रीट की मात्रा फिर से बढ़ाकर 40 मिलीमीटर कर दी गई और जनवरी 2020 में अनुबंध में ₹ 0.67 करोड़ की वृद्धि की गई। अधीक्षण अभियंता, करनाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि विस्तृत अनुमान की स्वीकृति के दौरान कार्य की लागत को कम करने के लिए बिटुमिनस कंक्रीट को 30 मिलीमीटर तक कम कर दिया गया था। लेकिन कार्य शुरू होने पर, यह पाया गया कि सड़क पर यातायात काफी बढ़ गया था और बिटुमिनस कंक्रीट की परत फिर से 40 मिलीमीटर तक कर दी गई थी। इस प्रकार, विस्तृत अनुमान के अनुमोदन के समय बिटुमिनस कंक्रीट की मोटाई में कमी अनुचित थी।				
2.	**11. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में अंबाला कैंट में युद्ध स्मारक का निर्माण**	**189.41**	**362.56**	**91.42**
उपरोक्त कार्य के लिए ₹ 174.92 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान जनवरी 2018 में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किया गया था। 24 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 189.41 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए जून 2018 में एक एजेंसी को कार्य आबंटित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान, कार्य के दायरे में चार संरचनाएं जोड़ी गई जिसमें बहुमंजिला पार्किंग - ₹ 24.19 करोड़, अतिरिक्त विद्युत कार्य - ₹ 23.06 करोड़, आवासीय क्वार्टर - ₹ 3.80 करोड़ और रिटेनिंग संरचना - ₹ तीन करोड़ शामिल थे। कुछ और बदलावों के कारण तथा इन कार्यों को कार्य के दायरे में सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा ₹ 261.07 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। मार्च 2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध में ₹ 189.41 करोड़ से बदलकर ₹ 249.10 करोड़ की बढ़ोतरी स्वीकृत की। इसके अलावा, अगस्त 2023 में ₹ 362.56 करोड़ के लिए पुनः संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनवरी 2023 में हरियाणा मंत्रिमंडल की उप-समिति से भी ₹ 362.56 करोड़ के लिए अनुबंध में वृद्धि को अनुमोदन मिल गया था। नवंबर 2024 तक, ठेकेदार ने ₹ 292.31 करोड़ का कार्य कर लिया था। अधीक्षण अभियंता, अंबाला ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि कार्य के निष्पादन के दौरान, उपयोगकर्ता विभाग की मांग पर चार अतिरिक्त मदें जोड़ी गई थी और ड्राइंग में संशोधन के आधार पर अन्य विनिर्देशों में बदलाव किया गया था। अत: प्रारंभिक अनुमान के समय कार्य के दायरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और कार्य के वास्तविक दायरे को अंतिम रूप देने से पहले ही कार्य आबंटित कर दिया गया था।				

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जुलाई 2023) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने बताया कि कार्य विशेष प्रकृति का था और हरियाणा में पहली बार किया गया था। अनुमान और निविदा के समय कार्य के संपूर्ण दायरे का आकलन करना तथा उसे अंतिम रूप देना संभव नहीं था। तथ्य यह है कि कार्य के संशोधित दायरे और वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं की गई थी।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	तक वृद्धित (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
3.	**16. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**कैथल जिले के कलायत में एसडीओ (सी) कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण**	**8.57**	**12.63**	**47.37**

कार्य का विस्तृत अनुमान सितंबर 2019 में ₹ 8.20 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। कार्य सितंबर 2019 में ₹ 8.57 करोड़ के लिए 18 माह की समय-सीमा अर्थात अप्रैल 2021 तक के लिए आबंटित किया गया था। कार्य के दायरे में वृद्धि विभिन्न मदों में बदलाव के कारण हुई, जिनका कार्य आबंटन के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करते समय सही रूप में आकलन नहीं किया गया था। इस प्रकार, आर.सी.सी. कार्य में ₹ 64.78 लाख की वृद्धि हुई, स्टील की खपत में ₹ 87.49 लाख की वृद्धि हुई, स्टेनलेस स्टील में ₹ 16.18 लाख की वृद्धि हुई और साइट पर ₹ 88.81 लाख की ऐसी मदों का निष्पादन किया गया जो विस्तृत अनुमान तथा विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल नहीं थी।

कार्य जनवरी 2022 में पूरा हो गया था और एजेंसी को ₹ 11.03 करोड़ के 15वें रनिंग अकाउंट बिल का भुगतान जनवरी 2022 में किया गया और ₹ 12.63 करोड़ के 16वें एवं अंतिम बिल का भुगतान अप्रैल 2023 में किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, कैथल ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में स्वीकार किया कि अग्निशमन कार्य, स्ट्रक्चरल स्टील, आर.सी.सी., स्टेनलेस स्टील आदि की मात्रा में वृद्धि के कारण कार्य का दायरा बढ़ गया। मई 2023 में मंत्रिमंडल की उप-समिति से अनुबंध में वृद्धि को मंजूरी मिल गई।

4.	**22. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**भिवानी जिले के ढिगावा जट्टां में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण**	**3.62**	**5.00**	**38.12**

उपरोक्त कार्य के लिए ₹ 4.01 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान को दिसंबर 2016 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य का विस्तृत अनुमान जून 2017 में ₹ 3.36 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था। सितंबर 2017 में ₹ 3.62 करोड़ के लिए 15 माह की समय-सीमा के साथ अर्थात दिसंबर 2018 तक के लिए कार्य आबंटित किया गया। यह पाया गया था कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय कार्य के दायरे का सही ढंग से आकलन नहीं किया गया था क्योंकि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय मात्राएं कम ली गई थी। कार्य के निष्पादन के दौरान टीएमटी स्टील की खपत और आर.सी.सी. कार्य में काफी वृद्धि हुई थी। ₹ पांच करोड़ का अंतिम भुगतान दिसंबर 2019 में चौथे रनिंग अकाउंट बिल के लिए किया गया था और कार्य अभी भी पूरा होना शेष था।

अधीक्षण अभियंता, भिवानी ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि अतिरिक्त संरचनाओं, जो भवन का अभिन्न अंग थी, का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, ₹6.88 करोड़ का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया गया था (दिसंबर 2019)। संशोधित अनुमान और वृद्धि की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2024)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.12 के अनुपालन दायरे में वृद्धि के कारण व्यय करने से पहले संशोधित अनुमान और अनुबंध में वृद्धि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए।

(v) जनता की मांग पर विनिर्देशों/परिवर्धनों में परिवर्तन

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैराग्राफ 10.1.12 में प्रावधान है कि किसी अनुमान की स्वीकृति के बाद, कभी-कभी मूल विधि में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामले में, उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार विवरण को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। पहले से अनुमोदित लागत और मात्रा के विवरण को फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और संशोधित विवरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद अनुमोदित अनुमान के रूप में माना जाएगा।

निम्नलिखित मामलों में, यह पाया गया था कि जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर कार्यों का दायरा बढ़ाया गया था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
1.	**1. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**करनाल जिले में कोंड-मुनक-सलवान असंध रोड (एमडीआर 114) रेलवे किलोमीटर 99/21-23 क्रॉसिंग पर एलसी नंबर 61 पर दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी के एप्रोच का निर्माण**	**21.93**	**37.33**	**70.22**
फरवरी 2017 में कार्य के लिए ₹ 50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) की एप्रोच रोड और सर्विस रोड के निर्माण के लिए विस्तृत अनुमान को जनवरी 2019 में ₹ 21.67 करोड़ में स्वीकृत किया गया। कार्य जनवरी 2019 में एक एजेंसी को 24 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 21.93 करोड़ में आबंटित किया गया था। लेकिन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मार्च 2019 में जनप्रतिनिधियों द्वारा तीन डायवर्जन सड़कों के निर्माण हेतु विभाग को अनुरोध प्राप्त हुआ। कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल नंबर 1, करनाल ने नवंबर 2019 और नवंबर 2020 के मध्य उच्च प्राधिकारियों को ₹ 7.68 करोड़ के तीन अलग-अलग अनुमान प्रस्तुत किए, जिन्हें उच्च प्राधिकारियों द्वारा ₹ 7.11 करोड़ के लिए विधिवत अनुमोदित किया गया। इन सड़कों के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने के बजाय रेलवे ओवर ब्रिज के लिए एप्रोच रोड बनाने वाले ठेकेदार से ही कार्य करवाया गया। नवंबर 2021 तक इस कार्य पर ₹ 24.09 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। उसके बाद, स्थानीय जनता और जन- प्रतिनिधियों द्वारा वायडक्ट हिस्से को बढ़ाने की मांग के कारण कार्य रुका हुआ था। प्रस्तुत प्रस्ताव (जनवरी 2022) के अनुसार वायडक्ट हिस्से की लंबाई में वृद्धि से ₹ 14.08 करोड़ की अतिरिक्त लागत लगनी थी। परियोजना की कुल लागत ₹ 21.93 करोड़ से बढ़कर ₹ 43.12 करोड़ (प्रारंभिक अनुबंध राशि ₹ 21.93 करोड़ + तीन डायवर्जन सड़कें ₹ 7.11 करोड़ + वायडक्ट हिस्से में वृद्धि ₹ 14.08 करोड़) हो गई। उसी ठेकेदार से तीन सड़कों के निर्माण के संबंध में, अधीक्षण अभियंता, करनाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि जनता ने यातायात की आवाजाही के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने की मांग की (फरवरी 2019) और तीनों सड़कों का कार्य उसी एजेंसी से निष्पादित करवाया गया क्योंकि रेलवे ओवर ब्रिज से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य एजेंसी को शामिल करना उचित नहीं समझा गया उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करते समय जनता की मांगों पर गहनता से विचार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य का दायरा ₹ 21.93 करोड़ से बढ़कर ₹ 37.36 करोड़ हो गया और जनवरी 2021 से अक्तूबर 2024 तक 45 माह का अधिक समय लगा। इसके अलावा, चूंकि मूल अनुबंध में तीन डायवर्जन सड़कें शामिल नहीं थी, इसलिए इन सड़कों पर व्यय नई निविदाएं आमंत्रित करने के बाद ही किया जाना चाहिए था। यह सूचित किया गया (दिसंबर 2024) कि अक्तूबर 2023 में मंत्रिमंडल की उप-समिति द्वारा अनुबंध को ₹ 37.33 करोड़ तक बढ़ोतरी स्वीकृत की गई और अक्तूबर 2024 में 15वें रनिंग अकाउंट बिल तक ₹ 37.36 करोड़ का भुगतान किया गया था।				
2.	**8. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**जगाधरी अंबाला रोड से मुनेरहेरी**	**1.14**	**4.63**	**306.14**
कार्य का विस्तृत अनुमान, जो कि अगस्त 2019 में ₹ 1.11 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया था, में सड़क पर 20 मिलीमीटर प्रीमिक्स कार्पेट का प्रावधान था। कार्य सितंबर 2019 में छः माह की समय-सीमा के साथ ₹ 1.14 करोड़ की अनुबंध राशि पर आबंटित किया गया था। जनता की मांग पर, 50 मिलीमीटर बिटुमिनस मैकडैम प्रदान करके कार्य के विनिर्देशों में बदलाव किया गया। सितंबर 2020 में ₹ 3.77 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यद्यपि कार्य जून 2021 में पूरा हो गया था, लेकिन अनुबंध को बढ़ाकर ₹ 4.63 करोड़ कर दिया गया था। मई 2024 में ₹ 4.53 करोड़ का अंतिम भुगतान किया गया था। अक्तूबर 2023 में कैबिनेट की उप-समिति से अनुबंध में वृद्धि को अनुमोदन प्राप्त हुआ था। हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.10.4 के अनुसार किसी भी सड़क प्रोजेक्ट के अनुमान में मौजूदा या				

अपेक्षित यातायात का अनुमान, सीबीआर[7] का मूल्यांकन और सड़क का डिजाइन शामिल किया जाना चाहिए। सड़क के डिजाइन के लिए यातायात गणना करवाना आवश्यक है। इस मामले में, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई और केवल स्थानीय मांग पर अनुबंध की वृद्धि की गई।

अधीक्षण अभियंता, अंबाला ने उत्तर दिया (जुलाई 2023 और दिसंबर 2024) कि कार्य आबंटन में देरी होने के कारण सड़क की स्थिति खराब हो गई। इसलिए आवश्यकतानुसार विनिर्देशों में परिवर्तन किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्य सितंबर 2019 में आबंटित किया गया था, अनुमान के अनुमोदन से एक माह के भीतर। इसके अलावा, यातायात गणना के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि विनिर्देशों में आवश्यकता के अनुसार बढ़ोतरी की गई थी।

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	तक वृद्धित	वृद्धि की प्रतिशतता
3.	**10. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)**	**अंबाला कैंट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल**	**8.29**	**31.35**	**278.17**

यह कार्य मार्च 2019 में एक एजेंसी को 18 माह की समय-सीमा के साथ ₹ 8.29 करोड़ में आबंटित किया गया था। परंतु, जन प्रतिनिधि की मांग पर वॉर्मिंग-अप पूल, बॉक्सिंग हॉल, बैठने की जगह आदि को जोड़कर कार्य का दायरा बढ़ाया गया और नवंबर 2021 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध को बढ़ाकर ₹ 26.56 करोड़ कर दिया गया। प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए पैरा 13.7.2 के अनुसार नई जोड़ी गई संरचनाओं के लिए अलग से निविदाएं आमंत्रित करने के बजाय, अनुबंध राशि को बढ़ाकर कार्य निष्पादित कराए गए थे। प्रारंभ में फरवरी 2018 में ₹ 15.91 करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे दिसंबर 2020 में पहली बार संशोधित कर ₹ 33.14 करोड़ और अक्तूबर 2021 में दूसरी बार संशोधित कर ₹ 43.90 करोड़ किया गया था। एजेंसी ने दिसंबर 2021 में कार्य पूरा कर लिया था, जिसके लिए सितंबर 2024 में ₹ 31.35 करोड़ का अंतिम भुगतान किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, अंबाला ने स्वीकार किया (जुलाई 2023) कि जनप्रतिनिधि की मांग पर कार्य का दायरा बढ़ाया गया था। इसके अलावा, जुलाई 2024 में कैबिनेट की उप-समिति द्वारा वृद्धि मामले को स्वीकृति प्रदान की थी।

इन कार्यों में जनता एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर कार्य का दायरा बढ़ाया गया। यातायात गणना के अभाव में, सड़क की बेहतर विनिर्देशों की आवश्यकताओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नई संरचनाओं को पहले से आबंटित दरों पर नई प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित किए बिना निष्पादित किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2023), अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने बताया कि जन प्रतिनिधियों की मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए संशोधन किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निर्णय लिया था कि रेलवे ओवर ब्रिज के लिए, वायडक्ट हिस्से में स्थानीय निवासियों को मार्ग प्रदान किया जाएगा। तथापि, तथ्य यह है कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं/ मांगों का आकलन किया जाना चाहिए।

(vi) निविदा राशि को प्रारम्भ में ई-निविदा सीमा से कम रखना

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.6.3 (I) के अनुसार, निविदा की राशि को किसी विशेष अधिकारी के निविदा स्वीकार करने के अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए कृत्रिम रूप से कम करके और बाद में निविदा राशि को पूरी लागत तक बढ़ाना वर्जित है। राज्य सरकार द्वारा जून 2016 से ई-निविदा के लिए प्रारंभिक सीमा ₹ एक लाख निर्धारित की गई थी। इस प्रकार ₹ एक लाख से कम लागत वाले कार्य के लिए ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जा सकती थी। तकनीकी शक्तियों

[7] सड़क की मजबूती मापने के लिए कैलिफ़ोर्निया बियरिंग अनुपात।

के प्रत्यायोजन के अनुसार, कार्यकारी अभियंता केवल ₹ पांच लाख तक की निविदाएं स्वीकार कर सकते हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल, सिरसा के संज्ञान में आया कि जनवरी 2019 से सितंबर 2021 के दौरान कार्यों की अनुमानित लागत को ₹ एक लाख से कम रखकर 113 कार्यों को ऑफ़लाइन निविदाएं आमंत्रित कर आबंटित किया गया था (निविदा नोटिस मंडल के नोटिस बोर्ड पर चिपकाए गए थे)। बाद में कार्यकारी अभियंताओं (ई.ई.) ने प्रत्येक अनुबंध को ₹ 4.99 लाख तक बढ़ा दिया, अर्थात उस सीमा तक, जिस तक कार्यकारी अभियंता निविदाएं स्वीकार कर सकता था। इन 113 अनुबंधों में कुल अनुबंध राशि ₹ 1.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 5.11 करोड़ हो गई थी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल, हिसार में सितंबर 2018 से मार्च 2022 के मध्य ऑफलाइन निविदा के माध्यम से ₹ 0.63 करोड़ में 66 कार्य आबंटित किए गए, जिन्हें बाद में बढ़ाकर ₹ 5.10 करोड़ (₹ 3.11 लाख से ₹ 19.58 लाख के मध्य) कर दिया गया। हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.1.2 के प्रावधानों के उल्लंघन में, इन सभी 179 मामलों के लिए कार्यों के उद्देश्य, विशेष डिजाइन अपनाने के कारण, निष्पादित की जाने वाली विभिन्न मदों की मात्रा आदि दर्शाने वाले विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। विस्तृत अनुमानों के अभाव में, वास्तविक आवश्यकताओं और वृद्धि के कारणों को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

प्रारंभिक निविदा राशि को ₹ एक लाख की सीमा से नीचे रखते हुए निविदा प्रक्रिया का उल्लघंन करके, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा की कमी तथा नामांकन के आधार पर आबंटित गैर-प्रतिस्पर्धी दरों पर कार्यों का निष्पादन करके चयनित ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करने की संभावना है।

5.6 कार्य के दायरे में कमी/परिवर्तन

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैराग्राफ 9.3.10 के अनुसार, यदि मूल प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तो भले ही लागत संभवतः अन्य मदों पर बचत करके कवर की जा सकती हो, संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 9.5.2 में प्रावधान है कि यदि, तकनीकी स्वीकृति देने के बाद, विभिन्न मदों या संरचनात्मक परिवर्तनों की संभावना हो, तो इसकी संस्वीकृति मूल सक्षम प्राधिकारी से ली जाए भले ही परिवर्तनों में कोई अतिरिक्त व्यय शामिल न हो। लेखापरीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि 19 कार्यों ***(परिशिष्ट 5.2)*** में कार्य निष्पादन के दौरान हुए बदलावों की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई और लंबे समय से रुके कार्यों को बंद नहीं किया गया। पाई गई अनियमितताओं की चर्चा निम्नलिखित उप-अनुच्छेदों में की गई है:

(i) कार्यों के दायरों में कमी

कार्यों के दायरों में कमी चार मामलों में पाई गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 5.2*** की क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 में दिया गया है।

निम्नलिखित कार्य में, कार्य के दायरे को कम कर दिया गया लेकिन संशोधित विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया गया और कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन

प्राप्त नहीं किया गया था।

(₹ करोड़ में)

परिशिष्ट 5.2 में क्र.सं. तथा विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि	संशोधित अनुबंध राशि
4. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	**ढांड पूंडरी राजौंद अलेवा रोड किलोमीटर 0 से 15.40 तक फोरलेनिंग एवं सुदृढ़ीकरण**	**22.42**	**19.68**
संपूर्ण सड़क के लिए ₹ 32.55 करोड़ के तीन विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए गए थे। ₹ 25.67 करोड़ के लिए एक सामूहिक विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना स्वीकृत की गई थी और कार्य जनवरी 2017 में ₹ 22.42 करोड़ के लिए, कार्य प्रारंभ तिथि अर्थात मार्च 2017 से 18 माह की समय-सीमा के साथ आबंटित किया गया था। अक्तूबर 2020 में भुगतान किए गए 15वें रनिंग अकाउंट बिल के लिए एजेंसी को ₹ 19.68 करोड़ का भुगतान किया गया था। इस राशि में से ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान अतिरिक्त निष्पादित मदों के लिए किया गया था और ₹ 0.12 करोड़ का भुगतान वृद्धि के लिए किया गया था। इस प्रकार ₹ 22.42 करोड़ की अनुबंध राशि के विरूद्ध ₹ 17.79 करोड़ का कार्य निष्पादित किया गया था। अक्तूबर 2020 के बाद कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। न तो कार्य का अंतिम बिल पारित किया गया और न ही सक्षम प्राधिकारी से परिवर्तन स्वीकृत करवाया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल अनुमोदित 15.400 किलोमीटर सड़क निर्माण में से लगभग दो किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया। 18,700 वर्गमीटर में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक नहीं बिछाए गए। इसके अतिरिक्त, 8,529 मीटर 100 मिलीमीटर डीआई पाइपलाइन बिछाई गई और घरेलू कनेक्शन (₹ 1.77 करोड़) ठेकेदार से निष्पादित कराए गए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं थी। इस प्रकार, हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 10.16.8 के संदर्भ में कार्य को कम करने के लिए संशोधित अनुमान को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया और ₹ 1.77 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2023), विभागीय अधिकारियों ने सूचित किया कि साइट पर आवश्यकता न होने के कारण सड़क की लंबाई कम की गई थी। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण से पहले डीआई पाइपलाइन बिछाने का कार्य निष्पादित किया जाना अपेक्षित था। इसलिए एजेंसी से कार्य करवाया गया था। सक्षम प्राधिकारी से परिवर्तन के अनुमोदन के लिए मामला नवंबर 2024 में प्रस्तुत किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि विविधताओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया और अंतिम बिल भी लंबित था।			

(ii) निष्पादन के दौरान कार्य की मदों में परिवर्तन

हरियाणा पुलिस आवास निगम और हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम में यह पाया गया था कि 14 कार्यों में अनुबंध की मदों में काफी बदलाव किया गया था ***(परिशिष्ट 5.4)***। इन विविधताओं को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इन कार्यों में ₹ 110.05 करोड़ की अनुबंध राशि के विरूद्ध कुल ₹ 99.10 करोड़ का भुगतान किया गया। इन 14 कार्यों में, यह पाया गया कि साइट पर निष्पादित कुछ मदें विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल नहीं थी, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की कुछ मदें बिल्कुल भी निष्पादित नहीं की गईं थी और कुछ मदें 20 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के साथ निष्पादित की गईं थी जैसा कि ***तालिका 5.6.1*** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6.1: नमूना-जांच किए गए कार्यों में मदों के निष्पादन में पाई गई विविधता

क्र. सं.	विविधता	मदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	साइट पर निष्पादित मदें जो विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल नहीं थी	363	4.96
2.	विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की मदें साइट पर निष्पादित नहीं की गई	359	8.44
3.	विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की मदें जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता थी	528	21.11
	कुल विविधता		**34.51**

5.7 उच्च दरें प्रदान कर ठेकेदार को अनुचित लाभ

निम्नलिखित कार्यों में, वृद्धि के कारकों में से एक अनुबंध में पहले से ही शामिल मदों पर उच्च दरों की अनुमति थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 73.73 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

तालिका 5.7.1: नमूना-जांच किए गए कार्य जिनमें ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	कार्य का नाम	अधिक भुगतान किया गया	वसूल की गई राशि
1.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	घरौंडा (करनाल) में एन.सी.सी. अकादमी	2.99	2.99
2.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुटैल (करनाल) में चारदीवारी का निर्माण	3.16	--
3.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	अंबाला कैंट में युद्ध स्मारक स्टेडियम का उन्नयन	65.38	--
4.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	जुंडला (करनाल) में सरकारी कॉलेज का निर्माण	1.88	3.65
5.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	बबैन शहर में किलोमीटर 43.10 से 45.50 (2.40 किलोमीटर) तक लाडवा शाहबाद रोड (एसएच-07) को चार लेन का बनाना	0.10	--
6.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	500 मिलीमीटर आई/डी आर.सी.सी. एनपी3 पाइपलाइन प्रदान करना और बिछाना, सेक्टर-17 (पॉकेट-सी) से लेग नंबर II सेक्टर डिवाइडिंग रोड 14/17, गुरुग्राम तक मैनहोल चैंबर आदि का निर्माण।	0.22	--
		कुल अतिरिक्त भुगतान किया गया	**73.73**	

क्र.सं. 1 से 3 में दिए गए कार्यों की चर्चा पैराग्राफ 5.5क से 5.5ग में की गई है। पहले और दूसरे कार्य में, मिट्टी के कार्य के लिए उच्च दरें प्रदान करके ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था। ₹ 150 प्रति घनमीटर तथा ₹ 160 प्रति घनमीटर की निविदा दरों के विरूद्ध ₹ 300 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। पहले कार्य के मामले में, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद अनुवर्ती रनिंग बिल में अतिरिक्त राशि की वसूली की गई थी। तीसरे कार्य में विभागीय समिति ने पाया कि अपूर्ण कार्यों तथा गैर-अनुसूचित मदों की बढ़ी हुई दरों के कारण ठेकेदार को ₹ 65.38 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। रिपोर्ट बनाते समय इस राशि की वसूली अभी भी लंबित थी।

क्र.सं. 4 से 6 में सूचीबद्ध कार्यों की चर्चा नीचे दी गई है:

- **क्र.सं. 4 -** मूल विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, 26,405 घन मीटर भू-कार्य का प्रावधान था, जिसके लिए ठेकेदार ने ₹ 145 प्रति घन मीटर की निविदा दी थी। 18वें रनिंग अकाउंट बिल में निष्पादित भू-कार्य की कुल मात्रा 1,48,070 घनमीटर थी। मूल मात्रा (26,405 घन मीटर) का भुगतान ₹ 145 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था, लेकिन 1,21,665 घन मीटर की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था। एजेंसी को ₹ 1.88 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, निष्पादित कार्य से कुल 1,21,665 घन मीटर भू-कार्य की कटौती कर दी गई (जून 2022 में भुगतान किए गए 19वें रनिंग अकाउंट बिल में), जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 3.65 करोड़ की वसूली कर ली गई थी।

- **क्र.सं. 5** -मद सीमेंट कंक्रीट 1:1.5:3 के लिए अनुबंध के अनुसार अनुबंध दरें ₹ 3,600 प्रति घन मीटर थी। तथापि, इस मद की निष्पादित 431.94 घन मीटर मात्रा के लिए ₹ 5,966.40 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 10.22 लाख (₹ 2,366.40 * 431.94 घन मीटर) का अधिक भुगतान किया गया। कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि अंतिम भुगतान के समय अधिक भुगतान के मामले की जांच की जाएगी।
- **क्र.सं. 6** - वृद्धि के अनुमोदन के समय, अपर मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम ने निर्देश दिया था कि बिटुमेन के एस्केलेशन क्लॉज का पालन किया जाए। तथापि, बिटुमिन की दरों में गिरावट के लिए कोई वसूली नहीं की गई और एजेंसी को ₹ 21.67 लाख का अधिक भुगतान किया गया था। मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2023)। कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (मई 2024)।

5.8 वृद्धि का प्रभाव

5.8.1 वृद्धि का अनुमोदन न मिलने के कारण अपूर्ण कार्य

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैराग्राफ 16.37.1 के अनुसार ऐसे कई कारक हैं जिनका कार्य के पूरा होने पर प्रभाव पड़ता है तथा पर्याप्त तैयारी और दूरदर्शिता के साथ इसके परिणामों को टाला या कम किया जा सकता है। पैराग्राफ के अनुसार व्यापक दिशानिर्देशों में (i) सर्वेक्षण कार्य व्यापक होना चाहिए और निर्माण स्थल की परिस्थिति निविदा में वर्णित तथ्यों से भिन्न नहीं होनी चाहिए; (ii) आवश्यक निर्णयों पर स्वीकृति बिना किसी अनुचित देरी के दी जानी चाहिए और (iii) प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जानी शामिल हैं।

तथापि, यह पाया गया था कि निर्माण स्थल की परिस्थितियों के आकलन में कमियों, विभिन्न प्राधिकारियों के अनिर्णय और प्रगति की निगरानी में विफलता के कारण निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं किए जा सके और इन कार्यों पर किया गया व्यय निष्फल पड़ा रहा। वृद्धि के अनुमोदन में देरी या/अनुमोदन न मिलने के कारण इन कार्यों में 18 से 60 माह तक की देरी हो चुकी थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि अवार्ड की तिथि (पूरा करने की लक्ष्य अवधि)	व्यय की स्थिति (दिसंबर 2024 तक)
1.	3.	करनाल जिले में एन.सी.सी. अकादमी घरौंडा	17.91 02 जुलाई 2018 (24 माह)	42.17 (18वां रनिंग बिल दिनांक 11 दिसंबर 2020)
सभी निर्माण कार्य जैसे कि लड़कों के छात्रावास, लड़कियों के छात्रावास, चारदीवारी आदि निर्माण स्थल की परिस्थितियों का सही आकलन न करने के कारण अधूरी पड़ी थी। प्रशासन/गेस्ट हाउस, सुविधाएं ब्लॉक, सड़क और पार्किंग जैसी संरचनाएं अब तक (जुलाई 2023) शुरू नहीं की गई थी। विभाग द्वारा जारी समग्र निधियों का व्यय हो जाने के कारण संरचनाएं अधूरी रह गई और कुछ घटकों को शुरू ही नहीं किया जा सका।				

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि अवार्ड की तिथि (पूरा करने की लक्ष्य अवधि)	व्यय की स्थिति (दिसंबर 2024 तक)
2.	**7.**	**अंबाला कैंट में स्टेडियम**	**40.49 20 मार्च 2017 (24 माह)**	**114.03 (31वां रनिंग बिल दिनांक 22 मई 2021)**
₹ 40.49 करोड़ की अनुबंध राशि के विरूद्ध ₹ 114.03 करोड़ का व्यय होने के बाद भी स्टेडियम का कार्य अधूरा पड़ा था। स्ट्रक्चरल स्टील के लिए अतिरिक्त दरों और अनुबंध राशि से अत्यधिक व्यय के संबंध में अधीक्षण अभियंता द्वारा उठाई गई आपत्तियां पर निर्णय न होने के कारण कार्य अधूरा रह गया।				
3.	**12.**	**कैथल जिले के गांव पाई में कबड्डी अकादमी की सुविधाओं वाला कबड्डी हॉल**	**3.65 13 सितंबर 2019 (12 माह)**	**5.00 (तीसरा रनिंग बिल दिनांक 16 जुलाई 2021)**
उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रदान किया गया पूरा बजट समाप्त हो जाने और अतिरिक्त निधियों की कमी तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग के अभाव के कारण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था।				
4.	**19.**	**कैथल जिले के गांव क्योड़क में आरवीडीईसी के विभिन्न भवन अर्थात तकनीकी-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, पोस्टमार्टम ब्लॉक और आउटडोर क्लिनिक ब्लॉक**	**4.99 11 जनवरी 2019 (18 माह)**	**5.83 (छठा रनिंग बिल दिनांक 22 सितंबर 2024)**
क्योड़क में आरवीडीईसी को सभी प्रकार से पूरा करने के लिए ₹ 8.31 करोड़ (लगभग) की अतिरिक्त राशि अपेक्षित थी। विस्तृत अनुमान तैयार करने के साथ-साथ कार्य निष्पादन के दौरान विभागीय प्राधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग का अभाव था।				
5.	**20.**	**समसपुर, चरखी दादरी में नया स्पोर्टस स्टेडियम**	**10.85 10 फरवरी 2020 (18 माह)**	**11.10 (चौथा रनिंग बिल दिनांक 6 जून 2024)**
विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थितियों का आकलन नहीं किया गया था। पहले चरण में प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे नहीं हो सके।				

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जुलाई 2023), अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने बताया कि इन परियोजनाओं पर निर्णय लिए जा रहे हैं और कार्य बहुत जल्द प्रारंभ किए जाएंगे।

5.8.2 कार्य पूर्ण करने में विलंब

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैराग्राफ 16.37.1 के अनुसार, विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना लागत में बढ़ोतरी और संविदात्मक दावे में बढ़ोतरी, सुविधा के उपयोग में देरी और राजस्व हानि होने की संभावना होती है। कार्यों के दायरे में वृद्धि और बदलाव के कारण कार्यों को पूरा होने में अत्यधिक विलंब हुआ। यह पाया गया था कि 13 कार्यों ***(परिशिष्ट 5.5)*** में, कार्यों को पूरा करने में चार से 45 माह तक का विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक अनुबंध राशि ₹ 102.49 करोड़ के विरूद्ध लागत में ₹ 59.51 करोड़ (58.06 प्रतिशत) की वृद्धि हो गई।

किसी भी कार्य के पूरा होने में विलंब से सार्वजनिक व्यय से वांछित लाभ प्राप्त करने में देरी होती है।

5.9 आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण ऐसी गतिविधियां और सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाते हैं कि उसकी गतिविधियां योजना के अनुसार चलें। किसी भी सफल संगठन के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जरूरी है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निरंतरता के लिए किसी संगठन की मॉनिटरिंग प्रणाली अति महत्वपूर्ण है। प्रभावी मॉनिटरिंग, उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। यह उन कार्यक्रमों में अधिक महत्व रखता है जहां कार्यों की प्रगति में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित होता है।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच में आंतरिक नियंत्रण और मॉनिटरिंग प्रणाली में कई कमियों का पता चला, जिन्हें निम्नलिखित अनुच्छेदों में बताया गया है:

5.9.1 अनुमोदित राशि से अधिक निधियां जारी करना

सक्षम प्राधिकारी से अनुबंध राशि में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त किए बिना 14 मामलों में, अनुबंध राशि से अधिक व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 5.3)***। यह पाया गया कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में, ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल के लिए प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) कार्यालय द्वारा बजट जारी किया जाता है, परंतु प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा अनुबंधों में भारी वृद्धि को अनदेखा किया गया और निधियां जारी की गईं।

यह पाया गया था कि 14 मामलों में ₹ 108.91 करोड़ के अनुबंधों के विरुद्ध ₹ 255.70 करोड़ का भुगतान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया था। 27 मामलों में, वृद्धि के मामले कार्य पूरा होने के बाद प्रस्तुत किए गए थे और अनुबंध राशि से अधिक व्यय होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार अनुबंध राशि से अधिक का भुगतान करने से पहले स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

5.9.2 संशोधित विस्तृत अनुमानों के बिना वृद्धि की स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में कार्य के बढ़े हुए दायरे का संशोधित अनुमान एक भी मामले में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कुल 26 नमूना-जांच किए गए मामलों में से, 15 मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी। सभी 15 मामलों में वृद्धियों के संशोधित विस्तृत अनुमान मांगे और पारित किए बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। संशोधित विस्तृत अनुमानों के अभाव में, लेखापरीक्षा में निर्माण कार्यों में मूल परिवर्तन का आकलन नहीं किया जा सका।

5.9.3 वृद्धि के समय परियोजनाओं के लिए नई समय-सीमा निर्धारित न करना

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.6.3 के अनुसार, अनुबंध की शर्तें सटीक और निश्चित होनी चाहिएं और इनमें अस्पष्टता या भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नियोक्ता, इंजीनियर और ठेकेदार के जोखिमों, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्धारण व्यापक होना चाहिए। पैरा 16.3.1 यह प्रावधान करता है कि ₹ दो करोड़ से अधिक की लागत वाले कार्यों के लिए, ठेकेदार को अपना निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्य के अनुक्रम और विभिन्न चरणों/लक्ष्यों की शुरूआत और पूर्णता की तिथियां दर्शानी होंगी। कम मूल्यों के कार्यों

के लिए निर्माण कार्यक्रम में राहत दी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य समय पर पूर्ण हो।

संवर्धन के सभी 98 नमूना-जांच किए गए मामलों में, कार्य के विभिन्न घटकों के साथ-साथ संपूर्ण कार्य के लिए संशोधित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

5.9.4 संवर्धन राशि के लिए गारंटी प्राप्त न करना

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैराग्राफ 13.12.1 के साथ-साथ मानक निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, सफल निविदाकर्ता को अनुबंध मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर निष्पादन गारंटी जमा करवानी होती है जो बैंक गारंटी के रूप में हो सकती है जिसे गारंटी के तौर पर रखा जाएगा कि ठेकेदार कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा करे। संवर्धन की स्वीकृति देते समय, सक्षम प्राधिकारी ने यह भी निर्देश दिया था कि ठेकेदार से संवर्धित राशि के लिए निष्पादन गारंटी प्राप्त की जाए।

तथापि, यह पाया गया था कि 98 नमूना-जांच किए गए किसी भी मामले में ठेकेदारों से अनुबंध की संवर्धित राशि के लिए निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी और इस तरह राज्य के हितों की उस सीमा तक अनदेखी की गई थी।

5.9.5 कार्य पूरा होने से पहले प्रतिधारण राशि जारी करना

अंबाला में दो संविदा अनुबंधों[8] की शर्त 48.1 के अनुसार, ठेकेदार के रनिंग बिलों से छः प्रतिशत प्रतिधारण राशि की कटौती करनी थी जो समग्र अनुबंध राशि के अधिकतम पांच प्रतिशत तक हो सकती थी। इस प्रकार काटी गई प्रतिधारण धनराशि का 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने के तुरंत बाद वापस किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत दोषपूर्ण दायित्व अवधि पूरी होने के बाद वापिस किया जाना था। तथापि, यह पाया गया था कि उपर्युक्त दोनों मामलों में, ठेकेदारों के रनिंग अकाउंट बिलों से काटी गई कुल ₹ 31.17 करोड़ की प्रतिधारण धनराशि में से, ₹ 16.80 करोड़[9] ठेकेदार को वापस कर दिए गए थे, जबकि कार्य अभी भी प्रगति पर था। यह न केवल संविदा अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था, बल्कि राज्य सरकार के हितों की अनदेखी की गई। मामला विभाग के संज्ञान में (जनवरी 2023) लाने पर अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), अंबाला ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि बैंक गारंटी के विरूद्ध प्रतिधारण धनराशि जारी की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि कार्य पूरा होने से पहले प्रतिधारण राशि जारी करना लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध था और राज्य सरकार के हितों की अनदेखी की गई थी।

5.10 निष्कर्ष

कोडल प्रावधानों के अनुसार, जहां मूल प्रस्ताव से 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हो, वहां

---

[8] (i) अंबाला कैंट में स्टेडियम का उन्नयन (स्टेडियम का निर्माण, आईएएएफ द्वारा अनुमोदित सिंथेटिक ट्रैक, फीफा द्वारा अनुमोदित कृत्रिम फुटबॉल टर्फ) (परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 7) और (ii) भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में अंबाला छावनी में युद्ध स्मारक का निर्माण (परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 11)।

[9] परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 7: ₹ 4.45 करोड़ में से ₹ 3.44 करोड़ (77 प्रतिशत) और (ii) परिशिष्ट 5.1 की क्रम संख्या 11: ₹ 26.72 करोड़ में से ₹ 13.36 करोड़ (50 प्रतिशत)।

संशोधित अनुमानों को अनुमोदित करवाया जाना चाहिए और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने 98 मामलों की नमूना-जांच की, जहां संवर्धन 20 प्रतिशत से अधिक था और पाया कि 14 मामलों में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि अनुमोदित कराए बिना भुगतान किया गया था तथा 27 मामलों में अनुबंध मूल्य से अधिक भुगतान करने के बाद वृद्धि कार्योत्तर रूप से स्वीकृति करवाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विस्तृत अनुमान तैयार करते समय निर्माण स्थल की परिस्थितियों का दोषपूर्ण आकलन, कार्य आबंटन के बाद नई मदों/संरचना को जोड़ने, कार्य आबंटन के बाद विनिर्देशों में परिवर्तन, ठेकेदार को कार्य आबंटन से पहले कार्य के दायरे को अंतिम रूप न देने और जन प्रतिनिधियों की मांग के कारण विनिर्देशों में परिवर्तन/परिवर्धन के कारण कार्यों में संवर्धन हुआ। नमूना-जांच किए गए सभी मामलों में, संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए बिना और संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही कार्य निष्पादित किए गए और भुगतान किए गए थे।

जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कुछ मंडलों में, ई-निविदा से बचने के लिए प्रारंभिक निविदा राशि ₹ एक लाख से कम रखी गई थी और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। यह पाया गया कि ₹ 77.89 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 178.13 करोड़ का भुगतान करने के बाद भी पांच परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। 13 मामलों में कार्य पूर्ण करने में 4 से 45 माह तक का विलंब था। 14 मामलों में सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि की स्वीकृति लिए बिना ही ₹ 108.91 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 255.70 करोड़ का भुगतान किया गया था। उच्च दरों पर भुगतान कर ठेकेदारों को ₹ 73.73 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ₹ 6.64 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। इसके अतिरिक्त, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ही दो ठेकेदारों को ₹ 16.80 करोड़ की प्रतिधारण राशि वापस कर दी गई थी।

5.11 सिफारिशें

1. हरियाणा लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए:
    - विस्तृत अनुमान तैयार करने और निविदाएं आमंत्रित करने से पहले निर्माण स्थल की परिस्थितियों का आकलन करके;
    - मात्राओं और निष्पादन के तरीकों में परिवर्तनों के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करके; और
    - उन कार्यों के लिए पृथक प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित करके जो मूल परियोजनाओं की अभिन्न हिस्सा नहीं है।
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए;
3. अनुबंध की राशि और प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक भुगतान पर नियंत्रण रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए; और
4. सरकारी निवेश से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए अधूरी परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.1 "आपकी बेटी हमारी बेटी योजना" के अंतर्गत जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान

योजना के तंत्र में स्वीकृति के लिए आवेदनों के चयन और निधियों की संस्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, दोहरे आवेदनों को पहचानने और हटाने की व्यवस्था न होने के कारण 7,402 लाभार्थियों को एक से अधिक लाभ प्रदान कर दिए गए, जिसके कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य में शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी की गई (अगस्त 2015)। इस योजना में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में जन्मी पहली बेटी और 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हरियाणा के किसी भी परिवार में जन्मी दूसरी/जुड़वां/ एकाधिक बेटियों को शामिल किया गया है। मार्च 2017 में इस योजना में उन सभी सामान्य परिवारों को भी शामिल कर लिया गया जिनमें तीसरी बेटी का जन्म 24 अगस्त 2015 या उसके बाद हुआ है।

योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को ₹ 21,000 का एकमुश्त अनुदान मिलता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय द्वारा लाभार्थी के नाम पर उसके माता/पिता/अभिभावक के माध्यम से जीवन बीमा निगम में धन का निवेश किया जाता है। जीवन बीमा निगम प्रत्येक नामांकित लाभार्थी के पक्ष में एक सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है। निवेश की परिपक्वता राशि बेटी की आयु 18 वर्ष होने के बाद देय हो जाती है। अगस्त 2015 की अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसार, किसी भी स्तर पर अनुदान स्वीकृत करने में गलती रहने पर लाभ वापस लिया जा सकता था।

विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थियों द्वारा सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। पात्रता के सत्यापन और दोहराव की जांच के लिए आवेदन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास भेजे जाते हैं। आवेदनों की जांच के बाद, आवेदनों को संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास अनुमोदन, स्वीकृति और जीवन बीमा निगम में राशि जमा करने के लिए भेज दिया जाता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोनीपत (अक्तूबर 2022) और महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जुलाना, जींद (नवंबर 2022) के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों के लिए जीवन बीमा निगम को एक से अधिक बार ₹ 21,000 के एकमुश्त अनुदान का भुगतान किया था। इसके बाद, महानिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से अन्य जिलों का जीवन बीमा निगम से संबंधित डेटा मांगा गया। डेटा की जांच से पता चला कि राज्य में जनवरी 2015 से

जुलाई 2022 की अवधि के बीच 3,60,188 बालिका लाभार्थियों को नामांकित किया था और जीवन बीमा निगम को ₹ 756.39 करोड़[1] (प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹ 21,000) का प्रीमियम दिया गया था। डेटा पर डुप्लिकेट फ़िल्टर[2] (नाम, जन्मतिथि, उनके पिता और माता का नाम) लगाने पर पाया कि 7,723 लाभार्थियों ***(परिशिष्ट 6.1)*** को एक से अधिक बार (दो/तीन/चार/पांच/छ: एवं नौ बार) पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, इन 7,723 लाभार्थियों को 8,238 एकाधिक जीवन बीमा निगम प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.30 करोड़[3] का अधिक भुगतान हुआ।

यह देखा गया कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की प्रक्रियाएं स्वचालित नहीं थी। लाभार्थियों की सूची बनाना, खजाने से निधियों का आहरण और सूची को जीवन बीमा निगम को भेजना जैसे कार्य मैन्युअल रूप से किए जाते थे। इसलिए, अनुमोदन के लिए आवेदनों की चयन प्रक्रिया और निधियों की स्वीकृति के दौरान सूची में दोहरे आवेदनों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए जिला स्तर पर कोई तंत्र नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2023) कि जीवन बीमा निगम से 836 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए लगातार प्रयास जारी थे। विभाग ने आगे बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे और इसके लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने का आश्वासन दिया गया था। विभाग ने आगे बताया (सितंबर 2024) कि 1,966 मामलों में ₹ 6.79 करोड़ वसूल हो गए थे, हालांकि, वसूली का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, अनुमोदन के लिए आवेदनों के चयन की प्रक्रिया और निधियों की स्वीकृति के दौरान दोहरे आवेदनों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए तंत्र में कमी के कारण 7,402 लाभार्थियों को एकाधिक लाभ प्रदान किये गए, जिसके कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़[4] का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया था (मार्च 2023); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार को योजना के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में लाभार्थियों के दोहराव को रोकने के लिए पोर्टल की कमियों को दूर करना चाहिए।

---

1 3,60,188 लाभार्थी x ₹ 21,000 = ₹ 756.39 करोड़

2 आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके

3 ₹ 17.30 करोड़ = 8,238 मामले x प्रत्येक मामले में ₹ 21,000

4 8,238 - 836 = 7,402 लाभार्थी x ₹ 21,000 = ₹ 15.54 करोड़

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

6.2 गैर-कार्यात्मक रेस्तरां पर निष्फल व्यय

हथिनीकुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के निकट रेस्तरां के निर्माण पर ₹ 1.74 करोड़ का व्यय, उपयोग हेतु सुदृढ़ योजना और पर्यटन विभाग की सहभागिता न होने कारण निष्फल रहा।

हरियाणा पर्यटन नीति, 2008 के पैरा 2.1 के अनुसार, पर्यटन को विभिन्न विभागों और निगमों के बीच प्रभावी संपर्क और घनिष्ठ समन्वय के साथ एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि माना जाये। नीति के अनुसार, हरियाणा पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों के विकास और संवर्धन के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए नोडल विभाग था। इसके अलावा, नीति के पैरा 4.7 में प्रावधान है कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि का पट्टा/नीलामी आदि का कार्य राज्य सरकार के एजेंट के रूप में हरियाणा पर्यटन निगम (एच.टी.सी.) द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

हथिनीकुंड बैराज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 'हथिनीकुंड बैराज पर एक रेस्तरां के निर्माण सहित पार्क के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण' (परियोजना) के लिए ₹ 15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2016)। परियोजना में एक रेस्तरां, बच्चों का पार्क और खुला मंच, भोजन कियॉस्क, ओपन एयर थिएटर-सह-प्रदर्शन मंच, बच्चों का रेन शॉवर पॉइंट आदि के निर्माण का प्रावधान था।

कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, जगाधरी के कार्यालय के अभिलेखों (सितंबर 2022) की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना के एक भाग के रूप में, मुख्य अभियंता, यमुना जल सेवा (एन), पंचकुला द्वारा "जगाधरी से पोंटा साहिब रोड पर हथिनीकुंड बैराज रेस्ट हाउस के पास रेस्तरां का निर्माण" कार्य के लिए ₹ 1.42 करोड़ अनुमान स्वीकृत (दिसंबर 2017) किया, जिसे संशोधित कर ₹ 1.57 करोड़ (जनवरी 2021) कर दिया गया था। निविदा प्रक्रिया के बाद, सात माह की समय-सीमा के लिए कार्य ₹ 1.60 करोड़[5] की अनुबंध राशि पर एक एजेंसी को आबंटित कर दिया गया (मई/अक्तूबर 2018)। एजेंसी द्वारा ₹ 1.54 करोड़ में कार्य फरवरी 2020 में पूर्ण कर दिया, जिसके लिए उसकी समय सीमा में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

आगे अभिलेखों की जांच से पता चला कि लगभग 21 माह के बाद (नवंबर और दिसंबर 2021), विभाग ने रेस्तरां/बार को न्यूनतम आरक्षित मूल्य ₹ एक लाख प्रतिमाह और ₹ 25 लाख की सिक्यूरिटी लेकर पट्टे पर देने के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित की लेकिन किसी एजेंसी ने निविदा नहीं भरी। ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी एजेंसी के भाग न लेने के कारण, शर्तों में छूट देकर, संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को न्यूनतम आरक्षित मूल्य ₹ 0.50 लाख प्रतिमाह और सिक्यूरिटी राशि ₹ 10 लाख करके विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (डी.एन.आई.टी.) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2022)। अधीक्षण अभियंता ने इस अभियुक्ति के साथ केस वापिस कर दिया कि रेस्तरां/बार को पट्टे पर देने के लिए पर्यटन विभाग से संपर्क

[5] ₹ 1.60 करोड़ = रेस्तरां का निर्माण - ₹ 1.42 करोड़ (मई 2018) + रेस्तरां का इलेक्ट्रिक कार्य - ₹ 0.18 करोड़ (अक्तूबर 2018)

किया जाए। इसके बाद विभाग ने पर्यटन विभाग से मार्च 2022 में रेस्तरां को पहले वाले निबंधनों एवं शर्तों पर पट्टे पर देने का कार्य सँभालने का अनुरोध किया। रेस्तरां को पट्टे पर देने के मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों विभागों के बीच बैठकें (मार्च और अप्रैल 2022) आयोजित की गई। पर्यटन विभाग की ओर से, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बार/रेस्तरां को पट्टे पर देने का कार्य करने की सहमति प्रदान की गई (अगस्त 2022), लेकिन इस शर्त पर कि साइट पर साहसिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाये, ताकि बोलीदाताओं की बेहतर भागीदारी हो सके।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि परियोजना का सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, बागवानी का कार्य अभी भी निष्पादित किया जाना था (अप्रैल 2023)। राज्य की पर्यटन नीति के अंतर्गत, विभाग द्वारा परियोजना के प्रारम्भ में ही (मई 2018) पर्यटन विभाग/हरियाणा पर्यटन निगम को शामिल करना चाहिए था। लेकिन परियोजना शुरू होने के 46 माह (मार्च 2022) और रेस्तरां के निर्माण के 25 माह बाद ऐसा किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि फरवरी 2020 से जुलाई 2022 तक रेस्तरां की निगरानी पर ₹ 0.20 करोड़ की राशि भी खर्च की गई थी।

पूछताछ करने पर, हरियाणा पर्यटन निगम ने पुष्टि की (जनवरी 2023) कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने परियोजना प्रारंभ करने से पहले निगम से परामर्श नहीं किया। इसके अलावा, हरियाणा पर्यटन निगम ने सूचित किया कि किसी निजी व्यक्ति को रेस्तरां/बार लाइसेंस पर देने के लिए व्यवहार्यता का आकलन करने से पहले, हथिनीकुंड बैराज में साहसिक/ वाटर स्पोर्टस गतिविधियों का लाइसेंस देने की प्रक्रिया की जाएगी। हरियाणा पर्यटन निगम ने हथिनीकुंड बैराज (अगस्त 2022) में साहसिक/वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को लाइसेंस पर देने के लिए एक निविदा आमंत्रित की, लेकिन उसे इसके लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई और एक संशोधित निविदा तैयार की जा रही थी। प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने बताया (मई 2023) कि रेस्तरां का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूरा हो गया था। लेकिन रेस्तरां/बार को पट्टे पर देने का मामला अभी भी पर्यटन विभाग के पास था। अद्यतन स्थिति के बारे में पूछताछ (सितंबर 2024) पर, कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, जगाधरी ने बताया (सितंबर 2024) कि रेस्तरां/बार को अभी भी पट्टे पर दिया जाना वांछित था।

इस प्रकार, रेस्तरां के उपयोग की पूर्व निश्चित योजना और पर्यटन विभाग की सहभागिता न होने के कारण, इसके निर्माण पर ₹ 1.74 करोड़[6] का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि निवेश से इच्छित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका (सितंबर 2024)।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया था (फरवरी 2023); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: विभाग को भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को रेस्तरां को पट्टे पर देने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन केंद्र यथाशीघ्र क्रियाशील हो।

[6] ₹ 1.74 करोड़ = ₹ 1.54 करोड़ (परियोजना पर व्यय) + ₹ 0.20 करोड़ (रेस्तरां की निगरानी पर व्यय)।

6.3 निधियों को विलंब से जमा करने के कारण परिहार्य व्यय

भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण वृद्धित मुआवजे के भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम-I का नियम 2.10(ए), जो हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने या स्वीकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। नियम 2.10(ए) (1) में आगे प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए भू-स्वामियों को देय कुल मुआवजे में भूमि का बाजार मूल्य, धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राशि और बाजार मूल्य पर 30 प्रतिशत सांत्वना राशि शामिल होती है।

बीबीपुर झील में ड्रेन खोदने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. एस्केप, नरवाना ब्रांच नहर से सरस्वती ड्रेन हेड तक, आरडी 0 से 52,700 तक 13.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, कुरूक्षेत्र (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) ने भू-स्वामियों को भूमि मुआवजा के भुगतान के लिए ₹ 3.57 करोड़[7] के अवार्ड की घोषणा की (21 सितंबर 2011)।

अवार्ड से अप्रसन्न, भू-स्वामियों ने मुआवजे में वृद्धि के लिए अपर जिला न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र (ए.डी.जे.) की अदालत में एक कोर्ट केस दायर किया (मई 2014)। ए.डी.जे. द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ा कर ₹ 27.60 लाख प्रति एकड़ करने और साथ में अन्य वैधानिक लाभ देने का फैसला दिया (29 अप्रैल 2016)। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 28 के अनुसार भूमि मालिक कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे की राशि पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और उसके बाद भुगतान किए जाने या न्यायालय में जमा किए जाने तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भी हकदार हैं।

जून 2016 में, विधि परामर्शी (एल.आर.) ने राय दी कि मामला अपील के लिए उपयुक्त था। अंत: वृद्धित मुआवजे के विरूद्ध समय सीमा के भीतर (जो 29 जुलाई 2016 को समाप्त हो रही थी) रेगुलर फर्स्ट अपील (आर.एफ.ए.) दायर करने के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा के पास प्रस्ताव भेजा (10 जून 2016)। महाधिवक्ता, हरियाणा ने कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र से समय सीमा के भीतर आर.एफ.ए. दायर करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया (14 जून 2016)। चूंकि विभाग ने उपर्युक्त राय/सलाह के अनुसार कोई

[7] ₹ 356.90 लाख = भूमि की लागत: ₹ 264.37 लाख (₹ 20 लाख प्रति एकड़ की दर से) + सांत्वना राशि: ₹ 79.31 लाख (₹ 264.37 लाख का 30 प्रतिशत) + अतिरिक्त राशि: ₹ 12.21 लाख (20 सितंबर 2011 तक ₹ 264.37 लाख पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना करके)।

कार्रवाई नहीं की, इसलिए महाधिवक्ता, हरियाणा ने फिर से कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरूक्षेत्र से एक अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया (नवंबर 2016 एवं अप्रैल 2018) ताकि अपील दायर करने में देरी की माफ़ी और न्यायालय आदेश के क्रियान्वयन के लिए स्थगन आदेश लिया जा सके।

विभाग द्वारा 760 दिनों[8] की देरी के बाद, देरी की माफी के साथ आदेश के क्रियान्वयन को स्थगन करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आर.एफ.ए. दायर की गई (अगस्त 2018)। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया (14 सितंबर 2018) और विभाग को भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया।

इसके बाद, 15 जुलाई 2019 तक विभाग द्वारा वृद्धित मुआवजे के भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरूक्षेत्र ने 302 दिनों[9] की देरी के बाद अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), एस.वाई.एल. सर्कल, अंबाला को वृद्धित मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अधीक्षण अभियंता ने प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), सिंचाई और जल संसाधन विभाग, पंचकुला के पास भेज दिया। परन्तु प्रमुख अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर करने के लिए विधि परामर्शी से राय लेने का निर्देश देते हुए (30 जुलाई 2019) मामला वापस कर दिया। फिर, 29 जून 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जब कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र ने 333 दिनों[10] की देरी के बाद विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए विधि परामर्शी से राय मांगी। इस बार, विधि परामर्शी ने (21 अगस्त 2020) मामले को विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। उसके बाद 198 दिनों[11] की देरी के बाद, अपर जिला न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र की अदालत में ₹ 747.31 लाख[12] का भुगतान (31 मार्च 2021) कर दिया गया।

कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र (अधीक्षण अभियंता, एस.वाई.एल. सर्कल, अंबाला के कार्यालय के नियंत्रण में) के कार्यालय के सितंबर 2019 से जुलाई 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2022) कि अप्रैल 2016 में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा मुआवजा प्रदान करने का फैसला देने के बाद, वृद्धित मुआवजा नहीं दिया गया और विधि परामर्शी/महाधिवक्ता हरियाणा द्वारा नियमित रूप से दी गई राय/सलाह के बावजूद वृद्धित मुआवजे के विरूद्ध आर.एफ.ए. दायर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। आर.एफ.ए. दायर करने, उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विधि परामर्शी से राय लेने और भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने में 1,593 (760 + 302 + 333 + 198) दिनों की अत्यधिक देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे

---

[8] 760 दिनों की देरी की गणना 1 जुलाई 2016 से 31 जुलाई 2018 तक की गई है।

[9] 302 दिनों की देरी की गणना 15 सितंबर 2018 से 15 जुलाई 2019 तक की गई है।

[10] 333 दिनों की देरी की गणना 30 जुलाई 2019 से 29 जून 2020 तक की गई है।

[11] 198 दिनों की देरी की गणना 22 अगस्त 2020 से 8 मार्च 2021 तक की गई है।

[12] वृद्धित मुआवजा: ₹ 316.78 लाख + ब्याज राशि: ₹ 430.53 लाख।

पर ₹ 2.07 करोड़[13] के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और समान नाम[14] वाले दो मामले लंबित थे। विचाराधीन मामले को विधि परामर्शी द्वारा अपील के लिए उपयुक्त पाया गया और दूसरे मामले को विधि परामर्शी द्वारा अपील के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। विधि परामर्शी की अपील न करने की राय को विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों ने गलती से इस मामले के लिए मान लिया। इसके अलावा, कोई देरी नहीं हुई, बल्कि यह एक मृत लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी का निर्धारण करने, विधि परामर्शी से राय लेने और ब्याज की गणना करने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक लगने वाला समय था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन तत्परता से नहीं किया। आर.एफ.ए. दायर करने, उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विधि परामर्शी से आगे की राय लेने और भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने के प्रति विभाग के इस उदासीन दृष्टिकोण के कारण वृद्धित मुआवजे के अंतिम भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

मामला आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (फरवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार भू-स्वामियों को मुआवजा देने में अत्यधिक देरी के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

शहरी संपदा विभाग

6.4 भू-स्वामियों को उनकी अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिक भुगतान

अवार्ड में प्रकाशित भूमि के त्रुटिपूर्ण माप के कारण भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ मुआवजे का अधिक भुगतान हुआ। विभाग ₹ 3.25 करोड़ ब्याज सहित अधिक भुगतान की गई राशि वसूलने में विफल रहा था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9(1) में प्रावधान है कि कलेक्टर[15], अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस लगवाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि सरकार भूमि का स्वामित्व लेना चाहती है, और ऐसी भूमि के सभी हितों के लिए मुआवजे का दावा उससे किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 13ए लिपिकीय त्रुटियों के सुधार का प्रावधान करती है। कलेक्टर, किसी भी समय, लेकिन अवार्ड की तिथि से छः माह के भीतर, या जहां उसे धारा 18 के अंतर्गत मामला न्यायालय को संदर्भित करना है, ऐसे संदर्भ से पहले, आदेश द्वारा, अवार्ड में किसी भी

---

[13] ₹ 207.38 लाख = ₹ 316.78 लाख (29 अप्रैल 2016 के फैसले के अनुसार भू-मालिकों को देय राशि) * 15 प्रतिशत * 1593/365 दिन।

[14] केस नंबर एल.ए.सी. 24 वर्ष 2014 - शीर्षक महिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (वर्तमान मामला) और केस नंबर एल.ए.सी. 69 वर्ष 2015 - शीर्षक महिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (अन्य मामला)।

[15] "कलेक्टर" का अर्थ किसी जिले का कलेक्टर है और इसमें उपायुक्त और अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी अधिकारी हो सकता है।

लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों या उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को सही कर सकता है। कलेक्टर अवार्ड में किए गए किसी भी सुधार की तत्काल सूचना सभी हितधारक व्यक्तियों को देगा। यदि उपधारा (1) के अंतर्गत किए गए सुधार के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस करना आवश्यक है और किसी भी डिफॉल्ट या भुगतान से इनकार के मामले में, इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में अभिलेखों की जांच (फरवरी 2023) के दौरान यह पाया गया कि सेक्टर 75 से सेक्टर 80, गुरूग्राम की सड़कों के विकास के लिए शिकोहपुर, तहसील मानेसर, गुरुग्राम की राजस्व संपत्ति में 108.09 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचनाएं क्रमशः 7 अगस्त 2013 और 31 जुलाई 2014 को जारी की गई थी। धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड की घोषणा 29 जुलाई 2016 को 106.54 एकड़ के लिए ₹ 4.65 करोड़ प्रति एकड़ की दर से की गई थी।

इस अधिग्रहण में, खेवट नंबर 197/263-264 में दो बीघा 19 बिस्वा और 12 बिस्वांसी (1.8625 एकड़) भूमि का अधिग्रहण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया था:

क्र.सं.	**खसरा नंबर**	**रकबा**		
		बीघा	**बिस्वा**	**बिसवांसी**
1.	1744 min	0	3	2
2.	1745 min	0	13	10
3.	**1746 min**	**1**	**2**	**0**
4.	1764 min	1	1	0
	कुल	**2**	**19**	**12**

हालांकि, राजस्व विभाग के अभिलेख (जमाबंदी) के अनुसार और दो भू-स्वामियों के शपथ-पत्र में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, खसरा नंबर 1746 min में केवल 10 बिस्वा भूमि मौजूद थी। लेकिन, अवार्ड दस्तावेज में इसे 1 बीघा, 2 बिस्वा, (कुल 22 बिस्वा) के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके कारण, 29 सितंबर 2016 को भू-स्वामियों को 12 बिस्वा अर्थात 0.375 एकड़ (22 बिस्वा-10 बिस्वा) के लिए ₹ 3.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हो गया था। फाइल में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत नोटिस 22 जनवरी 2020 को दिया गया था। इसके बाद इन भू-स्वामियों को उपर्युक्त अतिरिक्त राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने के लिए 12 सितंबर 2022 को केवल एक अनुस्मारक नोटिस जारी किया गया था। उपर्युक्त नोटिस जारी करने के बाद भू-स्वामियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भू-स्वामियों द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया था कि यदि उपरोक्त भूमि के लिए कानूनन कोई प्रतिकूल दावा साबित होता है तो एक सप्ताह के भीतर ब्याज सहित मुआवजा वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार, भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दे दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग मुआवजे की अधिक भुगतान की गई राशि पर 30 सितंबर 2016 से 31 जनवरी 2023 (लेखापरीक्षा की तिथि तक) ₹ 3.25 करोड़ का ब्याज वसूलने का अधिकारी था, जो इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भू-स्वामी का नाम	हिस्सा	भुगतान की गई राशि	वसूली जाने वाली राशि	15 प्रतिशत की दर पर ब्याज
श्री रामनिवास	1/3	6.80	1.37	1.30
मेसर्स फ्रीसन प्रॉपबिल्ड	1/6	3.40	0.68	0.65
मेसर्स गिरधर प्रॉपबिल्ड	1/3	6.80	1.37	1.30
श्री महिपाल, श्री सतपाल, सुश्री मामी	1/6	2.72	ये मार्च 2020 में सही भुगतान किए गए थे।	
कुल		**19.72**	**3.42**	**3.25**

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम यह दस्तावेज कि अनियमितता कब संज्ञान में आई, भू-स्वामियों को पहला नोटिस कब जारी किया गया या भू-स्वामियों से वसूली की स्थिति क्या है और अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत भू-राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली के संबंध में उपायुक्त के साथ क्या पत्राचार किया गया, उपलब्ध कराने में विफल रहे।

इस प्रकार, विभाग भू-स्वामियों से ₹ 3.42 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि और ₹ 3.25 करोड़ का ब्याज वसूलने में विफल रहा है।

मामला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम (फरवरी 2023), अपर मुख्य सचिव, शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार (मार्च 2023) और महानिदेशक, शहरी संपदा विभाग (सितंबर 2024) के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था। न तो भूमि अधिग्रहण अधिकारी और न ही विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर दिया (जनवरी 2025)।

सिफारिश: विभाग अधिक भुगतान की गई राशि ब्याज सहित शीघ्रता से वसूल करे तथा भू-स्वामियों से वसूली के लिए उचित कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

6.5 वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

गुरुग्राम और फरीदाबाद में न्यायालय के निर्णय पर वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण ₹ 83.04 करोड़ की दंडात्मक ब्याज राशि का परिहार्य उद्ग्रहण हुआ।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 में प्रावधान है कि कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी सभी भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (एल.ए.ओ.) को निर्देश जारी किए थे (3 दिसंबर 2010) कि भू-स्वामियों को विलंबित भुगतान पर ब्याज देयता से बचने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद वृद्धित मुआवजे का दावा अदालत के निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 गांवों से संबंधित विशेष अनुमति याचिका संख्या 8024-8074/2017 में अपने निर्णय दिनांक 5 सितंबर 2017 में निर्णय की तिथि से चार माह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी संपदा, गुरुग्राम के कार्यालय के जनवरी 2018 से नवंबर 2022 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (फरवरी 2023), यह पाया गया कि 32 मामलों में, भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे का भुगतान निर्धारित समय अवधि में अर्थात दिसंबर 2010 के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार तीन माह के भीतर नहीं किया गया था। नौ मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान करने के लिए चार महीने का समय दिया है। 32 भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 55.17 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 6.2)***।

इसी प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दिसंबर 2010 के निर्देशों के अनुसार अदालत के निर्णय की तिथि के तीन माह के भीतर वृद्धित मुआवजे का भुगतान न करने के 135 मामले भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जांच (फरवरी 2023) के दौरान पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन 135 मामलों में ₹ 27.87 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट 6.3)***।

32 माह और 82 माह के बीच अत्यधिक देरी वाले कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भूमि अधिग्रहण मामला संख्या	न्यायालय के निर्णय की तिथि	ब्याज का भुगतान तिथि तक	निर्धारित 90/120 दिन की अवधि घटाने के बाद निर्णय की तिथि से विलंब	मूलधन	विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज
गुरूग्राम						
1.	1448/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	48 माह	10.59	6.37
2.	1450/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	48 माह	15.18	9.13
3.	540/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	52 माह	5.11	3.31
4.	338/11	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	32 माह	7.83	3.13
5.	341/11	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	32 माह	6.39	2.56
फरीदाबाद						
6.	62/14	18 मार्च 2015	30 नवंबर 2021	77 माह	0.78	0.75
7.	62/14	18 मार्च 2015	09 जून 2021	72 माह	0.26	0.23
8.	98/15	06 अप्रैल 2015	30 अप्रैल 2022	82 माह	0.91	0.93
9.	300/10	08 नवंबर 2017	30 अप्रैल 2022	52 माह	2.23	1.42
10.	187/10	13 फरवरी 2017	30 अप्रैल 2022	60 माह	0.06	0.04

भुगतान में देरी के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में देरी पाई गईः

- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा वृद्धित मुआवजे की राशि की गणना करना।
- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा बैंक पोर्टल पर भू-स्वामियों के विवरण के साथ गणना अपलोड करना।
- मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए जोनल प्रशासक-सह-अपर निदेशक, शहरी संपदा द्वारा मामलों को प्रस्तुत करना।
- मुख्य वित्त नियंत्रक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक को भुगतान हेतु निधियां जारी करना।

तीन मामलों[16] के संबंध में, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भुगतान दो बार पोर्टल पर अपलोड किया गया था, लेकिन मुख्य वित्त नियंत्रक (सी.सी.एफ.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसे दो बार (दिसंबर 2019 और मार्च 2022 में) अस्वीकार कर दिया था। अंततः भुगतान जून 2022 और अक्तूबर 2022 में किया जा सका।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी का उत्तर केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से भी देरी हुई थी; भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इन तीन मामलों में निर्णय की तिथि से 15 से 27 माह की देरी के बाद बैंक के पोर्टल पर भुगतान के लिए गणना अपलोड की थी।

अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2023) के दौरान, यह सूचित किया गया था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान में देरी हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा ले रहा था और 31 मार्च 2023 तक, 7.30 से 7.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्राप्त ₹ 7,011.31 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट अप्रयुक्त पड़ी थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कम ब्याज दरों पर कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर उच्च ब्याज दरों वाले मुआवजे का भुगतान करके ब्याज देयता को कम कर सकता था।

इस प्रकार, बैंकों के पोर्टल पर भुगतान विवरण अपलोड करने में भूमि अधिग्रहण अधिकारियों की ओर से देरी, मुख्य प्रशासक की स्वीकृति के लिए जोनल प्रशासक-सह-निदेशक शहरी संपदा द्वारा मामलों को प्रस्तुत करने में देरी और मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा भुगतान जारी करने में देरी के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नमूना-जांच किए गए मामलों में ₹ 83.04 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सिफारिश: राज्य सरकार अनियमितता की व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए दंडात्मक ब्याज भुगतान के सभी मामलों की जांच करने और वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी से बचने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करने पर विचार करे।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

6.6 सीवरेज प्रभारों की अवसूली और पानी की खपत के लिए गलत टैरिफ दरें लागू करना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान सीवरेज बिल जारी न करने (₹ 15.08 करोड़) और पानी की गलत टैरिफ दरें लागू करने (₹ 17.59 करोड़) के कारण ₹ 32.67 करोड़ वसूल करने में विफल रहा।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ने अधिसूचना (जनवरी 2018) के माध्यम से 1 जनवरी 2018 से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत

[16] करतार कौर एल.ए.सी. नंबर 1448/2010, करतार कौर एल.ए.सी. नंबर 1450/2010 और इंदिरा एल.ए.सी. नंबर 540/2020

क्षेत्रों में पानी और सीवरेज टैरिफ को संशोधित किया था।

मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (सी.आई.टी.ओ.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला के कार्यालय की लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2022) के दौरान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों[17] के पानी और सीवरेज बिलिंग प्रणाली के डेटा का विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा में डेटा की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) सीवरेज बिल जारी न करना

अधिसूचना (जनवरी 2018) के अनुसार, सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पानी के बिलों के साथ सीवरेज के बिल (जल प्रभार पर 20 प्रतिशत की दर से) जारी किए जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45,138 उपभोक्ताओं के मामले में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान पानी के बिलों में सीवरेज बिल जारी नहीं किए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उस अवधि के दौरान इन 45,138 उपभोक्ताओं को ₹ 75.43 करोड़ के पानी के बिल जारी किए, लेकिन ₹ 15.08 करोड़[18] के सीवरेज बिल जारी नहीं किए परिणामस्वरूप उस सीमा तक सीवरेज प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता-सह-नोडल अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर II, पंचकुला ने बताया (अप्रैल 2023) कि कुछ उपभोक्ताओं ने पानी के कनेक्शन ले लिए थे और सक्षम प्राधिकारी से कब्जा प्रमाण-पत्र लेने के बाद घरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सीवरेज कनेक्शन नहीं लिया था। इसलिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से सीवरेज बिल जारी नहीं किए गए थे। मुख्य प्रशासक (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दोषी उपभोक्ताओं के सीवर कनेक्शन काटने और ₹ 20,000 प्रति कनेक्शन[19] जुर्माना और जनवरी 2018 से अब तक बकाया बिल वसूलने के बाद उन्हें नियमित करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे (मई 2023)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 27,584 दोषी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। यह सूचित किया गया था कि सीवरेज प्रभार जमा न करने वाले दोषी उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 34,214 हो गई थी, जिनमें से 6,630 नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अद्यतन स्थिति के बारे में आगे पूछताछ करने पर, मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि दोषी उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 23,149 हो गई है और इन दोषी उपभोक्ताओं से वसूली की गणना कनेक्शन के नियमितीकरण के समय की जाएगी। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ₹ 15.08 करोड़ (₹ 75.43 करोड़ के पानी के जारी किए हुए बिल का 20 प्रतिशत) का सीवरेज प्रभार वसूल किया जाना था। इसके अलावा, चूंकि नवनिर्मित मकान में रहने के लिए

---

17 (i) आवासीय- प्लॉटेड; (ii) आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसायटी; (iii) संस्थागत; (iv) औद्योगिक; (v) वाणिज्यिक, आदि।

18 ₹ 15.08 करोड़ = ₹ 75.43 करोड़ x 20 प्रतिशत।

19 अनधिकृत सीवरेज कनेक्शन के उल्लंघन के शमन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर (जून 2009)।

सीवरेज कनेक्शन आवश्यक है, इसलिए इसके बिना सक्षम प्राधिकारी से आधिपत्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव नहीं है।

(ii) बिलों पर त्रुटिपूर्ण जल दरें लागू करना

अप्रैल 2018 से लागू संशोधित जल दरों के अनुसार, आवासीय मीटर कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिल ***तालिका 6.6.1*** में वर्णित दरों के अनुसार जारी किए जाने थे।

तालिका 6.6.1: 1 जनवरी 2018 से लागू संशोधित जल टैरिफ

पानी की खपत	जल प्रभार प्रति किलोलीटर (₹ में)	मासिक उपभोग के लिए लागू दरें
20 किलोलीटर (किलोलीटर) तक	2.50	पहले 10 किलोलीटर
	5.00	10 किलोलीटर से अधिक और 20 किलोलीटर से कम
20 किलोलीटर से अधिक और 30 किलोलीटर तक	8.00	कुल जल खपत के लिए समान दर
30 किलोलीटर से अधिक	10.00	

जल प्रभारों के लिए जारी बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि 1,59,761 घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में बिल, जहां पानी की खपत 20 किलोलीटर से अधिक थी, कुल पानी की खपत पर ₹ 8/₹ 10 प्रति किलोलीटर की दर से समान दरें लागू करने के बजाय स्लैब दरों (पहले 10 किलोलीटर के लिए ₹ 2.50 और अगले 10 किलोलीटर अर्थात 10 किलोलीटर से ऊपर और 20 किलोलीटर तक के लिए ₹ पांच प्रति किलोलीटर की दर से) को लागू करके तैयार किए गए थे। पानी के बिल बनाने में गलत दरें लागू करने के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 17.59 करोड़[20] की वसूली नहीं की जा सकी।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया (जून 2023) कि अधिसूचना में दर्शाई गई स्लैब दरों के अनुसार बिल जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई अंतर्निहित प्रावधान नहीं होने के कारण बिल गलत तरीके से जारी किए गए। आगे, स्लैब दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण बकाया राशि के बिल 10 जून 2023 से शुरू होने वाले बिलिंग चक्र में जारी किए जाएंगे और आशा जताई कि वसूली में देरी नहीं होगी।

इसके बाद, मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि अप्रैल 2023 से उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार स्लैब दरों के अनुसार बिल जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है।

इस प्रकार, एक माह में 20 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए स्लैब दरें गलत तरीके से लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.59 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (4 मई 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

---

[20] 20 किलोलीटर से अधिक लेकिन 30 किलोलीटर से कम और 30 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत के लिए क्रमशः ₹ 8 और ₹ 10 की दर से अंतरीय राशि की गणना करके ₹ 17.59 करोड़ का आंकड़ा निकाला गया। राशि की गणना करते समय 2018 की नीति में प्रदान की गई वार्षिक वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार विसंगतियों को रोकने और बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, स्वचालित बिलिंग प्रणाली स्थापित करने पर विचार करे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

6.7 किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के कारण परिहार्य हानि

किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप एजेंसी के पक्ष में मध्यस्थता का निर्णय सुनाया गया, जिसके कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई और परिणामस्वरूप, राज्य के खजाने को ₹ 86.49 लाख की परिहार्य हानि हुई।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 6.5.1 और 6.5.6 में प्रावधान है कि मंडल में पदासीन मंडलीय अधिकारी अपने मंडल के अंतर्गत सभी कार्यों के निष्पादन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

संहिता के पैरा 16.19 में प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन का आदेश दे सकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ प्रभारी अभियंता को किसी भी कार्य की मात्रा को बढ़ाने या घटाने और कार्य के किसी भी हिस्से के स्तर, लाइन, स्थिति और आयामों को बदलने में सक्षम बनाता है। हालांकि, योजनाओं और विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक और पर्याप्त विवरण के साथ तैयार करके परिवर्तन के मामलों और इनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए और ड्राईंग में दर्शाए गए बुनियादी स्तर, साइट पर मौजूद वास्तविक स्तर से मेल खाने चाहिए।

"जिला पलवल के हथीन कस्बे में सीवरेज योजना प्रदान करना - हथीन कस्बा, जिला पलवल में मुख्य पंपिंग स्टेशन, 4.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) और मलजल वाहक इत्यादि के डिजाइन, निर्माण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग" नामक कार्य मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी, गुरुग्राम को 12 माह अर्थात दिसंबर 2012 तक की पूर्णता समय-सीमा के साथ ₹ 4.38 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए आबंटित किया गया था (दिसंबर 2011)। एजेंसी ने दिसंबर 2011 में कार्य प्रारंभ किया और दिसंबर 2014 में इसे पूरा किया।

अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मेवात परियोजना सर्कल, पलवल (एस.ई.) के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान (दिसंबर 2021), यह पाया गया कि अनुमोदित डिजाइन के अनुसार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टैंक की गहराई 6.00 मीटर थी। हालांकि, सीवर लाइन का स्तर 7.40 मीटर होने के कारण, टैंक का निर्माण 7.40 मीटर अर्थात अनुमोदित डिजाइन स्तर से 1.40 मीटर (7.40 मीटर-6.00 मीटर) गहराई तक किया गया था। तदनुसार, एजेंसी द्वारा ₹ 58 लाख (किया गया अतिरिक्त कार्य: ₹ 12 लाख, पंप चलाने/ईंधन की लागत/रखरखाव आदि पर किया गया व्यय: ₹ 33 लाख और कार्य की अवधि बढ़ने के कारण सामग्री की कीमत में वृद्धि के लिए ₹ 13 लाख) के अतिरिक्त व्यय का दावा प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 2014)। दो वर्ष (अप्रैल 2014 से मई 2016) बीत जाने के बाद विभाग द्वारा दावे

को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया (मई 2016) कि अनुबंध में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। दावे को अस्वीकार किए जाने से अप्रसन्न एजेंसी मध्यस्थता में चली गई (जून 2016) और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मध्यस्थ द्वारा ₹ 62.52 लाख[21] का अवार्ड प्रदान किया गया (जुलाई 2018)। तदनुसार, एजेंसी को अवार्ड और उस पर ब्याज सहित ₹ 112.01 लाख (कार्य को लंबा खींचने के लिए मुआवजा, मध्यस्थता व्यय और ब्याज ₹ 86.49 लाख + अतिरिक्त कार्य पर ₹ 25.52 लाख का व्यय) का भुगतान किया गया (अप्रैल 2022)।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अधीक्षण अभियंता ने सहमति व्यक्त की (सितंबर 2022) कि अनुमोदित डिजाइन में उल्लिखित और वास्तविक साइट के अनुसार टैंक की गहराई में अंतर था। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, किसी भी मुआवजे, जैसा कि एजेंसी ने दावा किया था, का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना/अनुबंध की क्लॉज 6 में प्रावधान है कि भुगतान ठेकेदार द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2023) कि कार्य की प्रगति के दौरान, यह पाया गया था कि साइट की स्थिति के अनुसार मुख्य पंपिंग स्टेशन टैंक की खुदाई में कुछ अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता थी। प्रमुख अभियंता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ अतिरिक्त कार्य निष्पादित कराए गए थे और अनुबंध की क्लॉज 6 के अनुसार, ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार, किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप एजेंसी के पक्ष में मध्यस्थता का निर्णय सुनाया गया और एजेंसी को ब्याज, मुकदमेबाजी की लागत और मुआवजे के कारण सरकारी खजाने को ₹ 86.49 लाख[22] की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया (फरवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार को मध्यस्थता व्यय में हानि से बचने के लिए लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन और कार्य में बदलाव की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करनी चाहिए।

---

21 किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए ₹ 25.52 लाख, कार्य के विस्तार के लिए ₹ 25 लाख तथा मध्यस्थता व्यय के लिए ₹ 12 लाख।

22 ₹ 112.01 लाख (भुगतान किया गया) - ₹ 25.52 लाख (किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए स्वीकार्य)।

अध्याय 7

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय 7

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम

7.1 मूल्य में भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण हानि

नियमित आबंटन-पत्र जारी करते समय भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण ₹ 9.76 करोड़ की हानि।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (कंपनी) हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर अपनी संपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं (ई.एम.पी. 2015) के अनुसार औद्योगिक प्लॉट आबंटित करती है। संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के अनुसार, "नो एन्हांसमेंट पॉलिसी" दिनांक 16 अक्तूबर 2015 से लागू हुई। तदनुसार, संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 के लागू होने के बाद किए जाने वाले आबंटनों के संबंध में कंपनी द्वारा कोई वृद्धि प्रभार नहीं लिया जाना था। भविष्य की वृद्धि लागतों को कवर करने के लिए, वृद्धित मुआवजा शमन निधि (ई.सी.एम.एफ.) नामक एक निधि बनाई गई थी और कंपनी को लागत के घटक के रूप में, आबंटियों से प्लॉट की कीमत का 10 प्रतिशत अग्रिम रूप से वसूलना था और इसे वृद्धित मुआवजा शमन निधि में अंशदान करना अपेक्षित था। इसके बाद, न्यायालयों द्वारा दिया गया वृद्धित मुआवजा, यदि कोई हो, वृद्धित मुआवजा शमन निधि से पूरा किया जाना था। आगे, संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 की क्लॉज 2.4 में प्रावधान है कि कंपनी के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को भूखंडों/शेडों की कीमतों को संशोधित किया जाएगा और नियमित आबंटन-पत्र (आर.एल.ए.) जारी करने से पहले सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए वृद्धि आदेशों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। यदि उच्चतम बोलीदाता/आवेदक ऐसी वृद्धित लागत जोड़कर निर्धारित संशोधित दरों पर प्लॉट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि प्रक्रिया फीस सहित वापस कर दी जानी चाहिए।

कंपनी ने जिला नूंह में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) सोहना के लिए मई 2010 में 1,501.61 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप सोहना, जिला नूंह के भीतर छोड़ी गई/अधिग्रहीत न की गई 44 एकड़ भूमि भी दिसंबर 2016 में अधिग्रहित की गई थी।

निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (मई 2020) कि वृद्धित मुआवजे के घटक, यदि कोई हो, को छोड़कर, कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न औद्योगिक संपदाओं के प्लॉटों की दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 के प्रावधानों के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया था कि नियमित आबंटन-पत्र जारी होने से पहले किसी भी चरण में शामिल नहीं की गई वृद्धित लागत को लागत में शामिल किया जाएगा। तदनुसार, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सोहना के लिए सामान्य श्रेणी के प्लॉट की कीमत 2019-20 के दौरान घोषित ₹ 58.71 करोड़ के वृद्धित मुआवजे के प्रभाव के आधार पर बढ़ाई गई थी। परिणामस्वरूप, 1,501.61 एकड़ बिक्री योग्य क्षेत्र[1] पर ₹ 58.71 करोड़ का वृद्धित मुआवजा लगाया गया तथा सामान्य श्रेणी के प्लॉट की कीमत में ₹ 176 प्रति वर्ग मीटर[2] की वृद्धि की गई थी।

---

[1] 823.63 एकड़ (33,33,190 वर्गमीटर) जो 1,501.61 एकड़ का 54.85 प्रतिशत है।

[2] ₹ 58.71 करोड़/33,33,190 वर्गमीटर = ₹ 176 प्रति वर्गमीटर

मेसर्स एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एटीएल) ने लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सोहना में लगभग 179 एकड़ भूमि के आबंटन के लिए कंपनी से संपर्क किया। तदनुसार, कंपनी ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सोहना में लगभग 175 एकड़ के प्लॉट का आरक्षित मूल्य ₹ 58.71 करोड़ के आनुपातिक वृद्धि मुआवजे को शामिल किए बिना, बल्क श्रेणी के प्लॉट[3] के लिए ₹ 3.05 करोड़ प्रति एकड़ की दर से निर्धारित किया (13 जून 2020) और उपर्युक्त प्लॉट की ई-नीलामी के लिए विज्ञापन दिया (15 जून 2020)। केवल एक ही बोलीदाता अर्थात मेसर्स एटीएल प्लॉट के लिए आगे आया और कंपनी ने मेगा प्रोजेक्ट श्रेणी[4] के अंतर्गत मेसर्स एटीएल को ₹ 3.05 करोड़ प्रति एकड़ की दर से 178 एकड़ भूमि आबंटित की (जुलाई 2020)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने ₹ 58.71 करोड़ का आनुपातिक वृद्धि मुआवजा न तो जून 2020 में आवेदन आमंत्रित करते समय ₹ 3.05 करोड़ प्रति एकड़ के आरक्षित मूल्य में शामिल किया और न ही जुलाई 2020 में नियमित आबंटन-पत्र जारी करते समय, जैसा कि संपदा प्रबंधन प्रक्रिया-2015 की क्लॉज 2.4 के अंतर्गत अपेक्षित है। इस प्रकार, कंपनी ने मेसर्स एटीएल को वृद्धि लागत अंतरित नहीं की और भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण इससे ₹ 9.76 करोड़[5] का कम प्रभार लिया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2024) में बताया कि वर्ष 2016 में अधिग्रहित की गई केवल 44 एकड़ भूमि के लिए ही वृद्धित मुआवजे के आदेश दिए गए थे, जिसकी वृद्धित मुआवजा राशि को जोड़ने के बाद लागत का निर्धारण अलग से किया जाना था। मेसर्स एटीएल को आबंटित प्लॉट मई 2010 में अधिग्रहित 1,501.61 एकड़ भूमि में आता है, जिस पर कोई वृद्धि लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। यह आगे बताया गया कि आबंटित प्लॉट बल्क श्रेणी के प्लॉटों के अंतर्गत था और आबंटन दर ₹ 3.05 करोड़ प्रति एकड़ थी, जिसमें लागत शीट में वृद्धित मुआवजा शमन निधि लागत के रूप में ₹ 519 प्रति वर्ग मीटर शामिल था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने 1,501.61 एकड़ के बिक्री योग्य क्षेत्र पर ₹ 58.71 करोड़ की वृद्धि लागत लगाई थी जिसके भीतर मेसर्स एटीएल को आबंटित भूमि स्थित थी। इसके अलावा, वृद्धित मुआवजा शमन निधि का उद्देश्य नियमित आबंटन पत्र जारी करने की तिथि के बाद समय-समय पर न्यायालयों द्वारा घोषित वृद्धित मुआवजे की देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां रखना है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने संपदा प्रबंधन प्रक्रिया, 2015 की क्लॉज 2.4 से बल्क श्रेणी आबंटन को छूट नहीं दी। इस प्रकार, 178 एकड़ भूमि के प्लॉट पर भूमि वृद्धि लागत को शामिल न करने के कारण ₹ 9.76 करोड़ की हानि हुई।

---

[3] बल्क श्रेणी के प्लॉट में 100 एकड़ भूमि का आबंटन शामिल है। कंपनी के पास इस श्रेणी के लिए अलग मूल्य निर्धारण सूत्र है।

[4] इसमें ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक का स्थाई पूंजीगत निवेश (अर्थात भूमि, भवन, मशीनरी एवं विविध अचल परिसंपत्तियां) या 500 से अधिक व्यक्तियों के रोजगार सृजन वाली परियोजनाएं और सहायक इकाइयों के प्रसार के लिए एंकर इकाइयों के रूप में कार्य करना, शामिल है।

[5] ₹ 58.71 करोड़/1,545.61 एकड़ (1,501.61+44) आईएमटी, सोहना का समग्र क्षेत्रफल = ₹ 3.80 लाख प्रति एकड़ X 256.98 एकड़ (178 एकड़ + 78.98 एकड़ (आनुपातिक सामान्य सेवा क्षेत्र)) = ₹ 9.76 करोड़। मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसार, आंतरिक विकास लागत की कटौती की जाएगी और कीमत, बिक्री योग्य क्षेत्र के आधार पर नहीं अपितु समग्र क्षेत्र के आधार पर प्रभारित की जाएगी। आगे, समग्र खंड की सामान्य सेवाओं हेतु उपयोग की गई भूमि की लागत की गणना की जानी है और आनुपातिक लागत को कुल लागत में शामिल किया जाना है।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया (मार्च 2023), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

7.2 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कर जमा करने में देरी के कारण ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139 और 140ए के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रत्येक कंपनी को वर्ष के लिए अपनी कर देयता का निर्धारण करना होगा, भुगतान किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) दोनों को समायोजित करना होगा, स्व-कर निर्धारण पर देय शेष कर जमा करना होगा और निर्धारण वर्ष[6] के 30 सितंबर से पहले आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) फाइल करनी होगी। रिटर्न देरी से फाइल करने पर अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत निर्धारण की गई आय/कम जमा की गई कर की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगता है। आगे, अधिनियम की धारा 234बी में प्रावधान है कि यदि वर्ष के दौरान जमा किया गया कुल अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो निर्धारित कर की जमा न की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग की दर से ब्याज आगामी वर्ष के 1 अप्रैल से संपूर्ण कर जमा होने तक देय होगा।

निर्धारण वर्ष 2019-20 (अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए, आयकर रिटर्न फाइल करने की नियत तिथि 30 सितंबर 2019 थी, जिसे 31 अक्तूबर 2019 तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज के प्रयोजन हेतु नियत तिथि को नहीं बढ़ाया गया था।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (कंपनी) ने 30 अक्तूबर 2019 को वित्तीय वर्ष 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करते समय ₹ 1,297.84 करोड़ (परिचालन आय ₹ 1,161.30 करोड़ और पूंजीगत लाभ ₹ 136.54 करोड़) की कर योग्य आय घोषित की। घोषित आय के अनुसार, कुल कर देयता ₹ 437.61 करोड़ बनती है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने मार्च 2019 तक ₹ 206.28 करोड़ का अग्रिम कर और ₹ 19.46 करोड़ का स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) जमा किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 211.87 करोड़[7] का कर कम जमा हुआ था, जिसे 30 अक्तूबर 2019 को जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया था कि कम कर जमा करने का मुख्य कारण गुरुग्राम में एक वाणिज्यिक संपत्ति की बिक्री के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा था, जिसके लिए मार्च 2018 में कंपनी द्वारा नियमित आबंटन-पत्र जारी किया गया था। कोर्ट ने अंततः निर्णय दिया (16 मई 2019) कि सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए नए नियमित आबंटन-पत्र की तिथि 26 मार्च 2019 से मानी जाएगी। इस संबंध में, कंपनी ने एक कर परामर्शी की सलाह मांगी और वित्तीय वर्ष 2018-19 (अर्थात निर्धारण वर्ष 2019-20) में संपत्ति की बिक्री से आय को मान्यता दी।

कंपनी ने आयकर रिटर्न फाइल की और आयकर रिटर्न फाइल करने की वास्तविक नियत तिथि अर्थात 30 सितंबर 2019 से एक माह की देरी से 30 अक्तूबर 2019 को शेष कर देयता जमा की, जिस पर अधिनियम की धारा 234 ए और 234 बी के अंतर्गत ब्याज का भुगतान करना

---

6 अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार, मूल्यांकन वर्ष का अर्थ वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले 31 मार्च को पूरा होने के बाद प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाली 12 माह की अवधि है।

7 ₹ 437.61 करोड़ - (₹ 206.28 करोड़ + ₹ 19.46 करोड़)।

पड़ा। परिणामस्वरूप, कंपनी को अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 2.12 करोड़[8] और धारा 234 बी के अंतर्गत ₹ 14.83 करोड़ (सात माह अर्थात अप्रैल से अक्तूबर 2019 के लिए) का ब्याज देना पड़ा।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 (अर्थात निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए अपनी कुल आय और देय कर का निर्धारण करने के लिए उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं की। कंपनी ने निर्णय की तिथि से पांच माह से अधिक समय बीतने के बाद 22 अक्तूबर 2019 को कर परामर्शी से संपर्क किया। यह कंपनी के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कंपनी को 16 मई 2019 को न्यायालय के फैसले के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मई 2019 में शेष कर जमा करना चाहिए था। यदि कंपनी सलाह/परामर्श आदि, लेने के लिए डेढ़ माह के अनुमत समय के बाद भी 30 जून 2019 तक अपना शेष कर जमा कर देती तो यह अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 2.12 करोड़ और धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 8.47 करोड़ (चार माह अर्थात जुलाई से अक्तूबर 2019 के लिए) के ब्याज के भुगतान से बच सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2024) कि वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि वर्ष 2017-18 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई थी और 30 मई 2019 को वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह भी बताया गया था कि चूंकि कंपनी पर भारी ऋण था और उसने उधार ली गई निधियों से कर का भुगतान किया था, अगर कंपनी ने 30 जून 2019 तक कर का भुगतान किया होता तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखों को अंतिम रूप देना देय कर जमा करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है, क्योंकि कर की गणना अनंतिम लेखों के आधार पर भी की जा सकती है, जैसा कि वास्तव में कंपनी द्वारा अक्तूबर 2019 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के लिए उधार लागत का लाभ 7.83 प्रतिशत[9] की दर से समायोजित करने के बाद भी, कंपनी ने अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 2.94 करोड़[10] के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

इस प्रकार, कंपनी के उदासीन दृष्टिकोण के कारण ₹ 5.06 करोड़ (₹ 2.12 करोड़ + ₹ 2.94 करोड़) के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया (मार्च 2023), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड

7.3 ई-शौचालयों पर व्यर्थ व्यय

कंपनी ने दोषपूर्ण अनुबंध प्रबंधन और 10 ई-शौचालयों के खराब संचालन एवं रखरखाव के कारण ₹ 1.34 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया।

भारत के शहरी केंद्रों को बेहतर बनाने तथा उन्हें नागरिक हितैषी और सतत बनाने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) के माध्यम से राज्य सरकारों और

[8] ₹ 211.87 करोड़ के शेष कर पर एक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से।

[9] वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण के अनुसार।

[10] ₹ 8.47 करोड़ और ₹ 5.53 करोड़ (₹ 211.87 करोड़ * 7.83/100 * 4/12 माह) का अंतर है।

संबंधित शहरी प्राधिकरणों के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के विजन को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एस.पी.वी.) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना की गई थी।

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (कंपनी) ने अपने क्षेत्र आधारित विकास के हिस्से के रूप में, नगर निगम, फरीदाबाद (एम.सी.एफ.) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पायलट आधार पर चयनित स्थानों पर ई-शौचालय स्थापित करने का निर्णय लिया।

कार्य का दायरा और निविदा दस्तावेजों के सामान्य विनिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

- ई-शौचालयों के उपयोग और स्वास्थ्य स्थिति की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शौचालयों को जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी.पी.आर.एस.) नेटवर्क से जोड़ा जाना था।
- परिचालन और रखरखाव में अंतर्निहित प्रणाली, सहायक अवसंरचना और स्वचालित प्रणाली के घटक को सुचारू रूप से चलाने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक और वांछनीय सभी मामलों पर किए जाने वाले सभी व्यय शामिल थे; तथा
- बोलीदाता को निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार संचालन एवं रखरखाव अवधि के दौरान बीमा कवर सुनिश्चित करना था।

कंपनी ने एक ठेकेदार को 10 ई-शौचालयों[11] की आपूर्ति, स्थापना, संचालन एवं रखरखाव का कार्य दो वर्ष की दोष दायित्व अवधि के साथ ₹ 1.86 करोड़[12] की लागत पर सौंपा (6 जुलाई 2017)। इस संबंध में ठेकेदार के साथ 18 जुलाई 2017 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध करार के अनुसार, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि चार माह अर्थात 18 नवंबर 2017 तक थी और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पांच वर्ष के लिए था।

अनुबंध की सामान्य शर्त (जी.सी.सी.) की क्लॉज 25 और 26 में कार्य पूरा होने में देरी के लिए करार की राशि के 1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जुर्माने का प्रावधान है, जो करार राशि के अधिकतम पांच प्रतिशत के अधीन है। अनुबंध की विशेष शर्त (एस.सी.सी.) की क्लॉज 6.6 और अनुबंध की सामान्य शर्त की क्लॉज 29 (II) बी के अनुसार, यदि ठेकेदार दी गई अवधि में कमियों को उचित रूप से ठीक करने में विफल रहता है, तो कंपनी अनुबंध को समाप्त करने या बोलीदाता के जोखिम और लागत पर विभागीय रूप से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से दोष को ठीक करने और बोलीदाता से वास्तविक लागत वसूल करने के लिए स्वतंत्र थी। साथ ही, अनुरोध प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) की क्लॉज 7.1.7 में बताया गया है कि अनुरोध प्रस्ताव प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, बोलीदाता को न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

आठ ई-शौचालयों की स्थापना का कार्य अक्तूबर 2018 में पूरा हो गया था। इन आठ

---

[11] ई-टॉयलेट मानव रहित, स्वचालित, मॉड्यूलर प्रकार और स्टेनलेस स्टील से बने टॉयलेट सीटों के साथ पूर्व-निर्मित सार्वजनिक शौचालय हैं और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ एकीकृत हैं। ई-शौचालय में दूरस्थ निगरानी क्षमताएं हैं और इनकी स्वास्थ्य स्थिति को इंटरनेट पर ट्रैक किया जा सकता है।

[12] आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग: ₹ 1.37 करोड़ और संचालन और रखरखाव: ₹ 0.49 करोड़।

ई-शौचालयों के लिए संचालन एवं रखरखाव 15 अक्तूबर 2018 से शुरू हुआ। शेष दो ई-शौचालयों की स्थापना जनवरी 2019 में पूरी हो गई और इन दो ई-शौचालयों के लिए संचालन एवं रखरखाव 15 जनवरी 2019 से शुरू हुआ। अगस्त 2019 तक, कंपनी ने ई-शौचालयों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ₹ 1.34 करोड़ (₹ 0.05 करोड़ की वैधानिक देयता सहित) का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में योजना और अनुबंध प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

i. व्यवहार्यता अध्ययन (जनवरी 2018) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (अप्रैल 2018) तैयार करने से पहले ई-शौचालयों की स्थापना का कार्य सौंपा गया था (जुलाई 2017)। व्यवहार्यता अध्ययन ने इनकी व्यवहार्यता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जनता द्वारा ई-शौचालयों के उपयोग की निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। तथापि, कंपनी उचित निगरानी सुनिश्चित करने में विफल रही, क्योंकि वह इन ई-शौचालयों को दूरस्थ निगरानी के लिए जनरल पैकेट रेडियो सर्विस नेटवर्क से जोड़ने और प्रवेश, उपयोग आदि जैसी सुविधाओं की वास्तविक समय स्थिति का आकलन करने में विफल रही। इस स्वचालित प्रणाली के अभाव में तोड़फोड़, चोरी, आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता, मुद्रा मशीन का काम न करना, ई-शौचालय की अस्वच्छ स्थिति आदि के मामलों को ट्रैक नहीं किया जा सका।

ii. ई-शौचालयों का निर्माण परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि (18 नवंबर 2017) से 47 सप्ताह (आठ ई-शौचालय) और 60 सप्ताह (दो ई-शौचालय) की देरी के बाद अर्थात अक्तूबर 2018 और जनवरी 2019 को पूरा हुआ। कंपनी ने अनुरोध प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार ₹ 4.25 लाख[13] का जुर्माना नहीं लगाया।

iii. ठेकेदार ने चार से सात माह की देरी से केवल 13 मई 2019 से 12 मई 2020 तक अग्नि मानक एवं विशेष बीमा करवाया, जिसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। आगे, यह देखा गया कि चोरी और हाउसकीपिंग के विरूद्ध बीमा कवर नहीं लिया गया था, जो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य था। इसलिए, चोरी के कारण होने वाले नुकसान की सुरक्षा नहीं की जा सकी।

iv. कंपनी ने उचित संचालन एवं रखरखाव में ठेकेदार की विफलता को दोहराते हुए उसे कई नोटिस[14] जारी किए, लेकिन खराब निष्पादन के कारण अनुबंध को अतिशीघ्र ब्लैकलिस्ट करने/समाप्त करने के निदेशक मंडल के निर्णय (नवंबर 2019) के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और न ही अनुबंध समाप्त किया गया। आगे, ठेकेदार कमियों को दूर करने में विफल रहा और जनवरी 2021 से रखरखाव कार्य बंद कर दिया।

v. कंपनी ने अनुबंध की विशेष शर्त के क्लॉज 6.6 और क्लॉज 29 (बी) के अनुसार ठेकेदार के जोखिम और लागत पर न तो विभागीय रूप से और न ही किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कमियों को दूर करवाया, न ही ₹ 9.31 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी जब्त की, जो केवल 18 सितंबर 2022 तक वैध थी।

---

[13] ₹ 3.22 लाख (₹ 1.37 करोड़ *47*0.0625/100*8/10) जमा ₹ 1.03 लाख (₹ 1.37 करोड़ *60*0.0625/100*2/10)

[14] जून 2019, एफएससीएल/इंजीनियरिंग/ईटी/19/654 दिनांक 09 जुलाई 2019 और एफएससीएल/इंजीनियरिंग/2019/1028 दिनांक 26 सितंबर 2019

इसके अलावा, यह पाया गया कि ई-शौचालयों के गैर-संचालन का मामला निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था, जिसने निर्देश दिया (25 जुलाई 2019) कि संचालन एवं रखरखाव का कार्य किसी अन्य एजेंसी को देकर ई-शौचालयों को कार्यात्मक बनाया जाए। निदेशक मंडल ने इन ई-शौचालयों को नगर निगम, फरीदाबाद को सौंपने का निर्णय लिया (20 मई 2020)। तथापि, नगर निगम, फरीदाबाद की इच्छा थी (मार्च 2021) कि ई-शौचालयों को अपने कब्जे में लेने से पहले कमियों को दूर किया जाए। तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो इन ई-शौचालयों की कमियों को दूर किया गया और न ही अक्तूबर 2024 तक इन ई-शौचालयों को नगर निगम, फरीदाबाद को हस्तांतरित किया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2024) कि उसने संचालन एवं रखरखाव के लिए ₹ 2.30 लाख के साथ-साथ ₹ 64.48 लाख (सुरक्षा, कमियां आदि - ₹ 31.15 लाख और अतिरिक्त मदें/कार्य - ₹ 33.33 लाख शामिल हैं) रोक लिए हैं। यह आगे बताया गया कि कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, राजस्थान के आदेश[15] के अनुपालन में ठेकेदार को ₹ 34.51 लाख जारी कर दिए हैं (अगस्त 2023) और कंपनी द्वारा इसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी प्रस्ताव के लिए अनुरोध/अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप इन ई-शौचालयों की खराब निगरानी और संचालन एवं रखरखाव हुआ। इसके अलावा, ठेकेदार का भुगतान रोकने के बावजूद, कंपनी ने न तो ई-शौचालयों की कमियों को दूर करवाया और न ही प्रस्ताव के लिए अनुरोध/करार के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई की। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2023) के दौरान निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्वीकार किया कि खराब संचालन एवं रखरखाव के कारण ई-शौचालय स्थापना के कुछ महीनों के भीतर ही बंद हो गए। आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय ने कंपनी को 25 जुलाई 2019 और 18 नवंबर 2019 को निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुरूप ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इस प्रकार, ई-शौचालय, जिन पर ₹ 1.34 करोड़ खर्च किए गए थे, खराब संचालन एवं रखरखाव के कारण संचालन की तिथि से कुछ महीनों के भीतर निष्क्रिय हो गए, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को परिकल्पित लाभ नहीं मिल सके, जिससे व्यय निष्फल हो गया।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

7.4 व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना खुदरा शराब की दुकानें खोलने के कारण हानि

किसी व्यवहार्यता अध्ययन के बिना गुरुग्राम में खुदरा शराब की दुकानें खोलने के कारण कंपनी को ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने राजस्व में वृद्धि करने हेतु खुदरा शराब की दुकानें खोलने के लिए बोलियों में भाग लेने का निर्णय लिया (जून 2020)। इस उद्देश्य से, कंपनी ने हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की बोली प्रक्रिया में भाग लिया (जून 2020) और दो आबकारी जिलों अर्थात गुरूग्राम (पूर्व) और गुरूग्राम (पश्चिम) सहित

[15] भुगतान जारी करने के लिए ठेकेदार द्वारा दायर मामले के विरुद्ध।

गुरुग्राम शहर में तीन जोन[16] (प्रत्येक जोन में दो खुदरा दुकानें) में विदेशी शराब (एल-2 लाइसेंस[17]) की बिक्री के लिए छः खुदरा दुकानें हासिल की। कंपनी ने इन आउटलेट्स के लिए परिसर पट्टे पर लिए। कंपनी ने आबकारी एवं कराधान (विभाग) से अनुमति प्राप्त करने के बाद करनाल में अपने पहले से मौजूद विदेशी शराब के थोक डिपो (एल-1 लाइसेंस[18]) से शराब जारी करके 07 जुलाई 2020 को इन खुदरा दुकानों को चालू कर दिया। कंपनी ने गुरुग्राम में इन खुदरा दुकानों में शराब की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने और परिवहन लागत बचाने के लिए थोक डिपो को करनाल से गुरुग्राम (पश्चिम) में स्थानांतरित कर दिया (अगस्त 2020)। कंपनी ने इस कार्रवाई के लिए अपने निदेशक मंडल से कार्योत्तर स्वीकृति ली (अगस्त 2020), जिसमें निदेशक मंडल ने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इन खुदरा दुकानों को आपूर्ति कंपनी के अपने थोक डिपो से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वर्ष 2020-21 के लिए हरियाणा की आबकारी नीति (नीति) के प्रावधान 3.3.1 के अनुसार, लाइसेंसधारी अर्थात कंपनी को थोक विक्रेता से शराब का मूल त्रैमासिक आबंटित कोटा उठाना था और कोटा उठाने में विफल रहने पर कम कोटा के लिए जुर्माना लगाया जाना था।

खुदरा दुकानों के संचालन के दौरान, कंपनी को पता चला कि दुकानों के लिए शराब उठाने के लिए निर्धारित मूल कोटा वास्तविक बिक्री से अधिक था और वह कम कोटा जुर्माना के लिए उत्तरदायी बन रही थी। इसके अलावा, कम बिक्री के कारण वह निर्धारित लाइसेंस फीस के भुगतान की देयता को मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। कंपनी को यह भी पता चला कि खुदरा दुकानों को स्टॉक देने के लिए थोक डिपो पर बड़े स्टॉक के अलावा, अपेक्षित बिक्री प्राप्त करने के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर कम से कम ₹ एक करोड़ का स्टॉक बनाए रखना अपेक्षित था। कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कंपनी ग्राहकों द्वारा मांगे गए सभी ब्रांडों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने में भी सक्षम नहीं रही। इसलिए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी शराब लाइसेंस सरेंडर करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2020)। जबकि कम कोटा उठाने के लिए जुर्माने के भुगतान से छूट का मामला प्रक्रियाधीन है (जून 2023), कंपनी को खुदरा शराब की दुकानों के संचालन में पहले ही ₹ 6.99 करोड़ की हानि हो गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने बाजार की स्थितियों, बिक्री क्षमता और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कोई आर्थिक और रसद व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना खुदरा शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया। कंपनी पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थी क्योंकि वह 2016-17 से ही घाटे में चल रही थी और पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। इसके अलावा, चूंकि नीति के अनुसार, किसी आबकारी जिले में खुदरा शराब की दुकानों को आपूर्ति केवल उस आबकारी जिले में स्थित थोक दुकानों से ही की जा सकती थी, इसलिए कंपनी गुरुग्राम (पश्चिम) में अपने थोक डिपो से गुरुग्राम (पूर्व) में स्थित अपनी खुदरा दुकानों को आपूर्ति नहीं कर सकी और उसे गुरुग्राम (पूर्व) में अन्य निजी थोक विक्रेताओं से शराब खरीदनी पड़ी। इसके अतिरिक्त, खराब खुदरा बिक्री के कारण, इसके थोक आउटलेट (एल-1) अपने आपूर्तिकर्ताओं का बकाया समय पर नहीं चुका सके, जिन्होंने आगे आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों पर विभिन्न ब्रांडों

---

16 अतुल कटारिया चौक (पश्चिमी जोन), हीरो होंडा चौक (पूर्वी जोन) और बख्तावर चौक (पूर्वी जोन)।

17 विदेशी शराब की बिक्री के लिए खुदरा दुकान का लाइसेंस।

18 विदेशी शराब की बिक्री के लिए थोक डिपो का लाइसेंस।

की उपलब्धता खराब हो गई, जिससे उनकी बिक्री पर और प्रभाव पड़ा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि नुकसान का मुख्य कारण एल-1 (गुरुग्राम पश्चिम में स्थित) से एल-2 वेंड्स (गुरुग्राम पूर्व में) तक आपूर्ति बंद करना था, जिसे पहले विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। प्रबंधन ने आगे बताया कि कंपनी ने उन निजी बोलीदाताओं को संदेश देने के लिए एल-2 विक्रेताओं की ई-बोली में भाग लिया जो कोविड-19 परिदृश्य के दौरान ई-बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आबकारी नीति किसी आबकारी जिले में एल-2 दुकानों को केवल उस विशेष आबकारी जिले की एल-1 दुकानों से ही आपूर्ति की अनुमति देती है और आबकारी विभाग ने विशेष मामले के रूप में कंपनी को करनाल में स्थित एल-1 से गुरुग्राम में विभिन्न एल-2 दुकानों तक कोटा उठाने की अनुमति दी थी (जुलाई 2020)। हालांकि, गुरुग्राम पश्चिम से गुरुग्राम पूर्व तक कोटा उठाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा कोई विशेष स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वह बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले मौजूदा आबकारी नीति से उत्पन्न चुनौतियों का आकलन करने के लिए उचित आर्थिक और रसद व्यवहार्यता अध्ययन करे। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया (मार्च 2023), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 29 जुलाई 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 06 अगस्त 2025 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1. हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	1. हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
2. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
3. सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	3. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड	3. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4. हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	4. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
5. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो का कल्याण विभाग	5. हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	5. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
6. महिला एवं बाल विकास	6. हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6. हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
7. उच्च शिक्षा विभाग	7. हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	7. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
8. श्रम विभाग	8. हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	8. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
9. स्कूल शिक्षा विभाग	9. हरियाणा राज्य भंडारण निगम	9. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
10. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	10. हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	10. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
11. खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग	11. हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	11. हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला
12. तकनीकी शिक्षा विभाग	12. हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	12. राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
13. रोजगार विभाग	13. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	13. हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड
14. आबकारी एवं कराधान विभाग	14. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	14. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
15. वित्त विभाग	15. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	15. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
16. ग्रामीण विकास विभाग	16. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	16. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
17. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	17. पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	17. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
18. पशुपालन एवं डेयरी विभाग	18. हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	18. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
19. सहकारिता विभाग	19. हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	19. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
20. मत्स्य पालन विभाग	20. हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
21. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	21. हरियाणा वित्तीय निगम लिमिटेड	21. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
22. बागवानी विभाग	22. हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	22. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
23. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	23. हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड	23. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
24. नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा	24. गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	24. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
25. बिजली विभाग	25. गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	25. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
26. उद्योग एवं वाणिज्य	26. फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	26. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
27. खान एवं भू-विज्ञान	27. फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	27. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
28. नागर विमानन	28. करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
29. परिवहन विभाग	29. हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	29. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
30. नगर एवं ग्राम आयोजना	30. हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	30. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
31. शहरी स्थानीय निकाय	31. हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	31. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
32. सभी के लिए आवास	32. हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	32. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
33. पर्यावरण और जलवायु विभाग	33. हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	33. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
34. वन विभाग	34. हारट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	34. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
35. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	35. हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	35. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
36. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	36. हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	36. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
37. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	37. ड्रोन इमेजिंग एंड इंफोर्मेशन सर्विसिज आफ हरियाणा लिमिटेड	37. हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
38. सूचना एवं प्रौद्योगिकी		38. हरियाणा मानव अधिकार आयोग
39. गृह		
40. कला एवं संस्कृति		
41. अभिलेखागार		
42. पुरातत्व एवं संग्रहालय		
43. पर्यटन		
44. चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		
45. नागरिक संसाधन सूचना विभाग		
46. सामान्य प्रशासन		
47. राज्य चुनाव आयोग		
48. हरियाणा विधानसभा के सचिव		
49. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		
50. मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
51. राज्यपाल के सचिव		
52. सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		
53. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग		

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 4)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	318	103.73
2.	वसूली योग्य राशि	2,361	1,26,776.81
3.	नियमों का पालन न करना	5,308	18,855.18
4.	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,153	15,196.66
5.	निष्फल/बेकार व्यय	867	2,578.36
6.	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,836	8,717.84
7.	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,169	10,082.44
8.	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,937	1,123.55
9.	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	2,774	27,970.07
10.	विविध	4,639	12,001.55
	कुल	**24,362**	**2,23,406.19**

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 5)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2024 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
4.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.1	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
			3.2	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
		2018-19	3.14.3.3	3,189.00
			3.14.3.4	713.00
			3.14.3.8	1,314.00
			3.14.3.11	96.00
			3.14.4.3	1,122.00
			3.14.4.5	72.00
			3.15	561.00
		2019-20	2.4	295.00
			2.5	161.00

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
6.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
7.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
		2019-20	2.6	154.00
8.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.6	10,182.00
9.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	3.6	125.00
11.	स्कूल शिक्षा	2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
12.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
13.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
14.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
15.	आवास	2018-19	3.9	41.00
16.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
17.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
			2.1.8.2	965.00
			2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.5 (ii)	14.89
			2.1.8.6	78.91
			2.1.8.7	474.00
			2.1.8.8	85.86
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
	कुल			**1,96,117.19**

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लंबित सिफारिशों की संख्या

क्र. सं.	लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति (कोपू)		
	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का वर्ष	लंबित सिफारिशें	कोपू की रिपोर्ट संख्या	कोपू के अनुच्छेदों की संख्या	कोपू की रिपोर्ट का वर्ष
1.	16वीं	1979-80	1	16वीं	1	1983-84
2.	22वीं	1984-85	1	19वीं	1	1984-85
3.	23वीं	1985-86	1	23वीं	3	1986-87
4.	26वीं	1987-88	1	35वीं	1	1992-93
5.	32वीं	1990-91	1	38वीं	1	1994-95
6.	34वीं	1991-92	5	41वीं	1	1996-97
7.	36वीं	1992-93	3	42वीं	1	1996-97
8.	38वीं	1993-94	2	43वीं	3	1997-98
9.	40वीं	1994-95	3	45वीं	14	2000-01
10.	42वीं	1995-96	1	47वीं	14	2000-01
11.	44वीं	1996-97	6	48वीं	10	2000-01
12.	46वीं	1997-98	3	49वीं	6	2001-02
13.	50वीं	2000-01	16	50वीं	4	2002-03
14.	52वीं	2001-02	5	51वीं	3	2003-04
15.	54वीं	2002-03	7	52वीं	4	2005-06
16.	56वीं	2003-04	11	53वीं	15	2006-07
17.	58वीं	2005-06	13	55वीं	6	2008-09
18.	60वीं	2006-07	18	56वीं	3	2009-10
19.	61वीं	2007-08	5	57वीं	5	2010-11
20.	62वीं	2007-08	8	58वीं	5	2011-12
21.	63वीं	2008-09	12	59वीं	10	2012-13
22.	64वीं	2009-10	7	60वीं	5	2013-14
23.	65वीं	2010-11	12	61वीं	10	2014-15
24.	67वीं	2011-12	4	62वीं	13	2015-16
25.	68वीं	2012-13	11	63वीं	15	2016-17
26.	70वीं	2013-14	15	64वीं	18	2017-18
27.	71वीं	2014-15	3	65वीं	7	2018-19
28.	72वीं	2015-16	26	66वीं	9	2019-20
29.	73वीं	2016-17	37	67वीं	18	2020-21
30.	74वीं	2016-17	35	68वीं	19	2021-22
31.	75वीं	2017-18	32	69वीं	22	2022-23
32.	77वीं	2017-18	22	70वीं	12	2023-24
33.	79वीं	2018-19	32	**कुल**	**259**	
34.	80वीं	2019-20	22			
35.	81वीं	2020-21	36			
36.	82वीं	2021-22	66			
37.	83वीं	2022-23	25			
38.	88वीं	2023-24	34			
39.	89वीं	2023-24	89			
		कुल	**631**			

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2024 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार लंबित सिफारिशें

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद	क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद
1	न्याय प्रशासन	1	1	विद्युत विभाग	67
2	कृषि एवं किसान कल्याण	30	2	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	25
3	पशुपालन	14	3	हरियाणा वितीय निगम	13
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	1	4	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	46
5	वास्तुकला	1	5	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	9
6	नागरिक उड्डयन	1	6	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1
7	सिविल सचिवालय, सामान्य प्रशासन	3	7	हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	20
8	आयुक्त,हिसार	7	8	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	4
9	सहकारी	12	9	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	3
10	विकास एवं पंचायतें	9	10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2
11	जिला गुरूग्राम	8	11	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
12	एचएसएसपीपी, प्राथमिक, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित शिक्षा	32	12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	14
13	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	23	13	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
14	वाणिज्यिक कर, निषेध और उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क और कराधान	1	14	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	1
15	लॉटरी, न्याय, वित्त, खजाना और लेखा सहित वित्त	22	15	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	6
16	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	35	16	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	1
17	वन एवं वन्य जीवन	9	17	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	3
18	सामान्य	13	18	हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड	5
19	खाद्य एवं औषधि प्रशासन, परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य	43	19	हरियाणा मिनरल लिमिटेड	18
20	गृह	12	20	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	15
			21	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	1
21	आवास	2		**कुल**	**259**
22	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	8			
23	एमएसएमई, आपूर्ति एवं निपटान सहित उद्योग और वाणिज्य	10			
24	सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मामले	2			
25	सिंचाई	23			
26	श्रम एवं रोजगार	12			
27	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	6			
28	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	16			
29	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2			
30	मुद्रण एवं स्टेशनरी	3			
31	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	24			

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	**विभाग का नाम**	**अनुच्छेद**	**क्र.सं.**	**विभाग का नाम**	**अनुच्छेद**
32	नवीकरणीय ऊर्जा	2			
33	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	22			
34	ग्रामीण विकास	19			
35	समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	33			
36	खेल एवं युवा मामले	6			
37	तकनीकी शिक्षा	4			
38	नगर एवं ग्राम आयोजना	89			
39	परिवहन	31			
40	शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास, उपनिवेशीकरण, स्थानीय स्वशासन	14			
41	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	24			
42	महिला एवं बाल विकास	2			
	कुल	**631**			

पीआर: लंबित सिफारिश

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.3; पृष्ठ 8)

विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा

क्र.सं.	अपशिष्ट का प्रकार	विनियामक ढांचा
1	नगर निगम का ठोस अपशिष्ट	• नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 • नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 • राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	• प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
3	खतरनाक अपशिष्ट	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
4	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	• निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
5	बूचड़खाना अपशिष्ट	• पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 • जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
6	सेनिटरी अपशिष्ट	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 8)

संगठनात्मक संरचना

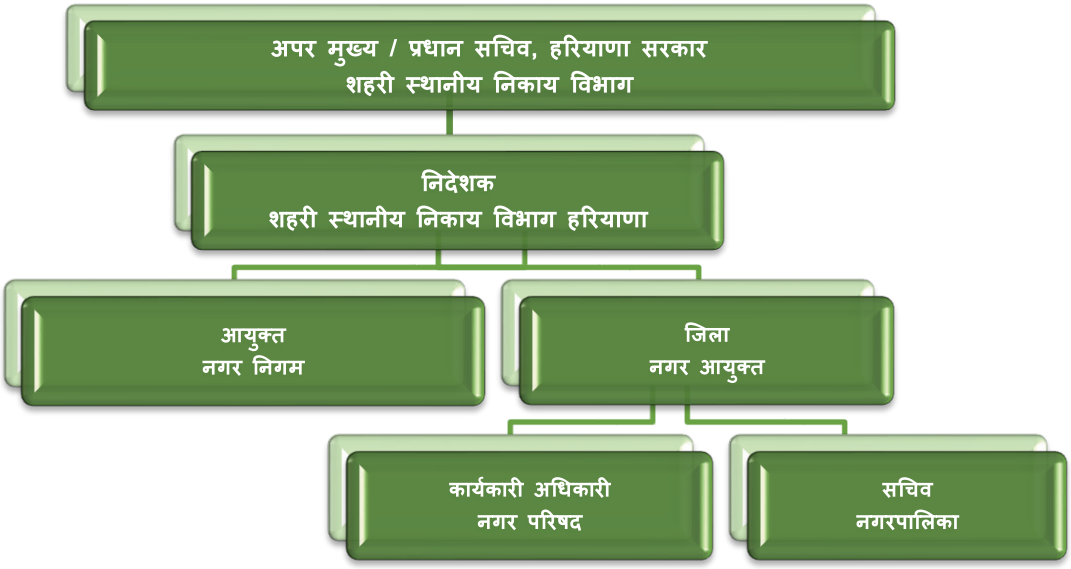

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 10)

चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
नगर निगम	
1	हिसार
2	पानीपत
3	गुरुग्राम
4	फरीदाबाद
5	सोनीपत
6	पंचकुला
नगर परिषद	
7	कालका
8	कैथल
9	टोहाना
10	बहादुरगढ़
11	नारनौल
12	पलवल
नगरपालिका	
13	नीलोखेड़ी
14	शाहबाद
15	उकलाना
16	बेरी
17	पुन्हाना
18	हेलीमंडी

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.4; पृष्ठ 13)

समूह आवास या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर, जिसमें 200 से अधिक आवास हों या जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर से अधिक हो, के लिए विकास योजना में अलग स्थान के सीमांकन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	समूह आवास, वाणिज्यिक, संस्थागत परिसर का नाम	विकास योजना की स्वीकृति की तिथि	कुल क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर से अधिक
1.	मेसर्स अभिनव प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	30 सितंबर 2021	16,718.57
2.	फाइनेस्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	31 मार्च 2021	5,597.974
3.	मेसर्स कपूर इंडस्ट्रीज एलएलपी	15 अप्रैल 2022	11,735.836
4.	मेसर्स निनानिया एस्टेट लिमिटेड	20 अप्रैल 2017	17,455.66
5.	मेसर्स सोना फाउंडेशन गुरुग्राम	27 सितंबर 2022	16,414.99
6.	मेसर्स राजेंद्र कुमार शर्मा	27 सितंबर 2021	8,346.66
7.	मेसर्स पिकवेल	31 मार्च 2022	5,601.45
8.	मेसर्स कपूर इंडस्ट्रीज एलएलपी	13 सितंबर 2019	9,257.14
9.	मेसर्स इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	06 दिसंबर 2021	5,253.78
10.	मेसर्स एडएक्सपेरेंशियल एंड इंफ्रासर्विसेज एलएलपी	11 नवंबर 2021	12,317.56
11.	मेसर्स राजश्री यादव और श्रीमती गीतांजलि यादव	29 नवंबर 2019	8,574.24
12.	मेसर्स वेरा एडु इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	18 अक्तूबर 2019	13,253.34
13.	श्री सतबीर सिंह पुनिया	17 दिसंबर 2021	24,029.00
14.	मेसर्स जुबिलिएंट मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली	06 जुलाई 2022	15,904.10

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.6; पृष्ठ 14)

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम बनाने को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	उपनियमों की नियत तिथि	अधिसूचना की वास्तविक तिथि	कुल विलंब (दिनों में)	शहरी स्थानीय निकाय के कारण विलंब[1] (दिनों में)
नगर निगम					
1	हिसार	9 अप्रैल 2017	19 जुलाई 2019	831	106
2	पानीपत	9 अप्रैल 2017	1 सितंबर 2019	875	150
3	गुरुग्राम	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
4	फरीदाबाद	9 अप्रैल 2017	1 जनवरी 2021	1,363	638
5	सोनीपत	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
6	पंचकुला	9 अप्रैल 2017	24 जून 2019	806	81
नगर परिषद					
7	कालका	17 सितंबर 2020	17 दिसंबर 2021	456	61
8	कैथल	9 अप्रैल 2017	1 सितंबर 2019	875	150
9	टोहाना	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
10	बहादुरगढ़	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
11	नारनौल	9 अप्रैल 2017	1 अक्तूबर 2019	905	180
12	पलवल	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
नगरपालिका					
13	नीलोखेड़ी	9 अप्रैल 2017	1 जुलाई 2019	813	88
14	शाहबाद	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
15	उकलाना	9 अप्रैल 2017	5 जुलाई 2019	817	92
16	बेरी	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
17	पुन्हाना	9 अप्रैल 2017	20 अगस्त 2019	863	138
18	हेलीमंडी	9 अप्रैल 2017	1 जुलाई 2019	813	88

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

[1] विलंब की गणना शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम जारी करने की तिथि (5 मार्च 2019) और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपनियम जारी करने की तिथि से की गई, इसके लिए उन्हें अधिसूचना हेतु 30 दिन का समय दिया गया।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.9; पृष्ठ 17)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति की स्थिति

		निगम						परिषद						नगरपालिका					
विवरण	**वर्ष**	**हिसार**	**पानीपत**	**फरीदाबाद**	**गुरुग्राम***	**सोनीपत**	**पंचकुला***	**कालका**	**कैथल**	**टोहाना**	**बहादुरगढ़**	**नारनौल**	**पलवल**	**नीलोखेड़ी**	**शाहबाद**	**उकलाना**	**बेरी**	**पुन्हाना**	**हेलीमंडी**
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर कवरेज	2017-18	50	38	70	-	100	-	एनए	10	65	85	30	32	100	50	30	80	32	30
	2018-19	50	100	88	-	100	-	एनए	10	70	90	50	32	100	60	40	100	47	30
	2019-20	50	100	90	-	100	-	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	47	30
	2020-21	80	100	92	-	100	-	80	100	85	100	80	75	100	100	60	100	47	55
	2021-22	90	100	94	-	100	-	80	100	95	100	100	90	100	100	80	100	47	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता	2017-18	50	100	70	-	100	-	एनए	10	65	85	30	32	100	60	30	80	33	30
	2018-19	50	100	88	-	100	-	एनए	10	70	90	50	32	100	80	40	100	46	30
	2019-20	50	100	90	-	100	-	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	46	30
	2020-21	80	100	92	-	100	-	100	100	85	100	80	75	100	100	60	100	46	55
	2021-22	90	100	94	-	100	-	100	100	95	100	100	90	100	100	80	100	46	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	2017-18	50	0	22	-	40	-	एनए	0	65	30	0	32	90	30	30	40	0	30
	2018-19	50	40	34	-	60	-	एनए	0	70	40	0	32	90	40	40	20	0	30
	2019-20	50	40	55	-	80	-	एनए	70	85	50	40	32	90	60	50	20	0	30
	2020-21	80	100	60	-	100	-	80	80	85	60	70	74	90	100	60	30	0	55
	2021-22	90	100	66	-	100	-	80	20	95	70	70	74	100	100	80	50	0	65
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की वसूली की सीमा	2017-18	50	80	12	-	20	-	एनए	0	65	10	10	32	80	10	30	5	0	30
	2018-19	50	80	12	-	40	-	एनए	0	70	20	10	32	80	10	40	10	0	30
	2019-20	50	80	35	-	60	-	एनए	70	85	30	30	32	80	30	50	10	0	30
	2020-21	60	80	47	-	80	-	एनए	80	85	40	50	32	80	50	60	10	0	30
	2021-22	80	80	52	-	100	-	एनए	20	95	60	60	90	80	70	80	20	0	70

		निगम						परिषद						नगरपालिका					
विवरण	वर्ष	हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम*	सोनीपत	पंचकुला*	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की सीमा	2017-18	50	0	0	-	0	-	एनए	0	65	30	0	32	0	0	30	5	0	30
	2018-19	50	0	0	-	0	-	एनए	0	70	40	0	32	0	0	40	10	0	30
	2019-20	50	0	0	-	0	-	एनए	0	85	55	0	32	0	0	50	30	0	30
	2020-21	60	0	0	-	100	-	60	100	85	65	0	32	0	0	60	40	0	30
	2021-22	80	80	0	-	100	-	90	100	95	85	0	90	100	0	80	50	0	70
ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता	2017-18	50	80	100	-	100	-	एनए	100	65	40	70	100	80	80	30	30	75	100
	2018-19	50	80	100	-	100	-	एनए	100	70	50	70	100	80	80	40	40	75	100
	2019-20	50	80	100	-	100	-	एनए	100	85	60	90	100	80	80	50	50	78	100
	2020-21	60	80	100	-	100	-	80	100	85	80	100	100	80	80	60	70	78	100
	2021-22	80	80	100	-	100	-	80	100	95	80	100	100	80	80	80	80	78	100
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	2017-18	50	0	0	-	20	-	एनए	0	65	0	एनए	0	0	0	30	0	0	0
	2018-19	50	0	0	-	20	-	एनए	0	70	0	एनए	0	0	0	40	10	0	0
	2019-20	60	0	0	-	40	-	एनए	0	85	0	एनए	0	0	0	60	20	0	0
	2020-21	80	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	0	0	60	20	0	0
	2021-22	90	0	0	-	70	-	0	0	95	0	एनए	0	90	0	80	30	0	0
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	2017-18	50	0	9	-	20	-	एनए	0	65	0	एनए	0	0	0	30	0	0	0
	2018-19	50	0	12	-	20	-	एनए	0	70	0	एनए	0	0	0	40	20	0	0
	2019-20	60	0	21	-	40	-	एनए	0	85	0	एनए	0	0	0	60	30	0	0
	2020-21	70	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	0	0	60	30	0	0
	2021-22	80	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	80	0	80	40	0	0

* नगर निगम, पंचकुला और नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 एवं 2.7.5; पृष्ठ 20, 24)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत पर पृथक्करण की प्रतिशतता और घर-घर जाकर संग्रहण की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी

		निगम						परिषद						नगरपालिका					
विवरण	वर्ष	हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता	2017-18	50	100	70	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	10	65	85	30	32	100	60	30	80	33	30
	2018-19	50	100	88	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	10	70	90	50	32	100	80	40	100	46	30
	2019-20	50	100	90	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	46	30
	2020-21	80	100	92	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	100	100	85	100	80	75	100	100	60	100	46	55
	2021-22	90	100	94	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	100	100	95	100	100	90	100	100	80	100	46	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	2017-18	50	0	22	प्रदान नहीं की गई	40	प्रदान नहीं की गई	एनए	0	65	30	0	32	90	30	30	40	0	30
	2018-19	50	40	34	प्रदान नहीं की गई	60	प्रदान नहीं की गई	एनए	0	70	40	0	32	90	40	40	20	0	30
	2019-20	50	40	55	प्रदान नहीं की गई	80	प्रदान नहीं की गई	एनए	70	85	50	40	32	90	60	50	20	0	30
	2020-21	80	100	60	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	80	80	85	60	70	74	90	100	60	30	0	55
	2021-22	90	100	66	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	80	20	95	70	70	74	100	100	80	50	0	65

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.6; पृष्ठ 25)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एम.आर.एफ.) की स्थिति

		निगम						परिषद						नगरपालिका						कुल
विवरण	वर्ष	हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी	
अपेक्षित एमआरएफ की संख्या	2017-18	10	एनए	7	35	1	1	0	0	1	1	1	2	1	0	10	1	1	1	73
	2018-19	10	2	7	35	2	1	0	0	1	1	1	2	1	1	10	1	1	1	77
	2019-20	10	2	7	35	2	1	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	69
	2020-21	10	2	7	35	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	73
	2021-22	10	2	6	35	0	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	70
उपलब्ध एमआरएफ की संख्या	2017-18	0	एनए	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	11
	2018-19	1	2	6	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	17
	2019-20	3	2	6	5	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	23
	2020-21	7	2	7	4	2	1	1	1	0	1	0	3	1	1	1	1	0	1	34
	2021-22	7	2	6	5	0	1	1	1	1	1	0	3	1	1	1	1	0	1	33
एमआरएफ में कमी	2017-18	10	एनए	1	35	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	10	1	1	0	62
	2018-19	9	0	1	35	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	9	1	1	0	60
	2019-20	7	0	1	30	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	1	0	46
	2020-21	3	0	0	31	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	40
	2021-22	3	0	0	30	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	38

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.7; पृष्ठ 26)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की स्थिति

		निगम						परिषद						नगरपालिका						कुल
विवरण	वर्ष	हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी	
अपेक्षित सफाई कर्मचारियों की संख्या	2017-18	657	1,784	4,250	2,850	850	1,190	एनए	100	163	510	185	453	45	107	40	48	62	52	13,346
	2018-19	730	1,784	4,425	3,100	850	1,190	एनए	100	171	525	186	453	45	107	43	49	62	52	13,872
	2019-20	811	1,784	4,475	3,702	1,068	1,190	एनए	105	178	541	190	453	45	107	46	50	62	52	14,859
	2020-21	901	1,784	4,538	4,736	1,068	1,190	373	110	181	557	261	453	45	107	52	52	62	52	16,522
	2021-22	919	2,250	4,625	6,033	1,068	794	373	110	184	749	265	566	45	107	52	54	62	52	18,309
उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की संख्या	2017-18	705	एनए	3,150	एनए	432	963	एनए	80	127	274	174	270	35	89	20	35	60	39	6,453
	2018-19	732	250	3,078	एनए	418	960	एनए	80	154	271	167	265	35	104	20	35	43	54	6,666
	2019-20	714	250	2,988	एनए	685	958	एनए	150	149	263	199	260	35	98	20	35	43	54	6,901
	2020-21	695	250	2,930	6,586	673	686	147	150	143	248	194	263	35	98	25	31	41	53	13,248
	2021-22	751	250	2,905	6,586	659	652	147	150	144	238	202	260	35	96	35	31	40	51	13,232
सफाई कर्मचारियों की कमी	2017-18	-	-	1,100	-	418	227	-	20	36	236	11	183	10	18	20	13	2	18	6,893
	2018-19	-	1,534	1,347	-	432	230	-	20	17	254	19	188	10	3	23	14	19	3	7,206
	2019-20	97	1,534	1,487	-	383	232	-	-	29	278	-	193	10	9	26	15	19	3	7,958
	2020-21	206	1,534	1,608	-	395	504	226	-	38	309	67	190	10	9	27	21	21	4	3,274
	2021-22	168	2,000	1,720	-	409	142	226	-	40	511	63	306	10	11	17	23	22	6	5,077

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.9; पृष्ठ 27)

नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की स्थिति

		निगम		परिषद						नगरपालिका						कुल
विवरण	वर्ष	हिसार	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी	
अपेक्षित वाहनों की संख्या	2017-18	62	103	0	0	6	16	31	45	10	-	5	3	7	6	294
	2018-19	62	103	0	0	6	16	31	45	10	37	6	3	7	6	332
	2019-20	83	103	0	30	6	22	33	45	10	21	7	3	7	6	376
	2020-21	191	103	20	20	6	22	33	45	10	20	8	3	7	6	494
	2021-22	191	84	20	20	6	25	33	82	10	20	8	3	7	6	515
उपलब्ध वाहनों की संख्या	2017-18	31	103	0	0	6	16	13	22	10	-	2	3	3	6	215
	2018-19	31	103	0	0	6	16	13	22	10	21	2	3	3	6	236
	2019-20	62	103	0	14	6	22	23	22	10	21	4	3	3	6	299
	2020-21	95	103	14	20	6	22	33	20	10	20	5	3	3	6	360
	2021-22	95	84	13	20	6	25	33	82	10	20	5	3	3	6	405
वाहनों की कमी	2017-18	31	0	0	0	0	0	18	23	0	-	3	0	4	0	79
	2018-19	31	0	0	0	0	0	18	23	0	16	4	0	4	0	96
	2019-20	21	0	0	16	0	0	10	23	0	0	3	0	4	0	77
	2020-21	96	0	6	0	0	0	0	25	0	0	3	0	4	0	134
	2021-22	96	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	110

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.11.1; पृष्ठ 31)

नमूना-जांच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों में डंप स्थल पर सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	नगर निगम					नगर परिषद				नगरपालिका				कुल	
		हिसार	पानीपत	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
1	पेयजल	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	5	8
2	शौचालय की सुविधा	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	5	8
3	प्रकाश व्यवस्था	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	5	8
4	अग्नि सुरक्षा उपकरण	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	4	9
5	तौलपुल	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	9
6	उपकरण और मशीनरी के लिए शेल्टर	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11
7	चौकीदार शेड	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	7	6
8	कार्यालय सुविधा	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	5	8
9	अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	4	9
10	वनस्पति आवरण और वृक्षारोपण	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11
11	स्टार्म वाटर ड्रेन	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	3	10
12	आंतरिक सड़कें	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	4	9
13	पहुंच मार्ग	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	8	5
14	कंपाउंड दीवार और गेट	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	7	6
15	विंडरो प्लेटफ़ॉर्म	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.11.3; पृष्ठ 33)

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण न करने के कारण "प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत" के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	एमसी का नाम	अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)	अपशिष्ट निपटान (टीपीडी)	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का अंतर	पूंजीगत लागत		प्रतिदिन ओ&एम लागत			प्रति दिन पर्यावरणीय बाहयता लागत					
					सीमांत पूंजीगत लागत घटक	पूंजीगत लागत (₹ लाख में)	ओ एंड एम लागत घटक	दिनों की संख्या	ओ एंड एम घटक (₹ लाख में)	प्रति दिन पर्यावरणीय बाहयता की सीमांत लागत	वास्तविक घटक	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता अंतर * वास्तविक घटक	न्यूनतम-अधिकतम सीमा के भीतर लागू घटक	दिनों की संख्या	पर्यावरणीय बाहयता (₹ लाख में प्रति दिन)
ए	बी	सी	डी	ई=सी-डी	एफ	जी=ई*एफ	एच	आई	जे=एच*ई* आई	के	एल=के*ई/100000	एम=एल*ई	एन	ओ	पी=एन*ओ
1	हिसार	180	95	85	2.4	204	0.02	1	1.7	15	0.0128	1.08	0.05	1	0.05
2	पानीपत	350	50	300	2.4	720	0.02	1	6.0	30	0.0900	27.00	0.15	1	0.15
3	फरीदाबाद	800	734	66	2.4	158	0.02	1	1.3	15	0.0099	0.65	0.05	1	0.05
4	गुरुग्राम	1,138	390	748	2.4	1,795	0.02	1	15.0	35	0.2618	195.83	0.35	1	0.35
5	पंचकुला	90	68	22	2.4	53	0.02	1	0.4	15	0.0033	0.07	0.50	1	0.50
6	कालका	30	27	3	2.4	7	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.0014	0.01	1	0.01
7	टोहाना	28.31	8	20.31	2.4	49	0.02	1	0.4	15	0.0030	0.06	0.05	1	0.05
8	बहादुरगढ़	112	50	62	2.4	149	0.02	1	1.2	15	0.0093	0.58	0.05	1	0.05
9	नारनौल	28	6	22	2.4	53	0.02	1	0.4	15	0.0033	0.07	0.05	1	0.05
10	पलवल	100	80	20	2.4	48	0.02	1	0.4	15	0.0030	0.06	0.05	1	0.05
11	शाहबाद	25	23.4	1.6	2.4	4	0.02	1	0.0	15	0.0002	0.0004	0.01	1	0.01
12	उकलाना	9	3	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01
13	बेरी	9	5	4	2.4	10	0.02	1	0.1	15	0.0006	0.002	0.01	1	0.01
14	पुन्हाना	10	2	8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.02	1	0.02
15	हेलीमंडी	10	0	10	2.4	24	0.02	1	0.2	15	0.0015	0.02	0.02	1	0.02
16	अंबाला सदर	110	0	110	2.4	264	0.02	1	2.2	15	0.0165	1.82	0.05	1	0.05
17	अंबाला	180	170	10	2.4	24	0.02	1	0.2	15	0.0015	0.02	0.02	1	0.02
18	लोहारू	6.4	0	6.4	2.4	15	0.02	1	0.1	15	0.0010	0.01	0.01	1	0.01
19	चरखीदादरी	22	16	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01
20	फतेहाबाद	31.38	10	21.38	2.4	51	0.02	1	0.4	15	0.0032	0.07	0.05	1	0.05
21	रतिया	16	0	16	2.4	38	0.02	1	0.3	15	0.0024	0.04	0.04	1	0.04
22	भूना	13.34	0	13.34	2.4	32	0.02	1	0.3	15	0.0020	0.03	0.03	1	0.03
23	जाखलमंडी	5.25	0	5.25	2.4	13	0.02	1	0.1	15	0.0008	0.00	0.01	1	0.01

क्र. सं.	एमसी का नाम	अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)	अपशिष्ट निपटान (टीपीडी)	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का अंतर	पूंजीगत लागत		प्रतिदिन ओ&एम लागत			प्रति दिन पर्यावरणीय बाहयता लागत					
					सीमांत पूंजीगत लागत घटक	पूंजीगत लागत (₹ लाख में)	ओ एंड एम लागत घटक	दिनों की संख्या	ओ एंड एम घटक (₹ लाख में)	प्रति दिन पर्यावरणीय बाहयता की सीमांत लागत	वास्तविक घटक	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता अंतर * वास्तविक घटक	न्यूनतम-अधिकतम सीमा के भीतर लागू घटक	दिनों की संख्या	पर्यावरणीय बाहयता (₹ लाख में प्रति दिन)
ए	बी	सी	डी	ई=सी-डी	एफ	जी=ई*एफ	एच	आई	जे=एच*ई* आई	के	एल=के*ई/100000	एम=एल*ई	एन	ओ	पी=एन*ओ
24	सोहना	40.33	0	40.33	2.4	97	0.02	1	0.8	15	0.0060	0.24	0.05	1	0.05
25	हांसी	38	0	38	2.4	91	0.02	1	0.8	15	0.0057	0.22	0.05	1	0.05
26	सिसई	11.25	0	11.25	2.4	27	0.02	1	0.2	15	0.0017	0.02	0.02	1	0.02
27	नारनौंद	8	3	5	2.4	12	0.02	1	0.1	15	0.0008	0.00	0.01	1	0.01
28	जुलाना	7	0	7	2.4	17	0.02	1	0.1	15	0.0011	0.01	0.01	1	0.01
29	नरवाना	26	14	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02
30	झज्जर	26	18	8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.01	1	0.01
31	थानेसर	80.2	56.15	24.05	2.4	58	0.02	1	0.5	15	0.0036	0.09	0.05	1	0.05
32	लाडवा	9.2	1.4	7.8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.01	1	0.01
33	इस्माइलाबाद	7.25	3.9	3.35	2.4	8	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01
34	करनाल	180	129	51	2.4	122	0.02	1	1.0	15	0.0077	0.39	0.05	1	0.05
35	तरावड़ी	14.5	12.5	2	2.4	5	0.02	1	0.0	15	0.0003	0.00	0.01	1	0.01
36	घरौंडा	21.85	9.85	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02
37	इंद्री	8.51	0	8.51	2.4	20	0.02	1	0.2	15	0.0013	0.01	0.01	1	0.01
38	अटेलीमंडी	6	0	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01
39	नूंह	9	0	9	2.4	22	0.02	1	0.2	15	0.0014	0.01	0.01	1	0.01
40	फिरोजपुर झिरका	12	0	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02
41	तावडू	11.43	0	11.43	2.4	27	0.02	1	0.2	15	0.0017	0.02	0.02	1	0.02
42	रोहतक	160	130	30	2.4	72	0.02	1	0.6	15	0.0045	0.14	0.05	1	0.05
43	रेवाड़ी	86	70	16	2.4	38	0.02	1	0.3	15	0.0024	0.04	0.04	1	0.04
44	बावल	6	3	3	2.4	7	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01
45	गोहाना	32	2	30	2.4	72	0.02	1	0.6	15	0.0045	0.14	0.05	1	0.05
46	खरखौदा	20	16.8	3.2	2.4	8	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01
47	कुंडली	16.5	0	16.5	2.4	40	0.02	1	0.3	15	0.0025	0.04	0.04	1	0.04
48	ऐलनाबाद	14	0	14	2.4	34	0.02	1	0.3	15	0.0021	0.03	0.03	1	0.03
49	यमुनानगर	272	125	147	2.4	353	0.02	1	2.9	15	0.0221	3.24	0.05	1	0.05
50	सढौरा	4.35	0	4.35	2.4	10	0.02	1	0.1	15	0.0007	0.00	0.01	1	0.01
	कुल	पूंजीगत लागत				5,038	ओ एंड एम लागत		41.98	पर्यावरणीय बाहयताएं लागत					2.28

(स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.12; पृष्ठ 35)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	निगम					परिषद						नगरपालिका					कुल
		हिसार	पानीपत	गुरुग्राम फरीदाबाद	सोनीपत	पंचकुला-कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी	
1	लीगेसी अपशिष्ट की अनुमानित कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	1,30,000	4,09,200	32,00,000	3,00,000	3,96,000	98,800	12,000	2,50,000	58,291	21,000	11,000	12,795	6,400	3,800	20,000	0	49,29,286
2	लीगेसी अपशिष्ट की संशोधित मात्रा (मीट्रिक टन में)	2,00,000	4,09,200	40,50,000	3,00,000	4,16,788	1,68,000	12,700	4,30,000	1,88,000	21,000	11,000	743	6,400	10,000	20,000	300	62,44,131
3	क्या प्रसंस्करण के लिए कार्य आदेश दिया गया है (हां या नहीं)	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	11
4	कार्य पूरा हुआ या नहीं (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	3
5	संसाधित लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	1,12,000	3,80,000	17,96,487	0	1,22,500	85,300	0	2,10,000	1,85,000	21,000	11,000	0	0	6,009	0	0	29,29,296
6	अप्रसंस्कृत लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	88,000	29,200	22,53,513	3,00,000	2,94,288	82,700	12,700	2,20,000	3,000	0	0	743	6,400	3,991	20,000	300	33,14,835

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.16.1; पृष्ठ 39)

नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों में जारी किए गए चालानों की स्थिति

विवरण	वर्ष	निगम						परिषद					नगरपालिका					कुल
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	
जारी किए गए चालानों की संख्या	2017-18	0	53	0	102	1	140	0	0	6	0	0	0		0	6	0	308
	2018-19	10	86	0	123	10	285	0	0	6	0	0	0	30	3	4	0	557
	2019-20	25	117	468	613	173	364	0	22	8	0	0	62	35	8	6	27	1,928
	2020-21	13	40	47	954	40	60	4	0	18	13	47	73	2	10	8	0	1,329
	2021-22	22	0	3,630	1,850	40	10	32	0	10	2	9	64	34	10	10	2	5,725
लगाया गया जुर्माना (राशि ₹ में)	2017-18	0	1,55,000	0	65,000	5,000	70,000	0	0	3,000	0	0	0		0	10,500	0	3,08,500
	2018-19	1,04,500	1,61,000	0	72,500	50,000	1,42,500	0	0	3,000	0	0	0	15,000	1,500	2,500	0	5,52,500
	2019-20	1,12,000	94,000	9,000	12,71,000	1,73,500	1,82,000	0	11,000	8,000	0	0	42,500	17,500	3,200	3,500	21,500	19,48,700
	2020-21	43,460	47,000	30,500	7,04,500	30,000	24,600	2,000	0	10,000	1,34,000	34,100	22,900	1,000	4,200	4,500	0	10,92,760
	2021-22	31,800	0	45,35,500	16,30,000	44,000	5,000	11,900	0	10,000	4,000	4,000	16,250	42,500	4,200	5,500	1,000	63,45,650
वसूल की गई जुर्माना राशि (₹ में)	2017-18	0	0	0	40,000	5,000	70,000	0	0	3,000	0	0	0		0	10,500	0	1,28,500
	2018-19	5,500	0	0	52,500	50,000	1,42,500	0	0	3,000	0	0	0	15,000	1,500	2,500	0	2,72,500
	2019-20	4,500	0	9,000	4,44,000	1,73,500	1,82,000		11,000	8,000	0	0	19,250	14,500	3,200	3,500	21,500	8,93,950
	2020-21	11,960	0	30,500	2,52,000	30,000	24,600	2,000	0	10,000	3,000	34,100	14,600	1,000	4,200	4,500	0	4,22,460
	2021-22	31,800	0	2,49,000	10,03,500	44,000	5,000	11,900	0	10,000	1,200	4,000	12,900	22,000	4,200	5,000	1,000	14,05,500
वसूल की गई राशि की प्रतिशतता	2017-18	0	0	0	62	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	-
	2018-19	5	0	0	72	100	100	0	0	100	0	0	0	100	100	100	0	-
	2019-20	4	0	100	35	100	100	0	100	100	0	0	45	83	100	100	100	-
	2020-21	28	0	100	36	100	100	100	0	100	2	100	64	100	100	100	0	-
	2021-22	100	0	5	62	100	100	100	0	100	30	100	79	52	100	91	100	-

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.1; पृष्ठ 43)

हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गठित क्लस्टरों का विवरण

क्र. सं.	क्लस्टर का नाम	क्लस्टर में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों का नाम	स्थिति	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रसंस्करण के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी
1	सोनीपत-पानीपत	4	गन्नौर, समालखा, पानीपत एवं सोनीपत	चालू (अगस्त 2021)	अपशिष्ट से ऊर्जा
2	फरीदाबाद-गुरुग्राम	2	फरीदाबाद एवं गुरुग्राम	प्रदान किया गया (अगस्त 2017) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से ऊर्जा
3	भिवानी	5	भिवानी, बवानी खेड़ा, चरखी दादरी, लोहारू एवं बाढड़ा	प्रदान किया गया (दिसंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
4	सिरसा	5	सिरसा, रानिया, ऐलनाबाद, कालांवाली एवं मंडी डबवाली	प्रदान किया गया (नवंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
5	करनाल-कैथल-कुरूक्षेत्र	18	इन्द्री, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, घरौंडा, निसिंग, असंध, थानेसर, शाहबाद, लाडवा, कैथल, कलायत, राजौंद, चीका, पूंडरी, पेहोवा, इस्माइलाबाद एवं सिवान	प्रदान किया गया (नवंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
6	अंबाला-यमुनानगर	6	अंबाला, नारायणगढ़, यमुनानगर, रादौर, बराड़ा एवं सढौरा	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
7	रोहतक-बहादुरगढ़-झज्जर	13	कलानौर, महम, रोहतक, गोहाना, बहादुरगढ़, खरखौदा, जुलाना, झज्जर, सांपला, बेरी, बादली, अटेलीमंडी एवं कुंडली	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
8	पंचकुला	2	पंचकुला एवं कालका	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
9	हिसार- फतेहाबाद	11	हिसार, बरवाला, हांसी, सिवानी, फतेहाबाद, भूना, उकलाना मंडी, रतिया, टोहाना, जाखल मंडी एवं आदमपुर	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
10	जींद	7	जींद, नरवाना, सफीदों, उचाना, नारनौंद, सिसाय एवं बास	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
11	मानेसर- रेवाड़ी	6	बावल, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कनीना एवं मानेसर	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
12	पलवल- पुन्हाना	8	पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन, होडल, पलवल, सोहना, नूंह एवं तावडू	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
13	फरुखनगर	3	फरुखनगर, हेलीमंडी एवं पटौदी	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.1; पृष्ठ 57)

गेहूं की खरीद में शामिल एजेंसियां और उनके मुख्य कार्य

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी): अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं और नीतिगत निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं आदि के लिए उत्तरदायी हैं। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खरीद, भंडारण और वितरण कार्यों के समग्र प्रबंधन के लिए राज्य खरीद एजेंसियों (एस.पी.ए.) को रबी विपणन सीजन नीति और निर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) खाद्यान्नों की खरीद, इनके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, खरीद कार्यों के अलावा जिला स्तर पर सभी राज्य खरीद एजेंसियों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। उपर्युक्त के अलावा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग गेहूं की खरीद भी करता है और 2017-22 के दौरान राज्य में खरीदे गए कुल गेहूं का 29.70 प्रतिशत खरीदा गया था।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड): हैफेड सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत स्थापित एक शीर्ष सहकारी संघ है और खाद्यान्नों की खरीद के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हैफेड ने 2017-22 के दौरान राज्य में खरीदे गए कुल गेहूं का 40.34 प्रतिशत खरीदा था। इसके सत्रह क्षेत्रीय सर्किल कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला प्रबंधक (डीएम) करता है। जिला प्रबंधक गेहूं की खरीद, उसके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी हैं।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी): हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना खाद्यान्न, उर्वरक, बीज आदि के भंडारण के लिए गोदामों और वेयरहाउसों के निर्माण और रखरखाव करने के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम खाद्यान्न की खरीद के लिए एक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 2017-22 के दौरान खरीदे गए कुल गेहूं का 17.66 प्रतिशत खरीदा था। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के दस फील्ड सर्कल कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला प्रबंधक करता है जो गेहूं की खरीद, उसके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी है।

हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएआईसी): हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में कृषि आधारित उद्योग में विविध सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें कृषि उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक, पशु चारा, बीज आदि का निर्माण और व्यापार शामिल है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद करने वाली एजेंसी थी। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2018 से खरीद कार्य बंद कर दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (ए एंड एफडब्ल्यूडी): यह विभाग वेब पोर्टल "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" के लिए कार्यकारी एजेंसी है, जिसमें प्रत्येक किसान को गेहूं की खेती के अंतर्गत भूमि का विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) खरीद सीजन शुरू होने से पहले मंडी व्यवस्था और खरीद सीजन के दौरान मंडियों में किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 65)

मंडी के बाहर तौल के बाद मंडी परिसर में भंडारित गेहूं पर अधिक व्यय दर्शाने वाली विवरणी

रबी विपणन सीजन	ठेकेदार का नाम	बोरियों का परिवहन	बैग (संख्या में)	दूरी (किलोमीटर में)	भुगतान की गई दरें (₹ प्रति बैग)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	प्रति बैग न्यूनतम दूरी के लिए दरें (1 किलोमीटर)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
2017-18	जगदीश यादव एंड कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	53,782	5.5	4.84	2,60,305	2.37	1,32,842
2020-21	चौधरी रोडलाइन्स	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,41,603	11	10.27	14,53,829	1.79	12,00,793
2020-21	राठी ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,42,024	11	4.65	6,60,496	0.81	5,45,372
2018-19	जगदीश यादव एंड कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,26,497	13.6	6.97	8,81,862	1.16	7,34,948
2021-22	पूनम ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	3,20,733	5.3	9.76	31,29,713	4.78	15,97,250
2021-22	शिवा ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	2,16,598	12.9	20.21	43,77,662	3.87	35,39,211
कुल पानीपत (क)			**10,01,237**					**77,50,416**
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से एमबी गोदाम सढौरा वाया आशुतोष धर्म कांटा (डी.के.)	64,435	6	8.77	5,65,224	6.95	1,17,272
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से हैफेड कॉम्प्लेक्स सढौरा वाया आशुतोष डी.के.	39,692	2.6	6.12	2,42,923	5.3	32,547
2018-19	महेश कुमार	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी	2,49,668		6.29	15,69,363	4.12	5,41,780
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	35,300	4	6.96	2,45,522	3.48	1,22,844
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	53,996	4	6.96	3,75,558	3.48	1,87,906
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	खिजराबाद मंडी से ओपन प्लिंथ खिजराबाद मंडी	2,06,516	5	10.03	20,72,202	4.42	11,58,555
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	खिजराबाद मंडी से एमबी गोदाम खिजराबाद मंडी	43,106	5	10.03	4,32,530	4.42	2,41,825
2019-20	राधे श्याम	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	1,01,286	1.6	5.83	5,90,365	3.82	2,03,585
2019-20	राधे श्याम	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ नई मंडी छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	20,043	1.8	5.83	1,16,824	3.82	40,286
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी ओपन प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	89,609	3.6	7.84	7,02,580	3.92	3,51,267
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	36,999	3.6	7.84	2,90,091	3.92	1,45,036
2019-20	रमेश कुमार	मुस्तफाबाद मंडी से मुस्तफाबाद मंडी प्लिंथ वाया हैफेड डी.के.	3,22,155	3	5.69	18,33,159	3.23	7,92,501
2019-20	द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव सोसाइटी	रणजीतपुर मंडी से रणजीतपुर मंडी प्लिंथ वाया किशन डी.के.	1,87,574	1.7	5.51	10,32,686	3.8	3,20,752
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	13,260	3.6	7.84	1,03,965	3.92	51,979
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	18,081	3.6	7.84	1,41,765	3.92	70,878

रबी विपणन सीजन	ठेकेदार का नाम	बोरियों का परिवहन	बैग (संख्या में)	दूरी (किलोमीटर में)	भुगतान की गई दरें (₹ प्रति बैग)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	प्रति बैग न्यूनतम दूरी के लिए दरें (1 किलोमीटर)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
2019-20	द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव सोसाइटी	बिलासपुर मंडी से बिलासपुर मंडी प्लिंथ वाया अग्रवाल डी.के.	57,248	1.7	5.51	3,15,162	3.61	1,08,771
2020-21	राणा ट्रांसपोर्ट कंपनी	रणजीतपुर मंडी से रणजीतपुर मंडी प्लिंथ वाया किशन डी.के.	1,30,648	1.7	5.17	6,75,123	3.39	2,32,553
2020-21	राधे श्याम	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	2,11,558	1.7	4.93	10,43,150	3.23	3,59,649
2020-21	महेश कुमार	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	99,401	1.6	4.86	4,83,486	3.19	1,66,000
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	24,320	3.7	5.74	1,39,594	2.87	69,798
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	17,219	3.6	5.74	98,835	2.87	49,419
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	प्रताप नगर मंडी से मंडी गोदाम प्रताप नगर वाया बैंस डी.के.	34,246	5	7.86	2,69,115	3.46	1,50,682
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	प्रताप नगर मंडी से मंडी प्लिंथ प्रताप नगर वाया बैंस डी.के.	76,601	5	7.86	6,01,954	3.46	3,37,044
2020-21	राधे श्याम	सरस्वती नगर मंडी से मंडी ओपन प्लिंथ सरस्वती नगर मंडी	1,65,410	2.9	5.45	9,01,087	3.09	3,90,368
2020-21	महेश कुमार	खारवन मंडी से ओपन प्लिंथ खारवन मंडी	37,023	5.8	8.05	2,97,887	3.19	1,79,932
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	57,091	1.7	6.76	3,85,650	4.43	1,33,022
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	54,357	1.7	6.76	3,67,182	4.43	1,26,652
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से एमबी गोदाम रादौर मंडी	17,777	1.7	6.76	1,20,084	4.43	41,420
कुल यमुनानगर (ख)			**24,64,619**					**67,24,323**
2017-18	राम मूर्ति रवि कुमार	अंबाला शहर	2,44,529	3.3	6.27	15,34,298	2.66	8,82,750
2017-18	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	85,392	4.1	10.81	9,22,977	4.52	5,37,116
2018-19	राजन एंड ब्रदर	अंबाला शहर	6,64,353	3.2	6.83	45,36,268	2.9	26,10,907
2018-19	बलदेव सिंह	अंबाला कैंट	2,37,019	4.1	10.41	24,67,557	4.35	14,36,335
2019-20	बलदेव सिंह	अंबाला शहर	7,79,344	3.3	8	62,38,259	3.39	35,92,776
2019-20	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	2,85,195	4.1	13.08	37,28,925	5.48	21,67,482
2020-21	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	2,26,346	4.1	13.08	29,59,474	5.48	17,20,230
2021-22	बलदेव सिंह	अंबाला शहर	2,95,227	3.3	11.2	33,08,018	4.75	19,04,214
कुल अंबाला (ग)			**28,17,405**					**1,48,51,809**
कुल योग (क+ख+ग)			**62,83,261**					**2,93,26,548**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.1; पृष्ठ 70)

राज्य खरीद एजेंसियों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी), हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी)) के बीच क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी दरों के बीच अंतर दर्शाने वाली विवरणी

फसल वर्ष	गेहूं की श्रेणी	आबंटित मात्रा	एफएसडी दरें	उठाई गई मात्रा	एचएसडब्ल्यूसी न्यूनतम दरें	हैफेड न्यूनतम दरें	एफएसडी द्वारा वसूली	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा वसूली	हैफेड द्वारा वसूली	एचएसडब्ल्यूसी और एफएसडी का अंतर	हैफेड और एफएसडी का अंतर
		(मीट्रिक टन में)		(मीट्रिक टन में)	(प्रति मीट्रिक टन)	(₹ प्रति मीट्रिक टन)	(₹ लाख में)				
2019-20	फीड-I	8,579	12,910	7,220	17,370	13,494	932.11	1,254.11	974.28	322	42.17
2018-19	फीड-I	244	12,000	156	17,370	13,494	18.75	27.1	21.09	8.35	2.33
2019-20	फीड-I	5,843	13,000	5,465	17,370	13,494	710.45	949.27	737.45	238.82	27.00
2019-20	फीड-II	6,169	10,810	4,982	14,370	12,660	538.60	715.91	630.77	177.31	92.17
2018-19	फीड-II	205	10,150	102	14,370	12,660	10.36	14.66	12.92	4.3	2.56
2019-20	फीड-II	8,115	10,810	6,644	14,370	12,660	718.17	954.74	841.08	236.57	122.91
2019-20	फीड-II	2,912	8,691	3,871	14,390	14,190	336.45	557.04	549.33	220.59	212.88
2019-20	फीड-III	5,629	8,691	3,055	8,500	14,190	265.51	259.68	433.50	0	167.99
2018-19	फीड-III	449	8,121	203	8,500	14,190	16.48	17.26	28.79	0.78	12.31
2019-20	औद्योगिक उपयोग	1,052	5,731	2,234	11,900	10,160	128.04	265.85	226.99	137.81	98.95
2019-20	औद्योगिक उपयोग	1,950	5,731	0	11,900	10,160	0.00	0	0.00	0	0.00
2018-19	औद्योगिक उपयोग	113	5,401	60	11,900	10,160	3.25	7.14	6.11	3.89	2.86
2019-20	खाद	296	2,110	571	6,300	11,130	12.05	35.97	63.56	23.92	51.51
2019-20	खाद	2,276	2,110	1,049	6,300	11,130	22.14	66.09	116.80	43.95	94.66
कुल		**43,834**		**35,613**			**3,712.36**	**4,854.06**	**4,642.67**	**1,418.29**	**930.30**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6.1; पृष्ठ 73)

आकस्मिक व्ययों का संक्षिप्त विवरण तथा निर्धारण की विधि

आकस्मिक व्यय	संक्षिप्त विवरण	निर्धारण की विधि
न्यूनतम समर्थन मूल्य	किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा	न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फसल बुवाई के मौसम से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
वैधानिक कर	हरियाणा सरकार मार्किट फीस, ग्रामीण विकास फीस जैसे विभिन्न कर और उपकर लगाती है	गेहूं के मामले में कर की दरें हरियाणा सरकार द्वारा बिक्री मूल्य अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अधिसूचित की जाती हैं।
आढ़ती कमीशन/दामी प्रभार	आढ़तिया खरीद की प्रक्रिया में तत्काल मध्यस्थ और एग्रीगेटर के रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए वे अपना कमीशन लेते हैं	रबी विपणन सीजन 2019 तक प्रभार न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए गए थे और भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020 से ₹ 46 प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।
मंडी श्रम प्रभार	मंडी में सफाई, वजन, सिलाई आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने पर होने वाला व्यय	कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रभार तय किए जाते हैं।
परिवहन और हैंडलिंग प्रभार	परिवहन और हैंडलिंग के लिए व्यय किए गए प्रभार	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रभार तय किए जाते हैं
भंडारण प्रभार	खरीद अवधि के दौरान गेहूं के स्टॉक की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करना	भंडारण अवधि के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) की दरों पर कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज (सी.ए.पी.) और कवर्ड स्टोरेज के लिए अलग से प्रभार प्रदान किए जाते हैं।
कैरीओवर प्रभार (ब्याज प्रभार और भंडारण प्रभार)	खरीद अवधि के बाद भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी तक गेहूं स्टॉक की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करना	न्यूनतम समर्थन मूल्य, वैधानिक प्रभार, मंडी श्रम प्रभार, परिवहन प्रभार आदि पर संबंधित वर्ष के अनंतिम लागत शीट (पी.सी.एस.) में दी गई दरों पर तथा भंडारण प्रभारों पर केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) की दरों पर ब्याज की अनुमति दी गई थी।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.9.1; पृष्ठ 86)

चयनित 12 मंडलों में 60 निर्माण स्थलों के प्रतिष्ठानों का पंजीकरण न कराना

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
1.	**विद्युत मंडल, भवन एवं सड़कें (बी एंड आर), गुरुग्राम**					
1	गुरुग्राम में न्यायिक परिसर (टॉवर ऑफ जस्टिस) का निर्माण (केवल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली प्रदान करना)	13,352.00	784.99	865.55	8.66	0.00
2	जिला मुख्यालय कार्यालय आबकारी एवं कराधान, गुरुग्राम के भवन का निर्माण (केवल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली प्रदान करना)	5,748.52	435.72	413.82	4.14	0.00
3	जिला मुख्यालय कार्यालय आबकारी एवं कराधान, गुरुग्राम के भवन का निर्माण (लैन, ईपीएबीएक्स और सीसीटीवी प्रदान करना)	5,748.42	448.59	446.71	2.39	0.00
4	गुरुग्राम में न्यायिक परिसर (टॉवर ऑफ जस्टिस) का निर्माण (केवल पार्किंग प्रबंधन प्रणाली और आरएफआईडी वाहन प्रवेश स्वचालित बोलार्ड प्रदान करना)	13,352.00	177.67	142.14	1.42	0.00
5	इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ईएसडी) गुरुग्राम के अंतर्गत इलेक्ट्रीकल हेजार्ड (ईएच) की देखभाल	-	-	184.45	0.00	0.00
2.	**विद्युत मंडल, बी एंड आर, करनाल**					
6	पानीपत में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 1 सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन थियेटर और तरल ऑक्सीजन टैंक केंद्रीय चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	1,436.58	497.97	712.85	7.13	7.13
7	हरियाणा राज्य में चार लेन का करनाल कैथल खनौरी रोड (एसएच-08) किलोमीटर 17.10 से 69.400 तक 54.400 से 57.400 को छोड़कर (सेक्शन चिराओ मोड़ से कैथल को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करना) (प्रांतीय मंडल नंबर 1, करनाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हाई टेंशन (एचटी) और लो टेंशन (एलटी) लाइनों की शिफ्टिंग)	3,934.00	516.62	509.37	5.09	5.09
8	शुगर मिल आरडी 0 से 2800 तक करनाल मेरठ रोड की 6 लेनिंग और शुगर मिल आरडी 2800 से 14670 तक 4 लेनिंग का निर्माण अर्थात जिला करनाल में हरियाणा-यूपी सीमा तक (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20093) (11 केवी, एचटी और एलटी लाइन की शिफ्टिंग करना)	10,549.00	518.52	621.42	6.22	6.22
9	जिला पानीपत में 500 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण (250 केवीए ट्रांसफार्मर, फीडर विद्युत सेवाएं, फायर सप्रेंशन सिस्टम, परामर्श प्रदान करना और साइट पर सामग्री की आपूर्ति) श्रम प्रभार	5,777.40	6.73	6.73	0.07	0.07
10	हरियाणा राज्य में चार लेन का करनाल कैथल खनौरी रोड (एसएच-08) किलोमीटर 17.10 से 69.400 तक 54.400 से 57.400 को छोड़कर (सेक्शन चिराओ मोड़ से कैथल को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करना) (प्रांतीय मंडल नंबर 1, कैथल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एचटी और एलटी लाइनों का स्थानांतरण)	3,934.00	144.45	277.39	2.77	2.77
3.	**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मंडल नंबर 2, पानीपत**					
11	पानीपत जिले के सिवाह गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1,063.15	1,017.90	900.00	9.00	9.00
12	पानीपत जिले के बापोली गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	1,099.30	728.25	489.16	4.89	4.89
13	ददलाना गांव-सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	644.16	429.48	388.49	3.88	3.88
14	पानीपत जिले के राणा माजरा गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	687.25	516.81	278.56	2.79	2.79
15	पानीपत जिले के चुलकाना गांव के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार	979.35	836.85	97.27	0.97	0.97

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
4.	**प्रांतीय मंडल नंबर 1, भवन एवं सड़कें (बी एंड आर), गुरुग्राम**					
16	गुरुग्राम में नए न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए अनुमानित लागत (न्यायालय भवन) (एमआईएस संख्या सी05/2014/23045)	13,352.00	7,886.78	9,312.76	95.57	95.57
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सोहना की 32 कनाल 04 मरला भूमि की खरीद के लिए जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुरुग्राम	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00
18	गुरुग्राम, हरियाणा में महावीर चौक (पुलिस लाइन के सामने) पर एलिवेटेड वॉकवे और सरफेस रोड का निर्माण (एमआईएस नंबर सी05/2020/42673)	5,600.00	2,591.88	1,739.10	17.70	17.70
19	गुरुग्राम जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मकान/फ्लैट का निर्माण (विद्युत स्थापना कार्य सहित) (एमआईएस संख्या सी05/2019/39011)	2,304.00	1,867.80	2,011.41	18.68	18.68
20	गुरुग्राम जिले के सेक्टर-52ए और 53, गुरुग्राम में तैनात न्यायिक अधिकारी के आवास के लिए 56 बहुमंजिला सरकारी आवास/फ्लैटों का निर्माण (एमआईएस संख्या सी05/2016/28290)	4,692.00	2,658.41	3,868.95	29.31	29.31
5.	**प्रांतीय मंडल 1 (भवन एवं सड़कें), हिसार**					
21	बालसम और लेक्स (एलईएक्स) के साथ दक्षिणी परिधीय सड़क का निर्माण	4,923.00	3,221.00	5,416.73	42.95	42.95
22	लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) एचएसएएमबी की जेट पैचर/ड्यूरा पैचर मशीनों द्वारा गड्ढों को भरने और पैचवर्क की मरम्मत के माध्यम से तीन वर्षों तक सड़क का रखरखाव। यूएलबी हुडा और एचएसआईआईडीसी # 37894 (जेट पैचर)	3,682.21	9,816.00	3,911.79	24.17	24.17
23	हिसार मंगाली शरवा रोड एमएस #40548 पर लेवल क्रॉसिंग (आरओबीएलसी)-बी पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	4,781.78	2,312.00	4,590.88	20.91	20.91
24	रावड़ी भठिंडा रेलवे लाइन #28836 पर आरओबी एलसी 89-60 का निर्माण	5,966.00	4,727.00	4,947.80	7.57	7.57
25	हिसार सदलपुर रेलवे लाइन किमी 3/7-8 पर दक्षिणी परिधि रोड पर बालसम और डिस्ट्रीब्यूटरी एमआईएस संख्या 28835 पर एलसी 4 पर 2-लेन आरओबी का निर्माण	3,069.00	1,681.00	2,772.68	17.37	17.37
6.	**प्रांतीय मंडल नंबर 2, भवन एवं सड़कें, करनाल**					
26	सी03/2021/44363 करनाल जिले में पानीपत से मुनक रोड तक वाया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सड़क का सुदृढ़ीकरण	1,383.76	1,242.25	1,376.38	1.96	1.96
27	सी03/2019/37743 करनाल जिले में घरौंडा से फुरलक किलोमीटर 0.00 से 4.00 तक (रोड आईडी 7495) सड़क की फोर लेनिंग (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 22901)	932.45	752.51	955.20	7.73	7.73
28	सी03/2021/44183 करनाल जिले में कुटैल से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक ऊंचा समाना गंजो गढ़ी रोड तक नई सड़क का निर्माण (विश्वविद्यालय गेट के पीछे की ओर) किलोमीटर 0.00 से 3.05 तक	1,322.25	401.14	643.20	5.89	5.89
29	सी03/2019/38906 करनाल जिले के नीलोखेड़ी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का उन्नयन (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 19966)	1,783.98	677.23	749.76	7.63	7.63
30	सी03/2021/46364 करनाल जिले में कुटैल से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक ऊंचा समाना गंजो गढ़ी रोड तक नई सड़क पर बॉक्स टाइप पुल का निर्माण (पूर्वी तरफ) किलोमीटर 0.00 से 3.05 तक	1,322.25	682.46	371.42	5.16	0.00
7.	**प्रांतीय मंडल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), पानीपत**					
31	यमुना नदी पर बिलासपुर को पानीपत जिले के खोजकीपुर से जोड़ने वाले हाई लेवल पुल का निर्माण, जिसमें हरियाणा में 15.387 किलोमीटर सड़क का गाइड बंद और सुधार एवं निर्माण शामिल है। कार्य संख्या सीआरएफ-एचआर-2016-17-130	8,708.00	8,436.01	6,786.22	67.86	67.18
32	पानीपत में 500 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का निर्माण	2,888.70	2,435.00	2,438.25	24.38	24.14
33	पानीपत जिले में आसन मोड़ माजरा गोली रोड पर रेलवे किलोमीटर 62/6-7 पर जींद पानीपत (दिल्ली-अंबाला) लाइन पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 47 पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	2,981.51	1,632.82	1,451.29	14.51	14.37

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
34	पानीपत जिले में बरसत रोड से सनोली रोड (एसएच-16) तक ड्रेन नंबर 2 पर सड़क का निर्माण	4,885.88	2,157.12	2,383.39	23.83	23.60
35	पानीपत जिले में 4 लेनिंग पानीपत (ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग - 44) डाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग -709 तक (सेक्शन ग्रैंड ट्रंक रोड नहर तक) (कैरियर लाइन्ड चैनल) (रोड आईडी 9962) (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 22985 दिनांक 28.08.2018)	1,755.80	1,337.39	1,131.64	11.32	11.20
8.	**प्रांतीय मंडल नंबर 3, भवन एवं सड़कें, हिसार**					
36	गांव बीड हिसार में एकीकृत परिसर, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल और बाल गृह का निर्माण	3,434.76	2,330.94	2,418.47	23.63	23.39
37	बालसम और डिस्ट्रीब्यूटरी हिसार के साथ दक्षिण रन परिधि सड़क पर किलोमीटर 134/4-5 पर लेवल क्रॉसिंग-88 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	4,361.26	3,010.30	1,246.93	12.38	12.26
38	हिसार के सिविल अस्पताल की विशेष मरम्मत।	269.59	181.45	217.03	2.17	2.15
39	हिसार हवाई अड्डे की भूमि पर बुर्ज और बार बेड वायर फेंसिंग का निर्माण	247.66	211.24	200.62	1.97	1.95
40	हिसार में लघु सचिवालय में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम की स्थापना	40.87	17.19	15.58	0.15	0.15
9.	**जल सेवाएं मंडल, सिंचाई, फरीदाबाद**					
41	आगरा नहर के बायीं ओर किमी 13.000 पर बुरिया नैला के एक्स-इंग प्वाइंट पर 4 पुलों का निर्माण, किमी 14.960 पर मवई एस्केप, किमी 14.590 पर फरीदाबाद ड्रेन और किमी 15.290 पर छांयसा माइनर का निर्माण।	1,692.03	1,692.03	1,692.03	0.00	0.00
42	गुड़गांव नहर के आरडी 4115 पर सेक्टर 6, 7, 8 को सेक्टर 3 और 4 बल्लभगढ़ शहर से जोड़ने वाले 6 लेन सिंगल स्पैन पुल का पुनर्निर्माण	700.00	764.56	731.06	7.24	7.24
43	गुड़गांव नहर के आर.डी. 24177 पर वी.आर. ब्रिज का पुनर्निर्माण	-	135.18	116.59	1.15	1.15
44	गुड़गांव नहर के आर.डी. 39800 पर वी.आर. ब्रिज का पुनर्निर्माण	164.78	128.21	117.79	1.14	1.14
45	उत्तर प्रदेश सिंचाई द्वारा आगरा नहर के आंतरिक भाग का किलोमीटर 4.350 से 7.100 तक जीर्णोद्धार	143.21	143.21	143.21	0.00	0.00
10.	**प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), फरीदाबाद**					
46	फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद लसाना चिरसी मंझावली रोड पर मौजूदा सड़क को चौड़ा करने और बाईपास और यमुना पुल तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (चरण-II) के लिए अनुमानित लागत अनुमान	601.29	-	294.62	0.00	0.00
47	राजकीय महाविद्यालय (पंडित जवाहर लाल नेहरू) सेक्टर-16ए, फरीदाबाद फेज-1 के नए भवन का निर्माण (एमआईएस/सी05/2019/39031)	4,643.85	2,575.54	3,396.26	32.55	32.55
48	सेक्टर-8, फरीदाबाद में 30 बहुमंजिला न्यायिक हाउस का निर्माण (एमआईएस संख्या/सी05/2019/38500)	2,218.72	1,197.34	1,708.62	14.26	14.26
49	कोविड-19 के लिए छायंसा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की विशेष मरम्मत	940.74	380.10	1,299.25	8.31	8.31
50	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद में ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण	1,044.51	782.52	1,843.38	16.94	16.94
11.	**प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), नरवाना, जींद**					
51	बड़ौदा से नगूरां तक सड़क की विशेष मरम्मत, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2,229.30	1,441.10	1,786.68	17.87	17.87
52	कलायत में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स का निर्माण	1,777.58	857.27	1,262.63	12.63	12.63
53	नरवाना समैन रोड पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	2,500.00	1,259.55	1,160.25	11.60	11.60
54	अलेवा से राजौंद रोड पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा विशेष मरम्मत	784.22	760.64	846.13	8.46	8.46

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
55	नरवाना टोहाना रोड पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण द्वारा विशेष मरम्मत	1,132.29	769.28	576.92	5.77	5.77
12.	**जल सेवा मंडल, सिंचाई, सफीदों, जींद**					
56	संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 30000 से 45000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास	5,712.00	2,182.63	2,231.33	21.46	21.46
57	संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आर.डी. 45000 से 58310 तक हांसी शाखा का पुनर्वास		1,797.10	2,405.04	18.37	18.37
58	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) XXVI के अंतर्गत संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 15000 से 30000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास	5,642.00	2,289.62	2,225.98	22.42	22.42
59	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) XXVI के अंतर्गत संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 0 से 15000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास		1,912.73	1,666.12	16.49	16.49
60	आरडी 0 से 8950 तक ईंट साइड लाइनिंग प्रदान करने का अनुमान, जिसमें आरडी 2076, आरडी 4010, आरडी 6500 पडाना ड्रेन पर 3 पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है	720.00	612.10	637.52	6.31	6.31
	कुल	**1,86,445.36**	**91,008.18**	**94,237.80**	**767.19**	**743.61**

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 99)

जांच के लिए चयनित दुर्घटना स्थलों की सूची

जिला का नाम	क्र. सं.	स्थापना का नाम	मृतक श्रमिकों की संख्या
फरीदाबाद	1	मेसर्स पेबल डाउनटाउन प्राइवेट लिमिटेड	1
	2	मेसर्स एशियन फिडेलिस प्राइवेट लिमिटेड	1
	3	मेसर्स जी.डी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	1
	4	मेसर्स बी एल कश्यप एंड सन लिमिटेड	2
गुरुग्राम	5	मेसर्स अल अब्बार मेटल एंड ग्लास प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ आईआरईओ मिक्सड यूज्ड लैंड प्रोजेक्ट	2
	6	मेसर्स अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड सी/ओ मेसर्स एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एआईपीएल) जॉय सेंट्रल प्रोजेक्ट	2
	7	मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट पाम हिल्स	4
	8	मेसर्स सिट्रा प्रॉपर्टीज लिमिटेड	2
हिसार	9	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण स्थल	4
	10	जीएसएसएस गर्ल्स स्कूल, पाबरा*	2
जींद	11	आवासीय कार्य*	1
	12	आवासीय कार्य*	1
करनाल	13	मेसर्स कुणाल कंस्ट्रक्शन कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ एस.ई. ऑफिस, मधुबन, करनाल	0
	14	मेसर्स गर्ग एंड कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बिल्डिंग, असंध, करनाल	1
	15	मेसर्स बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नीलोखेड़ी	1
पानीपत	16	मेसर्स एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (थर्मल पावर पानीपत)	1
	17	*(दुर्घटना दो बार हुई)*	1
	18	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन, पानीपत फरवरी 2021 में	1
	19	मेसर्स ओम एंटरप्राइजेज, मेहराना	1
कुल			**29**

** अधिनियम में शामिल नहीं किए गए कार्य*

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 102)

चयनित पंजीकृत/अपंजीकृत/आकस्मिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
	पंजीकृत स्थापना					
1	मेसर्स बी एल कश्यप एंड संस लिमिटेड सी/ओ मेसर्स आईआरईओ ग्रेस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	31 मार्च 2023	उपलब्ध नहीं	21 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
2	मेसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सी/ओ पुरी □एमरार्ल्ड-बे□ हाउसिंग प्रोजेक्ट, सेक्टर 104, गुरुग्राम	गुरुग्राम	30 अप्रैल 2020	उपलब्ध नहीं	23 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
3	मेसर्स हेरिटेज मैक्स रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट एलीवेट	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2023	उपलब्ध नहीं	21 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
4	मेसर्स इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	31 मार्च 2024	06 जनवरी 2022	23 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
5	मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड यूनिट I और II	पानीपत	30 जून 2019	नहीं	26 अक्तूबर 2022	पूर्ण किया गया
6	मेसर्स एम्पेरियम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एम्पेरियम हैप्पी होम्स, विराट नगर बाईपास रोड, सेक्टर-1ए, पानीपत	पानीपत	12 फरवरी 2022	10 फरवरी 2021	19 अक्तूबर 2022	पूर्ण किया गया
7	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन सी/ओ इंद्रप्रस्थ जी.ई. और आर.एफ	पानीपत	31 मार्च 2023	नहीं	27 अक्तूबर 2022	चल रहा कार्य
8	मेसर्स एल्डेको एस्टेट वन (एल्डेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड की एक इकाई	पानीपत	17 जुलाई 2022	नहीं	16 नवंबर 2022	पूर्ण किया गया
9	01 नंबर 33 केवी सब-स्टेशन आंचराकलां, जींद की सामग्री परीक्षण और कमीशनिंग की आपूर्ति के लिए सिविल कार्य	जींद	10 अक्तूबर 2021	नहीं	30 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
10	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कॉर्पोरेशन सी/ओ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)	जींद	3 अक्तूबर 2022	नहीं	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
11	कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क्स 33 केवीएस/स्टेशन	जींद	31 दिसंबर 2022	नहीं	30 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
12	मेसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन सी/ओ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज	जींद	30 सितंबर 2023	नहीं	24 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
13	मेसर्स एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	06 मार्च 2021	29 मई 2019	05 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
14	मेसर्स कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ मेंटेनेंस यार्ड सी/ओ मेसर्स द ई5 कंपनी	हिसार	31 दिसंबर 2020	30 सितंबर 2020	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
15	एमएनसी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ डीएचबीवीएनएल को 01 नंबर 33 केवी की सामग्री निर्माण परीक्षण और कमीशनिंग की आपूर्ति के लिए सिविल कार्य का अनुबंध	हिसार	31 दिसंबर 2022	नहीं	10 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
16	मेसर्स वीएलकॉम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	31 अक्तूबर 2024 (देय)	नहीं	28 दिसंबर 2022 एवं 03 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
17	मेसर्स रोज बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करनाल	करनाल	31 मार्च 2021	25 जून 2019 (पंजीकरण से पहले) एवं 22 जनवरी 2021	14 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
18	मेसर्स मां वैष्णो नेट टेक प्राइवेट लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 सितंबर 2021	कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	06 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
19	मेसर्स फैंटेबुलस टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 सितंबर 2024	कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	06 मार्च 2023	चल रहा कार्य

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
20	मेसर्स एजिस वैल्यू होम्स लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 जून 2023	हां 29 जुलाई 2021 को	15 मार्च 2023	चल रहा कार्य
21	मेसर्स जी.डी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	15 जुलाई 2022	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
22	मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड - निर्माण	फरीदाबाद	28 फरवरी 2023	नहीं	20 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
23	मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	31 मार्च 2021	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
	अपंजीकृत स्थापना					
24	मेसर्स आरवी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	30 जून 2019	12 अगस्त 2019	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
25	मेसर्स रहेजा नवोदय	गुरुग्राम	उपलब्ध नहीं	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
26	चन्द्र कांता	गुरुग्राम	उपलब्ध नहीं	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
27	राम शांति सहकारी समूह आवास सोसायटी (सीजीएचएस) लिमिटेड	गुरुग्राम	अगस्त 2013	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
28	मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला पेंट डिवीजन	पानीपत	31 जुलाई 2024	नहीं	16 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
29	मेसर्स राम कुमार पुत्र कृष्ण चंद	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	22 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
30	गोबिंद राम, मेसर्स आरकेजीसीओटी यार्न्स, प्राइवेट लिमिटेड	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	24 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
31	संत निरंकारी मंडल	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	27 अक्तूबर 2022	पूर्ण किया गया
32	एसपी कार्यालय लघु सचिवालय जींद के सामने सुरेंद्र दक्ष फोटोस्टेट	जींद	जून 2022	नहीं	27 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
33	दीपक कुमार ठेकेदार, जिंद-पानीपत लाइन, जिंद में रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य	जींद	उपलब्ध नहीं	नहीं	25 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
34	सुनील जिंदल श्री. सनातन धर्म रामलीला प्राइमरी स्कूल, जींद	जींद	जून 2022	नहीं	25 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
35	सुरेंद्र कुमार सेक्टर 26 ए ग्रीन सिटी सफीदों रोड, जिंद	जींद	10 अप्रैल 2022	नहीं	27 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
36	मेसर्स एचकेएसडी सर्वोदय हेल्थ केयर, हिसार	हिसार	31 दिसंबर 2023	11 फरवरी 2021	06 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
37	मेसर्स आरवीएस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	नहीं	28 दिसंबर 2022 एवं 02 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
38	राजबीर सिंह, प्लॉट नं. 2047, सेक्टर 16-17, मेन रोड के पास, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	03 जनवरी 2023	यह स्थल आवासीय था और मकान के मालिक ने प्रवेश से इनकार कर दिया
39	प्रताप जैन, 70 प्रोफेसर कॉलोनी, हनुमान मंदिर के सामने, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	03 जनवरी 2023 एवं 06 जनवरी 2023	टीम ने दो बार स्थल का दौरा किया लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला
40	आरडीसी इंडिया प्रोजेक्ट्स, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	15 मार्च 2023	चल रहा कार्य
41	मेसर्स पार्श्व नाथ डेवलपर्स, सेक्टर 35 करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	21 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
42	मेसर्स एनकेजी इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड, कुटैल, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	14 मार्च 2023	चल रहा कार्य
43	कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करनाल (एमसीपीआई लिमिटेड), करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
44	मेसर्स हैबिटेट रेजीडेंस, सेक्टर 78, गांव फरीदपुर	फरीदाबाद	31 दिसंबर 2023	नहीं	10 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
45	सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद, एडोर चौक, भुदेना	फरीदाबाद	उपलब्ध नहीं	नहीं	10 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य
46	वर्ल्ड स्ट्रीट कमर्शियल कॉलोनी मिक्स लैंड यूज पॉलिसी के अंतर्गत सेक्टर 79	फरीदाबाद	उपलब्ध नहीं	नहीं	12 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य
	आकस्मिक संस्थान					
47	मेसर्स आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड। सी/ओ एआईपीएल जॉय सेंट्रल सेक्टर-65, गुरुग्राम	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2022	आकस्मिक जांच की तिथि 10 जून 2022, 20 जून 2022, 30 जून 2022 और 08 जुलाई 2022	24 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
48	मेसर्स एमार पाम हिल्स, सेक्टर-77, गुरुग्राम	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2022	जांच की तिथि 23 फरवरी 2013 एवं 27 जून 2019 तथा आकस्मिक जांच की तिथि 11 अक्तूबर 2022 एवं 09 अगस्त 2022	23 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
49	मेसर्स ओएम एंटरप्राइज, वीपीओ मेहराना, जिला पानीपत	पानीपत	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 12 अगस्त 2022	27 अक्तूबर 2022	निषिद्ध
50	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग	पानीपत	उपलब्ध नहीं	जांच की तिथि 26 जून 2019 एवं 13 जनवरी 2020 तथा आकस्मिक जांच की तिथि 12 फरवरी 2021	22 सितंबर 2022	पूर्ण किया गया
51	मेसर्स एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (पानीपत थर्मल प्लांट)	पानीपत	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 14 जनवरी 2021 एवं 18 जनवरी 20221	22 सितंबर 2022	पूर्ण किया गया
52	आवासीय भवन मालिक- श्री सुरेश (नरवाना)	जींद	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 12 अगस्त 2021	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
53	आवासीय भवन मालिक- श्री नरेश	जींद	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 13 मई 2022	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
54	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड।	हिसार	31 दिसंबर 2020	आकस्मिक जांच की तिथि 20 मार्च 2020 एवं 29 मई 2020	10 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
55	जीएसएसएस गर्ल्स स्कूल, पाबड़ा	हिसार	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 18 फरवरी 2020	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
56	मेसर्स कुणाल कंस्ट्रक्शन कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ एस.ई. ऑफिस, मधुबन, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 05 नवंबर 2018	21 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
57	मेसर्स गर्ग एंड कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बिल्डिंग, असंध, करनाल	करनाल	31 अक्तूबर 2018	आकस्मिक जांच की तिथि 04 जनवरी 2019 एवं 18 जनवरी 2019	01 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
58	बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नीलोखेड़ी	करनाल	कार्य रोक दिया गया	आकस्मिक जांच की तिथि 07 अप्रैल 2021 एवं 09 अप्रैल 2021	17 मार्च 2023	निषिद्ध
59	मेसर्स पेबल डाउनटाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फरीदाबाद	31 मार्च 2021	आकस्मिक जांच की तिथि 24 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 06 जनवरी 2020, 03 मार्च 2020	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
60	मेसर्स जी.डी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	15 जुलाई 2022	आकस्मिक जांच की तिथि 31 जनवरी 2020, 02 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2020, 03 मार्च 2020	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 104)

कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या/संवितरित लाभों का जिलावार विवरण

जिले का नाम	पंजीकृत प्रतिष्ठान[1]	लाभार्थियों की जिलेवार संख्या	संवितरित लाभों की संख्या	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
गुरूग्राम	2,786	3,408	8,814	9.94
फरीदाबाद	433	1,151	1,975	4.36
झज्जर	202	1,406	3,191	4.96
रेवाड़ी	151	4,257	12,114	19.04
पलवल	109	2,011	3,875	6.61
सोनीपत	60	3,689	10,002	19.40
रोहतक	52	3,015	6,703	16.36
हिसार	42	49,148	1,68,004	243.52
मेवात	36	23,664	76,010	78.15
पानीपत	31	12,938	37,308	51.26
करनाल	26	3,795	8,118	24.04
कुरूक्षेत्र	25	662	1,197	5.65
पंचकुला	26	303	656	4.18
सिरसा	13	17,882	55,432	61.05
भिवानी	11	16,954	54,915	91.69
यमुनानगर	11	5,824	13,228	38.50
महेंद्रगढ़	10	7,162	19,403	27.82
अंबाला	9	6,737	14,725	37.24
जींद	8	27,074	79,879	118.85
फतेहाबाद	6	13,233	43,113	58.21
कैथल	5	11,805	28,509	71.08
चरखी दादरी	1	2,783	9,326	15.65
कुल योग	**4,053**	**2,18,901**	**6,56,497**	**1,007.56**

स्रोत: श्रम विभाग के पोर्टल (http://hrylabour.gov.in) से प्राप्त डेटा।

[1] पोर्टल पर उपलब्ध लाभों का डेटा 29 जनवरी 2018 से था।

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.18.1; पृष्ठ 109)

पंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण

क्र. सं.	लाभार्थी सर्वेक्षण का सार	गुरुग्राम	पानीपत	हिसार	फरीदाबाद	करनाल	जींद	कुल
	कार्य की प्रकृति	श्रमिकों की संख्या						
1	श्रमिकों की कुल संख्या	96	80	210	86	126	201	799
2	जिनका पता नहीं लग पाया	26	9	21	12	44	76	188
3	सर्वेक्षण किए गए श्रमिकों की संख्या	70	71	189	74	82	125	611
4	हरियाणा का निवासी	70	71	189	74	82	125	611
5	पंजीकृत स्थापना में कार्य किया	1	1	0	0	0	0	2
6	व्यक्तिगत आवासीय घर	47	35	185	62	82	123	534
7	निर्माण श्रमिक (सड़क, पार्क, दीवार, भट्टा)	3	3	0	0	0	0	6
8	मृत्यु के मामले जिनमें परिवार के किसी व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया	5	6	3	11	0	0	25
9	कृषि मजदूरी (अपात्र)	3	3	0	0	0	2	8
10	कारखाना श्रमिक (अपात्र)	0	5	0	0	0	0	5
11	होम मेकर/गृहिणी (अपात्र)	0	4	0	0	0	0	4
12	निर्माण श्रमिकों के अलावा (अपात्र)	6	13	1	0	0	0	20
13	एक वर्ष से अधिक समय से निर्माण श्रमिक नहीं (अपात्र)	5	1	0	1	0	0	7

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.18.2; पृष्ठ 110)

अपंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण

क्र.सं.	विवरण	गुरुग्राम	पानीपत	हिसार	फरीदाबाद	करनाल	जींद	कुल
1	संयुक्त रूप से निरीक्षण किए गए कार्य स्थलों की संख्या	10	11	10	8	11	10	60
2	21 चालू स्थलों में से सर्वेक्षण किए गए चालू कार्य स्थलों की संख्या	4	4	3	2	3	1	17
3	सर्वेक्षण किए गए कुल श्रमिक	**28**	**29**	**15**	**24**	**19**	**10**	**125**
4	प्रवासी श्रमिकों की संख्या	28	28	12	23	18	10	119
5	90 दिनों से अधिक समय से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या	23	4	4	23	8	10	72
6	पंजीकरण के लिए आवेदन न करने वाले श्रमिकों की संख्या	23	3	4	17	8	10	65
7	पंजीकरण की प्रक्रिया, बोर्ड और इसकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न जानने वाले श्रमिकों की संख्या	28	29	4	17	19	10	107
8	अस्थायी आवास उपलब्ध न कराए गए श्रमिकों की संख्या	0	0	0	0	11	0	11
9	निर्माण स्थल पर कैंटीन की सुविधा नहीं दी जा रही थी	25	0	0	0	0	0	25
10	निर्माण स्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी	5	0	0	0	0	0	5

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2; पृष्ठ 113)

नमूना-जांच किए गए कार्यों का विभाग/इकाई-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां कार्य के क्षेत्र में वृद्धि/भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक थी

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) {पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर)}								
1.	करनाल जिले में रेलवे किलोमीटर 99/21-23 क्रॉसिंग कोंड-मुनक-सलवान असंद रोड (एमडीआर 114) पर एलसी नंबर 61 पर दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	21.93	31 जनवरी 2019	24	37.36	18 अक्तूबर 2024	37.33	70.22
2.	नेवल धीर गढ़ी बीरबल रोड से जापती छपरा वाया रंदौली रोड पर वेंटेड कॉजवे के स्थान पर धनौरा एस्केप पर एचएल ब्रिज का निर्माण	1.56	01 जनवरी 2020	6	4.19	03 सितंबर 2021	4.19	168.59
3.	करनाल जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मेस ब्लॉक, प्रशासनिक/गेस्ट हाउस, सुविधाएं ब्लॉक, चारदीवारी, सड़क/पार्किंग का निर्माण और एनसीसी अकादमी घरौंडा के भवन का विद्युत कार्य	17.91	02 जुलाई 2018	24	42.17	12 नवंबर 2020	42.17	135.46
4.	गांव कुटैल (करनाल) में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के चारों ओर 7 फीट 6 इंच की चारदीवारी का निर्माण	3.76	15 जून 2018	15	36.96	12 जुलाई 2020	36.96	882.98
5.	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज का निर्माण	10.85	28 जुलाई 2017	21	15.40	24 जून 2022	15.40	41.94
6.	पानीपत जिले में पानीपत सफीदों रोड से असंध सेक्शन खुखराना, आसन मोड़ माजरा गोली रोड जिला सीमा (आरडी 0 से 15.240) तक सड़क का सुदृढ़ीकरण	2.15	09 दिसंबर 2019	6	2.82	23 जनवरी 2020	2.82	31.16
7.	अंबाला कैंट में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में स्टेडियम का उन्नयन (स्टेडियम, आईएएएफ अनुमोदित सिंथेटिक ट्रैक, फीफा अनुमोदित कृत्रिम फुटबॉल टर्फ का निर्माण)	40.49	20 मार्च 2017	24	114.03	22 मई 2021	114.03	181.63
8.	अंबाला जिले में जगाधरी अंबाला रोड से मुन्नेरहेड़ी तक लिंक रोड का सुदृढ़ीकरण (किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 3.040)	1.14	12 सितंबर 2019	6	4.53	01 मई 2024	4.63	306.14
9.	अंबाला कैंट में एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण (ई.आई. वर्क्स को छोड़कर)	15.59	02 जून 2019	21	34.52	05 जुलाई 2023	34.80	123.22
10.	अंबाला कैंट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आल-वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण	8.29	06 मार्च 2019	18	31.35	09 सितंबर 2024	31.38	278.53
11.	भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में अंबाला कैंट में युद्ध स्मारक का निर्माण	189.41	22 जून 2018	24	292.31	11 नवंबर 2024	326.56	72.41
12.	कैथल जिले के गांव पाई में कबड्डी अकादमी की सुविधाओं के साथ कबड्डी हॉल का निर्माण	3.65	13 सितंबर 2019	12	5.00	16 जुलाई 2021	5.00	36.99

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
13.	कैथल जिले में ढांड पूंडरी राजौंद अलेवा सड़क (एमडीआर 113) किलोमीटर 22.10 से 39.96 तक की विशेष मरम्मत (सड़क आईडी 6887 और 6918)	2.20	03 अगस्त 2019	4	3.55	19 मार्च 2021	3.55	61.36
14.	जींद जिले में बरोडा से नागुरा रोड को चौड़ा और मजबूत करके विशेष मरम्मत (आईडी 6797)	14.41	30 सितंबर 2021	12	17.87	16 नवंबर 2022	17.87	24.01
15.	कैथल जिले के कलायत में 50 बेड वाले अस्पताल का निर्माण	5.88	01 दिसंबर 2018	18	7.99	12 सितंबर 2021	7.99	35.88
16.	कैथल जिले के कलायत में एसडीओ (सी) कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण	8.57	19 सितंबर 2019	18	11.03	01 मई 2022	12.63	47.37
17.	पांडु पिंडारा, जिला जींद में बस स्टैंड एवं वर्कशॉप का निर्माण	20.00	04 जून 2018	24	26.57	09 फरवरी 2021	26.57	32.85
18.	जींद, मुआना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	4.07	30 मई 2019	18	7.16	22 जुलाई 2021	7.16	75.92
19.	कैथल जिले के गांव क्योड़क में आरवीडीईसी अर्थात तकनीकी-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, पोस्टमार्टम ब्लॉक और आउटडोर क्लिनिक ब्लॉक के विभिन्न भवनों का निर्माण	4.98	01 नवंबर 2019	18	5.83	22 सितंबर 2022	13.41	169.28
20.	समसपुर, चरखी दादरी में नए खेल स्टेडियम का निर्माण	10.85	02 अक्तूबर 2020	18	11.10	06 जून 2024	19.77	82.21
21.	बाधरा से बेरला रोड पर किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं सीसीपी (रोड आईडी 2429)	3.20	29 अगस्त 2019	9	6.23	30 सितंबर 2021	6.23	94.69
22.	भिवानी जिले के ढिगावा जट्टां में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण	3.62	13 सितंबर 2017	15	5.00	17 दिसंबर 2019	5.00	38.12
23.	लोहारू में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	2.38	13 जून 2017	12	4.16	29 सितंबर 2021	4.16	74.79
24.	भिवानी जिले में किलोमीटर 0.00 से 7.00 तक बड़वा से तलवंडी तक नई लिंक रोड का निर्माण	4.75	28 सितंबर 2021	6	6.12	12 अगस्त 2021	6.12	28.84
25.	नगर परिषद, भिवानी द्वारा अमृत योजना परियोजना के अंतर्गत भिवानी शहर की विभिन्न सड़कों पर किए गए रोड कट के कारण विशेष मरम्मत	0.76	29 दिसंबर 2020	6	1.70	11 फरवरी 2021	1.70	123.68
26.	चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक, भिवानी के परिसर में पुस्तकालय एवं वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	5.75	24 मार्च 2017	18	8.04	21 जनवरी 2021	8.32	44.70
कुल (26)		**408.15**			**742.99**		**795.75**	**94.97**
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)								
27.	डब्ल्यू/एस योजना ढाबी कलां की संरचनाओं का विस्तार और मरम्मत	0.47	10 सितंबर 2018	6	0.90	11 नवंबर 2019	0.90	91.49
28.	सिरसा टाउन में डब्ल्यू/एस योजना का विस्तार "विभिन्न आकारों की डीआई पाइपलाइन बिछाना"	1.92	14 अगस्त 2019	12	4.12	22 दिसंबर 2020	4.12	114.58
29.	सिरसा टाउन में डब्ल्यू/एस योजना का विस्तार "विभिन्न आकारों की डीआई पाइपलाइन बिछाना"	0.70	11 अप्रैल 2018	6	1.84	02 मई 2019	1.84	162.86
30.	ऐलनाबाद शहर में आरयूबी के निर्माण के कारण 250 मिलीमीटर एसडब्ल्यू पाइप सीवर प्रदान करना और बिछाना	0.04	20 दिसंबर 2017	2	0.38	05 जुलाई 2019	0.38	850.00
31.	मसीतां गांव के लिए डब्ल्यू/एस योजना का संवर्द्धन	1.06	25 जुलाई 2018	12	1.76	24 मई 2022	1.81	70.75

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
32.	जिला हिसार के नियाना में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण	0.40	30 अगस्त 2017	6	0.65	22 अक्तूबर 2019	0.65	62.50
33.	हिसार, जिले के ग्राम बड़छप्पर में वाटर वर्क्स का उन्नयन एवं नवीनीकरण	0.43	16 जुलाई 2018	3	0.65	27 जून 2022	0.68	58.14
34.	हिसार जिले के ग्राम सिंघवा राघो में जल आपूर्ति योजना का नवीनीकरण	0.45	15 मई 2018	6	0.99	17 फरवरी 2022	1.02	126.67
35.	गांव मेहरारा, तहसील जुलाना, जिला जींद को स्वतंत्र नहर आधारित वाटर वर्क्स प्रदान करना	1.15	26 अक्तूबर 2018	12	1.77	28 जुलाई 2021	2.00	73.91
36.	11 ग्रामीण डब्ल्यू/एस योजनाओं (नहर आधारित) के विस्तार ने जिला जींद के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में 15 गांवों को कवर किया " 4 डब्ल्यूडब्ल्यू के चालू होने के बाद 6 गांवों को कवर करते हुए आरसीसी पाइप इनलेट चैनल सिल्ट कैच पिट संप वैल का निर्माण और उससे जुड़े अन्य सभी कार्य"	1.54	27 मार्च 2018	9	2.27	22 नवंबर 2021	2.52	63.64
कुल (10)		**8.16**			**15.33**		**15.92**	**95.10**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आई एंड डब्ल्यूआरडी)								
37.	चौतांग नाले के आरडी 118500 पर वी.आर. ब्रिज का निर्माण	0.81	04 सितंबर 2019	6	1.30	24 सितंबर 2021	1.30	60.49
38.	डब्ल्यूजेसी (एमएलएल) की क्षमता को आरडी 81500 से आरडी 96000 तक बढ़ाना	5.48	18 मई 2018	9	8.36	06 अगस्त 2021	8.36	52.55
39.	डब्ल्यूजेसी (एमएलएल) की क्षमता को आरडी 68220 से आरडी 81400 तक बढ़ाना	4.91	01 जून 2018	9	9.27	30 नवंबर 2021	9.27	88.80
40.	इडियाना लिंक ड्रेन में बाढ़ और अपशिष्ट जल से गांव के तालाब को अलग करना और गांव इडियाना में गांव की आबादी की सुरक्षा करना	0.55	11 सितंबर 2019	6	0.82	02 दिसंबर 2021	0.82	49.09
कुल (4)		**11.75**			**19.75**		**19.75**	**68.09**
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी)								
41.	बवानी खेड़ा निर्वाचन क्षेत्र में गांव चांग से खरक कलां तक लिंक रोड का एस/आर	0.73	29 जून 2017	6	2.48	नवंबर 2019	2.48	239.73
42.	तोशाम निर्वाचन क्षेत्र में एल/आर का एस/आर जी-06 (कार्य योजना 2020-21)	1.04	15 सितंबर 2020	10	2.46	15 फरवरी 2022	2.46	136.54
43.	भिवानी निर्वाचन क्षेत्र ग्रुप-1 में लिंक रोड़ का एस/आर (कार्य योजना 2018-19)	1.08	04 सितंबर 2018	6	2.48	नवंबर 2020	2.48	129.63
44.	सफीदों निर्वाचन क्षेत्र जी-1 के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.88	22 सितंबर 2020	10	4.25	मार्च 2022	4.25	126.06
45.	भिवानी निर्वाचन क्षेत्र में भिवानी में एनजीएम में चारदीवारी और नाले के पुनर्निर्माण और सर्विस रोड की मरम्मत के साथ 3 गेट का निर्माण	1.07	27 नवंबर 2018	9	2.10	नवंबर 2020	2.10	96.26
46.	भुखापुरी से बुडेहरा तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	0.49	20 फरवरी 2020	6	0.81	24 फरवरी 2022	0.81	65.31
47.	एनजीएम जुलाना में आंतरिक सड़क, सड़क और पार्किंग क्षेत्र का एस/आर	3.81	06 अगस्त 2019	8	6.33	06 मई 2024	6.33	66.14
48.	गांव बुटाना से संधीर तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	0.67	03 जून 2019	8	0.91	जून 2021	0.91	35.82
49.	सोनीपत में फरमाणा गोहाना रोड से फरमाणा गुहणा रोड तक सड़क का निर्माण	0.81	14 फरवरी 2017	6	1.21	जून 2021	1.21	49.38
50.	गांव मोरखी से भागखेड़ा शिवनामल रोड तक एल/आर का निर्माण	0.87	18 मार्च 2020	6	1.32	03 जनवरी 2025	1.32	51.72

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
51.	जिला सोनीपत जी-5 में (1) कटवाल से बाली इंजीनियरिंग कॉलेज (आईडी-2641) (2) माहरा से सिकंदरपुर माजरा (आईडी-4959) (3) ईशापुर खेड़ी से सिवाना मॉल (आईडी-4950) एल/आर का एस/आर	0.96	07 अगस्त 2018	10	1.04	04 नवंबर 2020	1.41	46.88
52.	एमसी बड़ौदा के गांव कोहला में स्वर्गीय श्री पंकज सांगवान के शहीद स्मारक का निर्माण	0.15	14 फरवरी 2020	2	0.24	जनवरी 2024	0.24	60.00
53.	सफीदों निर्वाचन क्षेत्र (जी-4) के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.58	14 अगस्त 2018	6	2.24	जुलाई 2021	2.24	41.77
54.	एमसी करनाल और तरावड़ी (जी-2) के अधिसूचित क्षेत्र में 3 एल/आर का एस/आर	2.26	03 अगस्त 2018	6	3.01	26 नवंबर 2020	3.01	33.19
55.	नरवाना निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.89	14 अगस्त 2018	6	2.52	नवंबर 2019	2.52	33.33
56.	एमसी भट्टू कलां जी-ए के 3 एल/आर का एस/आर	1.24	19 अक्तूबर 2020	9	1.58	नवंबर 2021	1.58	27.42
57.	नई अनाज मंडी जुंडला मंडी में एल/आर प्लेटफार्म का निर्माण	7.06	22 जून 2018	12	8.53	सितंबर 2021	8.53	20.82
58.	पुरानी चुंडीपुर से ढकवाल रोडां तक सड़क का निर्माण	0.68	05 अप्रैल 2018	6	0.76	12 नवंबर 2020	0.76	11.76
59.	सिरसा जी-2 में डबवाली निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न एल/आर का एस/आर	0.80	22 अक्तूबर 2020	4	0.98	अप्रैल 2022	0.98	22.50
60.	ग्राम बसताड़ा से एनजीएम घरौंडा तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1.03	24 जुलाई 2019	8	1.12	02 नवंबर 2020	1.12	8.74
कुल (20)		**30.10**			**46.37**		**46.74**	**55.28**
कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज मंडल (ईई, पीआरआई)								
61.	ब्लॉक कार्यालय भवन नागपुर जिला फतेहाबाद का निर्माण	1.24	03 नवंबर 2017	12	1.58.	16 जून 2021	1.58	27.42
62.	वीकेसी खेरेरी रोहतक का निर्माण	0.22	11 फरवरी 2020	6	0.27	22 दिसंबर 2021	0.27	22.73
63.	आयुर्वेदिक औषधालय उगालन हिसार का निर्माण	0.27	09 अक्तूबर 2019	4	0.32	31 जनवरी 2022	0.32	18.52
64.	इंदरगढ़ (रोहतक) में वीकेसी का निर्माण	0.22	19 फरवरी 2020	6	0.27	31 दिसंबर 2021	0.27	22.73
कुल (04)		**1.95**			**2.44**		**2.44**	**25.13**
हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी)*								
65.	सेक्टर 6, पंचकुला में सीआईडी के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल का उन्नयन	0.79	30 मार्च 2018	6	3.19	नवंबर 2019	3.19	303.80
66.	पुलिस मुख्यालय भवन सेक्टर-6 पंचकुला का उन्नयन	1.28	03 अप्रैल 2018	8	3.77	अक्तूबर 2019	3.79	196.09
67.	यूएचबीवीएन प्रधान कार्यालय का निर्माण कार्य	29.64	12 अप्रैल 2017	36	72.07	अगस्त 2023	72.07	143.15
68.	सेक्टर-23 पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) का निर्माण	72.03	15 मई 2018	24	97.39	मार्च 2022	97.39	35.21
69.	मधुबन, जिला करनाल में एचएपी के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का विस्तार	1.20	02 मई 2017	12	1.60	मई 2019	1.60	33.33
70.	पुलिस पब्लिक स्कूल भोंडसी जिला गुरूग्राम का शेष कार्य	3.78	01 अगस्त 2017	15	4.78	सितंबर 2020	4.78	26.46
71.	पीटीसी सुनारियां, जिला रोहतक में 357 टाइप-II और टाइप-III आवासों की विशेष मरम्मत	1.19	10 जनवरी 2018	9	1.50	मई 2020	1.50	26.05
72.	अंबाला में महिला पुलिस थाने का निर्माण	1.80	03 मई 2017	12	2.27	अप्रैल 2022	2.29	27.22
73.	रोहतक में राज्य सतर्कता भवन का निर्माण	4.02	13 नवंबर 2018	15	4.97	अगस्त 2021	4.97	23.63

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
74.	रोहतक में जिला प्रशासन परिसर में जिला फोरम रोहतक के कार्यालय भवन का निर्माण	1.10	30 अगस्त 2018	12	1.34	जून 2020	1.35	22.73
75.	पुलिस लाइन और सुशांत लोक गुरुग्राम में 23 अधिकारी आवासों की विशेष मरम्मत	1.21	26 दिसंबर 2018	12	1.47	जून 2020	1.57	29.75
कुल (11)		**118.04**			**194.35**		**194.50**	**64.77**
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी)								
76.	आवासीय सेक्टर-1 मानेसर जिला गुरूग्राम में सामुदायिक केंद्र भवन का निर्माण	11.12	08 अक्तूबर 2018	18	14.68	-	14.76	32.73
कुल (01)		**11.12**			**14.68**		**14.76**	**32.73**
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)								
77.	सेक्टर-17 (पॉकेट-सी) से लेग नंबर II सेक्टर डिवाइडिंग रोड 14/17, गुरुग्राम तक 500 मिलीमीटर आई/डी आरसीसी एनपी3 पाइपलाइन प्रदान करना और बिछाना, मैनहोल चैंबर आदि का निर्माण करना	0.23	30 नवंबर 2018	3	2.94	06 अक्तूबर 2021	3.05	1226.09
78.	सेक्टर 15-II गुरुग्राम में स्टाफ क्वार्टर का वार्षिक रखरखाव	0.09	20 सितंबर 2019	2	0.48	19 जून 2020	0.48	433.33
79.	आउटफ़ॉल नालियों का निर्माण मास्टर एसडब्ल्यूडी लेग नंबर I और II, एसएफआरसी मेन-होल हेवी ड्यूटी कवर की फिक्सिंग, आदि	298.48	24 दिसंबर 2014	18	349.24	13 जनवरी 2020	483.20	61.89
80.	सेक्टर 49/50, गुरुग्राम के बीच मास्टर रोड के दोनों किनारों पर फुटपाथ का निर्माण	0.40	20 मई 2016	1	0.87	30 जुलाई 2018	0.95	137.50
81.	सोहना रोड से एनएच-8 गुरुग्राम तक दक्षिणी पेरिफेरल मास्टर रोड का निर्माण	2.65	09 सितंबर 2013	4	9.63	22 अप्रैल 2019	18.09	582.64
82.	सेक्टर-81 से 98, गुरुग्राम को बाहरी स्ट्रोम जल निकासी योजना प्रदान करना	226.93	25 मार्च 2013	18	375.52	दिसंबर 2019	378.16	66.64
कुल (06)		**528.78**			**738.68**		**883.93**	**67.16**
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम करनाल, अंबाला और गुरुग्राम)								
83.	नगर निगम करनाल के अंतर्गत मुनक रोड पर कल्पना चावला द्वार का निर्माण	0.46	29 जनवरी 2021	4	0.56	16 जून 2022	0.56	21.74
84.	नगर निगम करनाल के कार्यालय भवन के इंटीरियर फिट-आउट का निर्माण कार्य	9.92	20 अगस्त 2020	9	11.3	19 सितंबर 2022	11.3	13.91
85.	कस्तूरबा गांधी चौक से बनूड़ी नाका वार्ड 3 एवं 4 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.44	06 नवंबर 2017	15	1.99	26 मई 2022	1.99	38.19
86.	जलबेड़ा चौक से सेशन ड्रेन एवं सेशन ड्रेन से झंडू टायर वार्ड 7 तक बरसाती नाले का निर्माण	0.62	01 जनवरी 2018	9	1.64	02 नवंबर 2021	1.64	164.52
87.	वार्ड नंबर 1 से 11 अंबाला शहर के विभिन्न पार्कों में बच्चों के खेलने के उपकरणों की आपूर्ति और फिक्सिंग तथा कार्य	0.29	08 मार्च 2019	6	0.47	07 नवंबर 2020	0.47	62.07
88.	सेक्टर 1 मार्केट, वार्ड नंबर 11 में पार्किंग का निर्माण	0.25	28 दिसंबर 2018	6	0.35	04 अक्तूबर 2019	0.35	40.00
89.	कार्यालय परिसर नगर निगम परिसर में आयुक्त तथा मुख्य अभियंता के कार्यालय का नवीनीकरण/मरम्मत/रखरखाव	0.26	08 अक्तूबर 2021	3	0.37	08 फरवरी 2022	0.37	42.31

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
90.	चौकी नंबर 4 से नाहन हाउस से बनूड़ी नाका वाया मीरी पीरी चौक और घास मंडी चौक आरएच साइड वार्ड नंबर 3 एवं 4 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.25	06 नवंबर 2017	12	2.45	28 जून 2022	2.45	96.00
91.	जलबेरा चौक से राधा स्वामी सत्संग भवन बाया पूर्वी दुर्गा नगर आरएच साइड 11 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.18	12 अक्तूबर 2017	15	2.54	26 मई 2022	2.54	115.25
92.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत कीर्ति नगर एवं फ्रैंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में 80 मिलीमीटर मोटी इंटरलॉकिंग टाइल्स उपलब्ध कराना एवं बिछाना	0.07	27 सितंबर 2018	2	0.15	18 अगस्त 2020	0.15	114.29
93.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत जोन 2 में वार्ड नंबर 19 में जलापूर्ति पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत/दूषित पानी की समस्या का समाधान	0.05	28 जून 2019	1	0.11	11 मई 2020	0.11	120.00
94.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत सेक्टर-21 मार्केट के सामने डुंढेरा बॉर्डर पर चारदीवारी	0.10	24 जून 2020	1	0.29	11 नवंबर 2021	0.29	190.00
95.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत जोन IV में ग्राम टिकरी, वार्ड नंबर 29 में शमशान घाट की मरम्मत एवं रख-रखाव	0.14	01 मई 2018	4	0.27	05 मार्च 2020	0.27	92.86
96.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत जोन II में डुंढेरा स्कूल वाली गली से सेक्टर 21 शिव मंदिर वार्ड नंबर 4 तक 200 मिलीमीटर सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना	0.06	04 सितंबर 2019	3	0.24	22 मई 2020	0.24	300.00
97.	नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र सेक्टर 39 का निर्माण/नवीनीकरण	0.20	31 अगस्त 2018	2	0.36	03 जून 2020	0.36	80.00
98.	एनएच-08 से नगर निगम गुरूग्राम के अंतर्गत झासरसा रोड रेड लाइट वार्ड नंबर 19 तक बीएम और बीसी स्लिप रोड उपलब्ध कराना और बनाना	0.19	05 अगस्त 2019	2	0.40	13 मई 2020	0.40	110.53
कुल (16)		**16.48**			**23.49**		**23.49**	**42.54**
कुल योग (98)		**1,134.53**			**1,798.08**		**1,997.28**	**76.04**

* अंतिम भुगतान की तिथि अनुमोदन की तिथि के रूप में ली गई है।

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2 एवं 5.6; पृष्ठ 113, 135)

उन कार्यों की सूची जिनमें कार्यों की मदों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण निष्पादन के दौरान बदलाव किए गए थे

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) {पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर)}					
1	(i) अट्टा, (ii) बपोली, (iii) नौल्था (iv) पानीपत में 4 पशु चिकित्सालयों का निर्माण	1.27	18 मई 2018	12	0.30
2	(i) अधमी, (ii) कुराड़, (iii) नोहरा, (iv) पास्सिना कलां, (v) सिताना में 5 पशु औषधालयों का निर्माण	1.49	18 मई 2018	12	1.48
3	बाबैन शहर में किलोमीटर 43.10 से 45.50 (2.40 किलोमीटर) तक लाडवा-शाहबाद रोड (एसएच-07) को चार लेन का बनाकर सड़क का सुधार	5.63	24 जनवरी 2018	06	3.28
4	ढांड पूंडरी राजौंद अलेवा रोड को किलोमीटर 11.95 से 15.40 तक सड़क को चार लेन का बनाना और किलोमीटर 11.45 से 15.40 तक मजबूत करना	22.42	30 जनवरी 2017	18	19.68
कुल (04)		**30.81**			**24.74**
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी)					
5	एमसी निसिंग, निगधु और असंध के अधिसूचित क्षेत्र में 6 लिंक रोड की विशेष मरम्मत	2.01	24 अगस्त 2020	06	1.42
कुल (01)		**2.01**			**1.42**
हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी)					
6	सेक्टर-14, गुरुग्राम में सरकारी महिला कॉलेज में नए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	3.62	20 अप्रैल 2020	15	3.50
7	पुलिस लाइन, गुरूग्राम (एचपीएचसी गुरूग्राम) में 96 टाइप-II आवासों का निर्माण	16.37	26 जून 2017	21	16.40
8	सेक्टर 5, पंचकुला में पुलिस कॉलोनी में 72 आवासों की विशेष मरम्मत	1.12	15 मार्च 2021	06	0.79
9	पुलिस लाइन्स, रेवाडी ग्रुप-III में 48 टाइप-II और 12 टाइप-I आवासों का निर्माण	7.43	15 मई 2017	18	6.92
10	पुलिस लाइन, नूंह में कल्याण केंद्र का निर्माण	2.53	08 जुलाई 2019	12	2.14
11	पुलिस लाइन, सोनीपत में 12 टाइप-1, 96 टाइप-II, 24 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	24.16	11 सितंबर 2019	24	23.61
12	जिला भिवानी में सदर पुलिस थाना, महिला थाना व पुलिस थाना बवानी खेड़ा में मित्र कक्ष का निर्माण	0.91	17 फरवरी 2020	08	0.87
13	पुलिस लाइन, करनाल में 96 टाइप-II, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	20.46	16 सितंबर 2019	24	19.50

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
14	अंबाला शहर में महिला पुलिस स्टेशन में 18 टाइप-II और 2 टाइप-III आवासों का निर्माण	3.39	25 नवंबर 2019	15	3.08
15	बराड़ा, जिला अंबाला में पुलिस स्टेशन का निर्माण	2.26	04 सितंबर 2018	12	2.05
कुल (10)		**82.25**			**78.86**
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी)					
16	औद्योगिक एस्टेट, बरही सोनीपत में मेगा फूड पार्क में साइलोस के लिए सिविल फाउंडेशन	2.21	13 अप्रैल 2017	02	2.09
17	आईएमटी मानेसर में सेक्टर एम-14 और एम-15 के बीच सेक्टर रोड (60 मीटर चौड़ी) और सेक्टर-16 में 75 मीटर वाइड सेक्टर रोड के आंशिक हिस्से का निर्माण	6.79	24 जुलाई 2019	06	5.79
18	पुराने औद्योगिक क्षेत्र (असंध रोड के पास), पानीपत में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	16.94	01 मार्च 2019	12	12.38
19	औद्योगिक एस्टेट, राई जिला सोनीपत में फेज-1 सेक्टर-38 में टू-बे फायर स्टेशन भवन का निर्माण	1.88	08 मार्च 2019	08	1.95
कुल (04)		**27.82**			**22.21**
कुल योग (19)		**142.89**			**128.71**

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.5 एवं 5.9.1; पृष्ठ 116, 140)

उन कार्यों की सूची जिनमें सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि अनुमोदित कराए बिना व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि	किया गया भुगतान
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)				
1	3	करनाल जिले में एनसीसी अकादमी घरौंडा	17.91	42.17
2	4	गांव कुटैल (करनाल) में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के चारों ओर चारदीवारी	3.76	36.96
3	5	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज का निर्माण	10.85	15.40
4	7	अंबाला कैंट में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम	40.49	114.03
5	12	कैथल जिले के गांव पाई में कबडडी हॉल	3.65	5.00
6	19	कैथल जिले के गांव क्योड़क में आरवीडीईसी	4.98	5.83
7	20	समसपुर, चरखी दादरी में नया खेल स्टेडियम	10.85	11.10
8	21	बाधरा से बेरला रोड किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक	3.20	6.23
9	22	भिवानी जिले के ढिगावा जट्टान में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल	3.62	5.00
10	23	लोहारू में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	2.38	4.16
11	26	भिवानी में चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक के परिसर में पुस्तकालय एवं वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	5.75	8.04
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड				
12	51	सोनीपत में तीन लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत - कटवाल से बाली इंजीनियरिंग कॉलेज, माहरा से सिकंदरपुर माजरा और ईशरपुर खेड़ी से सिवाना मॉल तक	0.96	1.04
कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज				
13	64	ग्राम इंदरगढ़ (रोहतक) में वीकेसी का निर्माण	0.22	0.27
नगर निगम, अंबाला				
14	87	अंबाला शहर में वार्ड नंबर 1 से 11 तक विभिन्न पार्कों में बच्चों के खेलने के उपकरणों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग तथा कार्य	0.29	0.47
		कुल	**108.91**	**255.70**

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.6 (ii); पृष्ठ 136)

उन कार्यों की सूची जिनमें कार्य के निष्पादन के दौरान विभिन्न मदों की मात्रा में परिवर्तन के कारण भिन्नताएं उत्पन्न हुई

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि	अंतिम भुगतान किए गए बिल तक भुगतान	डीएनआईटी से परे निष्पादित मदें		डीएनआईटी मदों का निष्पादन न होना		20 प्रतिशत से अधिक भिन्नताएं		भिन्नता की कुल राशि	अनुबंध राशि की प्रतिशतता
				मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि		
हरियाणा पुलिस आवास निगम											
1	सेक्टर-14, गुरुग्राम में सरकारी महिला कॉलेज में नए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	361.85	349.47	38	22.10	20	73.10	53	83.24	178.44	49.31
2	पुलिस लाइन, गुरूग्राम (एचपीएचसी गुरूग्राम) में 96 टाइप-II आवासों का निर्माण	1,637.00	1,640.00	42	144.44	31	43.16	50	478.96	666.56	40.72
3	सेक्टर 5, पंचकुला में पुलिस कॉलोनी में 72 आवासों की विशेष मरम्मत	111.88	78.46	12	9.46	16	8.46	0	0.00	17.92	16.02
4	पुलिस लाइन्स, रेवाडी ग्रुप-III में 48 टाइप-II और 12 टाइप-I आवासों का निर्माण	743.00	692.00	19	59.44	26	76.26	26	35.23	170.93	23.01
5	पुलिस लाइन, नूंह में कल्याण केंद्र का निर्माण	253.00	213.67	20	24.45	36	39.69	28	60.03	124.17	49.08
6	पुलिस लाइन, सोनीपत में 12 टाइप-1, 96 टाइप-II, 24 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	2,416.00	2,361.00	19	34.00	0	0.00	73	276.00	310.00	12.83
7	जिला भिवानी में सदर पुलिस थाना, महिला थाना व पुलिस थाना बवानी खेड़ा में मित्र कक्ष का निर्माण	90.45	86.61	64	15.70	22	8.05	25	12.07	35.82	39.60
8	पुलिस लाइन, करनाल में 96 टाइप-II, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	2,046.00	1,950.00	16	32.2	42	337.08	75	431.77	801.05	39.15
9	अंबाला शहर में महिला पुलिस स्टेशन में 18 टाइप-II और 2 टाइप-III आवासों का निर्माण	338.08	308.00	16	12.14	77	31.29	65	92.32	135.75	40.15
10	बराड़ा, जिला अंबाला में पुलिस स्टेशन का निर्माण	225.80	205.29	65	54.25	42	27.68	64	66.94	148.87	65.93
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम											
11	औद्योगिक एस्टेट, बरही सोनीपत में मेगा फूड पार्क में साइलोस के लिए सिविल फाउंडेशन	220.98	209.46	7	22.03	4	1.59	6	60.99	84.61	38.29
12	आईएमटी मानेसर में सेक्टर एम-14 और एम-15 के बीच सेक्टर रोड (60 मीटर चौड़ी) और सेक्टर-16 में 75 मीटर वाइड सेक्टर रोड के आंशिक हिस्से का निर्माण	678.88	578.83	7	19.23	11	6.08	22	198.69	224.00	33.00
13	पुराने औद्योगिक क्षेत्र (असंध रोड के पास), पानीपत में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	1,693.62	1134	7	39.18	4	186.33	5	287.59	513.10	30.30
14	औद्योगिक एस्टेट, राई जिला सोनीपत में फेज-1 सेक्टर-38 में टू-बे फायर स्टेशन भवन का निर्माण	188.32	178.62	31	7.54	28	5.36	36	26.76	39.66	21.06
	कुल	**11,004.86**	**9,910.41**	**363**	**496.16**	**359**	**844.13**	**528**	**2,110.59**	**3,450.88**	**31.36**
	(कुल ₹ करोड़ में)	**110.05**	**99.10**	**363**	**4.96**	**359**	**8.44**	**528**	**21.11**	**34.51**	**31.36**

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.8.2; पृष्ठ 139)

उन कार्यों का विवरण जिनमें अनुबंध में वृद्धि और भिन्नता के कारण समय और लागत में वृद्धि हुई

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया (₹ करोड़ में)	रनिंग बिल और तिथि	निर्धारित पूर्णता अवधि (महीनों में)	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की तिथि/अंतिम बिल भुगतान की तिथि	अधिक समय (महीनों में)
1	1	करनाल जिले में कॉड-मुनक-सलवान असंध रोड (एमडीआर 114) को पार करते हुए रेलवे किलोमीटर 99/21-23 पर एलसी नंबर 61 पर दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	21.93	37.36	15वां एवं रनिंग बिल दिनांक 18 अक्तूबर 2024	24	जनवरी 2021	अक्तूबर 2024	45
2	2	धनौरा एस्केप पर एचएल ब्रिज	1.56	4.19	पांचवां एवं फाइनल बिल दिनांक 3 सितंबर 2021	6	अगस्त 2020	जून 2021	10
3	5	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज	10.85	15.40	19वां एवं रनिंग बिल दिनांक 24 जून 2022	21	अप्रैल 2019	जून 2022	38
4	8	जगाधरी अंबाला रोड से अंबाला जिले में मुन्नरहेड़ी तक लिंक रोड (किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 3.040 तक), रोड आईडी-178	1.14	4.53	चौथा एवं फाइनल बिल दिनांक 01 मई 2024	6	मार्च 2020	जून 2021	15
5	10	अंबाला कैंट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आल-वेदर स्विमिंग पूल	8.29	31.35	19वां एवं फाइनल बिल दिनांक 09 सितंबर 2024	18	सितंबर 2020	दिसंबर 2021	15
6	15	कैथल जिले के कलायत में 50 बेड वाला अस्पताल	5.88	7.99	आठवां फाइनल बिल दिनांक 9 दिसंबर 2021	18	सितंबर 2019	जुलाई 2020	10
7	16	कैथल जिले के कलायत में एसडीओ (सी) कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग	8.57	12.63	16वां फाइनल बिल दिनांक 17 जुलाई 2023	9	मार्च 2021	जनवरी 2022	9
8	18	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुआना, जींद का निर्माण	4.07	7.16	छठा फाइनल बिल दिनांक 22 जुलाई 2021	18	जनवरी 2021	मई 2021	4
9	21	बाधरा से बेरला रोड पर किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं सीसीपी (रोड आईडी 2429)	3.02	6.23	चौथा रनिंग बिल दिनांक 30 सितंबर 2021	9	जून 2020	सितंबर 2021	15
10	23	लोहारू में हरियाणा रोडवेज का वर्कशॉप ब्लॉक	2.38	4.16	तीसरा रनिंग बिल दिनांक 29 सितंबर 2021	12	जून 2018	दिसंबर 2020.	27
11	26	चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक, भिवानी के परिसर में पुस्तकालय और कार्यशाला ब्लॉक	5.75	8.04	नौवां रनिंग बिल दिनांक 21 जनवरी 2021	18	अक्तूबर 2018	सितंबर 2022[1]	35
		कुल	**73.44**	**139.04**					
	परिशिष्ट 5.2 में क्र.सं.								
12	3.	बाबैन में किलोमीटर 43.10 से 45.50 (2.40 किलोमीटर) तक लाडवा - शाहबाद रोड (एसएच-07) को चार लेन का बनाना	5.63	3.28	तीसरा रनिंग बिल दिनांक 7 दिसंबर 2020	6	नवंबर 2018	नवंबर 2020	24
13	4.	किलोमीटर 11.95 से 15.40 तक सड़क को चार लेन का बनाना और किलोमीटर 11.45 से 15.40 तक ढांड पूंडरी राजौंद अलेवा रोड को मजबूत करना	22.42	19.68	15वां रनिंग बिल दिनांक 23 अक्तूबर 2019	18	अगस्त 2018	सितंबर 2019	12
		कुल	**28.05**	**22.96**					
		कुल योग	**102.49**	**162.00**					

[1] लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात सितंबर 2022 को कार्य प्रगति पर था।

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1; पृष्ठ 144)

कुल लाभार्थियों और एकल लाभार्थी को एकाधिक भुगतान के विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान किया गया	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	कुल अतिरिक्त भुगतान	जिलेवार कुल अतिरिक्त भुगतान
1	सोनीपत	22,742	558	दोगुना	27	62	341	93	27	7	1	0	558	566
			4	तीनगुना	0	1	2	0	1	0	0	0	8	
2	पानीपत	15,765	336	दोगुना	2	7	19	194	59	52	3	0	336	342
			3	तीनगुना	0	0	0	3	0	0	0	0	6	
3	अंबाला	24,624	111	दोगुना	3	3	8	27	33	30	7	0	111	115
			2	तीनगुना			1	1					4	
4	भिवानी	27,813	95	दोगुना	2	4	9	15	42	20	3	0	95	95
5	फतेहाबाद	13,615	261	दोगुना	10	48	23	21	53	64	42	0	261	263
			1	तीनगुना						1			2	
6	हिसार	26,346	559	दोगुना	105	62	145	197	27	20	3	0	559	569
			5	तीनगुना	1			3		1			10	
7	झज्जर	13,354	96	दोगुना	8	67	4	7	4	4	2	0	96	96
8	जींद	25,719	946	दोगुना	37	175	288	294	74	69	9	0	946	1,338
			193	तीनगुना			8	168	17				386	
			2	चारगुना				2					6	
9	कैथल	22,275	777	दोगुना	88	134	79	121	180	142	33	0	777	913
			65	तीनगुना	29	14	1	9	7	4	1		130	
			2	चारगुना					1	1			6	
10	कुरूक्षेत्र	18,872	272	दोगुना	85	9	24	43	72	38	1	0	272	282
			5	तीनगुना	1			1	3				10	
11	मेवात	17,530	492	दोगुना	72	63	102	144	67	34	10	0	492	522
			12	तीनगुना	2	1		3	2	3	1		24	
			2	चारगुना				1	1				6	
12	यमुनानगर	25,540	74	दोगुना	4	13	11	31	12	3	0	0	74	74

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान किया गया	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	कुल अतिरिक्त भुगतान	जिलेवार कुल अतिरिक्त भुगतान
13	नारनौल	14,737	981	दोगुना	189	237	153	350	42	6	3	1	981	1,186
			26	तीनगुना	14	1	7	3	1				52	
			32	चारगुना	27	2		3					96	
			11	पांचगुना	11								44	
			1	छःगुना	1								5	
			1	नौगुना	1								8	
14	पंचकुला	5,489	69	दोगुना	1	2	4	11	13	21	17	0	69	69
15	रोहतक	16,692	176	दोगुना	8	64	21	19	20	36	8	0	176	178
			1	तीनगुना				1					2	
16	सिरसा	16,560	530	दोगुना	6	17	37	118	82	98	172	0	530	613
			20	तीनगुना		2	3		1	5	9		40	
			13	चारगुना				2		3	8		39	
			1	पांचगुना							1		4	
17	फरीदाबाद	4,962	59	दोगुना	21	21	9	8	0	0	0	0	59	63
			2	तीनगुना			1	1					4	
18	गुरूग्राम	10,976	46	दोगुना	18	20	2	5	1	0	0	0	46	46
19	करनाल	24,886	750	दोगुना	54	131	272	267	18	8	0	0	750	801
			24	तीनगुना	1	3	17	2	1				48	
			1	चारगुना			1						3	
20	रेवाड़ी	11,691	105	दोगुना	4	11	14	33	18	15	10	0	105	107
			1	तीनगुना				1					2	
		3,60,188	**7,723**		**832**	**1,174**	**1,606**	**2,202**	**879**	**685**	**343**	**1**	**8,238**	**8,238**

₹ 17,29,98,000 का अतिरिक्त भुगतान = 8,238 मामले x ₹ 21,000

अर्थात ₹ 17.30 करोड़

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5; पृष्ठ 152)

गुरुग्राम में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान की तिथि तक 90/120 दिन की अनुग्रह अवधि की कटौती के बाद दिनों की देरी	मूलधन	देरी की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज
1	1448/10	चौमा	66	23 दिसंबर 2009	एडीजे	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	1464	10,59,27,298	6,37,30,506
2	1450/2010	चौमा	66	23 दिसंबर 2009	एडीजे	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	1464	15,17,97,601	9,13,28,091
3	426/10	हरसुरु	18	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	07 अप्रैल 2021	1190	7,43,09,389	3,63,40,345
4	422/10	हरसुरु	18	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	26 मई 2019	508	1,33,25,574	27,81,942
5	427/10	हरसुरु	18	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	26 मई 2019	508	4,26,41,838	89,02,214
6	716/10	हरसुरु	18	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	27 मार्च 2018	83	12,03,74,355	41,05,920
7	665/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	08 सितंबर 2018	248	1,64,93,885	16,81,021
8	540/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1578	5,10,58,280	3,31,10,945
9	539/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एससी	5 सितंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1578	5,45,14,718	3,53,52,421
10	100/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	4,36,37,778	1,76,28,467
11	78/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	12,74,797	5,14,983
12	93/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	39,21,441	15,84,155
13	55/13	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	38,68,804	15,62,891
14	95/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	49,71,709	20,08,434
15	79/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	4,18,13,355	1,68,91,450
16	23/16	वजीराबाद	45	22 फरवरी 2007	एडीजे	20 मार्च 2018	31 जनवरी 2022	1323	9,41,09,510	5,11,67,212
17	224/08	रेवाड़ी	25	07 दिसंबर 2006	एचसी	29 जनवरी 2016	27 नवंबर 2017	578	3,99,90,984	94,99,228
18	296/11	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	5,22,11,145	1,93,53,885
19	312/11	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	2,72,68,494	1,01,08,020
20	1512/10	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एचसी	23 अक्तूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	1,64,41,296	60,94,541
21	333/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	5,44,47,820	2,17,94,045
22	338/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	7,82,68,741	3,13,28,940
23	335/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	1,22,88,571	49,18,795
24	331/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	81,86,025	32,76,653
25	352/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	31,38,312	12,56,185
26	346/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	3,42,18,942	1,36,96,952
27	353/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	5,25,57,270	2,10,37,307
28	349/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	60,49,757	24,21,560
29	345/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	39,22,889	15,70,230
30	339/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	1,87,16,438	74,91,703
31	332/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	90,74,637	36,32,341
32	341/11	बजघेड़ा	72	31 मार्च 2010	एचसी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	6,39,00,566	2,55,77,733
									कुल	**55,17,49,113**

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5; पृष्ठ 152)

फरीदाबाद में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (I4*H4*15/36500)
1	250/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,15,35,594	42,35,802
2	250/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	6,01,51,608	49,43,968
3	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2015	30 नवंबर 2021	2359	77,70,515	75,33,142
4	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2015	09 जून 2021	2185	51,38,652	46,14,228
5	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	25,69,326	1,81,613
6	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एचसी	31 मई 2019	09 जून 2021	650	1,99,36,234	53,25,432
7	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एचसी	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	99,68,117	7,04,595
8	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एचसी	31 मई 2019	09 जून 2021	650	1,31,83,856	35,21,715
9	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एचसी	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	65,91,928	2,24,848
10	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 नवंबर 2021	49	2,32,58,937	4,68,365
11	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 नवंबर 2021	49	1,53,81,165	3,09,730
12	1328/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	08 मई 2014	28 मई 2015	295	40,16,094	4,86,883
13	1328/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	6,35,22,810	52,21,053
14	320/11	भोतला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	12 जून 2022	243	8,00,95,522	79,98,580
15	254/11	बसेला	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	8,95,79,672	73,62,713
16	254/11	बसेला	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,12,74,609	42,14,351
17	865/11	पहेल्दपुर	3	27 अगस्त 2010	एडीजे	24 मार्च 2014	11 नवंबर 2014	142	80,36,451	4,68,976
19	857/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,73,04,842	14,22,316
20	858/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जुलाई 2022	90	1,32,78,816	4,91,134
21	858/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जुलाई 2022	90	46,97,028	1,73,726
22	86/13	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	58,14,091	4,77,870
23	295/11	भटोला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,37,60,955	44,18,709
24	1282/11	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,48,83,463	7,46,212
25	98/15	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	3,56,74,406	29,32,143
26	98/15	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एडीजे	06 अप्रैल 2015	30 अप्रैल 2022	2491	90,52,818	92,67,357

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (I4*H4*15/36500)
27	1222/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	18 फरवरी 2022	30 जून 2022	42	2,80,77,996	4,84,634
28	1133/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	14 नवंबर 2014	571	9,77,732	2,29,432
29	1133/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	77,32,418	6,35,541
30	1173/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,96,69,222	16,16,648
31	839/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,27,87,854	10,51,056
32	67/10	बरोली	1	24 अप्रैल 2009	एससी	14 जुलाई 2021	31 अगस्त 2022	323	6,93,738	92,087
33	372/10	सिही	4	24 अप्रैल 2009	एससी	14 जुलाई 2021	15 जून 2022	246	5,16,81,120	52,24,749
34	1273/11	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,46,59,333	20,26,794
35	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एडीजे	24 दिसंबर 2011	08 सितंबर 2012	169	9,15,023	63,550
36	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एचसी	10 दिसंबर 2015	05 अप्रैल 2019	1122	53,07,138	24,47,100
37	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एससी	02 नवंबर 2017	28 सितंबर 2018	240	86,92,726	8,57,365
38	261/11	पलवल	7	09 जून 2009	एडीजे	24 जुलाई 2013	08 मई 2014	198	99,006	8,056
39	261/11	पलवल	7	09 जून 2009	एससी	08 नवंबर 2017	12 नवंबर 2018	279	75,760	8,686
40	300/10	पलवल	7	09 जून 2009	एससी	08 नवंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1544	2,23,08,207	1,41,55,016
41	1152/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	04 जुलाई 2015	803	29,46,100	9,72,213
42	187/10	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एडीजे	30 नवंबर 2012	08 मार्च 2015	738	97,927	29,700
43	187/10				एचसी	13 फरवरी 2017	30 अप्रैल 2022	1812	5,67,979	4,22,950
44	187/10				एससी	07 मई 2019	30 अप्रैल 2022	999	9,30,308	3,81,936
45	93/99	अजरोंधा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	85,35,622	20,02,948
46	35/12	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,09,64,778	9,01,215
47	807/11	फरीदपुर	9	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,58,70,070	21,26,307
48	1089/11	भटोला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,12,01,425	17,42,583
49	91/99	अजरोंधा	15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	2,69,92,841	63,34,074
50	424/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,21,08,343	9,95,206
51	1130/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	15 सितंबर 2014	511	12,11,185	2,54,349
52					एडीजे	22 जनवरी 2013	15 जनवरी 2014	268	20,34,052	2,24,024
53					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,56,65,045	21,09,456
54	326/10	पलवल	7	09 जून 2009	एडीजे	16 जनवरी 2014	08 दिसंबर 2014	236	20,93,702	2,03,060
55					एससी	08 नवंबर 2017	28 मार्च 2019	415	16,02,129	2,73,240
56	68/14	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	06 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	146	51,37,732	3,08,264

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (I4*H4*15/36500)
57	523/11	खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2013	27 मार्च 2015	649	14,20,260	3,78,801
58					एडीजे	18 मार्च 2013	31 जुलाई 2022	3332	14,20,260	19,44,783
59					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,92,52,264	15,82,378
60	1159/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	10 जून 2014	414	6,19,460	1,05,393
61					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	48,99,025	4,02,660
63	67/16	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	7,61,85,853	62,61,851
64	1204/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,61,59,472	13,28,176
65	427/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,29,82,835	10,67,082
66	479/11	फज्जुपुर	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,00,99,253	41,17,747
67	621/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	98,28,499	8,07,822
68	540/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,01,17,380	5,07,255
69	252/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,81,51,477	14,91,902
70	655/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	46,12,133	3,79,079
71	445/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जून 2022	60	2,36,52,565	5,83,214
72	729/11	भुडेना	17	27 अगस्त 2010	एडीजे	16 अक्तूबर 2015	30 अप्रैल 2022	2298	5,20,98,013	4,92,00,507
73		भुडेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	4,93,72,564	40,58,019
74	237/11	वजीरपुर	4	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,04,19,603	8,56,406
75	599/11	मुतर्जापुर	15	27 अगस्त 2010	एडीजे	24 अगस्त 2013	17 सितंबर 2014	299	16,89,116	2,07,553
76					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,03,86,052	16,75,566
77	1037/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	15 मई 2022	215	1,80,68,640	15,96,476
78	473/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	07 नवंबर 2013	27 सितंबर 2014	234	18,29,388	1,75,922
79						07 नवंबर 2013	27 सितंबर 2014	234	18,29,388	1,75,922
80					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,03,38,602	16,71,666
81	533/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 मई 2013	26 जून 2014	305	8,76,704	1,09,888
82						27 मई 2013	26 जून 2014	305	8,76,704	1,09,888
83					एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,08,40,050	5,43,487
84	545/11	खेड़ी कलां	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 मई 2013	17 जून 2014	296	9,35,151	1,13,755
85					एडीजे	27 मई 2013	17 जून 2014	296	9,35,151	1,13,755
86					एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	1,15,62,720	3,70,641
87	169/12	नीमक	1	22 मई 2012	एडीजे	07 मई 2014	22 जून 2015	321	12,47,899	1,64,620

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (I4*H4*15/36500)
88					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	65,83,877	5,41,141
89	870/11	पहलादपुर	3	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	3,10,45,125	25,51,654
90	239/11	वजीरपुर	4	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,52,32,718	12,52,004
91	720/11	बुधेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,83,58,458	47,96,586
92	476/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,99,02,775	16,35,845
93	551/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	1,18,78,575	3,80,765
94	615/11	बादशाहपुर	6	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,15,89,849	17,74,508
95	1102/11	नीमका	1	22 मई 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,09,869	17,250
96	59/14	चंदावली	6	07 सितंबर 2001	एचसी	19 नवंबर 2015	15 अक्तूबर 2022	2432	11,23,115	11,22,500
97	91/01	अजरौंदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,12,279	73,279
98	803/11	खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	37,23,689	3,06,057
99		खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	76,85,059	6,31,649
100	685/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 फरवरी 2013	20 अक्तूबर 2013	145	1,55,858	9,287
101					एडीजे	27 फरवरी 2013	20 अक्तूबर 2013	145	1,55,858	9,287
102					एससी	31 जनवरी 2022	31 जुलाई 2022	91	13,30,423	49,754
103	डंप डेटा में 157/11 का गलत उल्लेख 1057/11 किया गया	रिवाजपुर	14	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,09,48,964	8,99,915
104	197/99	अजरौंदा	15	29 जून 1998	एचसी	06 अक्तूबर 2010	29 अक्तूबर 2011	298	1,01,14,049	12,38,625
105					एचसी	06 अक्तूबर 2010	29 अक्तूबर 2011	298	8,25,635	1,01,112
106					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	21,25,229	4,98,701
107					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	42,50,461	9,97,403
108					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,46,976	81,421
109					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	1,73,487	40,710
110					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,46,976	81,421
111					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	42,50,461	9,97,403
112	116/2000	अजरौंदा	15	29 जून 1998	एचसी	06 अक्तूबर 2010	17 अक्तूबर 2011	286	16,84,298	1,97,963
113					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	17,69,581	4,15,246
114	567/11	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,22,63,844	18,29,905
115	254/2000	तिलोरी बांगर	16	29 जून 1998	एचसी	06 अक्तूबर 2010	29 सितंबर 2011	268	15,85,222	1,74,592
116					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	8,32,743	1,95,409

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (I4*H4*15/36500)
117	255/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,12,74,609	42,14,351
118	130/13 का गलत उल्लेख 130/11 किया गया	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,05,84,893	8,69,991
119	317/11	रिवाजपुर	14	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	10,04,05,352	82,52,495
120	312/2k	अजरौंदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	73,55,904	17,26,118
121	694/11	बुडेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	9,58,67,660	78,79,534
122	440/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	98,70,542	8,11,277
123	275/99	अजरौंदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	48,95,837	11,48,845
124	103/13	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	3,81,70,831	12,23,558
125	129/13	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	4,06,06,673	20,35,896
126	830/11	फरीदपुर	9	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	11,84,208	97,332
127	628/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	15 मई 2022	14	49,56,205	28,515
128	287/11	तकवाली	5	27 अगस्त 2010	एचसी	31 मई 2019	15 अक्तूबर 2022	1143	1,54,58,719	72,61,363
129	648/2K	अजरौंदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	5,13,510	1,20,499
130	369/2k	अजरौंदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	2,69,60,072	63,26,384
131	299/2k	अजरौंदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	12,90,749	3,02,884
132	498/2K	अजरोंधा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	95,76,552	22,47,210
133	59/99	अजरोंधा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	70,52,295	16,54,874
134	179/98	अजरौंदा	13	29 जून 1998	एचसी	06 अक्तूबर 2010	29 नवंबर 2011	329	70,83,960	9,57,790
135					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	24,80,879	5,82,157
									कुल	**27,86,72,378**

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi